राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] षष्टम् विधान सभा के तृतीय सत्र का तीसवां दिवस [संख्या 23

बुधवार,

29 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री अब्दुल हादी।

ग्राम बुरहान (बाड़मेर) का ट्यूब वैल

566. श्री अब्दुल हादी (चौहटम): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के ग्राम बुरहान का तला का ट्यूब वैल, जहां से जनता को पानी मिलता है, एक माह से बन्द पड़ा हुआ है ?

(2) यदि, हां तो उसके क्या कारण हैं और कब तक राज्य सरकार उसे पुनः चालू करने की व्यवस्था करेगी ?

राज्य मंत्री जन स्वास्थ्य (श्री महबूब-अली) : (1) जी हां, नलकूप लगभग एक माह बंद रहा।

(2) नल कूप का पम्प सैट खराब हो जाने के कारण योजना बन्द रही। नलकूप से पुन: पानी 21–3–78 से चालू कर दिया गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): यह नलकूप खराब होने का क्या कारण है ? नलकूप खराब क्यों हुआ ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मशीनरी खराब होने के कारण हुआ ! इन्फार्मेशन तो कुछ है नहीं लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है 90 फीट का हैंड पम्प लगा हुआ है और बहुत नीचे से पानी ऊपर खींचना पड़ता है। सम्भवतः इसी कारण वह खराब हुआ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मशीनरी के बारे में तो सभी जानते हैं। यह यहां का ही प्रश्न नहीं है, सभी जगह खराब होती है। अचानक ऐसी खराबी हो जाय तो भी लोगों को पानी बराबर मिलता रहे इसके लिये राज्य सरकार के पास क्या आल्टरनेटिव व्यवस्था है ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, इसके रख रखाव का पूरा इन्तजाम किया जाता है। वहां आदमी रहता है, रख रखाव का पूरा इन्तजाम हैं। इसके बावजूद मशीनरी अचानक खराब हो जाय तो उसको ठीक करने के लिए पूरा प्रबन्ध किया जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: इतने लम्बे समय तक ट्यूब वैल बन्द रहने से लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत होती है। जहां इतने नीचे से पानी खींचने का सवाल है वहां लोगों के पास आल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं है। मशीनरी खराब हो जाने पर आपके पास आल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए ताकि महीने भर तक नलकूप बन्द नहीं रहें। आल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता तो इतने लम्बे समय तक बन्द नहीं रहता

(व्यवधान)

श्री महबूब अली: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो स्टेंड बाई अरेंजमेंट के लिए फर्मा रहे हैं, इसके ऊपर राज्य सरकार विचार कर रही है। इसके अन्दर बहुत धन इन्वाल्व्ड है इसलिए स्टेंड बाई अरेंजमेंट होने में कठिनाई आ रही है। माननीय सदस्य ने जो प्राब्लम बताई है उससे मैं सहमत हूं। स्टेंड बाई अरेंजमेंट जो फाइनेंशियल लायबिलिटी इन्वाल्व्ड है उसका अध्ययन किया जा रहा है। जिस प्रकार से भी सम्भव होगा आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री अब्दुल हादी: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने फर्माया कि नलकूप चालू हो गया है, इसके लिए तो मैं उनका शुक्र-गुजार हूं लेकिन यह गुजारिश करूंगा कि महीने में दस दिन वह चलता है और बीस दिन बन्द रहता है। इसलिए मुझे इस तरह की तसल्ली दिला दी जाय कि आयन्दा इस तरह का इन्तजाम किया जावेगा कि नलकूप हमेशा चालू रहे। लोगों के पास पानी का दूसरा इन्तजाम नहीं है और जो कुछ उनके पास साधन थे वे भी खतम कर दिए। हर महीने वहां पर दिक्कत रहती है, पानी नहीं मिलता है, इसलिए इसकी वाजिब व्यवस्था करावें।

श्री महबूब अली: इसकी जांच करवा ली जाएगी कि क्यों दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष: श्री शीशराम ओला।

ग्राम कलवा (झुन्झुनूं) का औषधालय

567. श्री शीशराम ओला (पिलानी): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कलवा पंचायत झांझा जिला झुंझुनूं के औषधालय को अकारण ही बिना किसी पूर्व सूचना के वहां से अन्य किसी गांव में वैद्य सहित मय औषधियों के हटा लिया गया है? यदि हां, तो किस कारण से और किस आदेश से और क्यों?

(2) क्या पंचायत क्षेत्र में कोई दूसरा औषधालय भी है जिससे इस पंचायत क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलती हो?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम कलवा में ग्रामवासियों ने औषधालय भवन एवं वैद्य के निवास हेतु निर्माण कार्य किया है? यदि हां, तो उक्त निर्माण पर कितनी लागत आई है? यह औषधालय किस पंचायत में स्थानान्तरित किया गया है?

(4) जिस पंचायत में यह औषधालय स्थानान्तरित किया गया है उस पंचायत क्षेत्र में क्या कोई और भी औषधालय है? यदि हां, तो एक से दूसरे औषधालय की कितनी दूरी है?

आयुर्वेद मन्त्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन): (1) जी हां। यह सही है कि औषधालय फलवा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 1 (6) चि. स्वा./76/पार्ट-5 दिनांक 30-1-78 के द्वारा ग्राम कालाखड़ी जिला झुंझुनूं में स्थानान्तरित किया गया। चूंकि सामान्य नीति के अनुसार एक हजार की आबादी पर औषधालय हो। तद्नुसार यह औषधालय स्थानान्तरित किया गया।

(2) जी हां। ग्राम झाझा-खेदवा में आयुर्वेद औषधालय संचालित है।

(3) जी नहीं। औषधालय भवन एवं वैद्य निवास हेतु भवन सुविधा होने तथा निर्माण लागत के सम्बन्ध में कोई भी सूचना विभाग को नहीं दी गई है। यह औषधालय पंचायत कलाखेड़ी में स्थानान्तरित हुआ है।

(4) जी हां। ग्राम सांगा में आयुर्वेद औषधालय संचालित है। लगभग 3 कि. मी. की दूरी है।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस दूरी को चैलेंज करता हूं। यह दूरी दो फलांग है, तीन किलोमीटर नहीं है। ग्राम कलवा के पास तीन गांव हैं उन गांव के लोगों को कलवा के औषधालय से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती थी। वह एरिया पंचायत एरिया है। वहां के लोगों ने चन्दे से औषधालय भवन का निर्माण कराया था और वैद्य के रहने के लिए मकान की व्यवस्था भी की थी। इस औषधालय को रातों रात स्थानान्तरित किया गया है, कालाखेड़ी ले जाया गया है। यह औषधालय पहले कलवा में खोला गया था। सरकार के कहने से लोगों ने चन्दा करके भवन का निर्माण कराया और वैद्य के लिए मकान बनाया। यह औषधालय वहां पर चल रहा था। अगर राज्य सरकार अन्य स्थानों को भी चिकित्सा सुविधा देना चाहती थी तो और औषधालय खोले जा सकते थे लेकिन वहां पर पहले से औषधालय चल रहा था वहां क्यों बन्द किया गया? इस तरह से लोगों के हितों पर कुठाराघात किया गया है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुमान है कि जहां पर पहले औषधालय खोला गया वहां की जनसंख्या 358 लोगों की है और जहां पर बदला गया है वहां की जनसंख्या 1156 लोगों की है। शायद वहां कम जनसंख्या होने के कारण ज्यादा जनसंख्या वाले ग्राम में ले जाया गया है ..

श्री शीशराम ओला : यह बात गलत है। आपने इसे नहीं खोला, पहले ही खुला हुआ था। इसको आपने कैसे हटा लिया? हटाने का क्या कारण था? इसे तीन गांवों की जनसंख्या को फायदा मिलता था। अगर और औषधालय खोलने हैं तो दस औषधालय और खोल दो लेकिन एक गांव में पहले से चल रहा था उसको हटाने का क्या कारण है?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : यह इसलिए बदला गया है जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसी दृष्टि से वहां से बदला गया है।

श्री शीशराम ओला : सवाल इस बात का है, अध्यक्ष महोदय, पहले जो औषधालय खोला गया, सरकार के कहने से गांव वालों ने चन्दा करके उसके लिये भवन

(श्री शीशराम ओला)

का निर्माण कराया, वैद्य के रहने की सुविधा प्रदान की। यह सब राज्य सरकार के कहने से किया। वहां से यकायक औषधालय हटा लेने का क्या कारण है ? क्यों हटाया गया है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : इसकी जानकारी विभाग को नहीं है वहां कोई मकान बन.ए गए हैं औषधालय के लिए।

श्री शीशराम ओला : मैं अर्ज कर रहा हूं कि मकान वहां पर मौजूद हैं। यह सब राजनैतिक दृष्टिकोण से किया गया है, यह बहुत ही भयंकर बात है। राजनैतिक दृष्टि से आज एक औषधालय हटा लिया, कल किसी कालेज को हटा लेंगे, किसी हाई स्कूल को हटा लेंगे, किसी अस्पताल को दूसरी जगह ले जायेंगे। जो औषधालय पहले से चलता था उसको इस तरह से राजनैतिक आधार पर हटाना बहुत भयंकर बात है। वहां के लोगों ने सरकार के कहने से चन्दे से मकान बनाया''

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये। बीच में नहीं बोलें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): प्रश्न करें भाषण नहीं ''''' '''

श्री शीशराम ओला : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि '''''''''

श्री त्रिलोक चन्द जैन : आप सप्लीमेंट्री पूछिए। भाषण नहीं दें।

श्री शीशराम ओला : आप हमला करने की कोशिश नहीं करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो औषधालय हटाया गया है '''

(व्यवधान)

श्री सुभाषचन्द्र आर्य : जो औषधालय पहले खोला गया था वह राजनैतिक आधार पर खुलवाया गया था। उसकी वहां पर आवश्यकता ही नहीं थी''''

(व्यवधान)

जिस गांव में तीन सौ लोगों की बस्ती थी वहां पर औषधालय खोल दिया था और जहां पर हजार से ज्यादा आबादी थी वहां पर नहीं खोला था। यह सब भी आपके द्वारा राजनैतिक आधार पर किया गया था ''

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरी जगह आपको औषधालय खोलना है तो और खोल दो लेकिन जहां पर पहले से चल रहा है उसको नहीं हटा सकते '''

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री मदनसिंह।

श्री शीशराम ओला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि वहां के लोगों के साथ अन्याय किया गया है''''

श्री अध्यक्ष। माननीय सदस्य।

श्री शीशराम ओला : आप व्यवस्था दीजिए इस पर।

Page No. 5

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त जानकारी दे दी है। मैं यह समझता हूं माननीय सदस्य कि चलता हुआ औषधालय एकदम बन्द करके दूसरी जगह ले जाना एक स्वस्थ परम्परा नहीं है। मंत्री महोदय ने इसके कारण भी दिए हैं।

(व्यवधान)

इस क्वेश्चन को काफी एजीटेट कर दिया है आपने।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह सरकार का पक्षपात है ·······

(व्यवधान)

इस तरह औषधालय हटाया जा रहा है, इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : भूतपूर्व सरकार ने जनता के साथ अन्याय किया है।

श्री शीश राम ओला : सरकार के आदेश से यह खोला गया था। गांव वालों ने यह बिल्डिंग बनाकर दी है ···

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्री महोदय, आप जवाब देंगे, इस बारे में आपकी सरकार की नीति क्या है ?

श्री त्रिलोक चंद जैन : जवाब तो वही है जो पहले दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह नीति का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है ····

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सवाल यह है····

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई: क्या जो औषधालय खुले हुए हैं उनको सरकार उठा कर दूसरी जगह खोल देगी ? इस बारे में नीति क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह ठीक नहीं है लेकिन सरकार को आप मजबूर नहीं कर सकते। मैंने कहा है, यह परम्परा ठीक नहीं है लेकिन मंत्री महोदय का उत्तर भी वजनदार है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय आपने कहा, यह परम्परा ठीक नहीं है तो क्या मंत्री महोदय यह महसूस करते हैं या नहीं? आइन्दा औषधालय नए खोल सकते हैं किन्तु जहां पर औषधालय खुले हुए हैं, उनको आप नहीं हटाएं इस बारे में, मंत्री महोदय, आप स्पष्ट उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। इस मामले में आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं। आपने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया, यह पर्याप्त है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह गलत है। आइन्दा किस नीति से आप चलेंगे ? जिन स्थानों पर औषधालय खुले हुए हैं क्या वहां से हटा कर दूसरे स्थानों पर खोले जाएंगे ? क्या सरकार भविष्य में इस नीति पर चलेगी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कैसे हो सकता है। सौ में से एक आध जगह पर हो गया होगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब नहीं।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है ? मेरे क्षेत्र में 1100 की आबादी पर औषधालय खोला गया है। मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में ऐसे स्थान पर औषधालय खोला गया है, परन्तु जहां पर 2500 की आबादी है, वहां पर नहीं खोला गया है। 1100 की आबादी पर जब औषधालय चल रहा है तो मंत्री बतायें, 2500 की आबादी वाले गांव में क्यों नहीं खोला गया ? अध्यक्ष महोदय, यह पक्षपात है, यह आपा-धापी है। ....

श्री अध्यक्ष : आप सुनिए। यह जो स्पेसिफिक प्रश्न है...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) अध्यक्ष महोदय, अगर अनजस्टिस हुआ है, जनता ने भवन बना कर दिया है, उसके बाद औषधालय खोला गया है और उसको दूसरी जगह मन्त्री महोदय ने स्थानान्तरित कर दिया है तो मन्त्री महोदय को यह स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि अगले वित्तीय वर्ष में वहां पर औषधालय खोल दिया जाएगा। उन लोगों ने क्या गुनाह किया जिन्होंने इतना रुपया लगा कर भवन का निर्माण कर सरकार को दिया ? उसको आपने हटा दिया। दुबारा आप खोल दें।

श्री अध्यक्ष : यह पर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : गवर्नमेंट को मुआवजा देना चाहिए। यह अन्याय है।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह राजनैतिक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को आश्वासन देना चाहिए। जिस ग्रामीण लोगों ने पैसा इकट्ठा करके भवन का निर्माण कर दिया उनका कोई कसूर नहीं है। पिछली सरकार का फैसला गलत हुआ होगा लेकिन फिर भी इस सरकार का यह फर्ज है, जिन ग्रामीण लोगों ने भवन बना कर दिया है, उनकी भावनाओं का सरकार को ख्याल रखना चाहिए और नए बजट में नए साल में खोल देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर चर्चा हो गई...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया।

श्री मूलचन्द डागा : यह सरकार गूंगी-बहरी है। मुख्य मन्त्री आ गये हैं। वे जवाब देंगे। यह कौन सा तरीका है ? सारा काम मुख्य मन्त्री करेंगे। मुख्य मन्त्री नहीं होंगे तो जवाब भी नहीं होगा। वाह !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

मुझे विश्वास है कि सरकार इस संबंध में उदारता की नीति बरतेगी।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : मैं मुख्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : यह राजनैतिक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हैं!

श्री मदनसिंह दांता : 150 प्राइमरी हैल्थ सैन्टर को एक नीति के आधार-पर खत्म कर दिया गया। इसके बारे में क्या नीति है? यह हम सरकार से, मुख्य-मंत्री से पूछना चाहते हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : ऐसी चीजों में राजनैतिक पक्षपात किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : सरकार की क्या नीति है? यह गम्भीर विषय है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

मुख्यमन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि यह क्यों शिफ्ट हुआ है। फिर भी मैं स्वयं इसकी जानकारी मंगवा कर देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की कोई नीति तो होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, न्याय करिये ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक एक करके बोलें।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस केस की, जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया, फाइल मंगा कर देख लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं, नीति सदन में घोषित करें। जहां औषधालय बने हुये हैं, डिस्पेन्सरियां बनी हुई हैं, एड-पोस्ट बने हुए हैं और जहां मकान बन गये हैं, वर्षों से चल रहे हैं वहां क्योंकि लोग कम आते हैं इसलिये आप अपनी मर्जी से हटा लें, यह ठीक नहीं है। यह नीति का प्रश्न है। जहां पूरी व्यवस्था है और औषधालय, डिस्पेन्सरी व स्कूल खुले हुए हैं वहां से उन्हें नहीं हटाना चाहिये। उसकी जांच करके आपको न्याय करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निवेदन करना चाहूंगा, कलवाग्राम में औषधालय खोला था वहां वैद्य के रहने के लिये मकान पंचायत समिति ने बनवा कर दिया। वहां दूसरा हास्पिटल नहीं है। वहां से उस औषधालय को हटा कर दूसरी जगह ले जाया गया है...

(व्यवधान)

श्री सुभाषचन्द्र आर्य : औषधालय भवन बने हुए थे वहां से ले गये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आरोप-प्रत्यारोप को समाप्त करें।

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री मदनसिंह दांता।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं

रोजगार की योजना

568 श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या सैनिक कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास व रोजगार के लिये 1959 में नियम बने थे और उन नियमों में उनके लिये सरकारी नौकरी में साढ़े बारह प्रतिशत नौकरियां सुरक्षित की गई थीं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को 1 प्रतिशत भी नौकरी आज दिन तक नहीं दी गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? भूतपूर्व सैनिकों की इस प्रकार उपेक्षा करने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? क्या राज्य सरकार उपरोक्त स्थिति को सुधारेगी और भूतपूर्व सैनिकों की उपेक्षा के लिये जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ?

(3) क्या राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों को भी अनुसूचित जातियों की तरह रोजगार के कार्यालयों से छूट प्रदान करेगी जिससे कि वे सरकारी नौकरियां आसानी से प्राप्त कर सकें ?

(4) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास व उनको रोजगार देने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठायेगी और साढ़े बारह प्रतिशत नौकरियां भूतपूर्व सैनिकों को कब तक प्राप्त हो जावेंगी ?

राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण (श्री महबूब अली) : (1) जी हां।

(2) यह सही नहीं है कि आज तक 1 प्रतिशत भी भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी नहीं दी गयी है। भूतपूर्व सैनिकों की उपेक्षा करने का प्रश्न नहीं है अतः इसके लिये किसी अधिकारी विशेष को जिम्मेदार ठहराया जाना सम्भव नहीं है।

(3) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) राजस्थान सिविल सर्विसेज (अ) एब्जोर्प्शन आफ एक्स सर्विस पर्सनल रूल्स, 1959 के तहत साढ़े बारह प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसके क्रियान्वयान में आने वाली कठिनाइयों पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ब) पुनर्वास हेतु निम्नलिखित सुविधाएं भी दी जा रही हैं :

1) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अलाटमेंट आफ लैण्ड फार एग्रीकल्चरल पर्पजेज) रूल्स, 1970 के तहत भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है।

2) नेशनल रोड परमिट में 10 प्रतिशत कोटा आरक्षित है।

(श्री महबूब अली)

3) पैट्रोल पम्प, केरोसिन आइल और गैस एजेन्सीज दी जाती हैं ।

4) निम्नलिखित स्थानों पर जय जवान स्टाल देने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(क) बस स्टेण्ड (ख) कृषि उपज मण्डी (ग) मार्केटिंग काम्पलेक्स (घ) म्यूनिसिपल एरिया ।

5) इसके अतिरिक्त औद्योगिक व टेक्निकल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

(6) भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने बाबत शिक्षा स्तर में छूट देने हेतु मामला विचाराधीन है ।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों को केरोसीन आइल और गैस एजेन्सी दी जाती हैं । आज तक कितनी एजेन्सी दी गई हैं ? भूमि आंवटन की भी खाली घोषणा है । आज तक कितनी भूमि दी गई, बतावें ? यह आपकी कथनी और करनी में अन्तर है ।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, जहां तक केरोसिन आइल, गैस एजेन्सी और पैट्रोल पम्प आदि देने का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह काम भारत सरकार की मिनिस्ट्री के अन्दर में है । यहां से एप्लीकेशन फार्वर्ड कर दी जाती है और वहां से कार्यवाही होती है । यहां अलाटमेंट का कोई प्रावधान नहीं है । जहां तक अलाटमेंट आफ एग्रीकल्चरल लैण्ड का सवाल है मैं निवेदन कर दूं कि भूतपूर्व सैनिकों को पिछले तीन सालों में 22381 बीघा जमीन अलाट की गई है । 65 भूतपूर्व मृतक सैनिकों के परिवारों को 1152 बीघा भूमि अलाट की गई है । यह कहना, बिल्कुल अलाट नहीं की गई है, गलत है ।

श्री सूरजपाल सिंह : भूमि का पजेशन नहीं मिला है उनको ।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, एक का भी नाम बता दीजिये ।

श्री महबूब अली : मैं निवेदन कर रहा था पैट्रोल पम्प, केरोसिन आइल व गैस एजेन्सी का काम भारत सरकार करती है ।

श्री मदनसिंह दांता : साढे बारह प्रतिशत से कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां दी हैं इन तीन सालों में ? बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : नक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका उत्तर तो आने दें

(व्यवधान)

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित भूतपूर्व सैनिकों को पिछले तीन साल में रोजगार उपलब्ध कराये गये हैः-

वर्ष 75-76	556
वर्ष 76-77	644
वर्ष 77-78	

(व्यवधान)

Page No. 10

(श्री महबूब अली)

पिछले 8 महीनों में 850 को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं, चाहे नौकरियां दिलाई गई हैं . .

श्री मदनसिंह दांता : इसका मतलब ऊंट दे दिया, मशीन दे दी तो रोजगार के साधन उपलब्ध हो गये ?

श्री मूलचन्द डागा : पब्लिक अन्डरटेकिंग में कितने आदमियों को नौकरी दी गई है ? साढ़े बारह प्रतिशत के हिसाब से किन किन विभागों में किन किन को नौकरी में रखा है ? यह बता दीजिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सर्विसेज में साढ़े बारह प्रतिशत रिजर्वेशन रखा गया है, तो क्या पहले का कोटा भी पूरा किया जायगा ?

श्री मदनसिंह दांता : इनकी वही आदत पड़ गई है जो पुरानी कांग्रेस सरकार की थी। लाखों आदमी दरवाजे पर नहीं आयेंगे तब तक नहीं मानेंगे।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या सिविल इन्जीनियर्स भूतपूर्व सैनिकों में से लेने के लिए सरकार सोचेगी ?

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं की पुस्तिका प्रकाशित हुई है— जन सम्पर्क विभाग से। उसके पृष्ठ 9 पर लिखा है "राजस्थान सरकार ने आपातकालीन में निम्नलिखित अधिकारियों का राज्य सेवा में निम्नलिखित अनुसार आरक्षण किया है— राजस्थान प्रशासनिक सेवा 10 प्रतिशत, राजस्थान पुलिस सेवा 15 प्रतिशत, अन्य राज्य सेवाओं में 10 प्रतिशत और राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाओं में 20 प्रतिशत। क्या इन आरक्षणों का पालन किया जा रहा है ? और किया जा रहा है तो मन्त्री महोदय बतायेंगे, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में, राजस्थान पुलिस सेवा में, राजस्थान राज्य अन्य सेवाओं में और राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाओं में अब तक भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों को कितना प्रतिशत स्थान दिया गया है ?

श्री महबूब अली : मैं निवेदन करना चाहता हूं, सन् 1959 में राजस्थान सिविल सर्विसेज (एब्जोर्प्शन ऑफ एक्स सर्विस पर्सनल) रूल्स, 1959 बने हुए हैं, इन रूल्स के तहत एक्स सर्विस मैन को नौकरी देने की बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे ख्याल से यह परम्परा बिल्कुल अच्छी नहीं है। सरकारी उत्तर होने के बाद आप कुछ बोलें। सरकारी उत्तर आता रहता है और दो-तीन माननीय सदस्य खड़े होकर सप्लीमेंट्री पूछते रहते हैं। आप जरा सा इस सम्बन्ध में विचार करें और आसन को सहयोग देने की कृपा करें।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इनके तहत सलेक्शन करने का जो तरीका है, वह बड़ा जटिल है। 1959 में ये रूल्स बने थे। एक कमेटी है, उस कमेटी में बोर्ड के सदस्य, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य और दो हाई आफिसर्स बैठकर डिसाइड करते हैं। जनवरी, फरवरी में ये एप्लीकेशन्स मंगाते हैं और प्रायोरिटी के ढंग से तय करते हैं। इसके बाद विभागाध्यक्ष को देते हैं। यह जटिल प्रक्रिया है। वह कमेटी आज तक मीट नहीं कर पाई है। इसलिए जो नियमों के अन्तर्गत प्रावधान हैं, वह लागू नहीं हो पाये हैं। मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता से बिल्कुल सहमत हूं। रूल्स में अमेण्डमेन्ट करने के लिए सरकार विचार कर रही है ताकि भूतपूर्व सैनिकों को सुविधा देने के लिए कार्यवाही की जाये।

(व्यवधान)

मेजर श्री फतह सिंह : क्या जनता सरकार उन नियमों की पालना करवायेगी? उनको नौकरियां मिलेंगी?

श्री मदनसिंह दांता : सवाल यह है कि कमेटी अभी बैठी नहीं है तो अलाटमेंट किस ने किये? नौकरियां किसने दिलवाई हैं? आपने पहले के अनुसार किया है। अमेण्डमेंट क्या हो, यह आपने सोचा नहीं। असेम्बली में जवाब मांगा जाता है तो आप सोचते हैं। कमेटी बैठी नहीं तो यह कैसे हुआ है?

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : यह मन्त्री महोदय ने कहा है . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री रावतराम।

मेजर श्री फतह सिंह : कांग्रेस शासन में यही हुआ है। जनता सरकार तो ध्यान दे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने तो बहुत किया है।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : कितने रेश्यो में पूरा कर दिया गया?

(व्यवधान)

श्री शिवचरणसिंह : गजेटेड आफिसर्स के लिए है। यह सर्विसेज के लोग आपको धोखा दे रहे हैं। साढ़े बारह प्रतिशत का कोटा है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, जो आसन का आदेश नहीं मानते हैं, उनको सदन से बाहर निकाला जावे। सदन की मर्यादाओं को खराब कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप कौन होते हैं, निकालने वाले?

(व्यवधान)

श्री रावतराम : प्रश्न एक सीधा सा है। साढ़े 12% पोस्ट एक्स मिलिटरी मैन के लिए रिजर्व कर रखी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि गुजरे सालों में जो अलग अलग डिपार्टमेण्ट में जिनको भर्ती किया है, उनमें कितने किस किस सर्विस में भर्ती किये गये हैं?

श्री मूलचन्द डागा : आंकड़े नहीं हैं इनके पास।

श्री महबूब अली : मैं उत्तर दे चुका हूं

श्री शीशराम ओला : रूल्स में संशोधन नहीं किये हैं, जो हैं वह बहुत कड़े रूल्स हैं। मेडिकल में आपने रिजर्वेशन खतम ही कर दिया है। अन्य सुविधाएं भी खतम होती जा रही हैं।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि इस सरकार ने कौन सी सुविधा खतम कर दी है?

(व्यवधान)

श्री नूरा : आप ही कहते हैं, यह रूल्स जटिल बनाये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आप यही बता दें, रेवेन्यू अभियान में कितने सिपाहियों को जगह दी है?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : आप हरिजनों को ......

श्री शीशराम ओला : ऐसा है, हम पब्लिक मैन की वकालत करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने माननीय खेतसिंह जी विराजमान हैं। यह इसी विभाग के मंत्री रहे हैं। यह नियम बने हैं, जो इनके समय में बने हैं। हमें दुर्भाग्य से इनकी गलतियों का जवाब देना पड़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने मुझ पर चार्ज लगाया है। मैं जवाब दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जवाब दीजिए। हमें चिन्ता नहीं है। आप उत्तेजित क्यों होते हैं?

श्री शंकरलाल : आप जवाब दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसा कि बताया गया है, रूल्स 1959 में बने हैं। ये पुराने हैं। इसके बाद कई संशोधन हुए हैं। माननीय सदस्य ने अभी बताया है, जानकारी सामने आयी है। हमने रूल्स को देखा है। उनका किस प्रकार से सरलीकरण किया जाये इस पर हम विचार कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो हमने वायदा किया है, उसकी हमें चिन्ता है। जितनी चिन्ता आपको है, उतनी ही हमें भी है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं...

एक माननीय सदस्य : हमें ज्यादा चिन्ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चिन्ता है इसलिए कि पहले आपकी सरकार थी तो आपकी चिन्ता की मात्रा कम हो जाती है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि क्या व्यवस्था हो सकती है इस पर विचार करेंगे?

श्री मदनसिंह दांता : मेरे पास पत्र आये हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जो कहा है, मैं निवेदन करूंगा कि जब मैं था तो मैंने बोर्ड से जगह कायम कराई हैं और सलेक्शन कराये हैं। वजीफे बराबर दिलाये हैं। राजस्थान केनाल में मृतक सैनिकों की विधवाओं को जमीन दिलाई है। दूर दूसरे

(श्री खेतसिंह राठौड़)

महीने में मीटिंग करते थे। उसमें गवर्नर भी होते थे। मैं आपसे अपने वक्त के लिये निश्चित कह सकता हूं हमने बहुत काम किये हैं। आप 9 महीनों तक दूसरे मामलों में उलझे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 9 महीने पहले की माननीय सदस्य ने कोई शिकायत नहीं की है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शिकायत आई ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के मोहल्लों में बिजली-पानी की व्यवस्था

69. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में अभी तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में बिजली एवं पानी का पर्याप्त इन्तजाम नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार ऐसे मोहल्लों में बिजली एवं पीने के पानी का इन्तजाम हो जाना चाहिए था ? अगर हां, तो अब तक क्यों नहीं किया गया है ?

(3) उक्त नगरपालिका क्षेत्र के उक्त सब मोहल्लों में बिजली एवं पानी का माकूल इन्तजाम कब तक करवा दिया जावेगा ?

राज्य मन्त्री (श्री विज्ञान मोदी) :

(1) यह सही है कि सांचौर कस्बे के कुछ भागों में विद्युत व पाइप लाइन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है जिसमें निवास करने वाले सवर्ण व अनुसूचित जाति व जनजाति के सभी परिवार, जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं, वंचित हैं क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में पाइप व बिजली लाइन डाली हुई नहीं है।

(2) जी हां। इन्तजाम हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(3) यथाशीघ्र इन्तजाम किया जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 75 प्रतिशत इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है। ऐसे इलाकों में पानी और बिजली की राज्य सरकार कब तक व्यवस्था कर रही है ? यह बता दें।

श्री विज्ञान मोदी : मैं निवेदन कर सकता हूं कि यथाशीघ्र इस बारे में कार्यवाही की जायगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने नगरपालिका का सर्टिफिकेट मांगा था। वह भी दे दिया है और आपके पास आ चुका है। अब आप कृपा करके इस साल में तो अवश्य ही पानी और बिजली की व्यवस्था करवा दें।

श्री विज्ञान मोदी : धन की स्वीकृति होते ही काम शुरू करवा दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : सरकार इस पर कृपा करके गम्भीरता से विचार करे।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग, बसाई लोग रहते हैं,...

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने घोषणा की है और समाज कल्याण मन्त्री जी ने कहा था, यह राज्य सरकार के स्टेन्डिंग आर्डर हैं वाटर वर्क्स और बिजली बोर्ड को कि वहां पर पानी और बिजली की व्यवस्था शीघ्र कर दी जाय। यह राज्य सरकार का विभागों के साथ एग्रीमेंट है और उनका दायित्व है।

श्री खेतसिंह राठौड़ :मोदी जी का यह जवाब देने का क्या तरीका है, बैठे बैठे ही यों करते रहते हैं।

श्री विज्ञान मोदी : मैं उत्तर दे चुका हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने घोषणा की थी कि पानी और बिजली वहां पहुंचाई जायगी, और इसके लिए धन की कमी नहीं आयगी।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत): घोषणा के अनुसार निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह उन्होंने फिर कैसे कहा कि धन की स्वीकृति होते ही काम शुरू करवा दिया जायगा? यह कैसे कह दिया?

श्री सूरजपालसिंह : यह तो राजनैतिक घोषणा है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : वहां पर सोशल वेलफेयर आफिसर भेजा जा चुका है। आपने कहा था कि धन की कमी नहीं आने दी जायगी। ऐसी हालत में सारा मामला आपके सामने आ गया है।

श्री ताराचन्द (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की जो व्यवस्था है इसको हटा कर यह व्यवस्था की जाय कि जल्दी से जल्दी हरिजनों के मोहल्लों में पानी और बिजली की व्यवस्था की जाय। आज भी मेरे क्षेत्र में हरिजनों के मोहल्लों में बिजली नहीं पहुंच पाई है, इसलिए यह व्यवस्था हटाकर दूसरी व्यवस्था की जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले जब गृह मन्त्री जी के पास समाज कल्याण विभाग था तब उन्होंने जवाब दिया था कि सर्टिफिकेट नहीं है। नगरपालिका का सर्टिफिकेट दे दिया है, तो अब आप धन की कमी की बात करते हैं।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में पानी की व्यवस्था करने का किसका दायित्व है? इसका बजट कौन आपरेट करता है?

श्री मूलचन्द डागा : एक का भी जवाब नहीं आ रहा है। हमारे प्रश्न हवा में उड़ गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। प्रश्न महत्वपूर्ण है तभी तो यह प्रश्न आया है, पहले यह स्थगित हो गया था।

माननीय सदस्या श्रीमती मदनकौर।

श्री मूलचन्द डागा : जवाब दिलाओ।

श्री अध्यक्ष : जवाब दिलाने का मेरा काम नहीं है। मैं संकेत करूंगा यदि आवश्यक होगा तो। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्या श्रीमती मदनकौर।

श्रीमती मदनकौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के मोहल्लों में पानी और बिजली की व्यवस्था करने का किसका दायित्व है? दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि इसके बजट को कौन आपरेट करता है? यह दिक्कत इस वजह से आ रही है कि स्पेसिफिक वितरण नहीं किया गया।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया वह साफ है। पानी और बिजली की व्यवस्था नगरपालिका और पंचायत समिति स्तर पर जो की जाती है उसमें स्वायत संस्थायें भागीदार हैं, विभाग भी भागीदार है, और ओवर आल रेस्पान्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। इन विभागों के थ्रू गवर्नमेंट आपरेट करती है। यह सही है कि इस प्रकार की नीति की घोषणा की गई है लेकिन नीति की घोषणा करने के बाद उसका पालन किस प्रकार से हो, इस सम्बन्ध में पहले भी कोई निर्णय नहीं हुआ है, मैं ऐसा समझता हूं कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक इन्टीग्रेटेड प्लान की आवश्यकता है ताकि कहीं इस प्रकार की शिकायत हो तो उसके द्वारा दूर की जा सके।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामसिंह विश्नोई।

बिसलपुर बांध से क्षति

122. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण जोधपुर जिले में क्या बिसलपुर बांध टूट गया था? अगर हां, तो इसकी पुनः मरम्मत के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी और कितना मरम्मत का कार्य आज तक किया गया?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष मरम्मत नहीं होने की वजह से बांध बिल्कुल खाली पड़ा है और इस वर्ष हजारों बीघा जमीन में सिचाई नहीं हो सकी? अगर हां, तो राज्य सरकार मरम्मत हेतु कितनी धनराशि कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है और मरम्मत का कार्य कब तक सम्पूर्ण करा दिया जायगा?

(3) क्या यह सही है कि बांध की मोरी आउट लेट नहीं होने के कारण इस बांध की पाल टूटी थी? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार भविष्य में इसमें मोरी आउट लेट रखने का विचार रखती है?

Page No. 16

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(4) क्या यह सही है कि बिसलपुर बांध के आगे जो ग्राम आते हैं उनमें बांध भर जाने के बाद पानी बह कर जाता है जिससे हजारों बीघा जमीन में रबी की सेवज फसलें होती थीं और पिछले दो वर्षों से बांध में मोरी नहीं होने व पानी की निकासी नदी में रख देने से हजारों बीघा जमीन में पानी जाना बन्द हो गया — उससे हजारों मन अनाज का नुकसान हो रहा है ? अगर हां, तो भविष्य में इस पानी को बहता रहने के लिए राज्य सरकार क्या विचार रखती ?

सिंचाई मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां। इस बांध की पुन: मरम्मत के लिए वर्ष 1977–78 में रु० 96, 688/- धनराशि स्वीकृत की गई। बांध के दो टूटे भाग 110–110.85 व 129-130.67 चैन का मरम्मत कार्य करवाया गया।

(2) जी हां। बांध का जो तीसरा टूटा भाग चैन 46. 1/2 – 52 1/2 है उसका स्वामित्व भूतपूर्व जागीरदार का है जिन्हें मुआवजा देना राजस्व अधिकारियों के विचाराधीन है। मुआवजे का निर्णय होने पर मरम्मत के लिये रु० 5.37 लाख की आवश्यक राशि स्वीकृत की जावेगी।

(3) जी नहीं। बांध अतिवृष्टि के कारण टूटा था। बांध में पांच मोरियां बनी हुई हैं।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है कि बांध में मोरियां नहीं हैं। बांध में चार पक्की मोरियां हैं जिनसे पानी नियमित आवश्यकतानुसार छोड़ा जा सकता है ताकि जमीन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बांध की मरम्मत के बाद 1880 एकड़ में रबी में सिंचाई उपलब्ध कराई जा सकेगी।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने यह कहा, यह सही नहीं है कि बांध में मोरियां नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि नदी के अन्दर मोरियां छोड़ दी गई हैं जिसकी वजह से पानी खेतों के अन्दर नहीं जाकर नदी में चला जाता है। जो बांध दो साल पहले टूट गया था वह ठीक नहीं कराया गया है। उसकी मरम्मत का कार्य कब पूरा हो जायगा ? यह बताया जाय। क्या आउट लेट को आप खेतों के अन्दर देंगे ताकि खेतों में सिंचाई हो सके ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मोरियों का प्रश्न है, पहले जब जागीरदार साहब थे उस समय इसके द्वारा सिंचाई नहीं होती थी तो उन्होंने इस बांध को बनवाया और मोरियां बनाई। इस बांध से ज्यादा पानी निकलता था। अतिवृष्टि के कारण यह टूट गया। माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं सहमत हूं। मैं मानता हूं कि किसानों को राहत मिलनी चाहिए लेकिन जब मरम्मत का प्रश्न आया तो जागीरदार साहब ने कहा कि यह मेरी निजी संपत्ति है इसको हाथ मत लगाओ। उसके मुआवजे का प्रश्न विचाराधीन है। मैं निवेदन करूंगा मुआवजा देने के बाद अविलम्ब उसकी मरम्मत कराने का प्रयत्न करेंगे ताकि किसानों को राहत पहुंचाई जा सके।

श्री रामसिंह विश्नोई : जब आपने इस बांध की मरम्मत का काम पहले करवाया, और पांच सात लाख रुपये खर्च किये, उस समय कोई विवाद पैदा नहीं हुआ था बाद में कैसे पैदा हो गया ?

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : मेरे मकान पर कोई छ: लाख रुपया लगा है

Page No. 17

(श्री मदनसिंह दांता)

तो मैं क्यों एतराज करूंगा ? यह तो इनकी फूलिशनेस है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पहले दो स्थानों पर मरम्मत कराई गई थी। जब तीसरे स्थान पर मरम्मत कराने गये तो जागीरदार साहब ने एतराज किया ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : पहले जब मरम्मत कराई तो क्यों नहीं एतराज किया ?

श्री शंकरलाल : मुआवजा देने का प्रश्न तो तब पैदा होता है जब बांध जागीरदार की पर्सनल प्रोपर्टी हो। क्या यह बांध उनकी पर्सनल प्रापर्टी में शामिल है ? बांध की मोरियां तो व्यक्तिगत प्रापर्टी में नहीं आतीं।

श्री रामसिंह बिश्नोई : यह मरम्मत कब तक हो जायगी ? मोरियों से खेतों को पानी जाना चाहिये।

श्री रावतराम : पानी खेतों में जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कह दिया मन्त्री महोदय ने।

नैक्स्ट : श्री अमृतलाल परमार।

डूंगरपुर जिले में बेकार पड़े भू-जल विभाग के हैण्ड पम्प्स

421. **श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर) :** क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि भू-जल विभाग द्वारा डूंगरपुर जिले में जितने हैंड पम्प लगाये गये उनमें से अधिकांश बेकार पड़े हैं और बेकार पड़े उन्हें एक अर्सा हो चुका है ? यदि हां, तो उन पम्पों को लगाने का जो उद्देश्य था वह कहां तक पूरा हुआ, कितने लोगों को लाभ मिला और कितने लाभ से वंचित रहे ? पम्पों की दुरुस्ती क्यों नहीं की गई ?

राज्य मन्त्री, भू-जल विभाग (श्री विज्ञान मोदी) : डूंगरपुर जिले में कुल 1362 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं जिनमें से 57 हैण्ड पम्प ऐसे हैं जो स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिये गये हैं और उनको सुधारना सम्भव नहीं है। कुल मिलाकर 80 प्रतिशत से अधिक हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं। उनकी उचित रूप से देखभाल और मरम्मत की जाती है। इन हैण्ड पम्प का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा कर नारू रोग का निवारण करना था जो काफी हद तक पूर्ण हो गया है।

श्री अमृतलाल परमार : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हैण्ड पम्प्स द्वारा नारू वगैरह की जो बीमारी है, वह कम हो सकती है। लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है वह इतना सुस्त है कि गाड़ी लेकर खवाहमखवाह हैड क्वार्टर पर बैठा रहता है। कई जगह मैंने स्वयं ने वह हैण्ड पम्प्स देखे जो खराब पड़े हुए हैं। मैंने अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन उनको दुरुस्त नहीं किया गया। आपको जो आंकड़े दिये गये हैं, वह हो सकता है कि सही हों, लेकिन बहुत सारे हैण्ड पम्प्स जो देहातों में लगे हुए हैं वह खराब हो रहे हैं

Page No. 18

(अमृतलाल परमार)

और आज तक उनको दुरुस्त नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर में बड़ा फराया एक स्थान है, वहां पर जो दो हैण्ड पम्प लगे हुए हैं वह दोनों ही खराब पड़े हैं। इसी प्रकार बस्सी बांध पर जो हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, वह भी दुरुस्त नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपकी तरफ से विभाग को हिदायत होनी चाहिये कि इन पम्प्स को तुरन्त ठीक कराया जाये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : डूंगरपुर, बांसवाड़ा सभी जगह यही हालत है। पिछली सरकार के वक्त में जो हैण्ड पम्प खोले गये, आदिवासियों के नाम पर सड़कों पर खोले गये, वह अधिकतर बेकार पड़े हुए हैं। मन्त्री महोदय बतायेंगे कि उस आदिवासी एरिया में जो नारू की बीमारी फैली हुई है, उसको रोकने के लिए स्वच्छ जल की कब व्यवस्था करेंगे ?

श्री विज्ञान मोदी : डूंगरपुर जिले में नल कूपों की मरम्मत के लिए चार पार्टीज हैं जो पंचायत समिति मुख्यालय पर रहती हैं। सन् 1976–77 में 3314 बार हैण्ड पम्प्स को सम्हाला और मरम्मत की। 1977–78 में माह फरवरी के अन्त तक 4849 बार हैण्ड पम्प्स पर गये एवं आवश्यक देखरेख एवं मरम्मत की। माननीय सदस्य ने जो कहा है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में कई ऐसे हैण्ड पम्प्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं या खराब पड़े हुए हैं, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यूनिसेफ की सहायता से डूंगरपुर जिले में वर्तमान में लगे हैण्ड पम्प्स के स्थान पर इण्डिया मार्क 2 (11) पम्प्स लगाने की योजना है जिस पर करीब 17 लाख रुपये खर्च होने का प्रावधान है। यह नये हैण्ड पम्प्स लगाने के बाद जो हैण्ड पम्प्स खराब हो जाने की शिकायत है, वह दूर हो जायगी।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : यह जो योजना आपने बताई कब तक लागू हो जायेगी ?

श्री शिवचरण सिंह : मन्त्री महोदय ने बताया कि 57 पम्प्स को असामाजिक तत्वों ने खराब कर दिया। क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री नवरंग सिंह : आप निश्चित आश्वासन दीजिये कि आदिवासियों की इस समस्या को कब तक दूर करेंगे ?

श्री विज्ञान मोदी : जहां तक असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न है, सूचना मिलते ही उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : असामाजिक तत्व नहीं, बच्चे खराब कर देते हैं इन पम्पस को।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री अचलाराम

रोस्टर प्रणाली के अनुसार सिंचाई विभाग में पदोन्नति

409. श्री अचला राम (देसूरी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या सिंचाई विभाग में रोस्टर प्रणाली की अनुपालना बराबर की जाती है ?

(श्री अचलाराम)

(2) क्या आज दिन तक इस विभाग में इस प्रणाली के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को पदोन्नति दी गई है ? अगर हां, तो कितने कर्मचारियों को ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं।

सिंचाई मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां।

(2) जी हां, निम्नलिखित सेवा वर्गों में पदोन्नतियां दी गई हैं, जिनकी संख्या वर्ग के आगे अंकित है—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	1	0
2. सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	1	0
3. उपसमाहर्ता	1	0
4. मुख्य प्रारूपकार	2	0
5. आशुलिपिक (प्रथम श्रेणी)	1	0
6. वरिष्ठ लिपिक	50	11
7. जमादार	5	3

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, जो संख्या माननीय मन्त्री महोदय ने बताई क्या वह रोस्टर प्रणाली के अनुसार पर्याप्त है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: रोस्टर प्रणाली के अनुसार जितनी संख्या में पदोन्नति अपेक्षित थी, उतनी दी गई है। इस डिपार्टमेंट के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि मैनपावर कमेटी ने जिनकी भी एप्लीकेशन्स भेजी, उन सब को नियुक्ति दी जा चुकी है। मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद ··

(व्यवधान)

सुनो, सुनो, यार।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, सदन में 'यार' शब्द का कहना असंसदीय है। माननीय मन्त्री महोदय इसको विथड्रा करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने 'यार' शब्द का प्रयोग किया है। यह 'यार' शब्द का प्रयोग कर सकते हैं तो फिर हम भी आइन्दा 'यार-यार' शब्द का प्रयोग करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं उसे विथड्रा कर लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को इससे नाराजगी नहीं होनी चाहिये। अगर माननीय मन्त्री महोदय अपना जवाब डिप्लोमेटिक ढंग से देते हैं तो देने दें। 'यार' शब्द का क्या है, मैं ही यह कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठोड़ : यारबाज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सिंचाई विभाग में 90 उप अभियन्ताओं की नियुक्ति की गई उनमें से 16 शिड्यूल्ड कास्ट्स के और 10 शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये गये हैं। वैसे मैन पावर कमेटी ने जितने भी नाम शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के इन पोट्स्स के लिये भेजे थे उन सभी को हमने नियुक्ति दी है। इसी तरह 64 कनिष्ठ अभियन्ता थे उनमें से एक्स.ई. एन. बनाया उसमें भी एक को एक्स. ई. एन. की नियुक्ति दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी सदन के माननीय सदस्यों को देना चाहूंगा कि हम सिचाई विभाग में 68 कनिष्ठ अभियन्ता और लेने वाले हैं। हमारे पास मैन पावर कमेटी ने एक भी नाम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति का नहीं भेजा है। इसके अलावा 112 उप अभियन्ता हमें और लेने हैं उसके लिये मैन पावर कमेटी ने सिर्फ 5 नाम ही भेजे हैं। अगर माननीय सदस्य और किन्हीं के नाम देना चाहें तो देदें। आप जितने भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों के नाम देंगे सिचाई विभाग में इन पोस्ट्स पर सभी को नियुक्ति दी जावेगी।

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे तो मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूं लेकिन यह जो सूची दी हैं इसमें क्रमांक 7,14,21, 28, व 33 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिन लोगों को पदोन्नति दी गयी है उसमें आपने लास्ट नाम ही शिड्यूल्ड कास्ट्स या ट्राइब्स के केन्डीडेटस के क्यों रखे हैं? इससे आगे जो प्रमोशन होता है उसमें देरी होती है। मेरा निवेदन है कि प्रमोशन्स के मामले में राज्य सरकार अपनी नीति में सुधार करे।

श्री परस राम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया कि 16 व्यक्तियों को नियुक्ति दी उनमें एक

(व्यवधान)

भी व्यक्ति शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं है। यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप बैठो, सुनो पहले। आप जो प्रश्न कर रहे हैं वह इससे सम्बन्धित नहीं है। वह तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से सलेक्टेड केन्डीडेट्स की बात है वहां पर एलीजिबल थे या नहीं, यह अलग बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। स्थान ग्रहण करें।

श्री रावतराम।

श्री रावतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

मन्त्री महोदय, मेरी बात आप कृपया सुनें।

(श्री रावतराम)

आपने जो उत्तर दिया वह हमने सुना है। आपने यह सूचना दी कि 77-78 में बिजली विभाग में सहायक अभियन्ताओं को जो एक्स. ई. एन. के पद पर प्रमोशन दिये गये उनमें किसी भी शिड्यूल्ड कास्ट्स के इन्जीनियर का प्रमोशन नहीं दिया गया, वह क्यों ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बिजली बिभाग का रिकार्ड नहीं है मेरे पास।

श्री रावतराम : मन्त्री महोदय, कृपया इस प्रश्न को पढ़ें। यह प्रश्न भी प्रमोशन के बारे में है। प्रश्न के खण्ड (2) में पूछा गया है, "क्या आज दिन तक इस विभाग में इस प्रणाली के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को पदोन्नति दी गई है ? अगर हां, तो कितने कर्मचारियों को ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?" मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो सन् 77 में प्रमोशन किये हैं असिस्टेन्ट इन्जीनियरों के एक्स. ई. एन. के पद पर उनमें आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में से एक को भी प्रमोशन क्यों नहीं दिया ?

श्री ताराचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 3-3-78 को मुख्य अभियन्ता सिचाई ने एक लिस्ट निकाली, वह 46 व्यक्तियों की लिस्ट थी, उसके अनुसार जिन जूनियर इन्जीनियर और सहायक अभियन्ताओं को प्रमोशन दिये गये उनमें 43 व्यक्तियों को प्रमोशन तो दिये गये, एक से लेकर 43 तक, वह सवर्ण जाति के लोगों को दिये। बाकी तीन आपके मुख्य अभियन्ता ने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को दिये। मेरा निवेदन है कि आपने जो प्रमोशन दिये हैं वह रोस्टर प्रणाली से क्यों नहीं दिये ? उनके लास्ट में ही नाम क्यों दिये गये ? उनके नाम ऊपर भी आ सकते थे या बीच में भी आ सकते थे, 43 के बाद के बजाय उनका नाम 12 या 13 या 20 वां भी आ सकता था। यह क्यों किया गया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें।

श्री ताराचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, आप मेरी बात सुन लीजिये और बाद में जवाब दीजिये। मेरा तो निवेदन यही है कि चीफ इन्जीनियर सिचाई विभाग ने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का प्रमोशन में नाम लास्ट में ही क्यों रखा है ? आप चाहें तो लिस्ट देख लें। क्या उनका नाम मेरिट में पहला या दूसरा या बीच में नहीं आ सकता था ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। भाषण नहीं दें।

श्री सूर्यप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, क्या सरकार ने रोस्टर प्रणाली को पूरी तरह लागू किया है ? अगर रोस्टर प्रणाली आज तक लागू नहीं की गयी तो क्यों ?

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आंकड़े बताये हैं उसमें स्पष्ट

Page No. 22

(श्री ललितकिशोर)

बताया है। उत्तर के खण्ड-(2) मैंने कहा है "जी हां, निम्नलिखित सेवा वर्गों में पदोन्नतियां दी गई हैं जिनकी संख्या वर्ग के आगे अंकित है" अधिशासी अभियन्ता की पोस्ट पर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रमोशन दिया है। इसी तरह सहायक अभियन्ता यान्त्रिक की पोस्ट पर एक शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को प्रमोशन दिया है। एलिजिबिलिटी में जो लोग नहीं आते थे उनको प्रमोशन नहीं दिया है हम को जिस केडर के लिये लोग मिले ही नहीं उस केडर में प्रमोशन नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री अचलाराम : अब जो रिक्त पद सहायक अभियन्ताओं के या दूसरे उप अभियन्ताओं के हैं उन पर आप क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप मुझे नाम दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न काल समाप्त हो गया ! कृपया शान्त रहें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आई. ए. एस. व आर. ए. एस. अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन कार्यवाही

374. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(1) दिनांक 2-26-77 को आई. ए. एस. व आर. ए. एस., अधिकारियों के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही कब कब से विचाराधीन थी ? सूची पूर्ण विवरण के साथ सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) दिनांक 22-6-77 के बाद किन किन आई. ए. एस. और आर. ए. एस. अधिकारियों के खिलाफ कब-कब क्या-क्या कार्यवाही प्रारम्भ की गयी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त कार्यवाही के दौरान किन्हीं को निलम्बित कर रखा हो तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) प्रश्न के भाग (1) में बताई गई कार्यवाहियों में से किन्हीं का कोई फैसला हुआ हो तो किन-किन का कब-कब क्या-क्या फैसला हुआ ?

(5) अब कब तक फैसला हो जायेगा ?

उत्तर

(1) दिनांक 22-6-77 को जिन आई. ए. एस. व आर. ए. एस. अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही विचाराधीन थी उसकी सूची "ब" मय विवरण संलग्न है।

(2) दिनांक 22-6-77 के बाद जिन आई. ए. एस. व आर. ए. एस. अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही आरम्भ की गई उसकी सूची "ब" मय विवरण संलग्न है।

Page No. 23

(मुख्य मंत्री)

(3) विभागीय जांच की कार्यवाही के दौरान जिन अधिकारियों को निलम्बित कर रखा है उनका विवरण उक्त दोनों सूचियों में कॉलम 5 में अंकित है।

(4) प्रश्न के भाग (1) में जिन मामलों का फैसला हो गया है उन्हें सूची "ब" में अंकित कर दिया है।

(5) विचाराधीन मामलों का नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए शीघ्र ही फैसला किया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

तहसील कोटपूतली के राजनौता ग्राम के विकास की योजना

375. श्री राम करणसिंह (कोटपूतली): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील कोटपूतली के राजनौता ग्राम को केन्द्रीय सरकार ने अधिक फौजी होने की वजह से आदर्श ग्राम घोषित किया था ?

(2) क्या यह सही है कि इस एक ग्राम के कई हजार सैनिक देश सेवा में हैं और रहे हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इस सैनिक नगरी को विकसित करने के लिए कोई विचार रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार से मिलकर यहां फौजी कालोनी व फौजियों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस गांव के भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिकों की संख्या के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(3) राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक गांव को विकसित करने का विचार रखती है।

(4) फौजी कालोनी एवं फौजियों के बच्चों को शिक्षा सुविधा आदि उपलब्ध कराने की राज्य सरकार के पास फिलहाल कोई अलग से योजना नहीं है।

टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्स

377. श्री करनसिंह (शिव): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि टोपीदार (मेजल लोडिंग) बन्दूकों की फीस प्रति बन्दूक 0-50 है जब कि रिन्यूअल हेतु आने जाने में प्रति व्यक्ति 60-00 रुपये खर्च करीबन आ जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त फीस की राशि से राज्य सरकार को विशेष कोई लाभ न होकर जनता को परेशानी व खर्च अधिक उठाना पड़ता है ?

(3) क्या राज्य सरकार इन उपरोक्त हालात के आधार पर जनता की सुविधा व हथियार ऐसा खतरनाक न होते हुए भी लाइसेन्स फीस बन्द करने की सोचेगी ?

(4) यदि राज्य सरकार इसे बन्द नहीं कर सके तो पोस्ट आफिस द्वारा रिन्यूवल किये जाने के आदेश प्रदान करे ?

उत्तर

(1) टोपीदार बन्दूकों के लाइसेन्स के नवीनीकरण की फीस 0.50 पैसा है जो केन्द्रीय सरकार का है।

(2) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार के नियमों का पालन करना आवश्यक है।

(3) यह मामला केन्द्रीय सरकार के कार्य क्षेत्र का है।

(4) खंड (3) के उत्तर के बाद प्रश्न नहीं उठता है।

नगरपालिका फलौदी के चुनाव

378. श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) आपात स्थिति में फलौदी नगरपालिका के जो चुनाव करवाए गये उसको प्रभावित करने एवं जनता तथा मतदाताओं को भयग्रस्त बनाकर पालिका चुनाव में खड़े किये गये कांग्रेसी उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए फलौदी में कितने पुलिस जवान, आर.ए.सी. जवान एवं आर.ए.एफ. के जवानों को भेजा था ?

(2) उन पर कुल कितना खर्चा हुआ था ?

(3) उन्हें कितने दिन फलौदी में रखा गया था ?

(4) पुलिस जवानों के अलावा कितने गुप्तचर लगाये गये थे ?

उत्तर

(1) फलौदी नगरपालिका चुनाव में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आर.ए.सी. के 2 अधिकारी व 278 कर्मचारियों तथा जिला पुलिस के दो अधिकारियों व 121 कर्मचारियों को लगाया गया था।

(2) आर.ए.सी. पर कुल 4,850/– रुपये खर्चा व जिला पुलिस पर 4,917-48 रुपये खर्च हुआ।

(3) आर.ए.सी. 2 से 4 दिन व जिला पुलिस को 2 से 14 दिन रखा गया।

(4) किसी भी गुप्तचर को नहीं लगाया गया।

चूरू महाविद्यालय के छात्रों व अध्यापकों पर लाठी चार्ज

380. श्री श्योपतसिंह मक्कासर (हनुमानगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 26-27 जनवरी 78 को चूरू महाविद्यालय के छात्रों व अध्यापकों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि 5 फरवरी को तत्कालीन गृह मंत्री ने घटना की न्यायिक जांच किये जाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो नतीजा क्या निकला ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

विद्युत मण्डल द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता व अधिदर्शकों के पदों पर नियुक्तियां

381. श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मंडल द्वारा मार्च 1976 में कनिष्ठ अभियन्ता व

(श्री मदनसिंह दांता)

अधिदर्शकों के पद पर की गई नियुक्तियों में क्या नियमन किया गया ? अगर हां, तो किन किन का तथा उनमें से किन किन के वेतन वृद्धि लगाई एवं किन किन के बाद में लगाई ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि विद्युत् मंडल द्वारा बहुत से कनिष्ठ अभियन्ताओं व अधिदर्शकों के अभी तक भी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं लगाई गई ? अगर हां, तो क्यों तथा यह कब तक लगा दी जायेगी ?

(3) यह वेतन वृद्धि किस अधिकारी के आदेशों से लगाई गई ? अन्य कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अब तक उस अधिकारी ने क्यों नहीं लगाई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं, मार्च 76 में कनिष्ठ अभियन्ता/अधिदर्शकों के नियमन के कोई आदेश जारी नहीं किये गये थे। तथापि जनवरी, अगस्त व दिसम्बर,76 में कनिष्ठ अभियन्ता/अधिदर्शकों को, जिनकी नियुक्ति सेवा योजन प्रवर्तन कार्यक्रम (एम्पलायमेन्ट प्रमोशन प्रोग्राम) के अधीन पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थी (प्री-सर्विस ट्रेनिंग) के रूप में की गई थी और जिन्होंने विभागीय परीक्षा पास कर ली थी, के नियमन के आदेश जारी किये गये थे। इनमें से 12 कनिष्ठ अभियन्ता अधिदर्शकों जिनके वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश अब तक जारी किये जा चुके हैं, की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। मण्डल के आदेशानुसार प्रशिक्षण का परिवीक्षा (प्रोबेशन) काल 2 वर्ष का होगा। पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थियों के लिये परिवीक्षा काल वर्तमान में एक वर्ष का है। परन्तु दोनों को समान आधार पर रखा जावे इस दृष्टि से पूर्व सेवा प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी परिवीक्षा काल 2 वर्ष किये जाने का प्रश्न मण्डल के विचाराधीन है। उपरोक्त में से अगस्त व दिसम्बर,1976 में जारी किये गये आदेशों के अधीन कनिष्ठ अभियन्ता/अधिदर्शकों को 2 वर्ष पूरा नहीं होने के कारण वेतन वृद्धि अभी नहीं दी जा सकी। जनवरी,76 में जारी किये आदेशों के अधीन जिन कनिष्ठ अभियन्ताओं/अधिदर्शकों के गोपनीय पत्र अब तक प्राप्त हो गये हैं तथा परिवीक्षा काल में जिनका कार्य संतोषजनक पाया गया उनकी वार्षिक वृद्धि के आदेश जारी कर दिये गये हैं। शेष की वेतन वृद्धि के आदेश उनके कार्य सम्पादन (परफार्मेंस) प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शीघ्र जारी कर दिये जायेंगे।

(3) वेतन वृद्धि नियुक्ति अधिकारी (तकनीकी सदस्य) द्वारा निर्धारित परिवीक्षा काल के समाप्त होने पर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर दी जाती है। जिन कनिष्ठ अभियन्ता/अधिदर्शकों ने परिवीक्षा काल पूरा कर लिया है उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने या कार्य संतोषजनक न होने के कारण नियमानुसार नहीं दी जा सकी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

जिला झालावाड़ के भीमसागर बांध का निर्माण कार्य

382. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : (मनोहर थाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No. 26

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में भीमसागर बांध का कार्य अभी बंद कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसको पूरा करने का आदेश हो चुका था ? यदि हां, तो कब और कितना बजट मंजूर किस वर्ष के लिये हुआ ?

(2) इसमें कितना रुपया खर्च होगा और कार्य कब तक पूरा किया जा सकेगा ?

(3) क्या यह सही है कि इस बांध को बनाने से बंद कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना आयोग ने संशोधित प्राकलन जांचते समय यह मत व्यक्त किया कि परियोजना की लागत बढ़ने के कारण की जांच एक समिति द्वारा कराई जावे व जब तक योजना आयोग का अनुमोदन न हो जावे योजना पर व्यय न किया जाय। वांछित समिति का गठन कर दिया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने व तदुपरान्त योजना आयोग को स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराया जावेगा। भीमसागर बांध के कार्य हेतु वर्ष 77–78 में रु० 65 लाख का प्रावधान था। परन्तु योजना आयोग के उपरोक्त आक्षेप के कारण माह अगस्त, 1977 में यह प्रावधान निरस्त कर दिया गया। अब राज्य सरकार ने समिति गठित कर दी है व कार्य वापस चालू करने के आदेश दे दिये गये है। आगामी वर्ष 78–79 में इस योजना हेतु रुपये 150 लाख का प्रावधान है।

(2) योजना पर कुल रु० 532 लाख व्यय कर निर्माण कार्य वर्ष 1980–81 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। इस कार्य को अगले वित्त वर्ष 1978–79 में प्रारम्भ करने के आदेश दे दिये गये हैं।

धौलपुर कालेज में नये संकाय खोलने की योजना

383 श्री जगदीश सिंह (धौलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या धौलपुर कालेज में विज्ञान (कृषि) स्नातक स्तर, पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं व विधि कक्षाएं खोलने की योजना है और इसी की बाबत सरकार द्वारा पिछले शिक्षा सत्र में विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल करने पर शिक्षा मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसको पूरा किया जा रहा है?

उत्तर

अभी ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यद्यपि धौलपुर में स्नातकोत्तर कालेज खोलने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिया गया था किन्तु अर्थाभाव के कारण अगले वर्ष किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को खोलने का प्रावधान नहीं किया जा सका।

उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाध्यापकों का चयन

385. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक पाठशाला के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रधानाध्यापकों के चयन के लिए कुछ समय पूर्व राज्य सरकार द्वारा एक डी. पी. सी. बैठाई गई थी ? अगर हां, तो कब ? उस डी. पी. सी. द्वारा कुल कितने प्रधानाध्यापकों का चयन किया गया एवं वह सूची कब जारी की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डी. पी. सी. द्वारा कुछ प्रधानाध्यापकों की रिजर्व सूची भी निकाली गई थी ? अगर हां, तो कितने शिक्षकों की ? उन शिक्षकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त रिजर्व सूची के अनुसार प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति न की जाकर अन्य जूनियर अध्यापकों को प्राध्यापक के पदों पर एडहाक के आधार पर लगा दिया गया ? अगर हां, तो क्यों एवं ऐसे कितने मामले सरकार के सामने आये हैं ? अब राज्य सरकार इस बारे में योग्य अध्यापकों को न्याय दिलाने के बारे में क्या सोच रही है ? उपरोक्त विषय में आवश्यक कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, जून 1976 एवं सितम्बर 1976 में क्रमश: माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के चयन के लिए चयन समिति की बैठक हुई थी। कुल 406 प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं का चयन किया गया था। नियुक्ति आदेश क्रमश: दिनांक 28-6-76, 2-7-76, 16-8-76 एवं 20-9-76 को जारी किये गये।

(2) जी हां, चयन समिति द्वारा 202 व्यक्तियों की रिजर्व (अतिरिक्त) सूची भी तैयार की गई थी। वे सूचियां अप्रकाशित गोपनीय अभिलेख हैं अत: जनहित में इन्हें प्रकट करना उपयुक्त नहीं है।

(3) जी नहीं।

जोधपुर, पीलवा हाउस क्षेत्र का सब डिविजन प्लान

387. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह की कृपा करेंगे:--

(1) जोधपुर में नागौरी गेट के बाहर पीलवा हाउस क्षेत्र का 'सब डिविजन प्लान' कब स्वीकृत किया गया ? अगर नहीं किया गया तो क्या यह राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) इस क्षेत्र में सड़कों, नालियों और 'रोड-लाइट' की व्यवस्था किस प्रकार और कब की जाएगी ?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में कई मकान निर्मित हो चुके हैं ? अगर हां, तो कौन से प्लान के अनुसार हैं ? अगर भूमि मालिक के स्वयं के प्लान के अनुसार है तो सड़कों पर आवागमन अवरुद्ध क्यों है ? इसके लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है।

उत्तर

(1) पीलवा हाउस क्षेत्र का सब डिविजन प्लान न तो न्यास द्वारा स्वीकृत ही किया गया है और न ही न्यास के विचाराधीन है। राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(नगर आयोजन मंत्री)

(2) प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाये गए नियम एवं उप नियम के अन्तर्गत विकास राशि जमा नहीं कराने एवं स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण सड़कों एवं नालियों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है।

(3) यह सही है कि इस क्षेत्र में 5–6 मकान निर्मित हो चुके हैं। कोई स्वीकृत प्लान नहीं है। प्राइवेट प्लान के अनुसार है। सड़कों पर कोई आवागमन अवरुद्ध नहीं है।

जोधपुर नगर विकास न्यास द्वारा किये गये सड़क निर्माण कार्य

388. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा वर्ष 1977–78 में कितने सड़क निर्माण कार्य चालू किए गए ? सूची मय कार्य के अनुमानित धनराशि, कार्यस्थान का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या बैंक कालोनी राइका बाग, नई बस्ती बालसमन्द गार्डन गेट के बाहर, नागौरी बेरा बस्ती, फूल बाग बस्ती, मण्डौर डिस्टिलरी के पीछे बसी बस्ती जालम सिंह जी के हत्थे और महामन्दिर रेल्वे लाइन के बीच बसी हुई बस्तियों में सड़क सुधार व नए निर्माण की कोई योजना है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 77-78 में चालू किए गए सड़क निर्माण कार्यों की विस्तृत सूची जिसमें कार्य स्थान, अनुमानित राशि व कार्य प्रारम्भ की तिथियाँ दर्शाई गई हैं, सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नागौरी बेरा बस्ती, फार्मबाग मण्डोर बस्ती, मण्डोर डिस्टिलरी के पीछे की बस्ती में गंदी बस्ती निस्तारण योजना के अन्तर्गत विकास कार्य (सड़क, नालियां, पानी, बिजली आदि कार्य) किये जा रहे हैं। बैंक कॉलोनी, राईका बाग एवं जालम सिंह जी के हत्थे के सब डिविजन होने से मालिकों द्वारा विकास शुल्क जमा नहीं कराने के कारण विकास शेष है। बालसमंद गार्डन गेट के बाहर, जहां न्यास द्वारा स्केटर्स प्लाट्स बेचे गये हैं, विकास कार्य किये जा रहे हैं। महामन्दिर रेल्वे लाइन के बीच बस्ती एवं फूल बाग बस्ती, गैर योजना क्षेत्र होने से न्यास द्वारा विकास के लिये अधिसूचित एवं स्वीकृत नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

ग्राम पंचायत दांता का नगरपालिका में परिवर्तन

389. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दांता (सीकर) की नगर पालिका बनाने हेतु वहां की जनसंख्या पूर्ण है ? अगर हां, तो कितनी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत दांता में राशन कार्ड 12 हजार (बारह हजार) के हैं ? अगर हां, तो क्या उसको नगरपालिका बनाया जा सकता है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों है?

(श्री माधवसिंह दीवान)

(3) क्या यह भी सही है कि नगर-पालिका बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है तो नियमानुसार इसे कब तक नगर-पालिका कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1971 की जन-गणना के आधार पर दांता की जनसंख्या 8022 है।

(2) 1971 की जनसंख्या के अनुसरण की नगरपालिका का गठन किया जा सकता है। पालिका के गठन के लिये अभी तक कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(3) इस प्रकार की मांग आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कमला नेहरू बाल मन्दिर, जोधपुर

390. श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर स्थित कमला नेहरू बाल मन्दिर उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुदान आपात स्थिति के दौरान एक तरफा कार्यवाही करके बन्द कर दिया गया और जिसकी वजह से उक्त विद्यालय की आर्थिक स्थिति आज बहुत ही खराब है ?

(2) क्या आपातकालीन इस धब्बे को मिटाने एवं उक्त विद्यालय के साथ न्याय कराने के लिए अब शीघ्र ही उसे पुनः सारा बकाया अनुदान दिये जाने की राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जोधपुर स्थित कमला नेहरू बाल मन्दिर उच्च प्राथमिक विद्यालय को कोई अनुदान नहीं मिलता था अतः बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल इसी विद्यालय की प्राथमिक शाखा को अनुदान मिलता था जिसे पुनर्वर्गीकरण समिति के दिसम्बर, 74 से पूर्व किये गये निरीक्षण तथा उनकी रिपोर्ट, जो आपात स्थिति से पूर्व ही पूर्ण कर ली गई थी, के अनुसार बन्द किया गया था।

(2) विद्यालय का अनुदान बन्द करने का मामला आपातकालीन स्थिति से संबंधित नहीं था। अनुदान पुन: दिये जाने के मामले के औचित्य के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र दांता के कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति का मामला

393. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री भागचन्द जैन, एल. डी. सी. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र दांता का प्रमोशन यू.डी.सी. के पद पर आज तक क्यों नहीं किया गया ? क्या यह जूनियर है ?

(2) इस विभाग में इनसे कितने व्यक्ति सीनियर हैं व कितने जूनियर हैं व किन किन जूनियर व्यक्तियों को प्रमोशन दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि श्री भागचन्द जैन ने इस सम्बन्ध में एतराज किया ? अगर किया, तो कब कब ?

(श्री परसराम मोरदिया)

(4) क्या यह सही है कि श्री भागचन्द जैन के प्रमोशन के सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने कितनी दफा लिखा और इस पर क्या क्या कार्यवाही हुई है।

(5) अब इस कर्मचारी का प्रमोशन एल.डी.सी. से यू.डी.सी. पर कब तक कर दिया जायेगा? अभी तक न करने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) श्री भागचन्द जैन इस विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर दिनांक 10-5-68 से कार्यरत है। इनका समावेश सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशों के द्वारा किया गया था। इनकी सेवा पुस्तिका से यह स्पष्ट है कि इन्हें कनिष्ठ लिपिक का न्यूनतम वेतन अर्थात 90|- रुपया प्रति माह पर दिनांक 10–5–68 से वेतन श्रृंखला 90-4-110 ई. बी. 5-135-145-5-155-7½-177½ एस. बी. 195-10-225 में निर्धारित किया गया था।

(2) इस विभाग में अब तक उन्हीं कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के पदपर पदोन्नत किया गया है जिनकी नियुक्ति तिथि 23 जून, 1965 से पूर्व कनिष्ठ लिपिक के पद पर हैं। श्री जैन इस विभाग में अभी तक अन्य लिपिकों से जूनियर रहे। इनसे किसी भी जूनियर लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है।

(3) ऐसी कोई सूचना निदेशालय में उपलब्ध नहीं है।

(4) जी नहीं। इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है।

(5) श्री भागचन्द जैन, कनिष्ठ लिपिक दिनांक 21-5-76 से आज तक निलम्बित हैं और विभागीय कार्य प्रगति पर है। जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के कनिष्ठ लिपिक का बकाया वेतन

239. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री भागचन्द जैन एल. डी. सी. जो मातृ शिशु कल्याण केन्द्र दांता में कार्य कर रहे हैं इनका बकाया वेतन सी. एम. एच. ओ. सीकर व झुंझुनू में कब का है? अगर हां, तो आज तक भुगतान क्यों नहीं हुआ?

(2) कर्मचारी ने इस सम्बन्ध में कितने नोटिस व प्रार्थना-पत्र निदेशक व सी. एम. एच. ओ. झुन्झुनू को दिये? उनका जवाब कर्मचारी को कब दिया गया?

(3) श्री भागचन्द जैन, एल. डी. सी. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र दांता को सी. एम. एच. ओ. झुन्झुनू का बकाया भुगतान कब तक दिलाने का राज्य सरकार का इरादा है? बकाया भुगतान न होने का दोषी कौन है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

श्री भागचन्द जैन, एल. डी. सी. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, रामगढ़ सेठना शेखावाटी (सीकर) में कार्यरत थे। श्री जैन का कोई

(चिकित्सा मन्त्री)

बकाया भुगतान जिला सीकर में नहीं है और फरवरी 78 तक का भुगतान किया जा चुका है।

(2) झुन्झनू जिले के वेतन के बकाया भुगतान की राशि 368-43 पै. है जिसका बिल निदेशालय की लेखा शाखा द्वारा दिनांक 23-1-78 की आपत्ति से जिला अधिकारी को लौटा दिया गया है, सम्बन्धित अधिकारी से पूर्ण तथ्य प्राप्त किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में निदेशालय में दो पत्र प्राप्त हुए हैं उनके क्रम में श्री भागचन्द जैन ने अपने बकाया भुगतान हेतु निदेशालय को जून 77 में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर को निदेशालय के पत्र दिनांक 20-6-77 के द्वारा भुगतान हेतु लिखा गया जिस पर उक्त अधिकारी ने श्री जैन को उनके बिलों की बकाया राशि का भुगतान दिनांक 29-7-77 को कर दिया है। इसी संबंध में श्री भागचन्द जैन, क. लि. ने भूतपूर्व जहाजरानी मंत्री नई दिल्ली को झुंझुनू से बकाया भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र भेजा जो उनके द्वारा निदेशालय को दिनांक 15-12-76 को प्राप्त हुआ जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनूं को भुगतान हेतु दिनांक 23-2-77 को निदेशालय द्वारा लिखा गया जिसकी प्रति श्री भागचन्द जैन को भी दी गई।

(3) श्री भागचन्द जैन, एल. डी. सी, का बकाया राशि का बिल रु. 368-43 पै. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनूं को आक्षेपों की पूर्ति करने हेतु निदेशालय की लेखा शाखा द्वारा (पत्र क्रमांक 497 दिनांक 25-1-78 के द्वारा) भेजा गया है। बिल आक्षेपों की पूर्ति होने के बाद प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने का मामला

395. श्री मांगीलाल (गंगरार): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय, जयपुर में एक इलेक्ट्रिशियन एवं गाड़ी के क्लीनर के विरुद्ध मरीजों से रुपये ऐंठने का समाचार किसी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है या कोई शिकायतें अन्य माध्यम से प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या आरोप आरोपित किये गये हैं?

(2) क्या राज्य सरकार ने आरोपों की जांच की है? यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला? यदि जांच पूर्ण नहीं हुई है तो उसका क्या कारण है?

(3) क्या राज्य सरकार प्रश्न के भाग 1 में वर्णित कर्मचारियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में गुप्तचर विभाग से जांच कराना उपयुक्त समझती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि इलेक्ट्रिशियन इस अस्पताल के वरिष्ठ डाक्टर का रिश्तेदार है?

(श्री मांगीलाल)

(5) क्या यह सही है कि मरीजों से फीस दिलाने के कारण गाड़ी के क्लीनर को, एक ड्राइवर को पदावनत कर ड्राइवर के पद पर पदोन्नत करने की कार्यवाही चल रही है ?

(6) क्या यह कर्मचारी क्लीनर के पद पर या अन्य किसी पद पर स्थाई है ? यदि स्थाई नहीं है तो यह कर्मचारी पदोन्नति योग्य किस नियम के अन्तर्गत आता है ?

(7) क्या यह सही है कि यदि प्रश्न के भाग 1 में वर्णित इलेक्ट्रिशियन एवं गाड़ी के क्लीनर को क्षय रोग चिकित्सालय, जयपुर से जयपुर स्थित किसी अस्पताल में जनहित में स्थानान्तरण करने में कठिनाई है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इन दोनों कर्मचारियों का इस अस्पताल से जयपुर स्थित किसी अस्पताल में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां, इस विषय में समाचार स्थानीय दैनिक पत्रों में प्रकाशित हुए थे। इस विषय में अस्पताल के अधीक्षक अथवा अन्य किसी अधिकारी को किसी प्रकार की मरीज अथवा अन्य व्यक्ति से मौखिक अथवा लिखित रूप से इस दौरान में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए बाद इन कर्मचारियों से पूरी पूछताछ की गई और दोनों कर्मचारियों ने इन आरोपों को निराधार बताया।

(2) अस्पताल स्तर पर हुई जांच से यह निष्कर्ष निकला कि ये आरोप निराधार हैं।

(3) नहीं, क्योंकि यदि आरोप सही पाये जाते तो आगे कार्यवाही की जाती।

(4) इस अस्पताल का एक इलेक्ट्रिशियन अधीक्षक महोदय का दूर का रिश्तेदार है।

(5) इस अस्पताल में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चल रही है।

(6) क्लीनर के पद पर जो कर्मचारी काम कर रहा है वह अस्थाई है। इस क्लीनर को ड्राइवर के पद पर पदोन्नति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) आरोपों से सम्बन्धित जांच का नतीजा प्रश्न (1) व (2) की टिप्पणी में दे दिया गया है। अतः कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान होमियोपैथिक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित बजट

396. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा नियम 1971 के नियम 18 के अनुसार माह सितम्बर तक अगले आर्थिक वर्ष का बजट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर देने का विधान है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1978-79 का बोर्ड का बजट प्रस्ताव उक्त नियम के अनुसार राज्य सरकार को भेजा गया है ?

उत्तर

जी हां। राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के अनुसार मण्डल का बजट बोर्ड से पास

(चिकित्सा मन्त्री)

करवाने के उपरान्त ही राज्य सरकार को भेजा जाता है। वर्ष 78–79 का तैयार किया गया बजट मंडल की बैठक सितम्बर के बाद पहली बैठक दिनांक 7–12–77 में प्रस्तुत किया गया था जिसे मंडल ने नोट किया एवं निर्णय लिया था कि निस्तरित बजट पुन: मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जावे। अत: बजट आवश्यक संशोधनों के उपरान्त पुन: मंडल की बैठक दिनांक 16–3–78 में प्रस्तुत किया गया। दिनांक 16–3–78 की बैठक में इस विषय को अगली बैठक तक के लिये स्थगित कर दिया गया।

समाज सेवकों की नियुक्तियां

397. श्री मंजूर अली (सवाईमाधोपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1961 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में समाज–सेवकों की नियुक्तियां स्केल नं. 9 (90–200) में की गई थीं ?

(2) क्या इस नियुक्ति के लिए एक वर्ष की ट्रेनिंग (डिप्लोमा इन फैमिली प्लानिंग–सोशल वर्कर्स) करना अनिवार्य था ?

(3) ऐसे कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां विभाग में की गई ? इनकी वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या इन समाज सेवकों का पद समाप्त कर इनको पंचायत समितियों में खण्ड शिक्षा प्रसारक के पदों पर समायोजित किया गया है ?

(5) क्या सन् 1967 में परिवार नियोजन में स्वास्थ्य सहायक का पद सृजन किया गया ?

(6) क्या स्वास्थ्य सहायक के लिए केवल मैट्रिक पास होना पर्याप्त था और इनके लिए किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं थी ?

(7) खण्ड शिक्षा प्रसारक (प्रशिक्षित–समाज सेवक) एवं स्वास्थ्य सहायक में कौनसा पद वरिष्ठ व कौनसा पद कनिष्ठ था ?

(8) स्वास्थ्य सहायक आज कितना वेतन प्राप्त कर रहा है और खण्ड शिक्षा–प्रसारक (प्रशिक्षित समाज सेवक) को कितना वेतन मिल रहा है ?

(9) क्या इस प्रकार कनिष्ठ पदधारी को ज्यादा एवं वरिष्ठ पदधारी को कम वेतन प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(10) क्या राजस्थान सरकार ने दिनांक 13·3·67 को खण्ड शिक्षा प्रसारण (प्रशिक्षण समाज सेवकों) को स्केल नं. 10 130-320 रु. मासिक) दिये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। समाज सेवकों की नियुक्ति वेतन मान नं. 10 (90-4-110 द. बी - 5 -155-7½-170) में की गई थी।

(2) राज्य सरकार द्वारा विभागीय योग्यता के चयनित व्यक्तियों के लिए एक वर्ष का समाज सेवक का प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य था, यह डिप्लोमा कोर्स नहीं था सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स था तथा यह प्रशिक्षण क्षेत्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर में दिया गया था।

(चिकित्सा मंत्री)

(3) 162 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और उसके बाद समाज सेवक के पद पर नियुक्ति दी गई। चूंकि समाज सेवक के पद अस्थाई थे और उन पर की गई यह नियुक्तियां भी अस्थाई थीं अत: राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियम 24 (2) (क) के अधीन गठित प्रतिच्छादित समिति ने समाज सेवकों को परिवार कल्याण कार्यकर्ता के पद के उपयुक्त पाया। तदनुसार निदेशालय के आदेश दिनांक 3-12-75 के द्वारा इनकी वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई (प्रति संलग्न है)।

(4) जी नहीं। चूंकि विभाग में समाज सेवकोंका वेतन मान के समकक्ष कोई पद सृजित नहीं होने के कारण इन्हें दिनांक 1–8–66 से स्वयं की वेतन श्रृंखला में फैमिली प्लानिंग एक्सटेन्शन एजूकेटर के पद के विरुद्ध निदेशालय के आदेश 30–7–66 व 6-8 66 के द्वारा एडजेस्ट किया गया था न कि समावेश। उक्त आदेशों में यह भी उल्लेख किया गया था कि यह एडजस्टमेन्ट पूर्णतया अस्थाई है तथा किसी प्रकार कि पदोन्नति को शामिल नहीं करता है।

(5) जी हां, सन् 1967 में भारत सरकार के पेटर्न के अनुसार यह पद सृजित किया गया था।

(6) जी हां। राज्य सरकार ने परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के पदों को भरने के लिये शैक्षणिक योग्यता मेट्रिक पास निर्धारित की थी। वर्तमान में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियमों में परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के पद को भरने की योग्यता मेट्रिक सैकण्डरी और समकक्ष और एक वर्ष का कम्युनिटी समाज सेवा, क्षेत्रीय कार्य और परिवार नियोजन कार्यक्रम का अनुभव सीधी भर्ती हेतु तथा पदोन्नति के लिए वैलफेयर वर्कर, फील्ड वर्कर, विलेज लेवल वर्कर के पद पर 6 वर्ष का अनुभव रखा है।

खण्ड स्तर शिक्षा प्रसारक के पद का वेतन मान 440–10–490–20–770 है तथा परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के पद का वेतन मान 370–10-410–15 530–20–590 है। खण्ड शिक्षा प्रसारक का पद स्वास्थ्य सहायक के पद से वरिष्ठ है। प्रशिक्षित समाज सेवकों का पद विभाग में दिनांक 1–9–66 से सृजित नहीं है।

(8) खण्ड शिक्षा प्रसारक का वेतन वर्तमान में 440–770 है।

परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक का वेतन मान 370–590 है।

समाज सेवकों को प्रतिच्छादित समिति ने परिवार कल्याण कार्यकर्ता के पद पर उपयुक्त पाया।

परिवार कल्याण कार्यकर्ता का वेतन मान 355–570 है।

(9) जी नहीं। प्रशिक्षित समाज सेवकों को उनके पद समाप्त होने पर विभाग में उनके समकक्ष वेतन मान में कोई पद सृजित नहीं होने के कारण उन्हें अस्थाई रूप से परिवार कल्याण एक्सटेन्शन एजूकेटर के पद के विरुद्ध उनकी आगे की वेतन श्रृखला में एडजस्टमेन्ट किया गया ताकि उनका वेतन आरक्षण किया जा सके। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 के नियम 24 (2) (क) के अधीन गठित प्रतिच्छादित

(चिकित्सा मन्त्री)

समिति ने समाज सेवकों को परिवार कल्याण कार्यकर्ता के पद के उपयुक्त पाया और उसी के आधार पर समाज सेवकों का वेतनमान 355-570 में वेतन आरक्षण किया जा रहा है।

(10) जी नहीं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

वैद्यों की वरिष्ठता सूची

398. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—:

(1) राज्य के आयुर्वेद के वैद्यों की राजस्थान के एकीकरण के फलस्वरूप जो वरिष्ठता सूची निकली थी वह किस तरह विकृत की गई ?

(2) क्या यह वरिष्ठता सूची किन्हीं चहेतों को फायदा देने की वजह से विकृत की गई ? यदि हां, तो किन किन को यदि नहीं तो फिर जो वरिष्ठता सूची सन् 1955 में लोकसेवा आयोग के द्वारा बनाई गई उसे पदोन्नति का आधार क्यों नहीं रखा ?

(3) 1955 की वरिश्ठता सूची जो लोकसेवा आयोग ने बनाई थी उसको विकृत कर किन-किन को नाजायज तरक्की दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इतने जूनियर्स को तरक्की देने के क्या कारण थे ?

(4) किन किन वरिष्ठ वैद्यों को इस लिस्ट में पदोन्नति से वंचित रखा गया।

उत्तर

(1) जी नहीं। कोई सूची विकृत नहीं की गई।

(2) जी नहीं। वर्ष 1955 में लोक सेवा आयोग ने जो सूची बनायी थी उसे ही पदोन्नति का आधार रखा गया।

(3) कुछ कनिष्ठ व्यक्तियों को जून 65 में तरक्की अवश्य दी गई थी। जिन वरिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति उच्च पद पर की गई उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर सलग्न है, इनकी पदोन्नति तदर्थ रूप से तत्कालीन निदेशक द्वारा वैद्य ग्रेड प्रथम/प्राध्यापक/सहायक चिकित्सक विशेषज्ञ के पद पर उनकी कार्यक्षमता के आधार पर की गई थी।

(4) परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न सूची में चिन्हित व्यक्तियों को छोड़कर शेष को पदोन्नति से वंचित रखा गया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

विशेषाधिकार हनन प्रश्न
पेट्रियट में प्रकाशित समाचार

श्री अध्यक्ष; माननीय सदस्य श्री परसराम मदेरना, श्री मथुरादास माथुर एवं श्री खेतसिंह ने एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी है जिसका सम्बन्ध मेरे और विधि मन्त्री के बीच तथाकथित निजी वार्तालाप से है। मैंने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया इस सम्बन्ध में संसदीय परिपाटी और परम्पराओं का भी अध्ययन मैंने किया। इस प्रश्न के उठाये जाने की अनुमति चाही गई है।

पैट्रियट में एक प्रकार के समाचार पर आधारित इस लेख में जो कुछ भी मेरे सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है वह अवास्तविक है। मेरे पर राज्य पक्ष के किसी भी मंत्री और मुख्य संचेतक द्वारा कोई दबाव नहीं डाला गया, न ही अध्यक्ष के अधिकार और उसकी शक्ति के परिपालन में

(श्री अध्यक्ष)

कोई दबाव डाला जा सकता है। इसलिये प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत इस प्रश्न को इस सदन में प्रस्तुत करने के लिए अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से नागौर जिले के पुलिस स्टेशन डेगाना के गांव नांवा के एक हरिजन मेघवाल 23 वर्षीय युवक श्री हरजी राम को वहां के कुछ लोगों द्वारा आपसी लेन देन के मामले में क्रोधित होकर जिन्दा जला देने की घटना के विषय में।

(2) श्री अब्दुल अजीज, सदस्य विधान सभा की ओर से मकराना में संगमरमर की नई खानों के अलाटमेंट में भारी अनियमितता के विषय में।

इन दोनों प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(3) श्री रामकृष्णदास, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य होटल निगम को भंग करने के निर्णय से प्रभावित होने वाले लगभग 150 कर्मचारियों के भविष्य के विषय में।

यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) सर्व श्री शंकरलाल, प्रद्युम्नसिंह, ध्योपतसिंह मकासर, शिवचरण व मदनसिंह सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य के अध्यापकों द्वारा कल से विधान सभा भवन के बाहर प्रदर्शन करने की घटना के विषय में।

इस विषय पर राज्य सरकार की ओर से आज ही एक वक्तव्य दिया जा रहा है। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने में असमर्थ हूं। साथ ही इन माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इस विषय पर इस अवसर पर किसी प्रकार की चर्चा न करें।

(5) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से पाली शहर में मरुप्रदेश निर्माण समिति का गठन करके कुछ व्यक्तियों द्वारा पाली बन्द कराने के निर्णय के विषय में।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व की किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है। मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

विशेषाधिकार हनन

प्रश्न पेट्रियट में प्रकाशित समाचार।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन मैंने और जिन सदस्यों ने पेश किया है वह पेश करने में हम में कोई उत्साह नहीं है। मगर हम अपना फर्ज समझते हुए इसको

(श्री मथुरादास माथुर)

पेश कर रहे हैं क्योंकि एक दैनिक अखबार, जो दिल्ली से निकलता है, जिसका नाम "पेट्रियट" है, में 27 मार्च को यह खबर छपी थी। जयपुर 27 मार्च। उसमें है :

"Pressure Tactics by Rajasthan Janta Men."

चूंकि यह अंग्रेजी में है इसलिये मैं इस को अंग्रेजी में ही पढ़ देता हूं :

"Jaipur March 26. The Janta Party vociferous champion of democratic values, which seems to be tired of its criticism, especially by its own legislators in the Assembly, has now resorted to pressure tactics.

It is learnt that recently Rajasthan Minister for Parliamentary Affairs Surya Narain Choudhary and Party's Chief Whip Navneet Paliwal had approached Assembly Speaker Laxman Singh to complain that he (the Speaker) was very much considerate to bitter critics of the Government in the House - both from the Opposition and the treasury benches.

The Speaker is believed to have taken the two fellows to task and chided them saying 'I am not to be dictated by anybody. If you think I am not doing properly you are free to bring a no-confidence motion against me.'

It is reported that when Chief Minister B.S. Shekhawat met the Speaker a few days back, he expressed his worry to the latter and said the Government was at its wits' end when criticised by members of the treasury benches.

It is significant to note that during the current Assembly session, apart from the Opposition benches many Janta Legislators had taken the Government to task on various issues like the law and order problem, domination of the bureaucracy on Ministers, atrocities on Harijans during the recent lathi-charge, and tear-gassing on the Kisan demonstration led by Mr. Daulat Ram a Janta M. P."

श्रीमान्, दिल्ली से सुबह 27 मार्च को निकलने वाले दैनिक पैट्रियट में यह खबर छपी है। इस खबर को पढ़ने के बाद इस सदन के एक सदस्य के नाते क्योंकि इससे कई गम्भीर मामले उत्पन्न हुए हैं इसलिए आपके सामने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन प्रस्तुत किया है।

Page No. 38

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन अस्वीकार किया है। मैं प्रेसेराइज नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : वह ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : आपकी रूलिंग तो शिरोधार्य है लेकिन ..

श्री अध्यक्ष : मैं प्रेशराइज नहीं हो सकता। इस बात का बतंगड़ आप न बनाइये। The then Viceroy and Governor General and Sardar Patel could not pressurise me.

श्री प्रद्युम्न सिंह : Then how could they dare to pressurise you ?

श्री मथुरादास माथुर : आपको प्रेशराइज करने के लिए यह नहीं आया है, सवाल यह नहीं है। इससे बड़े मुद्दे उत्पन्न होते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): एक जानकारी करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा है कि मेरे पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं आया, इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह कहा है कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं आ सकता। बात का बतंगड़ न बनायें।

श्री शिवचरणसिंह : आगे के लिए ...

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी यह किसी तरह से इच्छा नहीं है कि आप विटनेस बाक्स में आयें। मैं यह नहीं चाहता। मुख्य मन्त्रीजी ने सदन के नेता की हैसियत से यह पूछा कि आप बात मानते हैं या नहीं ? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं जैसा कि आपने बताया कि सरदार पटेल का भी दबाव नहीं पड़ सका तो माननीय सदस्यों का और विधि मन्त्री का दबाव नहीं पड़ सकता। यह मैं मानता हूं। यह क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि क्या गवर्नमेंट के चीफ व्हिप और मिनिस्टर फोर पालियामेंट्री अफेयर्स

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : You cannot question.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर ...

श्री मथुरादास माथुर : अगर वह नहीं मिले तो सवाल ही पैदा नहीं होता

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक बार अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि श्री सूर्यनारायण जी चौधरी और श्री नवनीत पालीवाल ने आप पर कोई दबाव नहीं डाला, क्या अध्यक्ष महोदय की इस बात को सदन में चुनौती दी जा सकती है ? नहीं दी जा सकती है।

श्री मथुरादास माथुर : आप बात से ध्यान मत हटाइये। मेरे लिए दोनों ही रास्ते खुले हैं। या तो अखबार में यह खबर झूठी है, वह दो माननीय सदस्य आपके पास नहीं आये तो वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अखबार वाले के खिलाफ होगा। मेरे लिए तो दोनों ही रास्ते खुले हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : I agree with it.

श्री मथुरादास माथुर : मैं अध्यक्ष महोदय के प्रति बड़ी इज्जत रखता हूं और आपकी भी इज्जत रखता हूं। दोनों माननीय सदस्य जो स्पीकर साहब के पास गये उनकी भी इज्जत करता हूं। सवाल हमारे हकूकों का है। माननीय सदस्य जो इसमें बात लिखी गई है वह कहने के लिए आये या नहीं आये, दबाव पड़ा या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप अध्यक्ष महोदय से क्वेश्चन करते हैं क्या ?

श्री मदनसिंह दांता : माननीय मन्त्री जी कह दें कि आप गये थे या नहीं गये थे ? यह बात अखबार में आई है। यदि अखबार में आई तो आपने कान्ट्रेडिक्ट क्यों नहीं किया ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री मदनसिंह दांता : आपके मौन रहने का मतलब यही है कि गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी आये और चीफ व्हिप आये, उन्होंने मुझसे बात की तो क्या गुनाह किया ?

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : यही तो बात है।

श्री मदनसिंह दांता : वह गुनाह बता रहे हैं। अखबार में आया है। यह अखबार सारे राजस्थान में और हिन्दुस्तान में जाता है। यह गुनाह है। इसको चैलेन्ज भी नहीं किया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आये और कोशिश की और आप दबाव में नहीं आये।

श्री शंकरलाल : उन्होंने प्रेशर डाला ऐसा मालूम पड़ता है। वह आये या नहीं आये, यह बतायें ?

श्री अध्यक्ष : आपको बात कहनी है तो कह दें।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो इन अखबार वालों ने हिन्दुस्तान में कह दी। जैसा आपने कहा कि मन्त्री और चीफ व्हिप आपके पास आये-एक प्रश्न ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी आते हैं और मुझसे मिलते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : किसलिए आये ? मैं आपके पास आता हूं, अध्यक्ष महोदय। मेरा ख्याल है कि सेशन में एक दफा इसी अखबार वाले मामले को लेकर आपके पास आया हूं वरना एक दफा भी नहीं आया हूं। वैसे आप बुलायें तो सिर आखों पर चला आता हूं। लेकिन माननीय सदस्यों के हकूकों का हनन है तो यह ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है। ट्रेजरी बेन्चेज के कुछ लोग और अपोजीशन के लोग कुछ मुद्दों पर सरकार को कोसते हैं और आप उस पर लिबरल रहते हैं, यह

(श्री मथुरादास माथुर)

कहना हमारे हकों का ब्रीच है और हमारे प्रिविलेज का ब्रीच है। मेरा निवेदन है कि मैं दो तरह से प्रिविलेज मानता हूं। आप इस पर गौर कीजिए।

एक तो यह है कि कोई सदस्य चाहे वह मिनिस्टर हो या चीफ व्हिप हो या आर्डिनरी मैम्बर हो वह इस बात को लेकर स्पीकर के पास जाते हैं कि वह लिबरल है वह ताड़ना नहीं देते हैं, और सरकार को जनता पार्टी की तरफ के लोग और विरोधी दल कोसते हैं तो आप लिबरल एटीट्यूड लेते हैं। यह बात कह कर यह कहना, आप माने या नहीं माने, उनको आपको रोकना चाहिए। सदन में फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन है, अपने व्यूज रखने का, सरकार को कोसने का, सुझाव देने का और बात कहने का हमारा हक है। इन हकूक का हनन करने के लिए वह आपके पास आये इसलिए ब्रीच आफ प्रिविलेज किया है।

अब सवाल यह है कि इसके बारे में आप रूलिंग के लिए कहें तो वह मैं कोट कर सकता हूं। इस तरह के प्रिविलेज के मोशन आये हैं। और कोई प्रेशराइज करने का अटेम्प्ट करे स्पीकर को या प्रिसाइडिंग आफिसर को जो हमारे हक हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा हक है हम अपनी बात कह सकते हैं चाहे हमारी सरकार हो या भारत सरकार हो, अगर हम कोई गलत बात कहें तो आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमको हमारी बात कहने नहीं दी जाये और यह बात कहने के लिए स्पीकर को रिक्वेस्ट करें तो यह आब्सट्रक्ट हमारे फ्रीडम आफ राइट को करता है इसलिए ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है। इस पर आप गौर कीजिए।

श्री मदनसिंह दांता : आप तो यह कहें कि अखबार में यह आया इसलिए ब्रीच आफ प्रिवलेज बनता है।

श्री मथुरादास माथुर : दूसरे, अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने कहा है दूसरा इश्यू यह है कि आप के पास आये। आने की बात कबूल हो गई और उन्होंने आपको कह दिया। आपका करेक्टर है आपकी पर्सनेलिटी है, आपकी विस्डम है। जो अखबार में बात निकली है उसको सही न मानते हुए जब तक चैलेन्ज नहीं किया जाये इसको सही मानते हैं। आपने कहा कि तुमको ऐसा लगता है तो सबसटेन्टिव मोशन, नो कान्फीडेन्स का मोशन लेकर आओ। आप उनकी बात को नहीं मानते हैं, इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रीच ही नहीं किया आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की। आप प्रेशर में नहीं आये वह अलग बात है।

श्री अध्यक्ष : प्रेशर डालने की कोशिश की लेकिन मैं प्रेशराइज हुआ या नहीं हुआ। मैं आपके प्रति उदार हूं। माननीय सदस्य अब क्यों इसके सम्बन्ध में आरोप लगाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा नम्र निवेदन यह है कि आज तो हमारे आसन के ऊपर आप जैसी पर्सनेलिटी विराजमान है। आसन पर कई तरह के लोग आते हैं। गवर्नमेन्ट के लोग आसन पर प्रेशर डालें और कोई आसन प्रेशराइज हो जाये तो हमारी रक्षा कौन करेगा? ..

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई नहीं करने वाला है।

श्री मदनसिंह दांता : इनकी गवर्नमेन्ट में ऐसा होता था। ठीक कह रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अब मेरा दूसरा निवेदन यह है कि मेरे पास रूलिंग बहुत हैं अगर आप सुनना चाहें और मौका दें। मेरा निवेदन यह है कि यह reflection upon the character of the Speaker है। आपके ऊपर रिफ्लेक्शन डालना है। यह रिफ्लेक्शन तो हो गया। आप उनकी बातों में नहीं आये लेकिन यह रिफ्लेक्शन हो चुका है। स्पीकर लिबरल हैं, रोकते नहीं हैं यह रिफ्लेक्शन है। आप हमको रोकते हैं ताड़ना देते हैं उनको भी रोकते हैं और ताड़ना देते हैं

श्री अध्यक्ष : It is a matter of opinion.

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है।

श्री अध्यक्ष : You have every right to have your opinion and I have every right to have my opinion.

श्री मथुरादास माथुर : That is why I am expressing my opinion, Sir.

श्री अध्यक्ष : You have a right to have your opinion.

श्री मथुरादास माथुर : मगर मुझे सुनाने का हक है, मुझे कहने का हक है और मैं विश्वास करता हूं कि मुझे सुनने के बाद आप अपनी राय बदलने का भी हक रखते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं। मैं तीन बातों पर आता हूं। एक तो जिन माननीय सदस्य के नाम अखबारों में आये हैं उनका आपके पास एप्रोच करना और प्रेशराइज करना एक बात और दूसरी बात है आपके करेक्टर के उपर रिफ्लेक्शन कि आप उदार दिल हैं You are liberal. यह आ गया अखबार में। कोई व्यक्ति हिन्दुस्तान में पढ़ेगा तो यही कहेगा कि आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते। सदन में बहुत हुल्लड़बाजी होती है। तीसरी बात आपको प्रेशराइज करने के लिए अटेम्प्ट करना। आप प्रेशराइज नहीं हुए, वह अलग बात है लेकिन उन्होंने अपना अटेम्प्ट पूरा कर लिया। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि तीनों मुद्दों पर हमारा ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है। ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है, ब्रीच आफ दी हाऊस बनता है और स्पीकर के करेक्टर के ऊपर रिफ्लेक्शन है। इन तीनों बातों के ऊपर ब्रीच आफ प्रिबिलेज का मोशन बनता है और हमारे रूल्स आफ प्रासीजर की धारा के अनुसार जो बात होनी चाहिए मोशन के लिए वह पूरी होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मोशन को, जो मैंने मूव किया है, आप हमें पेश करने की इजाजत दें। फिर कमेटी देख लेगी और जो भी होगा हो जायगा। मगर यह परम्परा सदन में नहीं होनी चाहिए ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह क्षमा मांगे। खुली माफी मांगें।

श्री मथुरादास माथुर : अगर अखबार में गलत है तो हमें अखबार के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज लाना पड़ेगा। मगर आप कह चुके हैं कि वह आये तो थे आपने कबूल किया है, आये तो थे, मगर उसका असर नहीं हुआ उस सूरत के अन्दर यह ब्रीच आफ प्रिविलेज बन जाता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : या इनसे क्षमा मंगाई जाय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) । माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया से परिचित एक माननीय सदस्य इस प्रकार का विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठा रहे हैं, मैं समझता हूं, वे स्वयं मानकर चल रहे हैं, उन्हें बोलना था इसलिये ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक नहीं, प्रक्रिया से परिचित तीन सदस्यों ने दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुन लीजिये । मैं समझाता हूं माननीय सदस्य यदि रूल्स देख लेते तो रूल्स में इस प्रकार का प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है । इन रूल्स में हैं ।

श्री अब्दुल अज़ीज़ : पढ़ कर बता दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee there of.

158. Notice of question of privilege–A member wishing to raise question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised.. If the question raised is based on a document. the notice shall be accompanied by the document.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the

Then Rule 159 relates to the conditions of admissibility of the question of privilege. The right to raise a question of privilege shall be governed by tbe following conditions, namely........

Then Rule 160. Mode of raising a question of privilege-(1) The Speaker if he gives consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the question and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place, and while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant there to :

Provided that where the Speaker has refused his consent under ......

अब अध्यक्ष महोदय, जब कोई कन्सेंट नहीं है.......

एक माननीय सदस्य : कन्सेंट है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ....

(व्यवधान)

member concerned who shall rise in his place, and while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, कन्सेंट किस पर दूं, कोई बेसिस ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिये निवेदन कर रहा हूं पहला क्वेश्चन आता है कन्सेंट का। आपने जो प्रिविलेज मोशन दिया, उसकी कन्सेंट कहां है ? कन्सेंट बताईये। किसी का दबाव नहीं आया। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय का यदि उचित सम्मान रखना चाहते हैं तो अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था की और कहा उस पर आपको विश्वास करना चाहिये। आपने विश्वास नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री मथुरादास माथुर : आप अध्यक्ष महोदय की दीवार मत खड़ी कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह तरीका तो ठीक नहीं है। आप सब लोग बोले हैं। मैंने इन्ट्रप्ट नहीं किया। माथुर साहब आध घण्टे तक बोले हैं। माथुर साहब हाउस के बाहर मानेंगे, उन्हें नहीं बोलना चाहिये था···

श्री मथुरादास माथुर : यह भी हमारा ब्रीच आफ प्रिविलेज है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्यादा अच्छा हो, वह ब्रीच आफ प्रिविलेज ले आयें। पहला क्वेश्चन आता है कन्सेंट का। अध्यक्ष महोदय ने कन्सेंट नहीं दी। प्रिविलेज मोशन को स्वीकार नहीं किया। दूसरा निवेदन करना यह है कि जहां तक आलोचना करने का प्रश्न है, माथुर साहब क्या आप मानते हैं, विरोधी पक्ष तो आलोचना कर ही नहीं रहा है ? आपकी आलोचना के भरोसे बैठे रहे, जो बाहर से जानकारी मिलती है ··

(व्यवधान)

इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं जितनी फ्रीडम हमने दे रखी है

श्री मथुरादास माथुर : वहां पर नहीं जाते···

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह फ्रीडम आपने नहीं दी है, कानून में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप और बोल लें।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं, बोलने की फ्रीडम है। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं उनको इस प्रकार की शिकायत नहीं हो सकती कि हमने किसी को रोका है। आलोचना करने के बाद भी किसी मेम्बर से इस प्रकार का व्यवहार नहीं रखा कि आलोचना करने वाला सदस्य है, उसके लिये यह समझा जाये कि इसने सरकार की आलोचना की। सरकार के दिमाग में ···

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, आप आंखें दिखाते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आंखें दिखाने लायक नहीं। मेरी आंखें ऐसी नहीं हैं जो आंखों से प्रभावित कर सकूं। हो सकता है खेतसिंह जी की आंखें ऐसी हों जिनसे आकर्षण पैदा हो जाये या भय पैदा हो जाये

श्री मदनसिंह दांता : मथुरादास जी

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं जितनी फ्रीडम है हमारे हाउस में, हिन्दुस्तान की किसी भी विधान सभा में चले जायें, इस प्रकार की फ्रीडम नहीं मिलेगी।

एक माननीय सदस्य : इससे ज्यादा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पहले भी सदस्य रहा हूं, आप भी रहे हैं। आप अपने मन में विचार करके चलें, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे एडजोर्नमेंट मोशन हो, चाहे काल अटेन्शन नोटिस हो, चाहे जनरल डिबेट हो, हमने न समय के ऊपर पाबन्दी के लिये अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया है, न कभी इस बात के लिये आग्रह किया है कि अमुक मैम्बर बोल रहे हैं उसको रोका जाये। हम यह समझते हैं कि मेम्बर्स बोल रहे हैं हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, सरकार की कोई गलती है हमें दुरुस्त करने का अवसर मिलता है। इसमें किसी प्रकार की...

श्री मदनसिंह दांता : यह दो मंत्री क्यों गये थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक है मुख्य सचेतक और दूसरे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर। रोज स्पीकर महोदय के पास जाते हैं। मैं भी जाता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : यह दोनों गये थे, जैसा स्पीकर साहब ने कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अध्यक्ष महोदय ने मना कर दिया।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : स्वीकार कर लो, गये थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह स्वीकार कर लीजिये, यह नये हैं, इनको रूल्स का मालूम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय पर दबाव डाला गया या नहीं डाला गया, इसका सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं अध्यक्ष महोदय हो सकते हैं।

(व्यवधान)

आप सुनिये।

अगर दबाव डाला गया तो दबाव का असर हुआ या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है। इसको सबसे पहले साबित कर दिया है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय जब कह रहे हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बीच में इन्टरप्शन करें यह उचित नहीं है। आखिर इतनी देर हमने सुना है। आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो आप बोल लेंगे ? मैं बैठता हूं। अब आप बोल लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, यह अच्छी परम्परा नहीं है। इनकी बात है उसको आप सुन लें।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप हमारी बात सुनें

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। यह सदन की परम्परा नहीं हैं। अध्यक्ष को तो सब की बातों को सुनना पड़ता है। आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं सबकी बात सुनता हूं। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की बात को सुनें। इस सम्बन्ध में अधिक चर्चा का विषय यदि सदन की इच्छा है कि बने तो बनाये और बनेगा।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष, हम सदन के नेता को सुनने को तैयार हैं, लेकिन सदन के नेता यह धमकी दे रहे हैं कि आप बोल लीजिये। इस प्रकार का असंसदीय व्यवहार सदन के नेता की गरिमा के उपयुक्त नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : आप इस तरह से हल्ला गुल्ला करके सदन को नहीं चला सकते ......

(व्यवधान)

यह अच्छी बात नहीं है। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए शर्म की बात है।

(व्यवधान)

हम जो कहें वह आपको सुनना पड़ेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। इस सदन की यह परम्परा रही है, अध्यक्ष महोदय, जब सदन के नेता, मान्यवर बोल रहे हैं तो उनको बोलने की स्वतन्त्रता ही नहीं, बल्कि उनका अधिकार है कि पहले वे अपनी बात करें............

श्री अध्यक्ष : यह उनका प्रिविलेज है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, यह परम्परा रही है कि जब सदन के नेता बोल रहे हों और विपक्ष के नेता कुछ कहना चाहते हों तो सदन के नेता बैठ जाते हैं। यह भी परम्परा रही है कि जब सदन में विपक्ष के नेता बोल रहे हों और इस सदन के नेता बात कहना चाहते हों तो विपक्ष के नेता बैठ जाते है। यह इस सदन की परम्परा रही है। मान्यवर, जब सदन के नेता बोल रहे हों तो हम उनको शान्तिपूर्वक सुनें। लेकिन हम देखते हैं कि जब आप बोलते हैं तो आपकी तरफ के लोग ही खड़े हो जाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि जब सदन के नेता बोल रहे हों तो उनको हम ध्यान से सुनें। अगर यही स्थिति रहेगी कि आप बोलेंगे और लोग भी बोलेंगे तो बोलने का समय नहीं रहेगा। मान्यवर, मैं मानता हूं माननीय अध्यक्ष, सदन के नेता और विपक्ष के नेता इन तीनों को नहीं बोलने देना एक प्रकार से उनका जो प्रिविलेज है उस पर कुठाराघात है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि माथुर साहब ने कहा वह ठीक है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन मथुरादासजी से बात करने के बाद में....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि दूसरा प्रश्न

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आता है कि माननीय मंत्री श्री सूर्यनारायण और मुख्य सचेतक पालीवालजी अध्यक्ष महोदय के पास गये। मैं ऐसा समझता हूं कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य खास तौर से खेतसिंहजी इस बात को जानते हैं क्योंकि वे पार्टी के चीफ व्हिप भी रहे हैं, जब सदन आरम्भ होता है तो अध्यक्ष महोदय के पास जाकर किस तरह से बिजनेस को डिस्कस करना है, किस तरह से व्यवस्था करनी है इस प्रश्न पर चर्चा करते रहे हैं। यदि सूर्यनारायणजी और पालीवालजी अध्यक्ष महोदय के पास इस कार्य के लिए जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। बिजनेस को रेगुलेट करने के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं और जो चर्चा होती है उसके आधार पर बिजनेस को रेगुलेट किया जाता है। आप यह समझते हैं कि इन्होंने जाकर कोई धमकी दी तो हम धमकी विरोधी दल को ही नहीं देते तो अध्यक्ष महोदय को धमकी देने का सवाल ही क्या है?

(व्यवधान)

मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह मामला बड़ा गम्भीर है। इस गम्भीर मामले को माथुर साहब गम्भीरता से नहीं रखकर टापिक पाइंट बनाते हैं तो यह उचित नहीं है। माथुर साहब से मैं यह अपेक्षा नहीं करता था कि ऐसे मामले को जिसमें अध्यक्ष की प्रतिष्ठा इन्वाल्व्ड है, टापिक पाइन्ट बनाये। उसको आपने टापिक पाइंट बनाया है, माथुर साहब ने बनाया है। जब अध्यक्ष महोदय ने यह कह दिया कि उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ा तो उनके वर्ड्स पर विश्वास करके उसकी चर्चा नहीं करते। आपने क्वेश्चन किसको किया है? आपने क्वेश्चन सूर्यनारायणजी या पालीवालजी को नहीं किया है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय को। अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ा और आप कह रहे हैं कि दबाव पड़ा है। आप जैसा सीनियर आदमी इस प्रकार के प्रश्न को टापिक पाइन्ट बनाना चाहे तो किस की प्रतिष्ठा गिरेगी? प्रतिष्ठा इस पक्ष की नहीं गिरेगी, प्रतिष्ठा गिर रही है माननीय अध्यक्ष महोदय की·····.......

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल नहीं।

श्री अब्दुल अजीज : गलत बयानी हो रही है।

(व्यवधान)

मसले को आप डाइवर्ट कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय माथुर साहब ने कह दिया और अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी। अब इस प्रश्न को यहीं पर समाप्त करें। इस पर ज्यादा चर्चा करना या इस प्रकार की छिछालेदारी करना किसी प्रकार से उचित नहीं होगा। आपको जो कहना था वह आपने कह दिया और माननीय अध्यक्ष को जो व्यवस्था देनी थी वह दे दी। इसके बाद में इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी प्रिविलेज के मोशन के सम्बन्ध में डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही थी वह इश्यू वास्तव में बड़ा डेलिकेट है जैसा कि सदन के नेता कह रहे हैं। क्यों कि यह माननीय अध्यक्ष से संबंधित है इसलिए हम इस पर विशेष चर्चा करना उचित नहीं

(श्रीपरसराम मदेरणा)

समझते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आसन के प्रति, इस सदन के प्रारम्भ में जब आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो मैंने मेरे दल की ओर से यह आश्वासन दिया था कि हम आसन के प्रति हमेशा सर्वोच्च आदर प्रकट करते रहेंगे। वह सर्वोच्च आदर आज भी प्रकट कर रहे हैं। आसन की प्रतिष्ठा, आसन की गरिमा और उसकी महिमा पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आये, वह किसी तरह से इम्पेयर न हों, आसन की जो आथोरिटी है, उसकी इज्जत है, अधिकार है, उसकी रेस्पान्सिबिलिटीज हैं वह किसी तरह से इम्पेयर न हों, यह इस ओर के, उस ओर के माननीय सदस्यों के देखने की बात है और पूरे सदन का ही यह कर्तव्य हैं। अध्यक्ष महोदय इस हाउस के सिम्बल है और हाउस के सिम्बल ही नहीं लेकिन एन्टायर हाउस को रिप्रेजेन्ट करते हैं माननीय अध्यक्ष। सदन के अध्यक्ष महोदय अगर इस सदन में न हों तो हाउस चल नहीं सकता। हम सदस्यों के जो भी विशेषाधिकार हैं, और हमारे संविधान में जो एक्सप्रेशन की बात कही गई है, फ्रीडम आफ स्पीच या अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता जो है वह तभी कायम रह सकती है जब कि आसन की इम्पार्शियेलिटी में और उसकी इन्डिपेन्डेन्स में किसी प्रकार का खलल न पड़े।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष, यह मेटर बड़ा डेलीकेट है और डेलीकेट होते हुए भी, [illegible] विशेषाधिकार हैं, और हमारे संविधान में

प्रेसिन्क्टस आफ दी हाउस भी है। आपको जो अधिकार है वह डिप्टी स्पीकर को नहीं है और न पैनल आफ चेयरमेन को है। स्पीकर जब जाते हैं तो डिप्टी स्पीकर उनकी चेयर पर बैठते हैं। उसके बाद में उनको वे अधिकार हैं या पैनल आफ चेयरमेन को होते है। लेकिन चेम्बर के अन्दर जो आपके प्रिविलेजेज हैं। और दूसरी आथोरिटी है वह डिप्टी स्पीकर को और पैनल आफ चेयरमेन को डेलिगेट नहीं किये हुए हैं। आपके चेम्बर में यदि कुछ बात होती है इस सदन के माननीय सदस्यों के आचरण के सम्बन्ध में तो वह बहुत गम्भीर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी बात हुई, हुई या नहीं हुई, हुई तो क्या हुई और आपने उसका क्या जवाब दिया इसमें मैं नहीं जाना चाहता लेकिन इससे ऐसी ध्वनि निकलती है, अखबार से ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सदन के माननीय सदस्यों के जो प्रिविलेज हैं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उन पर प्रहार किया गया है और उनके हनन के लिये कोई न कोई कार्यवाही की गई है। अवश्य यह मैटर कार्यवाही का था। हम उसकी चर्चा नहीं करते अगर इस सम्बन्ध में पहले बातचीत हो जाती। लेकिन चर्चा का विषय यहां हो गया और हो जाने के बाद जब कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे तो सदन के नेता महोदय विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कहते हैं कि उनकी ओर से ऐसी फ्रीडम दी गई है, अभिव्यक्ति की ऐसी स्वतन्त्रता दी गई है जो शायद मेरे ख्याल से देश के संविधान के बाहर है। पावर में जनता पार्टी है उसने दूसरी पार्टी को ऐसी [illegible] था। हम उसकी चर्चा नहीं करते अगर इस

(श्री परसराम मदेरणा)

पर रिफ्लेक्शन है। बार बार आप खड़े होते हैं तो क्या ठीक लाइन पर चलते हैं ? सदन के नेता महोदय से बड़ी रेस्पेक्टफुली निवेदन कर रहा हूं एक बार ऐसी गलती मेरे से भी हुई थी। मेने भी तैश में आकर इशारा कर दिया था कि इनको मत बोलने दें। मैंने माफी भी मांगी थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिये था। उस समय सदन में व्यवधान डाल रहे थे और शायद आर० ए० सी० का मामला था। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य को शायद याद हो ....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुझे ध्यान है।

श्री परस राम मदेरणा : आज अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो बात कही कम से कम मैं उनसे उसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। चीफ व्हिप को वे इशारा कर देते। चीफ व्हिप साहब पीछे बैठे हुये हैं आप यह कहें कि में बोलने नहीं दूंगा ....

(व्यवधान)

उन्होंने यह कहा कि हिन्दुस्तान की किसी विधान सभा मे ऐसा नहीं है, इसलिये निवेदन कर रहा था। अगर अखबार में कोई ऐसी बात निकली है और वह बात मान लें तथ्य-हीन है किन्तु रिफ्लेक्शन हुआ। सदन के अन्दर माननीय सदस्य इस ओर बैठने वाले हों चाहे उस ओर बैठने वाले हो, न इसमें कहीं माइनोरिटी का प्रश्न है और न मेजोरिटी का, प्रिविलेज हरएक माननीय सदस्य का है चाहे सत्ता पक्ष में बैठने वाले हों चाहे विरोधी पक्ष में बैठने वाले हों। आप क्या चाहते हैं कि क्रिटिसिज्म नहीं करें ? हम ईमानदारी से फील करते हैं सरकार के सामने यह बात कहनी चाहिये, सरकार की नीति के अन्दर या सरकार के प्रोग्राम में कहीं कमी है तो सदन के एक सदस्य की हैसियत से यह बात कहनी चाहिये, अगर उसे क्रिटिसिज्म मानते हैं और ऐसा फील करते है, पार्लियामैन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर और चीफ व्हिप आफ दी पार्टी ऐसा फील करते हैं तो गलती करते हैं। इस सदन मेंजो बिजनेस आता है, सरकारी बिजनेस उसको ट्रेजरी बेन्चेज व दोनों ओर के माननीय सदस्य डिस्कस करते हैं। पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर एन्ड चीफ व्हिप आफ दी रूलिंग पार्टी ने अध्यक्ष महोदय को यह बात कही है या नहीं कही है-यह जांच का मामला है। अगर यह सही नहीं है तो जैसा दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, इसका प्रतिवाद करना चाहिये। यह प्रतिवाद की जगह नहीं है यह प्रिविलेज कमेटी में हो सकता है। अखबार में है कि उन्होंने यह बात कही है। अगर नहीं कही है तो अखबार ने माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है। लेकिन यह प्रिविलेज कमेटी में रेफर होने के बाद ही किसी निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंच सकते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति जो रिफ्लेक्शन हुआ है आप स्वच्छ मन से उस पर विचार करें।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे दो मिनट का समय दें। आपकी आज्ञा हो तो ....

(व्यवधान)

एक मिनट दे दें तो बड़ी कृपा होगी

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गम्भीरता से विचार किया और निर्णय दे दिया ......

श्री मदनसिंह दांता : बात तो चौड़े हो गई ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज मोशन के बाद में श्रीमान् मुख्य मन्त्री महोदय बोल रहे थे, उस समय एक प्रश्न करना चाहता था लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को नागवार गुजरा । उन्होंने शायद यह महसूस किया कि मैं उनके भाषण में व्यवधान डालने की चेष्टा कर रहा हूं । किन्तु ऐसा नहीं था । जो आब्ज-र्वेशन दिया है, उन आब्जर्वेशन के आधार पर मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से सवाल पूछना चाहता था, शायद उन्हें लगा कि मैं व्यवधान डाल रहा हूं ।

यह जाहिर होता है ये दोनों महानुभाव आपके पास गये । चीफ व्हिप आफ दी रूलिंग पार्टी एण्ड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आपके पास गये और आपको प्रेसराइज करने की कोशिश की लेकिन आप प्रेसराइज नहीं हुए । आप गौर करने की कोशिश करें, आपके आब्जर्वेशन के द्वारा आप पायेंगे आपने यह बात कही है तभी यह मामला आया है । यह प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिये । प्रिविलेज कमेटी में जाने के बाद ही इस पर कोई निर्णय हो सकेगा । यह इश्यू है......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब इसका अन्त भी होना चाहिये ।

श्री मदनसिंह दांता : इसका अन्त होगा प्रिविलेज कमेटी में और यहां बोलना चाहते हैं ...... ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा काम्पलीकेटेड हो, ऐसा नहीं है । सारी बात मिस-अण्डर-स्टेंडिंग से पैदा हो गई है । उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों का कहना है दबाव में नहीं आये और इधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं कोई दबाव नहीं डाला । इसका आप स्पष्टीकरण कर देते तो कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं होती .....

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : वह प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, वह इसके अन्दर है । You can read the proceeding.

श्री बजरंगलाल शर्मा : दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं विरोधी दल के माननीय सदस्यों को, हमारे सदन के नेता जरा सी ह्यूमरस बात कह दें तो उसको गहराई से ले लेते हैं । माननीय सदस्यों को उसी स्प्रिट में लेना चाहिये । उनको पता नहीं है जब कोई ह्यूमरस बात आती है तो वे उसे ह्यूमरस वे में ही ले लेते हैं । माननीय सदस्यों को उसी स्प्रिट में लेना चाहिये । हल्ला मचा कर जो हास्य की बात है उसे गम्भीर रूप दिया जा रहा है ......

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो गाड़ी चूक गये ।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : ऐसा नहीं करना चाहिये, यह मेरा निवेदन है । आप स्वयं स्पष्टीकरण कर दें ।

श्री मदनसिंह शौता : ये मिनिस्टर क्यों नहीं कहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल शर्मा : आप कृपया कह दें, दबाव नहीं डाला है। आप स्पष्टीकरण कर दें, यह समाप्त हो जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामकृष्ण दास।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, जब मैंने अखबार में यह खबर पढ़ी तब मेरा भी खून खौल उठा था और मन को धक्का लगा कि····

(व्यवधान)

इस अधिकार को कैसे छीन सकते है। हमें आशा थी कि हमारे चीफ व्हिप महोदय और पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स के मिनिस्टर अपने आप इस खबर का खण्डन कर देंगे परन्तु दो दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी इस महत्वपूर्ण खबर का खण्डन नहीं करना अपने आप में इस बात का द्योतक है कि वह गलती उनसे हुई है। अगर माननीय मन्त्री महोदय इस खबर का खण्डन कर देते तो आज माननीय अध्यक्ष महोदय को भी अपने बचाव में आ करके ऐसी बात नहीं कहनी पड़ती कि मैं दबाव में नहीं आया। अगर यह बात नहीं होती तो वे कह सकते थे कि सदस्य महोदय उनके पास में नहीं आए, ये लोग उनके पास नहीं आए। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि पैट्रियट का एक भाग सही है कि मुख्य सचेतक महोदय और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उनके चैम्बर में गए। रूल्स के तहत यह इण्टरप्रिटेशन अध्यक्ष महोदय का है कि हर मैम्बर को उसका अधिकार मिले, उसको समय मिले। अपने विचार व्यक्त कर जनता पार्टी की रीति नीति का जितना पर्दाफाश इधर के मैम्बर कर सकते हैं उतना कांग्रेस के सदस्य नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें तो तीस साल की सफाई देनी है। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर अध्यक्ष महोदय के जवाब को मद्देनजर रखते हुए यह साफ है कि उन्होंने पेट्रियट की खबर को सही माना है, उसकी सत्यता को मानते हुए यह कहा है कि मैं कोई दबाव में नहीं आया। तो उनकी इस बात का आदर होना चाहिए और हम लोगों के लिए अब यही उचित है कि हम अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। अध्यक्ष महोदय की रूलिंग हो चुकी है और सदन में इस पर चर्चा हो चुकी है, इसके बाद में तो वैसे भी कोई मन्त्री कभी भी भूल करके भी अध्यक्ष के पास जाकर इस बात को नहीं कहेगा। उनको सबक मिल चुका है। जो प्रिविलेज कमेटी में होगा वह तो यहां पर ही हो गया है। तो मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि इस चर्चा को यहीं समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हर एक विरोधी दल के माननीय नेता और हरएक माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे तो इस चर्चा का पार नहीं होगा।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय मन्त्री महोदय, इसका स्पष्टीकरण तो कर दें।

श्री अध्यक्ष : किसी स्पष्टीकरण की

(श्री अध्यक्ष)

कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से इस हद तक कहने को तैयार हूं कि जब तक मैं इस आसन पर हूं, माननीय सदस्य, इस सदन की गरिमा और महिमा को बरकरार रखने की पूरी चेष्टा करूंगा। मैं अवसरवादी नहीं हूं, मुझमें पदलोलुपता नहीं है। अगर सदन की गरिमा में कोई फर्क आया या मेरे स्वाभिमान में कोई फर्क आया तो एक क्षण में मैं, कोई भी पद हो, ठुकरा सकता हूं। इस सम्बन्ध में चर्चा की सीमा की पराकाष्ठा हो गई है। इतना ही मैं कहूंगा, एक वृद्ध की बात याद रखें कि भारतीय नरेशों को त्याग भी आता है। यह छोटे मोटे पद का त्याग करना बहुत आसान बात है। इसमें कुछ नहीं धरा है। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। सदन की इज्जत मेरी प्रतिष्ठा है। इस प्रतिष्ठा को कायम रखना मेरा सर्वप्रथम कर्त्तव्य है। इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों, निश्चित रूप से यह आश्वासन दिलाता हूं। छोटी मोटी बातें अगर होती हैं तो होने दें। बात का बतंगड़ आप मत बनाइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बहुत अच्छा। आप नैक्स्ट आइटम लीजिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह ही आपके एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। आपने उसको राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजा है। मान्यवर, मैं मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले भी मेरे कई स्थगन प्रस्ताव थे जिन पर आपने कोई व्यवस्था नहीं देकर राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेजे। मान्यवर, आपको भी यह जान कर तकलीफ होगी कि आज तक एक भी स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी नहीं आई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले के अन्दर गांव जावा में एक हरजीराम पुत्र गोधाराम मेघवाल को जीवित जलाने की घटना हुई है। इस देश के अन्दर पहले भी ऐसी घटनायें हुई हैं, बिहार में हुई हैं। बिहार में ही एक दूसरी घटना भी हुई है जिसके बारे में आज ही वहां के मुख्य मन्त्री का स्टेटमेंट आया है। राजस्थान के अन्दर भी पिछड़े जिलों में कितनी ही घटनायें हुई हैं। राजस्थान में आज फिर यह घटना घटी है। उस गांव के हरिजन श्री हरजी राम मेघवाल, जो जाति का हरिजन था, एक सम्पन्न परिवार के यहां हाली का काम करता था। हाली का काम करने वाले मेघवाल परिवार के युवक को वहां के प्रभावशाली परिवार ने मुनिया के खेत में डाल कर जीवित जला दिया और जीवित जला कर उसको वहीं खेत में छोड़ आए। जैसे तैसे करके उसके घर वालों को इसकी जानकारी हुई और उस व्यक्ति को हास्पिटल पहुंचाया गया। उसको डेगाना हास्पिटल ले गए। वहां उसका इलाज नहीं होने के कारण उसको अजमेर हास्पिटल ले गए। अजमेर हास्पिटल में भी उसका इलाज नहीं हो सका और उसने दम तोड़ दिया, वह मर गया।

मान्यवर, यह जानकारी मेरी ही नहीं है, यह जानकारी अकेले अखबारों की ही नहीं है बल्कि इस जानकारी के बारे में

(श्री रामनारायण चौधरी)

जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो डेगाना के हैं, ने मुख्य मन्त्री महोदय, गृह मन्त्री महोदय और अधीक्षक आरक्षी को पत्र लिखे हैं। तो यह निर्विवाद बात है कि यह घटना घटी है। हमारी तरफ से जब हम ऐसे मामलों को उठाते हैं, अपोजीशन की तरफ से तब तो यह कहा जाता है कि हम कोई इस तरह के मामलों को राजनैतिक रंग देना चाहते हैं। इसमें राजनैतिक रंग देने की बात नहीं है। जैसा कि माननीय गृह मन्त्रीजी ने हरिजनों के मामले में जवाब देते हुए कहा था कि हम इस प्रकार की हवा बनाना चाहते हैं कि जनता पार्टी और उसकी सरकार हरिजनों की रक्षा नहीं करती है, हरिजनों की रक्षा नहीं कर पा रही है। आज से दो दिन पहले ही माननीय गृह मन्त्रीजी ने कहा था कि आज उनकी बात सुनी जाती है और आज उनकी बातों पर गौर होता है। मान्यवर, सत्य यह है कि राजस्थान के गृह मन्त्री अनुसूचित जाति के होते हुए भी उनकी बात नहीं सुनी जाती। एक हरिजन नवयुवक को जीवित जलाया गया है, जावा के सम्पन्न परिवार के लोगों द्वारा जीवित जलाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, मान्यवर, आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी से कि क्या ऐसे ही प्रशासन चलता है? क्या आपके यहां ऐसे ही प्रशासन चल रहा है? इस प्रदेश में, राजस्थान के अन्दर, हरिजनों को जीवित जलाया जाता है और हरिजनों को बेदखल किया जाता है। राजस्थान के अन्दर हरिजन युवतियों के साथ बलात्कार की घटनायें रोज अखबारों में आती हैं। इस प्रकार से अगर होता है तो, मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि यह बड़े अफसोस की बात है। अफसोस इस बात का भी है कि आपकी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आपकी सरकार हरिजनों को प्रोटेक्ट करने में, हरिजनों की रक्षा करने में पूर्णतया असफल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कल ही दूदू की घटना के मामले में सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया उससे स्पष्ट जाहिर है कि 26 हरिजन परिवारों को बेदखल कर दिया गया और सरकारी अधिकारियों की साजिश से बेदखल किया गया। आज राजस्थान के अन्दर हरिजनों का जीवन खतरे में है। सरकार उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से चाहूंगा कि आप इस मामले में वक्तव्य दें और जो कलप्रिट हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था ···

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह एक व्यक्ति को जीवित जला देने का मामला है। इस सम्बन्ध में गृह मंत्री महोदय को कोई जानकारी हो तो वे वक्तव्य दें ···

श्री रामनारायण चौधरी : यह जीवित जलाया गया है।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : अध्यक्ष महोदय, यह अभी की घटना है····

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय के पास कोई तथ्य हों तो वे वक्तव्य दें नहीं तो तथ्य एकत्रित कर के वक्तव्य दें। हम यह उम्मीद नहीं करते हैं कि इमीजिएटली गृह मंत्री इस सम्बन्ध में

(श्री परसराम मदेरणा)

वक्तव्य दें सकेंगे। वक्तव्य वे कल दे सकते हैं।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय का जो सुझाव है, उससे मैं सहमत हूं। कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें मेरे पास हैं। फिर भी मैं इनको वेरीफाई करना चाहूंगा। इस मुद्दे पर कल स्टेटमेंट दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री श्योपतसिंह मकासर: यह महत्व का सवाल है। इस खबर को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में झनझनाहट पैदा हो गई है। कहीं ऐसा न हो ··

श्री अध्यक्ष: किस बारे में?

श्री श्योपतसिंह मकासर: इस संबंध में कि····

श्री अध्यक्ष: यह जो जलाया गया है, उस सम्बन्ध में?

श्री श्योपतसिंह मकासर: जी हां, उसी सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष: समझ गया।

श्री श्योपतसिंह मकासर: अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि जीवित जलाने की घटनायें अखबारों में बिहार और यू. पी. की ही हम पढ़ते थे मगर यह राजस्थान में पहली घटना है। मैं बार-बार यह कहना चाहता हूं, और कम से कम हमारे गृह मंत्री जी से यह उम्मीद जरूर रखता हूं कि बाकी कहीं कुछ हो या न हो, परन्तु आप यहां पर बैठे हैं, आपके बैठने के बाद इस तरह की घटनाए होंगी तो उससे सबसे ज्यादा बदनामी आपकी होगी। जनता सरकार, यह तो कचरा सरकार है, इसकी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, इनकी किसी बात के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। परन्तु इस तरह की घटनाए हुई तो राजस्थान का हरिजन इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि घटनाओं के इस क्रम को आप रोकिए। उधर की बीमारी इधर न आ जाए। जहां यह बीमारी पैदा होती है, वहां यह सारी शासन व्यवस्था को ले बैठती है। क्या ये घटनाएं जानबूझकर तो नहीं हो रही है?

मैंने कल ही राज्य मंत्री को एक लैटर दिया है कि सरकारी अधिकारी सरकारी संस्थाओं में भेदभाव कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में एक बच्चे की पिटाई कर दी आपके जिम्मेदार अधिकारी ने। उसने पानी पिलाया। पूछा, तू कौन है? वह बोला, नायक हूं। इस पर उसके सारे कपड़े फाड़ दिए सरे आम। कल ही राज्य मंत्री को मैंने यह पत्र दिया है। इन सारी बातों पर आप बैठकर बातचीत करिए और इन घटनाओं को रोकिए। आगे ये घटनाएं बढ़ने न पावें इसका इन्तजाम कीजिए।

श्री नूरा: अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना हुई है, इस सम्बन्ध में दो शब्द बोलने के लिए खड़ा हूं। पैसे वाले लोग, बड़े लोग जो घर पर नौकर रखते हैं, उनकी हालत क्या होती है? इस घटना से साफ जाहिर होता है कि पैसे वाले लोग जातिवाद के आधार पर भेदभाव करते हैं। हरिजनों के

(श्री नूरा)

नाम पर सदन में सभी कहते हैं परन्तु उनके अधिकारों की हिफाजत नहीं होती है। जो उसको नौकर रखते हैं, उनकी बात को दबा दिया जाता है। यह जिन्दा जलाने की घटना सामने आई है। यह घटना राजस्थान में पहली है। यह कत्ले आम, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है यह तो जिन्दा जलाने की घटना सामने आई है। ऐसी घटना आगे न हो इसलिए इसको गम्भीरता से लेकर जिन्होंने उसको जलाया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कीजिए और ऐसी मिसाल कायम कीजिए कि आगे किसी की हिम्मत न हो। मैं आशा करता हूं कि इसकी जांच होगी और दोषी को सजा मिलेगी। यह गम्भीर बात है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है....

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने से पूर्व इस बात को जोर देकर सरकार को अर्ज करना चाहता हूं कि जलाने की जो इस प्रकार घटना हुई है, उसे मैं अपने स्थगन प्रस्ताव से भी जरूरी समझता हूं। स्पेसिफिक तौर पर यह घटना सदन के सामने आई है। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार यह देखे कि ऐसी अप्रिय घटनाए आगे न हों। ज्योंही खबर मिले तत्काल राज्य सरकार कार्यवाही करे।

मेरा स्थगन प्रस्ताव इस बात के लिए है, अध्यक्ष महोदय, मकराना में दो अप्रेल को संगमरमर की जो सोने और चांदी की खानों के नाम से मशहूर है, उनका अलाटमेंट दो अप्रेल को होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह साफ था कि हम खानें उन लोगों को देंगे जो खानों में काम करते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और गरीब तबके के लोग हैं, उनको खानें देंगे, जो आदमी इन खानों में काम करते हैं, उनको देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको इसलिए इतना जरूरी समझता हूं कि दो तारीख में कुछ ही दिन बाकी रह गये हैं। अब अलाटमेंट की दरख्वास्तें वहां पर आएंगी इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस राज्य सरकार पर है। सरकार अगर गलती करेगी तो एप्लीकेशन के बहाने कई प्रकार की रिश्वत ली दी जाएंगी और कई प्रकार के गलत काम हो जाएंगे, उसके बाद लोग अपील में जायेंगे, हाई कोर्ट में जायेंगे। इसलिए अनियमितता के सम्बन्ध में मैं आपको अभी से सचेत कर रहा हूं। राज्य सरकार को इस बेल्ट में जो मारबल मिला है उस बेल्ट का राज्य सरकार ने कोई ब्ल्यू प्रिन्ट नहीं बनाया है और न ही उस जमीन को एक्वायर किया है। लोगों के खेतों में ये खानें हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर इन खानों को एक्वायर नहीं किया गया और उनका अलाटमेंट कर दिया गया तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और माइन्स डिपार्टमेंट में झगड़ा खड़ा हो जायगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का है। इस मुद्दे पर रिश्वतें ली जायेंगी, दी जायेंगी और गरीबों का खानों में काम करने का जो अधिकार है, उसका हनन होगा। इसलिए आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह दो तारीख को होने वाले अलाटमेंट को रोक दे। जब

(श्री अब्दुल मजीज)

तक कि पूरी जमीन को एक्वायर न करें, उसका ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार न हो, इन खानों का पूरा नक्शा तैयार न हो, जनता को पूरी उसकी सूचना न मिले तब तक इसको पोस्ट पोन करें। मन्त्री महोदय यहां पर विराजमान हैं। वे उचित समझें तो इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें। वैसे इसमें अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। कोई ज्यादा गहराई की बात नहीं है। इसको आप जानते हैं, आपके डाइरेक्टर जानते हैं। इसलिए इस पर वक्तव्य दें। दो तारीख काफी नजदीक है, अगर इसको पोस्टपोन न किया गया तो रिश्वतें चलेंगी, जिस भ्रष्टाचार को आप रोकना चाहते हैं, वह होगा, लोगों के मजे होंगे, और जो आपकी पॉलिसी है गरीबों को और खानों में काम करने वालों को खानें देने की वह सब आपका मामला चौपट हो जायगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से कहिए कि वे इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब गृह मन्त्री का स्टेटमेंट हो जाने दीजिए। उन्होंने यह संकेत दिया है....

श्री शिवचरणसिंह : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर।

अध्यक्ष महोदय, अभी खबर मिली है कि श्री चतुर्वेदी ओ. एस. डी. और ठाकरदास एल. डी. सी के. बीच में झगड़ा होने से सेक्रेटेरियट का स्टाफ हड़ताल पर है। वहां पर गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। जो वासदेव ठाकरदास नाम का व्यक्ति है उसको पीटा गया है। श्री चतुर्वेदी ओ. एस. डी. और उसके बीच में झगड़ा हुआ। इस मामले पर सेक्रेटेरियट के स्टाफ ने हड़ताल कर दी है। कर्मचारी कुर्सियां छोड़ कर मैदान में आ गये हैं और आन्दोलनात्मक स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वे विधान सभा तक आ जाएं....

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है.... ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गृह मन्त्री जी वक्तव्य देंगे।

श्री शंकरलाल : जो निवेदन कर रहा हूं, उसका शिक्षा मन्त्री जी से सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं।

श्री शंकरलाल : शिक्षा मन्त्री जी....

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री जी वक्तव्य देंगे। मैंने संकेत दे दिया है।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आपका संकेत तो आया है कि अध्यापकों के सम्बन्ध में वह वक्तव्य देंगे। मैं सदन में यह कहना चाहूंगा, अध्यापकों की जो 28 मांगें हैं, उनमें से चार मुद्दे तो नीति के हैं जिनसे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे। आप भी, अध्यक्ष महोदय, उनको विचारणीय मानेंगे। उनकी मांगों में एक मांग यह भी है कि जो शिक्षक पंचायत समितियों में काम कर रहे हैं, उनको पंचायत समितियों से हटा कर शिक्षा विभाग में ही रखा जावे। शिक्षकों का एक ही जगह से प्रशासन चलना चाहिए चाहे वह पंचायत समितियों के अन्दर हों। इस प्रकार ऐसी तीन चार बातें हैं।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री जी इस समस्या को गम्भीरतापूर्वक समझते हैं। वह वक्तव्य देंगे।

श्री शंकरलाल : इसलिए मैं निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आप फिर कह लें।

श्री परसराम मोरदिया : इन्होंने यह कहा था कि हरिजनों पर अत्याचार नहीं होगा।

श्री सम्पतराम : इस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री परसराम मोरदिया : आपने कहा था कि हरिजनों पर अत्याचार होगा तो कार्यवाही होगी।

श्री सम्पतराम : हरिजनों पर जो भी अत्याचार करेगा उसको दण्ड भुगतना पड़ेगा।

श्री परसराम मोरदिया : उनको जगह जगह मारा जा रहा है। क्या यह अत्याचार नहीं है? आपने सहानुभूति प्रदर्शित की है। मैं निवेदन करूंगा कि सारी स्थिति को जान लिया जाये। हरिजनों के साथ में जो हो रहा है उन सारे तथ्यों पर ध्यान दें। हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में पूरी कार्यवाही करें। जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं, उनकी रोकथाम करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम ही नहीं है।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया था। सारा अजमेर बन्द रहा है। दयानन्द कालेज बन्द है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री जी वक्तव्य देंगे, माननीय सदस्य।

शासकीय वक्तव्य

भरतपुर जिले में डाकू उन्मूलन

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष जी, भरतपुर और सवाई माधोपुर, जो दूसरे राज्यों से लगे हुए हैं, से सम्बन्धित घटनाओं के सम्बन्ध में मैं अपना स्टेटमेंट सदन के सामने रखना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों ने इस सदन में भरतपुर जिले में डाकुओं की बढ़ती हुई गतिविधियों पर चिन्ता व्यक्त की है। डाकुओं की बढ़ती हुई गतिविधियां हम सब के लिए चिन्ता का विषय है एवं राज्य सरकार इन पर नियन्त्रण रखने हेतु सतत जागरूक रही है। इसके फलस्वरूप पिछले आठ महीनों में भरतपुर जिले में अनेक डकैतों के गेंग को पकड़ा है एवं उनसे बरामदगी की है। राजस्थान पुलिस द्वारा इस प्रकार चलाये गये डाकू उन्मूलन अभियान के परिणाम स्वरूप जो सफलता मिली है उसका मैं संक्षेप में वर्णन करना चाहूंगा।

अगस्त, 1977 में हनुमान दरोगा के गेंग, जिसमें करीब 10 सदस्य थे, में से गेंग लीडर को छोड़कर बाकी सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिसमें जिला भरतपुर एवं अलवर में हुई डकैतियों का लगभग 35000 रु. का माल बरामद हुआ है।

(श्री सम्पत राम)

सितम्बर 1977 में भगवत चमार के गेंग जिसमें सभी सदस्य आगरा के थे एवं जिसने नगला गांव में डकैती डाली थी, को गिरफ्तार किया गया एवं हथियार तथा डकैती का माल बरामद किया गया।

नवम्बर 1977 में धौलपुर उप-खण्ड में पुलिस एवं कुख्यात दस्यु उदयभान गूजर के गेंग से मुकाबला हुआ जिसमें मूला डकैत को पकड़ने में सफलता मिली। 2 एम.एल. गन व काफी कपड़ा व सामान भी बरामद किया गया।

दिसम्बर, 1977 में जिला मथुरा के गेंग को, जिसने थाना नदवई के क्षेत्र में डकैती डाली थी, पकड़ा गया एवं हथियार भी बरामद किये गये।

इसी माह में गुड़गांव के रहने वाले डकैतों के एक गेंग को, जिसने कामा थाना क्षेत्र में डकैती डाली थी, मय माल व हथियार के पकड़ा गया।

माह जनवरी, 1978 में डकैत राध जाट व श्यामा यादव, जो मथुरा जिले के निवासी हैं, को नगला लखन, थाना कुम्हेर में बड़ी डकैती के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया। इसी माह में सेवर थाने के अन्तर्गत हेतमपुर गांव में पड़ी डकैती के अभियुक्तों को, जो आगरा व भरतपुर के रहने वाले थे, पकड़ा गया। जनवरी, 1978 में ही हरियाणा के कुख्यात डकैत अशरफ अनवर के गेंग के 4 सदस्यों को, जिन्होंने मथुरा मार्ग पर लूटमार की थी, मय माल गिरफ्तार किया गया।

फरवरी, 1978 में धांधू गांव में की गई डकैती व हत्याओं के सम्बन्ध में राजस्थान पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से अभियुक्तों को पकड़ा, जिनके पास से बन्दूकें भी बरामद की गई।

माह मार्च, 1978 में दस्यु उदयभान उर्फ जोगेन्द्र को एक मुठभेड़ में पकड़ा। इसी माह में मध्य प्रदेश पुलिस जब उक्त गेंग को खदेड़ रही थी तो धौलपुर क्षेत्र में राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को सहयोग दिया, डाकुओं से मुठभेड़ हुई एवं इस गेंग के 2 महत्वपूर्ण सदस्य, रूप काछा व राम स्वरूप मुठभेड़ में मारे गये। इस गेंग से हथियार व कारतूस बरामद किये गये। मार्च, 1978 में ही ग्राम सरसेम थाना कुम्हेर में हरियाणा के डाकुओं द्वारा डाली गई डकैती के सम्बन्ध में राजस्थान पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया, 2 स्थानों पर डाकुओं से मुठभेड़ हुई एवं यद्यपि डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये तथापि पुलिस को कुछ माल बरामद करने में सफलता मिली। इसके अतिरिक्त धौलपुर क्षेत्र के श्याम काछी के गेंग के सभी सदस्यों को पकड़ा जा चुका है। इसी प्रकार राजाखेड़ा के मोगियों व बावरियों के गेंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है जिनसे हथियार व जेवरात की बरामदगी की गई है। इस गेंग को पकड़ने से 5 डकैतियों की वारदातें खुल गई हैं व 8 वारदातों के और खुलने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मुरारी उर्फ देसा, जिसने रूपवास थाने में डकैती डाली थी, को पकड़ा व हथियार बरामद किये एवं कप्तान मल्लाह के गिरोह के सदस्य हरिसिंह मल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया। सवाई माधोपुर जिले में भी महाराज सिंह के गेंग के सक्रिय सदस्य बलवीर गूजर को पकड़ने में सफलता मिली।

(श्री सम्पत राम)

डाकू उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत उक्त रूप से प्रमुख उपलब्धियों के अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जनवरी, 1978 में कुख्यात डकैत बादशाह व कालचरण ने पुलिस के समय आत्म-समर्पण किया। डकैत बादशाह सिंह कई डकैतियों एवं कत्ल के अपराध में लिप्त था। दिसम्बर, 1976 में जुडिशियल हिरासत से फरार हो गया था। उनसे पूछताछ के बाद कुछ माल भी बरामद किया गया।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में यह भी लाना चाहूंगा कि राजस्थान के भरतपुर व सवाई माधोपुर जिले में मुख्यतः डकैत पड़ौसी प्रदेश अर्थात् मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आते हैं एवं डकैती करने के बाद वापस लौट जाते हैं। अगस्त, 1976 में तालाबशाहा पर डकैतों द्वारा सामूहिक एवं स्वेच्छापूर्वक आत्मसमर्पण के बाद प्रदेश में कोई संगठित डाकू दल सक्रिय होना नहीं पाया गया।

चूंकि राजस्थान भरतपुर एवं सवाई माधोपुर जिलों में अन्य प्रदेशों से डाकुओं का आना पाया गया, पड़ौसी राज्यों के सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के साथ राजस्थान के पुलिस अधिकारियों द्वारा विचार विमर्श कर सयुक्त योजना बनाई गई है एवं उस पर कार्यवाही जारी है। भरतपुर जिले में व अन्य प्रदेशों से लगती हुई सीमा पर 20 नई पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं जिन पर आर.ए.सी. की टुकड़ियां नियुक्त की गई हैं एवं मुख्य 2 चौकियों को वायरलेस से जोड़ा गया है जिससे डाकुओं की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखा जा सके इस समस्या को गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए भरतपुर जिले में आर.ए.सी. की एक बटालियन लगाई गई है जो पूर्व में ही जिले में लगी हुई थी, इसी प्रकार भरतपुर एवं सवाई माधोपुर जिलों में एक 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद केवल डकैतों के विरुद्ध अभियान का संचालन करने हेतु सृजित किये गये हैं।

मैंने उक्त विवरण इस प्रयोजन से दिया है कि राजस्थान पुलिस द्वारा डाकू उन्मूलन अभियान के सम्बन्ध में पिछले कुछ माह में की गई कारगर कार्यवाही का आभास मिल सके। मैं यह समझता हूं कि जिस गति से डाकू उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, उसके फलस्वरूप निश्चित रूप से अधिक सफलता निकट भविष्य में प्राप्त होगी। राज्य सरकार इस समस्या से निपटने के लिए ठोस कारगर कदम उठाने के लिये दृढ़ संकल्प है एवं इस दिशा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो बाहर से डाकू आते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में जो रोज डाकू पैदा होते है और लुटेरी करते हैं, उनके बारे में क्या कहा? महुआ का क्या हुआ? धारा 395, 398 और 307 में केस रजिस्टर हुआ। महुआ पंचायत समिति में रिपोर्ट पेश कर दी जवाहर लाल ने कि मतपत्र ले गये, उनका क्या हुआ।

श्री सम्पतराम : मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप शान्ति से सुनिये। माननीय सदस्य, अगर चेयर को एड्रेस कर देते तो वहां से आदेश हो जाता।

श्री रघुनन्दन व्यास : खुद ही डाकू है।

श्री मूलचन्द डागा : ए. यह क्या कह दिया मेरे को।

भरतपुर जिले में पंचायत ग्राम महुआ के चुनाव में मतपत्र जबर्दस्ती ले जाना व राज्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट

श्री सम्पत राम : दिनांक 13-2-78 को श्री जे. के. रमानी रिटर्निंग आफिसर चुनाव पंचायत ग्राम महुआ ने एक तहरीरी रिपोर्ट थाना सेवर पर की कि पंच व सरपंच के लिए मतदान के बाद पटवार घर ग्राम महुआ में मतगणना प्रारम्भ की गई और पंचों का चुनाव परिणाम घोषित कर सरपंचों के मतों की गणना का कार्य प्रारम्भ किया गया। श्री गिर्राज के पक्ष में 438 मत तथा श्री छीतरसिंह के पक्ष में 431 मत गिने गये। अन्य पांच उम्मीदवारों के मतों की गणना बाकी थी। श्री छीतरसिंह अपने मतों की गणना होते ही पटवार घर से बाहर निकलने लगे तो रिटर्निंग आफिसर ने उनसे चुनाव परिणाम घोषित होने तक कमरे में ही बैठे रहने को निवेदन किया।

यह मैं आपको एफ आई. आर. की बात अर्ज कर रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां।

श्री सम्पतराम : परन्तु श्री छीतरसिंह नहीं ठहरे व बाहर निकल कर अपने साथी रामखिलाड़ी, रतन समन्दर आदि को आवाज लगाकर बुला लिया और मतदान अधिकारियों को जान से मार देने व मत पत्र छीन लेने हेतु उकसाया। जिस पर करीब 20-25 व्यक्ति हाथों में लाठियां, कुल्हाड़ी फर्से व बन्दूक लिए पटवार घर में घुसने का प्रयास करने लगे, जिस पर मतदान अधिकारियों ने पटवार घर के किवाड़ अन्दर से बन्द कर लिये। इस पर छीतरसिंह व उसके साथियों ने कुल्हाड़ी से कमरे का किवाड़ तोड़ दिया व अन्दर घुसकर मतदान पार्टी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की व पार्टी का समान व मतपत्र जबर्दस्ती छीन कर भाग गये। इस रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 24 धारा 395, 398, 307 पंजीबद्ध कर अनुसधान प्रारम्भ किया गया। जिन कर्मचारियों के चोटें आई थीं उनकी डाक्टरी जांच कराई गई।

पुलिस की जांच से हंगामे के दौरान मत पत्रों का गायब होना पाया गया। गवाहान द्वारा किसी भी मुलजिम को मत पत्रों के ले जाने के बारे में नामजद नहीं किये जाने पर यह साबित नहीं हो सका कि कौन कौन अभियुक्त मत पत्रों को उठाकर ले गया। शहादत के आधार पर केवल बलवा करने व राज्य कर्मचारियों पर ड्यूटी के समय हमला करने व ड्यूटी में रुकावट डालने का अभियोग पूर्णतया प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तान छीतरसिंह, समन्दरसिंह, बाबू, राम स्वरूप, कल्याण, रामखिलाड़ी, सूगड, रतन, सोहनलाल, देवो, मोहनलाल, रामभीलाल सा. महुआ को धारा 147/148/332/353 ता. हि. व 135 (रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग काबिल जमानती होने पर जमानत पर छोड़ा गया है। मुकदमे का अनुसंधान पूर्ण किया जा कर चालान अदालत में प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्षजी, पहले तो डाका हो गया और

(श्री मूलचन्द डागा)

माल लूटकर ले गये, 13/2 को रिपोर्ट की गई। मैं समझता हूं उसी समय रिपोर्ट पेश हो गई। रिपोर्ट करने वाले कौन थे? एम. ए. पास प्रोफेसर भरतपुर कालेज के हैं उन्होंने रिपोर्ट दी कि रुपया ले गये, कपड़ा ले गये और कईलोगों के मत पत्र ले गये।

श्री सम्पतराम : मैंने आपको एफ. आई. आर. पढ़ कर सुनाई है।

श्री शिवचरणसिंह : मुकदमा बनाया है प्रिसाइडिंग आफिसर की रिपोर्ट पर?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने स्टेटमेंट दे दिया, गिरफ्तारियां हो गई।

श्री शिवचरण सिंह : आप सुनें तो सही, मुकद्दमा बदला गया है, 323, 147 की धारा ही बदल दी। पब्लिक को तो छोड़िये, राज्य कर्मचारियों को कैसे डिमोरेलाइज कर रहे हैं? सारा मुकदमा बदल दिया, केस बदल दिया, जमानत एक दिन में ही हो गई। चुनाव की घोषणा हो गई, दुबारा चुनाव का हुक्म दे दिया, यह कितना पोलिटिकल मामला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

केस को बदल दिया, इससे तो अच्छा था कि यहीं से नामजदगी कर देते। यह कार्यवाही तब हुई जब इतने रोज से पचास आदमियों ने भूख हड़ताल की। अगर वे भूख हड़ताल नहीं करते तो प्रिसाइडिंग आफिसर की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं होती। फिर कहते हैं कि कानून का न्याय है। अध्यक्ष महोदय, यह ज्वलन्त उदाहरण है। दोषी व्यक्तियों को पकड़ना चाहिए था, आप जैसा निष्पक्ष और निर्भीक आदमी मैंने भी जीवन भर में नहीं देखा फिर यह स्थिति क्यों है। इस सारी घटना की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, गृह मन्त्रीजी, आपको भी प्राप्त हो गई होगी। लेकिन आप भी असमर्थ हैं, हाथ पैरों का दबाव है, चारों तरफ से प्रेसराइज हैं, आपा-धापी हो रही है। एस. पी. असमर्थ है, वह कहते हैं हम कार्यवाही करना चाहते हैं, लेकिन ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

करने नहीं देते। अध्यक्ष महोदय, यह आम जनता का, राजस्थान की ढाई करोड़ जनता का और ढाई लाख कर्मचारियों का सवाल है, आप उन्हें बतायें। यह क्या स्थिति हो रही है ऊपर से नीचे तक। मैं मानता हूं, होम मिनिस्टर साहब बहुत होशियार हैं, केपेबल भी हैं लेकिन लाचार हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि 13 तारीख को जब रिपोर्ट हुई, उसके बाद एक महीना हो गया, तब मुकदमा दर्ज हुआ। 398 में गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं रखा? चीजें रिकवर क्यों नहीं की गई? सारी एफ. आई. आर. किसने लिखाई? जो प्रोफेसर 15 सौ रुपये तनख्वाह पाने वाला है, उसने रिपोर्ट लिखाई कि किवाड़ तोड़े, पटवारखाने में घुसे, मत पत्र और कपड़े ले गये, रकम ले गये। महीने भर पहले यह हुआ। 12 दिन से मैं इस सवाल को उठा रहा हूं। इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार से आप राजनैतिक संरक्षण देते हैं। 332 में मामला दर्ज करके जमानत

(श्री मूलचन्द डागा)

लेकर छोड़ दिया। एक ही दिन में सारी कार्यवाही हो गई। उन लोगों के बयान भी लिये, जमानत भी ली और रिलीज भी कर दिया। इस प्रकार की घटना हुई इसकी क्या प्रोफेसर ने झूठी रिपोर्ट की ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यानि सारी बात उसने झूठी लिखाई ? मैं चाहता हूं कि दोषी व्यक्तियों को कस्टडी में लें और मेहरबानी करके इसकी जांच करायें कि यह घटना कैसे हुई, कैसे इतना मामला चला, किवाड़ तोड़ दिये ? मुकदमा दायर कर दिया यह कब हुआ ?

क्या आपने पुलिस डायरी देखी है ? आप सदन को गलत खबर देते हैं, उन्होंने मुल्जिमान को बचा लिया और उनको गिरफ्तार ही नहीं किया। इस प्रकार मुल्जिमान डकैती करें, जुल्म करें, मारपीट करें और आप उनको बचा लें, यह अजीब बात है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री श्योपतसिंह मकासर : गृह मंत्री ने जो सदन में बयान दिया है, उसको पढ़ने के बाद हर बदमाश का जी मचलेगा बदमाशियां करने के लिए। इस तरह का संगीन जुर्म कोई करे, एक चुनाव अधिकारी के काम में चुनाव के मौके पर दखल दे, उसकी पिटाई करे, संगीन जुर्म करे और उसको इस तरह से अदालत में ले जायें जैसे कि उसकी ससुराल हों और वापस शाम को घर आ जाय। क्या आपने यह महसूस नहीं किया कि इस मामले में यह न्याय हुआ है ? क्या मुल्जिमान के साथ रियायत नहीं है ? आपका दिल इस बात की तसल्ली दे रहा है कि न्याय मिल गया ? आपने अदालत में चालान कर दिया। अदालत में पेश करना न्याय नहीं है। किस ढंग से आपने चालान पेश किया 323 का मुकदमा उस पर लगाया। कौन आपकी परवाह करेगा जब हारने वाले कैंडीडेट ने ऐसा हौसला किया है ? आप कहते हैं रुपये नहीं थे। अगर रुपया लिख देता, आपकी तरह होता तो कह देता रिटर्निंग अधिकारी कि मेरी जेब से 10 रुपये निकाल लिए तो क्या बनता ? डाके का मुकदमा बनता तो क्या फर्क पड़ता ? इसलिए आप महसूस करें जो रिपोर्ट दी है वह सही है या गलत।

गृह मन्त्री जी, आपका काम केवल टेप रिकार्डर जैसा नहीं है, आपका काम है अपने अधिकारियों की रिपोर्ट देख कर सोचें कि क्या उन्होंने जस्टिस किया है। जस्टिस नहीं किया है तो उन मुल्जिमान के साथ में उन अधिकारियों को सजा दें। पुलिस ने टेप रिकार्डर भर दिया और आपने यहां आकर उसको चालू कर दिया। आप दुबारा इसमें जांच करें और मुल्जिमान को सजा दें।

श्री शिवचरणसिंह : दूसरी घटना में इसी प्रकार से हाई कोर्ट से जमानत हुई है। मेरे करोली इलाके में एक पंचायत है। एक घटना में एक व्यवहार और दूसरी घटना में दूसरा व्यवहार, यह तो प्रशासन में दखल हो गया।

श्री मूलचन्द डागा : यह पोलिटिकल प्रोटेक्शन हो गया उन लोगों को। जो लोग जुर्म करें, डकैती करें, उनको संरक्षण देते हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या, गृह मन्त्री जी, आप इस रिपोर्ट से सन्तुष्ट हैं ?

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : मेरे पास जो तथ्यात्मक रिपोर्ट वहां से प्राप्त हुई है, वह मैंने सदन के सामने ले डाउन कर दी है। मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारा प्रशासन सही चले और कोई भी दोषी आदमी हो, चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, उसको समान रूप से दण्ड दिया जाय अगर माननीय सदस्यों को इसमें संदेह है कि यह जांच ठीक नहीं हुई तो मैं सारे मामले की जांच सी.आई.डी. से कराऊंगा।

श्री मूलचन्द डागा। आप भी तो वकील हैं।

श्री शिवचरण सिंह : चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया उसके बाद पुनः चुनाव कराना चाहते हैं, सारा झगड़ा इस बात का हुआ। छीतर सिंह को हारा हुआ घोषित कर दिया। कितना भारी अन्याय हुआ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने अब तक आपको पूरी छूट दी है, अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, कई दिनों से अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारी बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राज्य सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह वक्तव्य दे। उनकी सबसे पहली मांग है.................

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

समिति का प्रतिवेदन
राजकीय उपक्रम समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री हरजीराम बुरड़क (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति 1977-78 के राजस्थान स्टेट टेनरीज लि. से संबंधित प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान नहर में बेनामी जमीनों के मामलों में गठित शोभाराम कमेटी व अन्य समितियों के प्रतिवेदन को क्रियान्वित न करने से उत्पन्न स्थिति

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत राजस्थान नहर में बेनामी जमीनों के मामलों में गठित शोभाराम कमेटी व अन्य समितियों की रिपोर्ट को क्रियान्वित न करने से उत्पन्न स्थिति की ओर उपनिवेशन मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री केदार नाथ (उपनिवेशन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में आन्दोलन होने पर तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान विधान सभा में अपने वक्तव्य दिनांक 25 मार्च, 1970 में यह आश्वासन दिया था कि गंगानगर जिले के गंग, भाखरा व राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि के

(श्री केदार नाथ)

अनियमित आवंटन की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई जावेगी और यह कमेटी अपनी जांच के परिणामों के आधार पर सिफारिश करेगी। उक्त घोषणा के अनुसरण में राज्य सरकार ने मंत्री मंडल सचिवालय (व्य. एवं पद्धति) विभाग की आज्ञा संख्या एफ 5 (8) व्य/ एव.प./70 दिनांक 25-3-1970 के द्वारा 12 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति भूतपूर्व उपनिवेशन मंत्री श्री शोभा राम की अध्यक्षता में गठित की। उपरोक्त समिति का पुनर्गठन दिनांक 2-5-72 को किया गया तथा अन्त में व्यवस्था एवं पद्धति विभाग की आज्ञा संख्या एफ 5 (8) व्य.एव प./5/70 दिनांक 15-6-72 के द्वारा पुनः परिवर्तन तथा परिवर्धन किया गया जिसके फलस्वरूप समिति के सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ा कर 15 कर दी गई तथा श्री शोभाराम, सदस्य विधान सभा के स्थान पर श्री जुझार सिंह राज्य मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया।

इस समिति ने अपना प्रतिवेदन जुलाई, 1975 में राज्य सरकार को पेश किया। राज्य सरकार द्वारा समिति से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार कर तथा उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर से राय लेकर आवश्यक कार्यवाही की गई तथा शेष सिफारिशों पर कार्यवाही विचाराधीन है। प्रभावशाली व्यक्ति व अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलने पर राज्य सरकार द्वारा इनके मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिए गए हैं। आवश्यक कार्यवाही चालू है।

अतः निवेदन है कि समिति द्वारा जो सिफारिशें की गई उन पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर उचित कार्यवाही की गई है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि समिति बनाई गई उसने प्रतिवेदन सरकार को दिया, क्या मंत्री महोदय यह उचित नहीं समझेंगे कि इसमें कमियां रह गई और कुछ प्रभावशाली लोग रह गए इसलिये इसकी जांच के लिये समिति बनाई जाय? राजस्थान नहर में जिस तरह के घपले हुए हैं, वे अलग अलग तरह से सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के राज्य में कुछ और ढंग के दिखाई देते थे और अब कुछ और ढंग से नजर आ रहे हैं। कुछ लोग बाकी रह गए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, राजस्थान नहर परियोजना में बहुत से ऐसे जागीरदार हैं अधिकारी हैं, जिनको गलत आवंटन हुआ था। इसलिये जांच का दायरा विस्तृत किया जाए। बहुत से लोग थे जिन्होंने गलत आवंटन कराया। इसके साथ साथ मैं जानना चाहता हूं कि गलत आवंटन धारियों में कौन कौन से अधिकारी थे? उनको भी जांच में शामिल किया जाए। ऐसे जागीरदार भी बहुत थे जिन जागीरदारों की यहां भी जमीन थी और उन्होंने वहां भी ले ली, दोनों जगह ले ली। वह कह कर उन्होंने दोनों जगह ले ली कि हमारे पास कोई जमीन नहीं है। तो क्या उनको इस जांच में शामिल नहीं किया जाएगा? इस जांच को बन्द नहीं किया जाना चाहिए। इसमें जो कमियां रह गयी हैं उनकी जांच के लिये एक समिति बनादी जाय। इससे जांच करा कर मामले बेरी कमीशन में दिये जायं। बेरी कमीशन तो जांच कर रहा है लेकिन कई सरकारी

(श्री दयोपत सिंह मकासर)

अधिकारी हैं जिन्होंने अपने लड़कों के नाम या लड़कियों के नाम या अपनी औरतों के नाम जमीनें ली हैं। इसके अलावा जो पहले मिनिस्टर्स थे या बड़े बड़े नेता थे उन्होंने वहां पर जमीनों के तबादले अपने नाम करवा लिये थे। इसलिये एक कमेटी नियुक्त की जाय जो कि इन बचे हुए मामलों की छानबीन करके उनकी रिपोर्ट दे। फिर जिन लोगों के खिलाफ में सूचना मिले उनके खिलाफ में कार्यवाही की जाय, उनकी जमीनें जब्त की जायें, उनको पकड़ा जाय और उनको सजा दी जाय।

श्री डूंगरराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन है कि हरिजनों को जो जमीनें वहां पर दी गयी हैं वह टुकड़ों में दी गयी हैं। एक मुरब्बा जमीन के तीन टुकड़े किये गये और एक एक टुकड़ा दिया गया। अभी बीकानेर में मीटिंग हुई थी तब वहां पर माननीय मंत्री श्री केदारनाथ जी आये थे तो यह बात भी कही गयी थी। मेरा निवेदन है कि हरिजनों को जमीन अलोट की जाय वह एक मुरब्बे के टुकड़े करके नहीं दी जाय बल्कि पूरी जमीन दी जाय जिससे की हरिजन पूरी तरह से खेती कर सके अन्यथा टुकड़ों में जमीन देने से हरिजन लोग काश्त नहीं कर सकते हैं और उनको कोई फायदा नहीं होता है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने राजस्थान नहर में मेलाफाइड इनफ्लूएंस से जमीन ले ली है और उस पर कब्जा किये हुए बैठे हैं और जिन्हें गलत अलाटमेंट हुए हैं उनके लिए....

श्री अध्यक्ष : आप कैसे बोल रहे हैं। आपका तो नाम ही नहीं है। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन की विशेष अनुमति से बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है। यह तो नियमों के बिल्कुल ही विपरीत है। मैं आपको बोलने की बिलकुल अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : सिर्फ एक मिनट दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। नियमों के अन्तर्गत प्रावधान नहीं होने से मैं आपको अनुमति देने में विवश हूं। आपको बोलना होता तो आप मुझे पहले नोटिस देते।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पिछली सरकार के समय में यहां राजस्थान नहर के क्षेत्र में जो गलत अलाटमेंट हुए थे और जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके बारे में जिन्होंने पिछली विधान सभा में प्रश्न उठाये थे वही आज उन भ्रष्टाचारों की जांच के लिये जांच अधिकारी बने हुए है और सक्षम मंत्री बने हुए हैं। पिछली विधान सभा में कई बार इस बारे में चर्चायें उठायी गई। फिर उसकी जांच के लिये एक कमेटी बैठायी जाने की सदन में घोषणा की गई। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। पहले तो मैं यह कहूंगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रखी जावे। इसके बाद में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट में जिन-जिन प्रभावशाली लोगों के नाम बताये गये हैं जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके या किसी तरह से अपने या अपने बच्चों के नाम या अपने अन्य रिश्तेदारों के नाम जमीन अलाट करवा ली थी उनके खिलाफ राज्य सरकार कार्यवाही करे, उनसे वह जमीन वापस अवाप्त करे और दोषी लोगों के खिलाफ में कार्यवाही करे। उनके नाम भी दिये हुए हैं उस रिपोर्ट में।

एक माननीय सदस्य : क्या-क्या नाम हैं ? बतावें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अभी बताता हूं। उसमें है—

1. श्री श्यामसुन्दर एण्ड कम्पनी
2. श्री पृथ्वीराज राठी
3. श्री मनफूलसिंह चौधरी
4. श्री कुम्भाराम आर्य
5. श्री हरीराम चौधरी
6. श्री हंसराज दयाराम
7. श्री रामचन्द्र चौधरी
8. श्री सुलतानसिंह जी
9. श्री सरदारसिंह जी
10. श्री रोशनलाल जी
11. श्री बृजप्रकाश गोयल
12. श्री छगनलाल राठी
13. श्री रामचन्द्र आर्य की धर्म पत्नी

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। बावजूद प्रयत्नों के समिति को इन लोगों की पत्रावलियां उपलब्ध नहीं की गयीं। इसलिए समिति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई कि आवन्टन व तबादले सही हैं अथवा नहीं। अतः समिति का सुझाव है कि इन लोगों से सम्बन्धित सभी भूमि आवन्टन व तबादलों की जांच राजस्व मण्डल के सदस्यों द्वारा कराई जावे और इन मनोनीत सदस्यों को दो माह में रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया जावे वरना अधिक समय निकल जाने से इन लोगों को नाजायज कब्जों का लाभ उठाने का अवसर मिलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, इसमें तो राज्य सरकार को मीसा का उपयोग करने में भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, गंगा, भाखरा व राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में अनियमित आवंटन की उच्चस्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदन में जिन लोगों के खिलाफ टिप्पणी है उनके विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) का भी प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। समिति द्वारा जो यह सिफारिश की गई है वह उपयुक्त है। राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिए। इसमें प्रथम तो कमेटी की ऐसी सिफारिश है जिन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है। दूसरी कमेटी को वह सिफारिश हैं जिन्हें क्रियान्वित करना शेष है उन पर जो कार्यवाही की जा रही है वह कब तक पूरी हो जावेगी ?

मीसा का प्रयोग भी आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिये। कड़े आदेश प्रचलित होने चाहिये। अतिरिक्त पुलिस व अन्य अधिकारियों की भी आवश्यकता है तो उन्हें

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लगाना चाहिए ताकि असामाजिक तत्व अनुचित लाभ नहीं उठा सकें और स्थिति सही काबू में रहे। नियमों का उल्लंघन होने पर तुरन्त नियमानुसार कार्यवाही होती रहनी चाहिए। इस क्षेत्र में ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी ही लगाने चाहिये और उनको बदलते रहना चाहिए। इस दृष्टि-कोण से सब अधिकारियों का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। अगर राज्य सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की तो यह बहुत ही बुरा होगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए एक समिति विधान सभा के सदस्यों की बनाई जाय जिसमें कम से कम दस विधायक हों। वह कमेटी अपनी रिपोर्ट दो माह में देवे। वह रिपोर्ट बेरी कमीशन को दी जावे और बेरी कमीशन उन सभी के बारे में कार्यवाही करे। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, इसमें जो लोग दोषी हैं उनके बारे में तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। अगर नहीं की गई तो जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार मिटाने की जो बात करती है वह अधूरी रह जावेगी। इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मै माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह श्री हरिराम वही जनता पार्टी के लोक सभा के सदस्य हैं जो कि मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य श्री श्योपतसिंह के पिता हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : हां हां वही है। जनता पार्टी के लोक सभा के सदस्य श्री हरिराम हैं वह मेरे पिता हैं। मैने तो पहले ही कहा है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्यवाही करें लेकिन तुम्हारे में दम नहीं है। तुम्हारे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसने भी ऐसे लोगों के खिलाफ में, जिन्होंने राजस्थान केनाल एरिया में जमीनें ले ली थीं, कोई कार्यवाही नहीं की। तुम सारे के सारे बेईमान हो। तुम्हारी सरकार को चाहिये कि बेईमानों को जेल में डाल दे।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : यह तो तुम्हारी जनता पार्टी की गलती थी उसने ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया ? तुम यहां पर यह गन्दगी क्यों फैला रहे हो ?

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : जनता पार्टी ने तो तुमको भी टिकट दिया था।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राम कृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह तो जनता पार्टी के नेताओं को चाहिये कि वह ऐसे लोगों को जनता पार्टी के ऊपर नहीं थोपे। आपने गलती की, टिकट दिया।

(व्यवधान)

यह तुम्हारी साजिश है। श्योपतसिंह जी के दिल में पाप नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि आप कमेटी बैठाओ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : नुगरे हो गये।

श्री अध्यक्ष : अब कोई नहीं बोलेंगे। नियन्त्रण है, इसका भी परिचय मिल जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन, सर। मेरे चरित्र पर जनता पार्टी के एक सदस्य ने जो आक्षेप किया है और जिस स्थान से किया है वह भूल गये कि श्योपतसिंह चौधरी हरिराम नहीं। हरिराम चौधरी श्योपतसिंह का बाप है और जनता पार्टी का मैम्बर है, पार्लियामेन्ट का। उनको मालूम नहीं है, इसमें यह पूछने का कोई सवाल नहीं उठता था। जमीन श्योपत के नाम नहीं है। हरिराम चौधरी ने जमीन अलाट करायी है। यह माननीय सदस्य भूल गये हैं कि माननीय भार्गव साहब के द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश करने के बाद और उपनिवेशन मन्त्री जी के बोलने के बाद मैंने मांग की थी कि जिन लोगों ने जमीनें तबदील कराई हैं उनकी जांच कराने के लिये शोभाराम कमेटी की रिपोर्ट को बेरी कमीशन के सामने रखा जाय। मैंने यह भी मांग की है कि एक और कमेटी बनायी जाय। जागीरदार और दूसरे अधिकारी हैं जिन्होंने भाखड़ा और गंग केनाल एरिया में जमीनें ली हैं उनके बारे में मैंने यहां कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, जो कि जनता पार्टी के सदस्य हैं, ने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। मेरे में दोष ढूंढना चाहते हैं। यदि जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री और जनता पार्टी में दम हो तो कराये जांच। आपका पाप सिर पर चढ़ कर बोल रहा है। श्योपतसिंह जनता पार्टी का नहीं है। हरिराम चौधरी जनता पार्टी का है। जनता पार्टी को खतरा हो चुका है। मैं चैलेन्ज करता हूं। जमीन चौधरी हरिराम के पास है या और किसी के पास है, मेरी हुकूमत नहीं है।

(व्यवधान)

तुम्हारे में दम हो तो कराओ उसकी जांच। हरिराम है वह मेरा बाप है करो कुछ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप चोरों को सजा दो।

श्री श्योपतसिंह मकासर : चोरों को सजा दो श्योपतसिंह को नहीं।

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : परिवार में एक साथ रहते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तुम बेईमान हो। जांच नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, शोभाराम कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप इस सदन में लगे हैं। अच्छा होता इस विषय में पूरी जानकारी करने के बाद ही कुछ कहते। मैं यह उचित नहीं समझता कि जो मैम्बर यहां अनुपस्थित हैं उनके बारे में यहां कुछ कहा जाय।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : यह आप की साजिश से हुआ है। आपका मैम्बर है। मैंने आरोप लगाया नहीं किन्तु जांच की मांग की है मैंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने ऊपर से सुना है। शोभाराम कमेटी का यहां नाम लिया गया है। शोभाराम कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा है मैंने अभी तक उसको देखा नहीं है, साजिश करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। विवाद जैसा सदन में उठा और माननीय सदस्यों ने जैसा कहा, मैं शोभाराम कमेटी की रिपोर्ट को ही, पूरी रिपोर्ट को ही, बेरी कमीशन को दे देता हूं। बेरी कमीशन जांच कर लेगा कि किसको अलाटमेंट गलत हुआ है और किस को सही हुआ है।

श्री भंवरलाल पेरन : अब घबरा क्यों रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष, मुझे आपने पुकारा किन्तु मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपका पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन तो हो गया।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : सदन में इस प्रकार का सवाल आया है और रिफ्लेक्शन मेरे ऊपर किया गया है। आपके सदस्य ने पूछा है कि क्या चौधरी हरीराम वही है जो श्योपतसिंह चौधरी के बाप हैं।

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा : आप उसका फायदा उठा रहे है।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर: बहुत देखें हैं।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : मैंने भी बहुत देखें हैं।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : पर्टीक्यूलरली यह सवाल पूछा गया है क्या हरिराम चौधरी वह ही हैं जो श्योपतसिंह चौधरी, जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है, के बाप हैं। इसलिए क्लेरिफिकेशन जरूरी है। मुख्य मन्त्री जी से पहले ही कह दिया कि जो लोग रह गये, कमेटी की रिपोर्ट में जिनके नाम आये हैं उनको बेरी कमीशन में रेफर किया है और उनकी जमीनें जब्त की जाय। एक बात मैं मार्क्सवादी पार्टी की हैसियत से बोल रहा हूं। जो चोर मिल गये हैं उनको तो आप सजा दीजिये और उनसे जमीन छुड़वाइये और जो चोर बाकी रह गये हैं चाहे उसमें कोई अधिकारी हो या जागीरदार हो, उनकी जांच के लिए 15 मैम्बर की एक कमेटी बनाइये जिसमें विरोधी पक्ष के भी सदस्य हों, उस कमेटी में मार्क्सवादी पार्टी का सदस्य भी शामिल किया जाय। वह कमेटी उनकी जांच करे। छाबड़ा तो उस समय पैदा ही नहीं हुआ था। उस कमेटी के लिए हमने खून बहाया था। जेलों में गये थे।

(व्यवधान)

छाबड़ा ने नहीं बनाई थी।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : हमेशा चेलेन्ज किया है।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : टाइम तय कर दिया जाय कि 6 महीने के अन्दर इन सारी धांधलियों की जांच होगी। उसमें राजस्थान कैनाल और कोटा प्रोजेक्ट भी शामिल हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक बात और कह दूं। पिछली सरकार ने यह शोभाराम कमेटी नियुक्त की थी। जब यह कमेटी नहीं थी उससे पहले आन्दोलन हुआ था। श्योपतसिंह जी उस आन्दोलन में भागीदार थे। वह आन्दोलन किसी अकेले ने नहीं किया था, सारे विरोधी पक्ष ने मिल कर किया था। अब रहा सवाल कि चम्बल प्रोजेक्ट एरिया और बाकी एरिया में गलत अलाटमेंट हुआ जो शोभाराम कमेटी से कवर नहीं होते हैं तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जितने भी गलत अलाटमेंट हुए हैं उनके मामले आप मुझे देंगे ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप आदेश दीजियेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बेरी कमीशन को सौंप दूंगा। सारी चीज साफ हो जावेगी।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि मुझे देना। आपके पास मुख्य मन्त्री जी इतनी मशीनरी है कि आप जांच करके तथ्य निकाल लेंगे। सारे आफिशियल्स से इसकी इन्फार्मेशन मंगाई जाये....

श्री श्योपतसिंह मकासर : कमेटी को चालू रखा जाये ताकि कमेटी ऐसे केसेज को और ढूंढे।

श्री नूरा : ऐसे लोग मेम्बर बन गये हैं। हमें उम्मीद नहीं है कि आप कुछ कर पायेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कमेटी का निर्माण क्यों नहीं करते ? कमेटी का निर्माण करने में क्या दिक्कत आ रही है ? जो भी केसेज आयें उनकी कमेटी जांच करे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शोभाराम कमेटी लगभग 7 वर्ष पहले बनी थी...

श्रीमती उजला अरोड़ा : 25-3-70 को बनी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां 7-8 वर्ष हो गये इस शोभाराम कमेटी को बने। कमेटी की रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं यह सारे मामले बेरी आयोग को रेफर करना चाहता हूं जिसकी सिफारिश मानने के लिए गवर्नमेंट कमिटेड है। बेरी आयोग को मामले सौंपें यदि हमें संशोधन भी करना पड़े उन मामलों को रिज्यूम करने के लिए तो निश्चित रूप से हम कानून में संशोधन करेंगे। शोभाराम कमेटी से ज्यादा पावरफुल बेरी कमीशन है। उसको अलग करके कोई और कमेटी बनायें जिसकी रिपोर्ट आने में एक वर्ष लगे, रिपोर्ट पर विचार करने में दूसरा वर्ष लगे और इम्प्लीमेंट करने में और वर्ष निकल जायें, यह मौका मैं नहीं देना चाहता हूं। हमने तय कर रखा है कि ऐसे मामले माननीय सदस्य देना चाहें तो मैं स्वागत करूंगा। श्री नूरा जी ने कहा कि सारे गवर्नमेंट आफिशियल्स को ऐसी इन्फार्मेशन देने के लिए कहा जाये। माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि जिस समय बेरी कमीशन की नियुक्ति हुई उस समय हमने तत्काल आदेश दिये और अभी जो पंचायतों के चुनाव हुए, पंचायतों को चिट्ठी भेजी है कि आपके क्षेत्र में किसी ने किसी जमीन पर नाजायज कब्जा किया हो, जमीन गलत तरीके से अधिग्रहण की हो और जमीन प्राप्त की हो उसकी जानकारी सीधे बेरी आयोग को दें, उसकी जानकारी मुझे देने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्यों का स्वागत करूंगा यदि वह इस प्रकार की जानकारी दें। अन्य लोगों का भी स्वागत करूंगा और इस सदन के मार्फत मैं जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसी के भी ध्यान में यदि कोई जमीन के आवंटन के गलत मामलों की जानकारी हो तो मेरे पास भेजने की आवश्यकता नहीं है, बेरी कमीशन को भेज दें और यदि बेरी कमीशन को नहीं भेजें तो मुझे भेज दें। ऐसी स्थिति में जो भी हमने कदम उठाए हैं उनके पीछे भाव एक ही है कि जितनी भी जमीनों का गलत अलाटमेंट हुआ है एक बार यह चैप्टर सदा के लिए क्लोज हो जाये कि किस किस ने जमीन पर कब्जा किया और किसने नहीं किया। इसके लिए ही हमने ओपन कमीशन अपाइन्ट किया है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह इसके सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा जानकारी कमीशन को दें।

श्री नूरा : इसमें लम्बा समय नहीं लगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि चार-चार और पांच-पांच साल तक इन्क्वायरी होती रहे। जल्दी नतीजा आये ऐसा कुछ करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, शोभाराम कमेटी 25-3-70 को उनकी जांच करने के लिए बनाई गई थी जिनको भूमि आवंटित की थी प्रभावशाली व्यक्तियों ने, मैं दुबारा नाम नहीं ले रही हूं, जिन्होंने अन्य लोगों से लेकर उनके नाम पट्टे कर दिये थे और जिन्होंने इस भूमि को अपने नाम करवा लिया, जो गलत काम हुआ, जो आवंटन की शर्तें थीं उनके आधार पर आवंटन नहीं हुए थे। दूसरी कमेटी इसके बाद 15-6-72 को बनी जिसमें 12 की जगह 15 सदस्य किये गये। तब वह प्रभावशाली व्यक्ति सक्रिय हो चुके थे। उस कमेटी में तीन आदमी और शामिल ही नहीं किये गये थे बल्कि उसमें व्यक्ति भी बदल दिये गये थे। इस तरह की कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद 23-3-77 को एक उप-समिति अनूपगढ़ में बनाई। यह सारा रिपोर्ट में दिया हुआ है कि जो बेनामी हस्तान्तरण किये गये, तबादले हुए हैं वह गलत ढंग से हुए हैं। इसी तरह से श्रीमान चण्डीदान, दर्शनसिंह सरपंच हैं, एक और दो चक हैं, हंसराज कालरा, निरंजन सिंह, पृथ्वीसिंह विश्नोई हैं, इन्होंने जिस तरह से भी हुआ उस तरह से जमीनों को अपने नाम करवा लिया। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 10 सदस्यों की कमेटी विधान सभा के सदस्यों की बनाई जाये जिससे कि इस जांच में जो कमियां रह गई हैं वह सामने आयें और गलत काम जिन्होंने किये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, शोभाराम कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उससे यह विदित होता है कि इसमें बड़े प्रभुत्वशाली व्यक्तियों का हाथ रहा है। माननीय ज्योतिसिंह जी ने यह बात उठाई कि जनता पार्टी के हैं इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हो सकती तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि सन् 1952 से अब तक मन्त्रि मण्डल के सदस्य रहे हैं उनके विरुद्ध जो आरोप विधान सभा में लगाये गये हैं वह चाहे जनता पार्टी के हों या दूसरी पार्टी के हों उनके

(श्री रामकिशोर मीणा)

विरुद्ध जांच करने के लिये जांच समिति बनाई जायेगी और जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायगी। तो इससे यह मतलब नहीं निकलता है कि कोई जनता पार्टी का मैम्बर है या नहीं। जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि शोभाराम कमेटी की रिपोर्ट बेरी कमीशन को दी जायेगी किन्तु मैं माननीय उपनिवेशन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए एक समिति विधान सभा के सदस्यों की बनाई जाये जो कि बेरी आयोग के साथ ही साथ अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करें। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये और जितने प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाये ताकि जनता पार्टी द्वारा की गई घोषणा और मुख्य मंत्री जी ने भ्रष्टाचार को मिटाने का जो बीड़ा उठाया हैं उसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अर्ज करना चाहता हूं।

हाउस में लगातार वर्षों तक यह बात कही गयी कि श्री हरिदेव जोशी ने सांसी कंजरों की जमीन पर कब्जा किया। श्री रतनलाल जी वर्मा ने एक प्रश्न पूछा ......

श्री मूलचन्द डागा : जवाब आ गया।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कि क्या यह सच है कि उन्होंने इस तरह से सांसी कजरों की जमीन पर कब्जा किया ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? उसका उत्तर आया 'जी नहीं' वर्षों तक एक बात कही गयी उसके बारे में सरकार ने इस तरह से साफ 'जी नहीं' कह दिया तो महरबानी करके मंत्री महोदय आश्वासन दें कि जब तक बेरी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जायेगी तब तक किसी भी भूमि के बारे में, जिसके ऊपर इस तरह के आरोप है और शिकायत है उसको बेरी आयोग के परव्यू से निकालने के लिए सरकार कोई उत्तर इस तरह का सदन में नहीं दे।

श्री अध्यक्ष : संकेत कर दिया है।

श्री केदारनाथ (उपनिवेशन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो बेनामी ट्रान्जेक्शन किये गये राजस्थान कैनाल के एरिया में उनके बारे मे कमेटी की क्या फाइन्डिग्स हैं और उनका राज्य सरकार ने क्या हल ढूंढ़ा है इस सवाल के साथ अभी माननीय सदस्य, जो जयपुर से आये हैं, श्री बजरंगलाल जी शर्मा ने हरिदेव जोशी का सवाल उठाया वह इसके स्कोप में नहीं है। आपको कम्पलेंन्ट करनी है तो बेरी कमीशन को दे दें इसमें किसी को एतराज नहीं है। अध्यक्ष जी, प्रश्न यह था ....

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : भाखरा में जमीन अलाटमेन्ट जागीरदारों को किया उसका क्या हुआ ?

श्री केदारनाथ : भाखरा में चाहे इल्लीगल ट्रान्सफर हो चाहे इल्लीगल एक्सचेंज हों ऐसे जितने भी केसेज हैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारे बेरी कमीशन को रेफर कर दिये हैं। जिन जिन केसेज की फाइल मेरे पास हैं मैं कल ही

(श्री केदारनाथ)

सारी फाइलें वहां सबमिट कर दूंगा। दूसरा प्रश्न यह उठाया गया, जो फाईडिंग्स है, मेरा रिप्लाई उसी बात तक सीमित है।

श्री मूलचंद डागा: दो साल और लग जायेंगे। आप नोटिस दे दीजिये। वे स्टे आर्डर ले आयेंगे। बेरी कमीशन तो एक आड़ है। डिले करने का तरीका है। इस तरह तो आप डिफेंड कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि जमीन गलत अलाट हुई है तो आप इजेक्ट कर दीजिये। आप तो जानबूझकर बेरी कमीशन बैठाकर 1-2 साल का समय देंगे।

श्री केदारनाथ: शोभाराम कमेटी क्या है? किस बात पर डिबेट कर रहे है? बीच में दूसरे प्रश्न डिबेट में ला रहे हैं।

यह बेरी कमीशन का काम है, मेरा काम नहीं है। जब केसेज उनको सबमिट कर दिये जायगे, क्या इन्टरिम रिपोर्ट देंगे, यह उनका काम है।

अध्यक्ष जी, मेरा रिप्लाई इस बात पर है कि कौन सी रिकमण्डेशन्स इम्पलीमेंट की हैं। मोड आफ अलाटमेंट में तबदीली कर दी। अब हमारा अलाटमेंठ का तरीका बाई लाटरी सिस्टम है। जो फिक्टीशियस अलाटमेंट थे, उसका एक ही इलाज था कि उसका स्पाट चैकिंग करे। वहां का तह-सीलदार, वहां का एम. एल. ए. और सारे सरपंच ग्राम लोगों में बुलाकर उसका स्पाट चैकिंग करे। इस रास्ते पर चल कर बहुत सफलता प्राप्त की है। आपको जानकर खुशी होगी कि केवल पौंग डैम में फिक्टीशियस कल्टीवेशन हो रहा है बाकी कहीं नहीं हो रहा है। वह इसलिये कि फोटो हमारे पास जिसकी होती है उसका नाम बोला जाता है। वह खड़ा होता है। वहां पर कमेटी बैठतीहै। वहां पर केवल तस्दीक ही नहीं करते बल्कि वही काश्तकार नहीं है और वहां कभी रहा नहीं तो वहीं अलाटमेंट कैन्सिल किया जाता है। अब जो भी अलाटमेंट हुए है उनका स्पोट चैकिंग के लिये हमने विजिलेन्स कमेटी बना दी है। जो उस इलाके के लोग है, वह उसके मेम्बर है। विजिलेन्स सेल कायम कर दिया है। एडीशनल कमिश्नर चेयरमैन है। कोई भी कम्प्लेन्ट आती है तो मौके पर जाकर वेरी-फिकेशन होता है। वहीं जांच कर फैसला किया जाता है इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं।

आईंदा भी यह कमेटी का रेगुलर फीचर बन जाये, वैसे यह विजिलेन्स सेल रेगुलर फीचर ही है।

श्री श्योपत सिंह मक्कासर: जागीर-दारों के पीछे नहीं हैं, भूस्वामियों के पीछे हैं।

श्री केदार नाथ: मैं निवेदन कर दूं।

किसी की जमीन चाहे किश्त न भरने के कारण कैन्सिल की गई है तो माननीय सदस्यों को जानकारी है कि आपकी सलाह से ऐसी जमीनों को बहाल कर दिया है। दूसरा, कलेक्टर लेवल पर कोई एवीडेन्स दे दी है राजस्थानी होने की तो उसकी जमीन भी बहाल कर दी है। तीसरे, जिसके पास मीन्स आफ वेरीफिकेशन नहीं था ऐसी जमीनों का कैन्सिलेशन भी हमने बहाल किया है। चौथी बात यह कि जहां पानी लगता नहीं, अन कमांड है ऐसी जमीनों के

Page No. 73

(श्री केदार नाथ)

लिए तबादला करने के लिए एक कमेटी बना दी। ऐसे केसेज के तबादले हम मन्जूर कर लेंगे। राजस्थान कैनाल में भी कोई ऐसी भूमि है, अगर कोई अलाटमेंट इल्लीगल है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस कमेटी के परव्यू में नहीं आये तो माननीय सदस्य दे सकते हैं, वे भी बेरी कमीशन को दे देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी इजाजत हो तो एक प्रश्न कर लूं।

तीन तरह के लोग हैं। एक जिन्होंने कब्जा कर लिया है, जिनकी शिकायतें हो चुकी हैं, जांच हो चुकी है, केस राइप है गवर्नमैन्ट डिसीजन के लिये। सैकण्ड टाइप, जिनकी शिकायतें हुई हैं। तीसरा, जिनकी शिकायतें नहीं हुई। मैं यह निवेदन करूंगा कि बेरी कमीशन के पास में सैकेण्ड और थर्ड केटेगरी के केसेज भेजिये। जिनकी इन्क्वायरी हो चुकी है उन पर फैसला आप न लेकर उनको बैरी कमीशन के पास भेजेंगे तो दो साल के राइट्स और देंगे। उनके सिविल राइटस हैं, वे सिविल कोर्टस में फिर जायेंगे। आप डिले कर रहे हैं। वे केसेज जो आपकी टेबल पर प्रापर इन्क्वायरी होने के बाद डिसीजन के लिए राइप है, उन पर फैसला करें।

श्री अध्यक्ष: Quite right.

एक माननीय सदस्य : शोभाराम कमेटी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा हो गई, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी: वह पीपल्स रिप्रेजेन्टेटिव कमेटी थी। बैरी कमीशन आफिसर कमीशन है। आप उसके डिसीजन्स को उसके पास भेज कर उसकी इम्पोर्टेंस को घटा रहे हैं। यह उस कमेटी के डिसीजन को डिले करना है। जो रांग डूअर्स हैं.......

श्री अध्यक्ष: डुप्लीकेशन है। अब चर्चा समाप्त करें।

श्री केदारनाथ: यह रिपोर्ट के पेज 25 पर है जिनके नाम बोले गये उनके बारे में कमेटी ने फाइन्डिंग नहीं दी। यह कहा है, इनकी जांच रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर करेंगे। इनकी इन्क्वायरी नहीं हुई है।

एक माननीय सदस्य : जिनकी फाइन्डिंग्स हो गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कोई मालूम नहीं पड़ता। राजस्व मण्डल के सदस्य के पास भेजे जायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बैरी कमीशन, जो कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत कान्स्टीट्यूट हुआ है, की क्या कोई अवधि रखी है? किस अवधि में कोई व्यक्ति कम्प्लेन्ट कर सकता है? अवधि रखी है तो कौनसी तारीख है? वह अवधि समाप्त हो चुकी है या अभी समय बाकी है?

श्री केदारनाथ : यह प्रश्न वह नहीं था।

Page No. 74

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय जन सम्पर्क मन्त्री जी आराम कर रहे हैं। चेम्बर में आराम कर लें तो अच्छा होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन लोगों की रिपोर्ट सामने आ गई है, उन लोगों के बारे में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सब बातों को मन्त्री महोदय देख लगे।

शिक्षा मन्त्री जी।

वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा बोर्ड व स्थानीय परीक्षाओं का बहिष्कार

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री मूलचन्द डागा : यह शिक्षा मन्त्री जी की तरफ से उत्तर दे रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा स्थगन प्रस्ताव था वह टीचर्स के आन्दोलन के ऊपर था। आपने उस पर यह व्यवस्था दी, कि शिक्षा मन्त्री जी वक्तव्य देंगे। शिक्षा मन्त्री जी किसी कारणवश बाहर गये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री के स्थान पर उत्तर दे रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : कल मीटिंग बुलाई थी। यह बातें उठाई गईं। आप उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। आज आप अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। कोई प्रश्न पूछेंगे तो किस से पूछेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कोई भी मन्त्री दे सकता है उत्तर।

श्री रामनारायण चौधरी : दे सकता है, मान्यवर, लेकिन मैंने निवेदन किया कि हम प्रभावी पक्ष के हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि शिक्षा मन्त्रीजी आज नहीं हैं तो कल वे आकर जवाब दे दें। इस सम्बन्ध में तो माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ही पूर्ण जवाब दे सकते हैं। यह मामूली मामला नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कल से इम्तिहान शुरू होने वाले हैं इसलिए स्टेटमेंट उनको आज ही देना पड़ेगा। यह स्थगित नहीं किया जा सकता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी तैयार हैं वक्तव्य देने के लिये, वक्तव्य सुन लें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आन ए पाइन्ट आँफ आर्डर, सर। हमने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके बारे में जैसा कि आपने पहले बताया, शिक्षा मन्त्रीजी वक्तव्य देंगे क्योंकि इसमें तिथियों का सवाल इन्वाल्व्ड है, यह कोई सवाल फैक्ट्स का नहीं है या किसी घटना से सम्बन्ध नहीं रखता है इसलिए यह उचित नहीं कि सम्पतरामजी का टेपरिकार्ड है और दूसरे मन्त्रीजी सुना दें। यह सवाल कुछ नीतियों से सम्बन्ध रखता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नीतियों का मन्त्रिमण्डल से सम्बन्ध है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : नीतियों का सम्बन्ध मन्त्रिमण्डल से नहीं होता है। मान-

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

नीय मन्त्री महोदय की खुद की जिम्मेवारी होती है। कल से वे बायकाट कर रहे हैं परीक्षाओं का तो यह बात मन्त्रिमण्डल से क्या ताल्लुक रखती है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बिल्कुल।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ताल्लुक रखती है डिसीजन लेने की बात। नेगोसियेशन्स के दौरान विभाग के मन्त्री होते हैं। पहले वे नेगोसियेशन्स के बारे में अपना दिमाग बनाते हैं फिर जाकर मन्त्रिमण्डल से एप्रूव्ड कराते हैं। फाइनल डिसीजन वहां से होता है। इसलिए नीति सम्बन्धी जो मसले हैं उन पर शिक्षा मन्त्रीजी को ही जवाब देना चाहिए। अब आप स्टेटमेंट दे रहे है। बड़ी मुश्किल से तो आप से पीछा छुड़ाया है, आप फिर खड़े हो रहे हैं। मेहरबानी करके शिक्षा विभाग के बारे में शिक्षा मन्त्री जी ही जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। शिक्षा मन्त्रीजी की ओर से माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में वरिष्ठ अध्यापकों का वेतनमान और कुछ अन्य मांगों को लेकर पिछले कुछ समय से आन्दोलन चल रहा है।

राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तुत मांगों पर दिनांक 21 व 22 मार्च, 1978 को शिक्षा आयुक्त एवं शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श हुआ एवं सभी मुद्दों पर बातचीत भी हुई। वरिष्ठ अध्यापकों की मुख्य मांग मौजूदा वेतनमान को लेकर है। उनकी शिकायत है कि उन्हें महाविद्यालय के प्रवक्ताओं के समकक्ष वेतनमान दिया जाय और उनके पद का भी नाम परिवर्तन किया जाय।

वेतनमान का मुद्दा ऐसा है जिसे अलग से नहीं लिया जा सकता है और इसके पीछे जितने वित्तीय इम्प्लीकेशन्स होते हैं उन सभी पर विचार करना होता है। इस कारण से यह प्रश्न अलग से निर्णीत नहीं किया जा सकता। इसलिए तय हुआ कि इस वेतनमान में और इस प्रकार के मुद्दे, जिनसे वित्तीय इम्प्लीकेशन सम्बद्ध हैं, की दृष्टि से एक कमेटी का निर्माण हो। उस कमेटी में अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। उसी प्रकार से जिन मुद्दों पर वित्तीय प्रश्न संबद्ध नहीं हैं उन पर विचार करने के लिए शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में शिक्षक संघ के साथ विचार विमर्श हेतु अलग से व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार चाहती है कि सारे प्रश्न को सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हल किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षक संघ की अन्य समस्याओं की दृष्टि से शिक्षा अधिनियम भी लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं वरिष्ठ अध्यापकों से कि इस मांग को लेकर जो बायकाट, बहिष्कार करने का विचार किया है, कल से परीक्षाएं होने जा रही हैं, मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टि से यह उचित नहीं है। यह बात ‥

श्री श्योपतसिंह मकासर : होने जा रही है या आपने रोक दी है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सारी बातों को सुन लीजिये। बीच बीच में मत बोलिये। द्वितीय श्रेणी के सारे अध्यापकों एवं तृतीय श्रेणी के सारे अध्यापकों ने परीक्षाओं में सब प्रकार का सहयोग देने का निश्चय किया है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति आपने लागू की है।

श्री मूलचन्द डागा : यह अध्यापकों में फूट डालने की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य उत्तर सुन लें। यह तो परम्परा अच्छी नहीं है कि बीच में ही व्यवधान करें। मन्त्री महोदय को बोलने दें।

श्री मूलचन्द डागा : स्थगन प्रस्ताव का उत्तर दे रहे हैं या वैसे ही बता रहे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उसका ही उत्तर देना चाहता हूं। आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष : Please have some patience.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इनकी बातचीत से ऐसा लगता है परीक्षाएं सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार सफलतापूर्वक ली जा सकेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारे लड़कों के जीवन का प्रश्न है इसलिए वरिष्ठ अध्यापकों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम उनकी मांगों की पूर्ति का प्रयत्न कर रहे हैं। वे परीक्षाओं का बहिष्कार समाप्त कर दें और परीक्षाओं को पूरा कराने की दृष्टि से सहयोगी बन कर सामने आयें।

(2.35 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री श्योपतसिंह मकासर : कल जो शिक्षा मन्त्रीजी प्रदर्शनकारियों से मिले तो उन्होंने इस बात के लिए उनको कायल किया है कि परीक्षाओं का बायकाट न करें ?

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन, सब वरिष्ठ अध्यापकों को तो नहीं बुलाया। जो अध्यापक बुलाये गये वह एक पार्टी की तरफ के थे, शेखावत की पार्टी के थे। शेखावत की पार्टी के लोगों को बुलाया गया और बुलाकर बात की। जो वरिष्ठ अध्यापक थे जिन्होने अपनी मांगें रखीं और जो 10 साल से बराबर रख रहे हैं और फिर आपके सामने आई तो क्या उनकी मागें ठीक नहीं हैं ? क्या आपने उनके साथ बैठ कर उन पर बात की ? उससे उनको कोई सन्तोष हुआ ? दूसरे दिन आपने क्या किया ? आप टीचर्स की दो पार्टियां बनाते हैं और उनको आप डिवाइड करना चाहते हैं। आपने उनको दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुल मुद्दों पर आपके आश्वासन से क्या उन लोगों ने निर्णय ले लिया है कि परीक्षाओं में सहयोग देंगे ? जब वे नहीं दे रहे हैं तो आपने वरिष्ठ अध्यापकों के साथ बैठ कर कोई बात की ? और बात की तो कौन कौन मौजूद थे और उनकी बातों से क्या निर्णय निकला ? यह दूसरी बात है ? तीसरा, आपने कितना समय निश्चित किया ? कितने समय के अन्दर उनकी मांगों पर विचार कर लिया जायगा ? चौथी बात यह बतायें कि आपने उनकी मांगों में से कौन कौन बात को अनुचित बताया ?

(श्री मूलचन्द डागा)

क्या यह मांग उचित है, जैसे कि वह कहते हैं कि 18 घन्टों की जगह उनसे 33 घन्टे काम करा करे हैं ? उनकी यह मांग है कि हम लोग ज्यादा क्वालिफाइड हैं फिर भी हमारी ही श्रेणी के लोगों को या जो हमसे कम क्वालिफाइड हैं, उनको तो तनख्वाह ज्यादा मिलती है और हमको कम मिलती है। तो उनकी इन बातों पर आपने क्या विचार किया ? इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा, श्रीमन, आपने एक दूसरी भावना को भरते हुए वक्तव्य दे दिया…

श्री उपाध्यक्ष : आपको आपत्ति क्या है ?

श्री मूलचन्द डागा : आपका खुद का भाषण है। वह मैंने कोट किया है। 11 हजार टीचर्स आन्दोलन करेंगे। वह विद्यार्थियों का इम्तिहान नहीं ले रहे हैं! आपने शिक्षा मन्त्रीजी के साथ बात की या नहीं ? वहां मैं खुद मौजूद था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सैकण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर्स के बारे में आपने फर्माया कि परीक्षाओं का जो भी कार्यक्रम होगा उसमें पूर्ण तरीके से वह सरकार को सहयोग देंगे। आपने सैकण्ड ग्रेड टीचर्स और थर्ड ग्रेड टीचर्स को सन्तुष्ट कर दिया तो सीनियर टीचर्स का प्रश्न पहले से भी ज्यादा पुष्ट हुआ है। आप यह मानते हैं कि उनकी मांगें जेनुइन हैं। जो लेक्चरर्स की एजूकेशनल क्वालिफिकेशन हैं वही टीचर्स की एजूकेशनल क्वालिफिकेशन है। कोई अन्तर नहीं है। तो उस मांग के बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय करने में क्या कठिनाई आ रही है ? क्या फाइनेन्शियल पोजीशन आपकी सुदृढ़ नहीं है इस कारण आप नहीं करना चाहते हैं ? क्या उनकी मांगों को वाजिब मानकर भी टालना चाहते हैं ? उनकी मांगों के बारे में क्या निर्णय है आपका ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री नवरंगसिंह : आन ए पाइंट ऑफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर के दयानन्द कालेज में विद्यार्थियों की हड़ताल चल रही है। अध्यक्ष महोदय ने फर्माया था कि जब शिक्षा मंत्रीजी जवाब देंगे तो इस मामले पर भी प्रकाश डालेंगे। मैं आपके मार्फत शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो दयानन्द कालेज में छात्रों के साथ हो रहा है……

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री नवरंगसिंह : इस सारे मामले पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने और माननीय वृद्धिचन्द जी ने शिक्षकों के द्वारा राजस्थान सरकार को दी हुई चेतावनी, परीक्षाओं के बहिष्कार के प्रश्न को लेकर राजस्थान की जनता में, राजस्थान के विद्यार्थियों में जो असन्तोष है, उसके बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और उसके अनुसार जो शिक्षा मंत्री को वक्तव्य देना था, वक्तव्य शिक्षा मंत्री जी

(श्री रामनारायण चौधरी)

ने दिया लेकिन वह बहुत असन्तोषजनक और अपूर्ण है। उससे कुछ आभास नहीं मिलता है। परीक्षायें होने वाली थीं, वे होंगी या नहीं होंगी, इसका उल्लेख नहीं किया। ऐसा तो हमें पहले ही आभास था कि परीक्षायें नहीं होंगी। कई माननीय सदस्य इस सदन में बैठने वाले हैं उन्होंने कहा, परीक्षायें होंगी। एक लाख शिक्षकों का परीक्षाओं से बहिष्कार होगा। आपने सैकन्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के टीचर्स को राजी करने की बात कर दी। हम चाहते हैं और हमें इस बात से प्रसन्नता होगी कि विद्यार्थियों की परीक्षा के दिनों में लॉ एन्ड आर्डर न बिगड़े। जो डिमान्ड्स का चार्ट सरकार को पेश किया गया है, राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा उनमें से किन किन बातों की बातचीत होकर क्या समाधान निकाला है....

कई माननीय सदस्य : कह दिया जवाब में।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं अब किसी को समय नहीं दूंगा। कृपया बिराजें।

श्री शंकरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था ..

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल आप संक्षेप में कह दीजिये।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अध्यापकों द्वारा विशाल प्रदर्शन किया गया है उसमें पाली जिले के शिक्षक भी आये हैं। परीक्षाओं के बारे में मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि परीक्षायें होंगी लेकिन जो दूसरी मांगे हैं–28 सूत्री मांग पेश की हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनमें से दो-तीन गंभीर मांगें हैं. उन पर तो अविलम्ब निर्णय लेना चाहिये। पंचायत समितियों के जो अध्यापक हैं, उनकी दुर्दशा के बारे में कई बार सदन में भी प्रश्न आ चुका है। मैंने पहले भी स्थगन प्रस्ताव रखा था कि प्राइमरी एजूकेशन पंचायत समितियों के हाथ में न रखी जाय। गांवों में अध्यापक पंचायत समितियों में चपरासी की जगह काम करें, उनका प्रमोशन नहीं हो, उनको राजनीति में घसीटा जाय तो वे अध्यापक कौनसी जगह से आ गये और ये अध्यापक कौनसी जगह से आ गये। सब अध्यापकों को एक ही जगह पर रखें। वहां के अध्यापकों का शोषण होता है। इसके अलावा प्राइमरी इन्स्टीटयूशन चलते हैं चाहे जयपुर में हो और चाहे राजस्थान के किसी कोने में चल उन टीचर्स को राजस्थान सरकार के अध्यापकों के मुकाबले उतनी सुविधायें उपलब्ध नहीं होती हैं जो होनी चाहिये। इसलिये शिक्षा, जो सविधान के अन्तर्गत महत्वपूर्ण विषय है, को एक ही तरह से और एक ही नीति से चलावें। पचायत समिति के नीचे कुछ हो और राज्य सरकार के नीचे कुछ और हो– इस प्रकार की नीति नहीं रखें। इस पर आप गंभीरता से विचार करिये।

यहां पर शिक्षकों ने यह भी मांग की है कि जब दूसरे विभाग के कर्मचारियों को गांवों में भत्ता दिया जाता है तो उनको क्यों नहीं दिया जाता है। यह बड़ी अशोभनीय बात है वहां के अध्यापकों को 75) रु. दिया जाता है। मेरा निवेदन है इन सारी

(श्री शंकरलाल)

मांगों के बारे में और खास कर मुख्य मुख्य मांग पर, जिसके लिये राजस्थान की जनता चिन्तित है माननीय सदस्य चिन्तित हैं, आप क्या विचार कर रहे हैं। मेरा निवेदन है जो सिंचाई मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है वह इस बारे में भी प्रकाश डालें और सदन को अवगत करायें।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो…

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। जब आप मेरी आज्ञा मानने को तैयार हैं तो आप विराज जाइये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरा प्रस्ताव था।

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय आपने सीनियर टीचर्स में से किसी विशेष वर्ग को राजी किया…

(व्यवधान)

तो क्या उनके संगठन में भेदभाव करने के लिये

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिव चरण सिंह जी, बिराजें।

श्री राम कृष्ण दास।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट नहीं है कि ग्रेड्स के बारे में नीति क्या है ? सैकन्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की स्केल क्या होगी ? मेरा सुझाव है जब तक रनिंग ग्रेड नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं होने का है। मेरा निवेदन है और सुझाव है शिक्षा विभाग में रनिंग ग्रेड चालू की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्योपत-सिंहजी, एजूकेशन डिपार्टमेंट की डिमान्ड थी तब भी काफी चर्चा कर चुके हैं। बहुत सी बातें कह चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही संजीदा मामला है। राजस्थान के सैकड़ों-लाखों विद्यार्थी जब परीक्षायें देने को जायेंगे तो टीचर कोई नहीं मिलेगा। यह मेरा इल्जाम है कि शिक्षा मंत्रीजी जान-बूझकर कर बचने के लिए नहीं आये। आज महत्वपूर्ण बयान देना था वे उससे कतरा गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को राजी करके, कुछ यूनियनों को राजी करके कह रहे हैं कि परीक्षायें होंगी और हमारे अध्यापक बायकाट नहीं करेंगे। दूर दराज से परीक्षा देने यहां विद्यार्थी आयेंगे और उनके सामने अनिश्चितता की स्थिति रहेगी। माननीय सिंचाई मंत्री जी की वही पुरानी शक्ल, कांग्रेसियों जैसी शक्ल नजर आ रही है। जैसे वह बात को आगे घसीटते थे वैसे ही ये घसीटते हैं। हू-ब-हू वही शक्ल नजर आती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय…

(व्यवधान)

मंत्री जी को मालूम नहीं है, जो सत्ता में होता है उसको मालूम नहीं होता है यह स्वाभाविक बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। कुर्सी का इतना जोश चढ़ गया है कि आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। कुर्सी का नशा आ गया है, सबको भूल

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

गये हैं। यह समस्या है, इन कर्मचारियों ने आपके अध्यापकों ने तीन महीने पहले नोटिस दे दिया था मगर आज तक ठीक परीक्षा के एक दिन पहले तक 28 मांगों में से एक भी मांग नहीं मानें तो यह घोर लापरवाही की बात है और इसका अन्जाम भुगतना पड़ेगा। कितना खर्चा किया है, कितनी तैयारी की है विद्यार्थियों ने और उसके बाद शिक्षक परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी ? हमारे राजस्थान के लाखों बच्चों का जीवन इस परीक्षा के बहिष्कार से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप सजीदा ढंग से सोचें और मौके की नजाकत को महसूस करें तो अच्छी बात है वरना जैसी आपकी मर्जी।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक जानकारी करनी है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री नूरा।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, साल भर की बच्चों की मेहनत के बाद परीक्षा का समय आये, उस मौके पर हड़ताल हो जाये, उस मौके पर इम्तिहान लेने वाले मौजूद नहीं हों फिर भी शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री यह बात कहें कि इम्तिहान लिये जायेंगे तो इसका मतलब है कि धांधलेबाजी होगी। बच्चे इम्तिहान देने जायेंगे तो ऐसा लगता है कि इम्तिहान लेने वाले अध्यापक कहीं भी नहीं होंगे। ज्यादातर ऐसा लगता है कि जब बच्चे जायेंगे तो इम्तिहान लेने वाले नहीं होंगे। अध्यापकों ने काफी समय पहले यह बात कह दी थी और आपने कहा था कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। फिर कल जब यहां पर जुलूस लेकर आए तो भी आपने उनका निपटारा नहीं किया। कल जब वे हड़ताल पर चले जायेंगे तो उसके बाद समस्या का कोई हल नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करिये और इस इम्तिहान के मौके पर जो उलझन पैदा हो गई है उसको दूर करने के लिए आप अपने वक्तव्य पर पुनः विचार करके फिर वक्तव्य दीजिये ताकि समस्या का हल निकाला जा सके।

श्री शंकरलाल : शिक्षा मंत्री जी क्या स्वयं भी हड़ताल पर चले गए ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो एक ही प्रश्न पूछना चाहता था। शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि...

श्री शंकरलाल : शिक्षा मंत्री जी तो यह है ही कहां ?

श्री मथुरादास माथुर : शिक्षा मंत्री जी की ठोल वाले तो हैं।

उन्होंने यह जवाब दिया कि परीक्षायें होंगी। मैं दो प्रश्न और पूछ रहा हूं कि जो शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं, उनसे क्या शिक्षा मंत्री जी, हाल के शिक्षा मंत्री जी नेगोशियेशन कर रहे है ? अगर कर रहे हैं तो क्या वार्ता चल रही है या टूट गई है ? अगर नेगोशियेशन चालू है तो शिक्षा मंत्री जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त हाउस में हाजिर नहीं होकर यह प्रिजम्पशन हमारे दिल में पैदा कर रहे हैं कि वह इस वक्त बैठे बैठे उन लोगों से नेगोशियेशन कर रहे हैं। अगर नेगोशियेशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या डवलपमेंट हो चुके

Page No. 81

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं। जो कुछ भी डवलपमेंट हुए हों, सदन को स्थगित करने से पहले आज की तारीख में ही, जो फाइनल रिजल्ट्स आए हों उनकी क्या सरकार सदन को इत्तला करने की कोशिश करेगी ?

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता प्रकट की है, राज्य सरकार को भी निश्चित रूप से उतनी चिन्ता है। इस समय दो प्रश्न सामने खड़े हैं। लाखों विद्यार्थियों का जीवन और उनकी परीक्षा का विचार। जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि अध्यापकों में द्वितीय श्रेणी के अध्यापक, जो बहुत बड़ी संख्या में स्कूलों में रहते हैं, और तृतीय श्रेणी के अध्यापक, जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, और शिक्षक संघों में भी जो दो गुट हैं, उनमें से एक गुट के अध्यापक इस परीक्षा में सहयोग देने को तैयार हैं, और परीक्षायें निश्चित रूप से विधिवत् होंगी। राज्य सरकार ने सारी व्यवस्था कर ली है। अब जो बचे हुए वरिष्ठ अध्यापक हैं, मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, उनसे अपील करना चाहता हूं कि उनकी मांगें जरूर हैं मांगों पर विचार हो रहा है, वार्ता के कभी द्वार बन्द नहीं किए गए हैं। जैसे डीडवाना से····

श्री श्योपतसिंह मकासर : मगर माना भी नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पूरी बात तो कहने दीजिये। अगर मेरे बोलने से आपको तकलीफ है तो बैठ जाता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जरा हिम्मत रखो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जैसा डीडवाना से पधारे हुए माननीय सदस्य महोदय ने कहा, राज्य सरकार से वार्ता के द्वार हमेशा खुले हैं या नहीं, बातचीत हो रही है या नहीं। माननीय मन्त्री जी स्वास्थ्य खराब होने की दृष्टि से स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाने से चले गए हैं। वैसे वार्ता के द्वार हमेशा खुले हुए हैं लेकिन एकदम से निर्णय कर दें ऐसी बात नहीं है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि परीक्षायें होंगी, विधिवत् परीक्षा होने की व्यवस्था कर ली गई है और बहुत से अध्यापकों ने, बहुत अधिक संख्या में अध्यापकों ने पूरा पूरा सहयोग देने का तय किया है। जहां तक वरिष्ठ अध्यापकों की समस्याओं का सवाल है, वेतनमानों का सवाल है, मैंने दोनों बातें आपके सामने कही थीं। वेतनमानों पर कभी टुकड़ों में विचार नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों से सम्बन्ध रखने वाली बात है। इस पर विस्तार से विचार किया जा रहा है, अन्य भी बहुत सी बातें हैं जिन पर लगातार विस्तार से विचार चल रहा है और जो भी निर्णय होगा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो स्पेसिफिक सवाल है, राज्य सरकार के सामने वह लाखों विद्यार्थियों का सवाल है इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा इसमें उनको राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिये और हमारे साथ कन्धे से कन्धा मिला कर खड़ा होना चाहिए ताकि परीक्षायें ठीक रूप से हो जायें। यह विद्यार्थियों के जीवन का प्रश्न है। अध्यापकों की समस्या पर भी हम विचार करेंगे, यह

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मैंने आपसे पहले भी निवेदन कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सूर्यनारायण चौधरी, उद्योग के सम्बन्ध में मांग विचारार्थ पेश करेंगे।

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि अजमेर के दयानन्द कालेज में जो हड़ताल चल रही है. . .

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जैसे सुबह अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी, माननीय शिक्षा मन्त्रीजी सारे मामले पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर की समस्या बहुत गम्भीर है। कालेजों में हड़ताल चल रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस समस्या को सुलझाने की आप व्यवस्था करें। अजमेर की समस्या बहुत खराब हो रही है, वहां स्कूल बन्द हैं, कल अजमेर बन्द रहा है। इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाना आवश्यक है इसलिए, शिक्षा मन्त्री जी, आपको बीच में पड़ कर इस समस्या को हल करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आप पहले सुनें तो।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कोई पोइन्ट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: पन्द्रह दिन पहले मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था लेकिन अभी तक उसके बारे में सूचना नहीं मिली है· · ·

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में यहां पूछताछ नहीं की जाती है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : फिर कहां पूछें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आफिस में। माननीय श्री सूर्यनारायण।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 42, उद्योग व मांग संख्या 43, खनिज की प्रस्तुति

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 4,67,02,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43-खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,66,39,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(श्री कैलाश मेघवाल)

मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन पोल, जयपुर):

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क जयपुर):

1. जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की दुर्दशा पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर):

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी):

2. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े उद्योग लगाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. राजस्थान के खनिज क्षेत्र की दयनीय दशा से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल):

5. मांडल जिला भीलवाड़ा में गन्ने की शक्कर बनाने हेतु सहकारी मिल लगवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही):

6. सिरोही जावाल आदि गांवों में करघे लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

7. आहौर तहसील के ग्राम उम्मेदपुर से लगाकर सांकरणा के गांवों में बिजली करघे लगाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना):

8. मकराना संगमरमर की बनी कला पूर्ण उपयोगी चीजों को विदेश भेजने के लिये चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदी कुई):

9. दौसा बांदीकुई में औद्योगिक क्षेत्र घोषित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी):

10. बिलाड़ा, सोजत, बोरून्दा के आस पास जहां लाखों टन चूने के पत्थर उपलब्ध हैं। अतः सीमेंट का मिनी प्लान्ट लगाने हेतु चर्चा के लिये।

11. उद्योग व लघु उद्योग शहरी क्षेत्रों में व शहरों के आसपास लगाने की प्रवृत्ति से गांवों की हो रही उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना):

12. नागौर जिले में जिप्सम व लाइम बेस्ड उद्योग लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

13. नागौर जिले में सीमेंट का कारखाना लगाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

14. ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) :

15. दीगोद के लोहारों के लिये औद्योगिक बस्ती बसाने तथा उन्हें हर प्रकार से कर्ज तथा सब्सिडी देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

16. देहाती क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में विभाग द्वारा पक्षपात किये जाने पर चर्चा के लिये।

मेजर श्री फतह सिंह (भीम) :

17. लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण केन्द्र, कल्याण जी का रास्ता, जयपुर की मान्यता तथा छात्रों से वसूल की जाने वाली रुपये एक हजार प्रति छात्र प्रति वर्ष फीस पर विभाग का कोई नियन्त्रण नहीं है इस पर चर्चा के लिये।

18. राज्य में प्लास्टिक ट्यूब एवं बेंगल्स को उद्योग विभाग द्वारा सहायता दिलाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

19. विभागीय सहायता न मिलने के कारण राज्य की औद्योगिक सहकारी समितियों की असफलता पर चर्चा के लिये।

20. खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. बाड़मेर जिले में गलीचा उद्योग के प्रोत्साहन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. उद्योग विभाग द्वारा उदासीन नीति अपनाने के कारण बाड़मेर जिले के बाड़मेर नगर में खत्रियों की रंगाई छपाई का धंधा प्राय: नष्ट हो गया है जिसके कारण उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

23. नमक व्यापार सुचारू रूप से नहीं चलाने पर चर्चा के लिये।

24. प्रशासनिक खर्च घटाने पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

25. जोधपुर में उद्योगों को विद्युत दिलाने में विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने एवं उद्योग विभाग द्वारा कागजी कार्यवाही में समय नष्ट करने पर चर्चा के लिये।

श्री अजीतसिंह (टौंक) :

26. टौंक शहर में औद्योगिक बस्ती (इण्डस्ट्रियल एस्टेट) तुरन्त घोषित करवाने हेतु चर्चा के लिये।

27. ग्रामवासियों के ग्रामोद्योग में उत्पादित वस्तुओं की सरकार द्वारा बाजार तलाश करने व इन वस्तुओं के विक्रय की गारन्टी देने पर चर्चा के लिये।

28. ग्राम में लघु उद्योग पनपाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) :

29. भरतपुर जिले में उद्योगों की दयनीय स्थिति एवं नई सम्भावनाओं के विषय में चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

30. पूरे राजस्थान को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित न करने पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

31. पाली शहर में उद्योग लगाने के कारण होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

32. नई परिस्थितियों के सन्दर्भ में राज्य की नवीन औद्योगिक नीति का स्पष्टीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

33. प्रशासनिक व्यय के अनुपात में प्रदेश का औद्योगीकरण नहीं होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) :

34. उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री खेत सिंह राठौड़ (शेरगढ़):

35. उद्योग स्थापित करने के बारे में जोधपुर जिले की उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):

36. जालौर में ग्रेनाइट की फैक्ट्री लगाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा):

37. राजस्थान के लिए कोई औद्योगिक नीति घोषित करने में सरकारी असफलता पर चर्चा के लिये।

38. राजस्थान में औद्योगिक संस्थानों में व्याप्त बेचैनी पर चर्चा के लिये।

39. नीम का थाना (मावण्डा) में सीमेन्ट का कारखाना नहीं खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल):

40. भीनमाल क्षेत्र में लघु उद्योग स्थापित करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही):

41. सिरोही में उद्योग बस्ती कायम कराने हेतु तथा जो भूमि रंगाई कारखाने हेतु ली गई है और जिस पर भवन बन गया परन्तु उसे आवंटित दो वर्ष से नहीं की गई उसकी चर्चा के लिये।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

42. उद्योग विभाग में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को उद्योग लगाने हेतु निर्धारित कोटा रिजर्व कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर):

43. ब्यावर के सीमेन्ट आर्टिकल की फैक्ट्रियां की संकटपूर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. ब्यावर में एन. टी. सी. मिल्स को उद्योग विभाग द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

45. ब्यावर में जिला उद्योग अधिकारी स्तर का कार्यालय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

Page No. 86

(श्री उगमराज मेहता)

46. ब्यावर क्षेत्र में उद्योग के विकास के संबंध के लिये चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

47. जिला जालोर में उद्योगों के विकास के बारे में सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति की चर्चा के लिये।

48. जिला जालोर में कुटीर उद्योगों के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

49. राक फास्फेट पर आधारित उदयपुर में खाद के कारखाने की स्थापना करने पर चर्चा के लिये।

50. उदयपुर डिविजन में वन सम्पदा के आधार पर चलने वाले उद्योग की स्थापना पर चर्चा के लिये।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

51. राजगढ़ (अलवर) में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

52. किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण कस्बों में राज्य सरकार द्वारा उद्योग न लगाने के फलस्वरूप जनता में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

53. किशनगढ़ में नये राजकीय उद्योग न लगाने से व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

54. मांडल क्षेत्र में कृषि पर आधारित कुटीर एवं ग्रामोद्योग की विकास योजना बनाने बाबत चर्चा के लिये।

55. पंचायत समिति मांडल जिला भीलवाड़ा में ऊन का जिले में प्रथम उत्पादन केन्द्र होने के कारण ऊनी उद्योग की स्थापना बावत चर्चा के लिये।

56. मांडल जिला भीलवाड़ा की एक मात्र फसल गन्ना होने के कारण मांडल में बड़ी शुगर मिल्स लगवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री राधेश्वर प्रसाद (जमवा रामगढ़) :

57. जमवा रामगढ़ में चूना पत्थर (जयपुर) में सब से ज्यादा मिकलता है इसलिए सीमेन्ट का कारखाना खुलवाने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

58. बीमार लघु उद्योगों को सही रूप से चलाने हेतु एक कमीशन बिठाया जाय जिससे ऐसे उद्योग सही चलाये जा सकें इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

59. रामगंज मण्डी तहसील को पिछड़ा हुआ औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराने तथा नये उद्योग नीति के अभाव पर तथा गांवों में उद्योग स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं):

60. गांवों में लघु उद्योग खोलने, ऋण उपलब्ध कराने, औद्योगिक सर्वे करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व):

61. अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित कराने एवं नये उद्योग स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा):

62. बूंदी जिले में एक और गन्ना सहकारी मिल एव एक उद्योग खोलने की राज्य सरकार की घोषणा की क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):

63. केशवराय पाटन में केशव क्रय विक्रय सोसाइटी द्वारा लगाये जा रहे चावल मिल को उद्योग विभाग द्वारा भूमि दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूनी):

64. ग्रामीण जनता को उद्योग स्थापित करने हेतु आकर्षित करने हेतु गांवों में लघु उद्योगों का व्यापक प्रसार कर कृषि पर से भार कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा):

65. पानी की कमी से उद्योगों के बन्द होने की संभावनाओं पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (नोहर):

66. उद्योगों में सुधार तथा विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज):

67. किशनगंज क्षेत्र में ग्रामीण उद्योग चालू करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा) :

68. झालावाड़ जिले में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को गति देने के विषय में चर्चा के लिये।

69. भवानी मण्डी में पावर लूम प्रारम्भ करने में सरकार की आनाकानी की नीति पर चर्चा के लिये।

70. सुनेल पिड़ावा आंचल में फलों पर आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

71. औद्योगीकरण किये जाने में प्रदेश में व्याप्त क्षेत्रीय असतुलन समाप्त करने की चर्चा के लिये।

72. झालावाड़ जिले में उद्योग के लिये 15 प्रतिशत अंशदान देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना):

73. झालावाड़ जिले को औद्योगिक क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) :

74. जालोर जिले में ग्रेनाइट काम्पलेक्स, ऊन व अन्य उद्योगों के विकास हेतु चर्चा के लिये।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू):

75. उद्योगों के लिये हाड़ोती क्षेत्र की उपेक्षा की जाने पर चर्चा के लिये।

Page No. 88

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

76. ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

77. उद्योग विभाग की ओर से चूरू व लाडनू में लगी ऊनी धागे की मिलों को पब्लिक सैक्टर से प्राइवेट सैक्टर में स्थानान्तरित किये जाने संबंधी विभाग से होने वाली कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़):

78. चूरु जिले में चमडा, ऊन कताई, बुनाई हेतु बुनकरों को प्रोत्साहन देकर गृह उद्योग बढ़ाये जायें, के बारे में चर्चा के लिये।

79. जिला चूरू का रूरल प्रोजेक्ट (उद्योग) देहातों में गृह उद्योग स्थापित करने एवं ग्रामीणों को उद्योग हेतु ऋण देने में असफल रहा है, पर चर्चा के लिये।

80. सुजानगढ़ बुनकर बस्ती के अधूरे मकानों के बारे में चर्चा के लिये।

81. तालछापर वेसिल इन एरिया के बारे में तथा सुजानगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाय, के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं):

82. झुन्झुनूं जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा):

83. मावन्डा नीमकाथाना में सीमेंट का कारखाना नहीं लगने पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर):

84. पचपदरा नमक उद्योग के विकास हेतु अपर्याप्त प्रावधान किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बत्ती लाल (टोडा भीम):

85. उद्योग और कृषि का अन्योन्याश्रित संबंध होने से कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

86. इन्द्रगढ़ कस्बे में सीमेन्ट उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

87. खातोली में गलीचा उद्योग खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

88. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा):

89. बांसवाड़ा जिले में औद्योगिक क्षेत्र में लगाये जाने वाले उद्योग के उपयोग में आने के अतिरिक्त भूमि के बड़े बड़े भूखण्ड दिये गये हैं जिन पर खेती की जा रही है, उस पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना):

90. झालावाड़ जिले में वन सम्पदा पर उद्योग लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर (हनुमानगढ़):

91. उद्योगों में मजदूरों की साझेदारी कायम करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (माण्डल):
श्री भैंरू लाल बैरवा (शाहपुरा):

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

(श्री भैरूलाल बेरवा)

92. ग्राम व लघु उद्योगों को स्वनिर्भर व जनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करने की नीति अपनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग के नाम पर ली गयी जमीन का दुरुपयोग रोकने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

94. उद्योगों के लिए राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण प्रदाय की जो प्रक्रिया दोष पूर्ण है उसपर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश सिंह (धोलपुर)।

धौलपुर में कारखानों के अभाव को देखते हुए बड़ा सीमेन्ट का कारखाना खोलने या सूत या टायर फैक्टरी लगायी जावे इस पर चर्चा के लिये

डा० गंगा सहाय (बहरूमर):

96. राजगढ़ (अलवर) में मिनी सीमेन्ट कारखाना लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा):

97. खेरवाड़ा तहसील में खनिज आधारित उद्योग लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

98. ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री केशव किशोर जैन (भीलवाड़ा):

99. शूगर फैक्ट्री द्वारा गन्ने के मूल्य में कमी से किसानों में उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर):

100. राजस्थान के उद्योगों की शिथिलता एवं राजस्थान के प्रवासी उद्योगपतियों द्वारा उपेक्षा एवं उद्योगों में आमूल-चूल क्रान्ति की आवश्यकता जिला नागौर के बारे में चर्चा के लिये।

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ):

श्री रंगजी (सपोटरा):

101. सवाई माधोपुर जिले के महुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिये जाने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

श्री अचलाराम (देसूरी):

102. सादड़ी-मारवाड़ एवं देसूरी क्षेत्र में हैण्डलूम लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़):

103. रतनगढ़ में उद्योगों के लगाने में उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार):

104. सवाई माधोपुर में कोली जाति के हरिजनों को हाथकर्घा उद्योग दिया जाये तथा रेगरों के लिए चमड़ा सफाई व जूते बनाने इत्यादि का कारखाना खोला जावे, इस पर चर्चा के लिये।

105. सवाई माधोपुर जिले में केवल एक जयपुर उद्योग लिमिटेड सीमेन्ट कारखाना के कारण यह जिला उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित नहीं है इससे यहां की जनता आर्थिक दृष्टि से बड़ी गरीब है इस जिले में उद्योगों के लिए व्यापक

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

गुंजाइश है अतः प्रोत्साहित किया जावे तथा उद्योगों के संबध में बैकवर्ड जिला घोषित शीघ्र किया जावे इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह यादव (फुलेरा):

106. अलवर के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए यहां ड्राई पोर्ट का निर्माण होना चाहिए, के विषय में चर्चा के लिये।

श्री आलमअली खां (फतेहपुर):

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

107. राज्य में बड़े उद्योग में काम में आने वाली चीजों के छोटे छोटे उद्योग स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर):

108. चुरू व लाडनूं में वूलन मिलों से तैयार किये गये धागे को कुटीर उद्योगों में प्रयोग न किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा: बनीपार्क, जयपुर

109. उद्योग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, धांधली, अनियमितताएं व अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

110. प्रदेश के औद्योगिक विकास की सही योजना एवं परियोजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी):

111. फलौदी तहसील के लिये किसी उद्योग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन)

112. कपासन तहसील में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु तथा गिरवा तहसील वासियों को रोजी देने के लिए लघु उद्योग खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्य (डग):

113. डग निर्वाचन क्षेत्र जिला झालावाड़ सदैव उपेक्षित रहा है अतः अब इस क्षेत्र के विकास हेतु उद्योग लगाये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां):

114. ग्रामों में उद्योग को प्रोत्साहित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा):

115. राजस्थान में उद्योग लगाने पर प्रशासनिक रुकावटों को दूर करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर):

116. डूंगरपुर क्षेत्र में उद्योग स्थापित कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली):

117. औद्योगिक वितीय संस्थाओं को दिए गए ऋण का उपयोग पूंजीपतियों द्वारा किये जाने पर चर्चा के लिये।

118. शिक्षक बेरोजगारों को ग्राम और लघु उद्योग खोलने की ओर प्रवृत्त करने की असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री नरेन्द्र पाल सिंह चौधरी)

119. ग्राम और लघु उद्योगों के लिए दिए जाने वाले ऋण में नाथद्वारा की उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये।

120. नाथद्वारा पेन्टिंग व मीनाकारी उद्योग के विकास हेतु योजनाबद्ध लघु-कुटीर उद्योग प्रारंभ करने व सर्वे कराकर योजना के आधार पर क्रियान्विति हेतु चर्चा के लिये।

121. नाथद्वारा-मावली क्षेत्र में संभावित उद्योगों के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

122. राजस्थान में खण्डसारियों के मालिकों को गन्ने के निश्चित भावों से कम नहीं खरीदने देने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

श्री भैरूलाल बैरवा (शाहपुरा)

123. शाहपुरा में ऊन का उद्योग लगाने बाबत चर्चा के लिये।

124. मांडल में क्राकरी उद्योग को पनपाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

125. थानागाजी क्षेत्र में उद्योग खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा :

126 कृषि उपजों से संबंधित उद्योगों के विस्तार पर चर्चा के लिये।

127. नीमला की लोहे की खानों के पास ग्राम सेंथल के बारोंदा बांध के नजदीक लोहे का कारखाना स्थापित करने के बारे में चर्चा के लिये।

128. राज्य के औद्योगीकरण की संभावनाओं पर चर्चा के लिये।

129. दौसा में उद्योग प्रारम्भ करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के बारे में चर्चा के लिये।

130. दौसा उपखण्ड में कृषि जन्य उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार की ओर से इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बनाने व अन्य प्रयास करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री चिरंजीलाल (पुष्कर) :

131. पीसांगन को इन्डस्ट्रीयल एरिया घोषित कराने तथा पंचायत समितियों में ही लघु उद्योग स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री आर. डी. यादव (चौमू) :

132. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के अभाव होने एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करने की चर्चा के लिये।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) :

133. जिले सवाई माधोपुर में उद्योग लगवाने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

134. ग्रामीण परियोजना क्षेत्रों में लोकल रा मेटीरियल बेस्ड धन्धों को प्रोत्साहन दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री मेघराज पंवार)

135. चूरू में स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा चलाये जाने वाले रा मेटीरियल डिपो में स्टोर न होने से मेटेरियल में होने वाले नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सैयद मन्जूर अली (सवाई माधोपुर):

136. सवाई माधोपुर में इन्डस्ट्री लगाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नूरा (मसूदा):

137. राजस्थान में स्थापित किये गये व किये जा रहे बड़े उद्योगों को सरकारी स्तर पर चलाने बाबत चर्चा के लिये।

138. लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने ग्रामों में लघु उद्योग के विकास पर चर्चा हेतु के लिये।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय):

श्री सुभाषचन्द्र (सूरजगढ़):

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़ :

श्री हरीकृष्ण नदवई):

139. खनिज में आने वाली तमाम वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होती है और कारखाने शहरों में लग रहे हैं ये गांवों में लगें इस पर चर्चा के लिये।

140. गांवों में उद्योग लगें और गरीब काम पर लगें, बेकार न रहें ऐसी योजना बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर):

श्री नत्थीसिंह (लछमनगढ़):

श्री हनवन्त सिंह (बाली):

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर):

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़):

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़):

141. राजस्थान में सहायक उद्योग धन्धे खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर):

142. प्राथमिकता के आधार पर पिछड़े व रेगिस्तानी क्षेत्रों में निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रोत्साहन देने तथा ऊन व चमड़ा आधारित उद्योग अधिक लगाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री लालदास (फलासिया):

143. कोटड़ा एवं फलासिया क्षेत्रों में औद्योगिक विकास किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविंद सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़):

144. उदयपुर जिले का औद्योगिक विकास किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री आलम अली खां (फतहपुर):

145. गांवों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिये जाने बाबत साधन जुटाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल):

146. कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक लाख की बिक्री को बिक्री कर से मुक्त कराया जाय इस पर चर्चा के लिये।

147 विभाग द्वारा साबुन लघु उद्योग को टेलो (चर्बी) नहीं देकर टेलो फेटी एसिड देते हैं जिससे साबुन की क्वालिटी खराब होती है जब कि बड़े उद्योगो को उक्त सुविधा देकर क्वालिटी को बढ़ावा मिलता है इस पर चर्चा के लिये।

148. साबुन उद्योग एव अन्य लघु उद्योग में उपयोगिता हाथ से चलने वाली मशीन को मशीन नहीं मानते जिससे छूट नहीं मिल पाती इससे उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर):

149. ग्राम पीपलिया पंचायत समिति रायपुर जिला पाली मे आर. एम, डी. सी. द्वारा बनाये गए शेड्स कमजोर हैं व ढह गए हैं अतः इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरा पाटन):

150. झालावाड़ जिले के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डौली)

151. पिछड़ा हुआ औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जावे तथा शूगर मिल, सीमेन्ट का कारखाना व कांच का कारखाना खोला जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

152. बाड़मेर जिले में जट पट्टी के उद्योग को बढ़ावा देने में उद्योग विभाग असफल रहा है जिस पर चर्चा के लिये।

153. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने में उदासीनता अपनाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मनगढ़):

154. सीकर जिले में उद्योगों की स्थापना में लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के बीच में ऊन का कारखाना स्थापित नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

155. कोटा में लघु उद्योग संकटापन्न स्थिति से गुजर रहे हैं चूंकि उन्हें कच्चा माल नहीं मिल रहा इस पर चर्चा के लिये।

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ):

156. जिला सवाई माधोपुर में उद्योग स्थापित न किये जाने से जनता में व्याप्त रोष इस पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां):

157. कामां क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़ अलवर):

158. कुटीर उद्योग को समुचित ढ़ग से पनपाने पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल (जैतारण):

159. ग्रामीण उद्योगों के लिये आशाजनक नीति अपनाई जाने पर चर्चा के लिये।

(शंकरलाल जैतारण)

160. बेरोजगार इन्जीनियरों को वित्त निगम से दिये कर्जे से लगाये उद्योग की असफलता के कारण वसूली में छूट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

161. पाली की औद्योगिक बस्तियों की सरकार द्वारा अवहेलना किये जाने व सुविधा न देने की शिकायत पर चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) :

162. राजस्थान खादी ग्रामोद्योग द्वारा बाड़मेर जैसलमेर जिलों में ऊनी गृह उद्योग के प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री लालशंकर डेढोर (सागवाड़ा) :

163. सागवाड़ा में कॉटन मिल्स व अन्य फैक्ट्री लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

164. सोजत के पास आर० आई० एम० डी० सी० द्वारा मिनी सीमेन्ट प्लांट लगाने की चर्चा के लिये ।

165. खनिज आधारित उद्योगों को खानों के पास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा):

166. जिला जोधपुर और पाली जहां लाईम स्टोन बहुतायत में उपलब्ध है वहां आर० आई० एम० डी० सी० द्वारा मिनी प्लांट सीमेन्ट लगाने बाबत चर्चा के लिये ।

167. बिलाड़ा क्षेत्र में जहां उद्योग स्थापित करने हेतु आवश्यक सामग्री प्राप्त हो वहां ऐसे उद्योग खोलने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत):

168. उत्तर पश्चिम क्षेत्र विशेषकर बीकानेर जिले में ऊन पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

169. कोलायत क्षेत्र में प्राप्त खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

170. बीकानेर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन एम्पोरियम खोलने व कोलायत में आर० आई० एम० डी० सी० की इन्डस्ट्रीयल एस्टेट खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

171. बीकानेर क्षेत्र में छोटा सीमेन्ट प्लान्ट व खाद का कारखाना खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम)

172. अजमेर में उद्योगों को पनपाने के लिये बिजली, ऋण, निरीक्षण समय समय पर उपलब्ध कराया जावे इस पर चर्चा के लिये ।

173. अजमेर में एच० एम० टी० घड़ी के कारखाने खोलने की घोषणा कराने में सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को ठोस सुझाव देने की शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

174. ऊनी मिल बीकानेर में पड़े धागे को नहीं बेचने से हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये ।

(हरजीराम बुरड़क)

175. ग्रामीण औद्योगिक परियोजना नागौर द्वारा दिये जा रहे ऋण में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री रणजीतसिंह राठौड़ (ओसियां):

176. ग्रामों के औद्योगीकरण हेतु स्पष्ट नीति के अभाव से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री अयूब खां (तिजारा) :

177. उद्योग खोलने में बरती जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर):

178. मकराना में औद्योगिक बस्ती के विकास की शीघ्र क्रियान्विति हेतु चर्चा के लिये।

179. परबतसर कस्बा में नये उद्योग (हैंन्डलूम इत्यादि) व कुटीर उद्योगों के विकास के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (तारानगर):

180. चूरू जिले की तहसीलों में उद्योगों के अभाव पर चर्चा के लिये।

वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर):

181. गंगापुर में लघु उद्योग स्थापित करने में राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

182. राज्य सरकार द्वारा लघु उद्योगों को समय पर कच्चा माल नहीं देने पर चर्चा के लिये।

183. जिला सवाई माधोपुर में उद्योग न लगाने के बारे में सरकार के द्वारा उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री इन्दरसिंह शेखावत (गुढ़ा):

184. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर):

185. श्री माधोपुर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जावे इस पर चर्चा के लिये।

186. रींगस को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जावे इस पर चर्चा के लिये।

187. रींगस में उद्योग स्थापित करने के लिये सस्ते भावों में कृषि भूमि खरीदी किन्तु उस पर अभी तक उद्योग स्थापित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

188. राजस्थान सरकार की अस्पष्ट औद्योगिक नीति पर चर्चा के लिये।

189. राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति पूंजीपति ग्रस्त होने के कारण पूंजीवाद का एकाधिकार होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

190. पाली शहर में जगह-जगह उद्योग बस्तियां लगा कर खेती की जमीन को बरबाद किये जाने पर चर्चा के लिये।

191. राज्य सरकार द्वारा बुनकरों द्वारा बनाई गई पट्टियां, चद्दरें, तकिये की खोलियां आदि खरीदने के आदेश देने के उपरान्त भी पावर लूम की बनी हुई उपरोक्त वस्तुएं खरीदने से जुलाहों को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

1 श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर)

2 श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

1. राज्य के खनिज विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

2. राजस्थान के खनन शक्ति का पूरा उपयोग व अनुसन्धान किये जाने पर चर्चा के लिये।

1 श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) :

2 श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर):

3 श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी):

3. खनिज विभाग द्वारा खनिज क्षेत्रों के विदोहन हेतु व्यापक सर्वे नहीं किये जाने से होने वाली क्षति पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल):

4. भीलवाड़ा जिले में अभ्रक खानों के उचित विकास बाबत चर्चा के लिये।

5. भीलवाड़ा जिले में अभ्रक की खानों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

6. खनिज विभाग द्वारा खनिज क्षेत्रों में विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

7. सिरोही में तांबें की खानें मिली है उनमें ताम्बे की मात्रा नीम का थाना से श्रेष्ठ है अतएव तांबा संयन्त्र वसन्तगढ़ में लगाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

1 श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

2 श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई):

8 राजस्थान खनिज सम्पदा के पूर्ण विकास के बाबत चर्चा के लिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) :

9. बिजोलिया की पत्थर की खानें केवल हाथ से काम करने वालों को देने तथा एक प्लॉट से अधिक नहीं देने की चर्चा के लिये।

10. किसी भी हालत में खेती की जमीन बिजोलियों की खान के लिये नहीं देने तथा जिन्होंने बिना आज्ञा के काम में ले लिया है, उन्हें सजा दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

11. बिजोलिया में जो-जो जमीन फोरेस्ट में दर्ज है और चरागाह में दर्ज हैं उसे खानों के लिये नहीं देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर):

12. बाड़मेर जिले में खनिज सम्पदा की खोज के लिये नये सिरे से विस्तृत सर्वे कराने में राज्य सरकार की उदासीन नीति पर चर्चा के लिये।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

13. बाड़मेर एवम् जैसलमेर जिलों में राक-फास्फेट की बाहुल्यता होते हुए भी उसका उपयोग करने में राज्य की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

14. बाड़मेर जिले में खनिज क्षेत्रों में विभाग द्वारा सड़कों के विकास हेतु योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

15. खानों का पट्टा देने में की जा रही देरी पर व प्रार्थियों को परेशान करने पर चर्चा के लिये।

श्री विरदमल सिंघवी (जोधपुर):

16. बाड़मेर में बेन्टोनाइट की खानों से उत्पादन नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

17. बाड़मेर की जिप्सम की खानों को प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

18. जोधपुर की पत्थर की खानों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली):

19. खनिज विभाग में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

20. गांव खुटाणी तहसील पाली में जिप्सम की लीज गांव वालों व गरीबों को न देने के कारणों पर चर्चा के लिये।

21. गांव अरबरा व सोजत रोड आदि में चूने की लीज चन्द व्यक्तियों को देकर एकाधिकार की भावना पर रोक लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़):

22. खनिज के पट्टों के वितरण में होने वाली अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना):

23. खनिज विभाग द्वारा दोहरी नीति अपनाने व सवाई माधोपुर करोली में प्लाटस का वितरण न करने तथा विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा):

24 हमारे जिले में खनिज सम्पदा का भण्डार है उसकी सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल):

25. भीनमाल तहसील में जहां ग्रेनाइट उपलब्ध हैं वहां लोगों को प्लाट आवंटित करने में प्राथमिकता दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही):

26. खनिज के ठेकेदारों को वन विभाग द्वारा सताये जाने पर विभाग द्वारा कोई संरक्षण प्रदान नहीं करने पर चर्चा के लिए।

27. सिरोही खनिज अभियन्ता कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा हेतु।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

28. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर):

29. जिला जालौर में खनिज सर्वेक्षण एवं खनिज विकास कार्यों के बारे में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिए।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा):

30. माइका माइन्स भीलवाड़ा में मिटको द्वारा खरीद से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

31. दरीबा जिला भीलवाड़ा में लोहा तथा तांबा के सर्वेक्षण से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री समरथ लाल (राजगढ़):

32. राजगढ़ (अलवर) में खनिज भण्डारों का सर्वे करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. राजगढ़ (अलवर) एरिया की समस्त खानों को सड़कों से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिए।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़):

34. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ का खनिज की दृष्टि युक्त सर्वेक्षण करवाने बाबत चर्चा के लिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल):

35. मांडल पंचायत समिति में अभ्रक उद्योग, जो आज की तारीख में काफी गति पर है, कोटड़ी से टहूका तक खनिज क्षेत्र में सड़क बनाने बाबत विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):

36. खनिज सर्वे व खनन में बर्ती जा रही अनियमितताओं को दूर करने हेतु क्षेत्रीय खनिज विकास समिति बनाने पर चर्चा के लिए।

श्री एच० एन० शर्मा (बेगू):

37. नये खनिज पट्टे खान कार्य में निपुण मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर दिलाने बाबत चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

38. झामर कोटड़ा माइन्स में व्याप्त भ्रष्टाचार एव अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

39. खान एवं भू-विज्ञान विभाग में मेकेनिकल इंजीनियर द्वारा खरीदे गये पार्टस के मूल्यों में भारी घोटालों पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी):

40. खनिज पट्टे छोटे-छोटे टुकड़ो में देन चाहिए जिससे एकाधिकार समाप्त किया जा सके, इस पर चर्चा के लिए।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा):

41. जोधपुर में खनिज क्षेत्रों के विकास में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुरसिंह (नोहर):

42. खनिज सम्पदा सर्वेक्षण हेतु आयोग बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

43. झालावाड़ जिले व पिड़ावा क्षेत्र में खनिज सम्पदाओं की संभावनाओं का पता न लगाने पर चर्चा के लिए।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

44. चूरू जिले को खनिज विभाग के प्रशासनिक कार्य हेतु बीकानेर माइनिंग इन्जीनियरिंग के कार्यालय से हटा कर बहुत दूरी के जिला गंगानगर माइनिंग इन्जीनियरिंग के प्रशासन के अन्तर्गत सौंपे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

45. चूरू जिले की रणधीसर डूंगरी पर रायल्टी वसूली पोस्ट कायम कराने बाबत चर्चा के लिए।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) :

46. करौली एवं हिण्डौन के खान कोटा के विकास करने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

47. जिला सवाई माधोपुर में खनिज विभाग की रोयल्टी एवं अन्य बकाया को वसूल करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) :

48. सूरसागर क्षेत्र की पत्थर की खानों का विकास करवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रावतराम (सुजानगढ़) :

49. गांव रणधीसा की डूंगरी (जिला चूरू) की पहाड़ी पर वहां के व्यक्ति को लीज पर पत्थर तोड़ने का कार्य नहीं दिया गया और जिन्होंने मांग की, उनके साथ न्याय नहीं किया गया इस पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

50. शेखावाटी के पहाड़ों में खनिज पदार्थों की खोज कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

51. बांसवाड़ा जिले में बेरोजगार लोगों को खदानों के भू-खण्ड रियायती दरों पर देने बाबत चर्चा के लिए।

52. उदयपुर डिवीजन में पत्थरों की खदानों में बेरोजगार लोगों को प्राथमिकता दी जाने पर चर्चा के लिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

53. खनिज कार्यों में ठेका व्यवस्था खतम की जावे तथा मजदूरों की समितियों को खनन हेतु पट्टे दिये जावें तथा सरकार माकूल धन की व्यवस्था करावे, इस पर चर्चा के लिये।

(1) श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

(2) श्री भैरूंलाल बेरवा (शाहपुरा) :

54. भीलवाड़ा जिले में सोप स्टोन पर उदयपुर मिनरल के एकाधिकार को समाप्त कर छोटी-छोटी लीज दिये जाने पर चर्चा के लिये।

55. भीलवाड़ा जिले की दरीबा राक फास्फेट परियोजना को प्रारम्भ कराने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)
(श्री भैरू लाल बैरवा)

56. खानों व खनन पट्टों से सम्बन्धित अपीलों आदि की सुनवाई के लिए वर्तमान में प्रचलित अधिकारी स्तर की व्यवस्था को समाप्त कर न्यायिक व्यवस्था हो, यह सहायक अभियन्ता स्तर पर हो, इस पर चर्चा के लिए।

57. अभ्रक एक विदेशी मुद्रा प्राप्ति का साधन है, अभ्रक खानों के खनन कार्य में असुरक्षा व्याप्त है, गहराई का माल जमीन में रह जाता है अतः खानों की वैज्ञानिक तरीके के आधार पर व्यवस्था व निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) :

58. खानों के विकास के लिये सड़कों की कमी जिससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गंभीरलाल (सराड़ा):

59. जावर माइन्स में स्थानीय लोगों को कार्य पर नहीं लिया जाता एवं उनके स्थान पर अन्य राज्यों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिससे स्थानीय लोगों के मन में भारी निराशा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गंगासहाय (कठूमर) :

60. भवानी तांबा खान को चालू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शीशराम ओला (पिलानी):

61. जिला झुन्झुनूं में खनिज सर्वेक्षण एवं खनिज विकास कार्यों में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

62. राजस्थान के खनिजों में चोरी, दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार, इसमें तुरन्त परिवर्तन एवं खनिजों का सदुपयोग एवं उद्योग हित में खनन विशेषतया जिला नागौर में हो, इस पर चर्चा के लिये।

श्री अचलाराम (देसूरी) :

63. सोनाणा का सफेद पत्थर देसूरी के पास निकल रहा है इस पर विभाग का कोई ध्यान नहीं है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

64. बूंदी जिले में खनिज सम्पदाओं का भण्डार है अभी एल्यूमिनियम का पता चला है, अतः खनिज सम्पदा का भरपूर उपयोग कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) :

65. सवाई माधोपुर जिले में खनिज एक्सप्लोरेशन व खोज से लोहा, रेड आक्साइड व अन्य कीमती सम्पदा उपलब्ध हो सकती है, अब तक यह जिला उपेक्षित रहा है, इसके सर्वे कराने हेतु चर्चा के लिये।

(1) श्री आलम अली खां (फतेहपुर):
(2) श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

66 राज्य के खनिजों का सर्वेक्षण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर):

67. चूरू जिले को खनिज संबंधी कार्यों के लिये बीकानेर खनिज अभियन्ता के अधीन से हटा कर अधिक दूरी वाले गंगानगर इंजीनियर के नीचे लगाये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

68. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार धांधली, अनियमितताएं व अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

69. प्रदेश की खनिज सम्पदा का उचित दोहन करने की सही परिकल्पना एवं योजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी):

70. फलौदी तहसील के लिये खनिज सर्वेक्षण की कोई व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां):

71. खनिज विभाग को पुनर्गठित कर भ्रष्टाचार मिटाने पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

72. राजस्थान के खनिज भण्डार का उत्खनन कर उसके आधार पर औद्योगीकरण की समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल परमार (डूंगरपुर):

73. डूंगरपुर में खनिज संपदा के कार्यक्रम के विस्तार के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली):

74. ग्राम नेगड़िया तहसील नाथद्वारा में उपलब्ध मेगनीज के सदुपयोग के लिये मावली से नेगड़िया तक के खनिज क्षेत्रों के आवागमन मार्गों के विकास हेतु चर्चा के लिये।

75. नाथद्वारा तहसील में पाये जाने वाले खनिजों के सर्वेक्षण एवं उनके विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़):

76. खानों में काम करने वालों को मालिक बनाने के लिये विभाग द्वारा सुविधाएँ, कर्ज आदि दिये जाने पर चर्चा के लिये।

77. बीगोद (मांडलगढ़) के आस पास बहुत लोहे की खाने है और सैकड़ों वर्षों तक उसी लोहे से पूरे मेवाड़ राज्य को लोहे का सामान मिलता रहा है, अतः लोहे के प्रतिशत की जांच करके खानों का काम फिर से प्रारम्भ कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री शिवनारायण (थानागाजी):

78. थानेरा तहसील थानागाजी की खान पट्टी, कातला आदि के कार्य का विकास कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

79. खान भांकरी को पुनः सुचारू रूप से चलाने के बाबत चर्चा के लिये।

80. नीमला लोहे की खानों का खनन कर इसका उपयोग करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू):

81. मोरीजा खान व बन्धौल की खान के बन्द रहने से चौमू क्षेत्र में व्याप्त भारी असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन):

82. खानों के बड़े ठेकेदारों को बड़े प्लाट न देकर छोटे-छोटे प्लाट मजदूर वर्ग जो स्वयं कार्य करता है, उनको नहीं देने में विभाग की मनमानी पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पवार (चूरू):

83. अकाल क्षेत्र में लोगों को धन्धा मुहैय्या कराने हेतु मिट्टी कंकर इत्यादि अपने खेतों से लेने बाबत छूट दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नूरा (मसूदा):

84. खानों के पट्टे स्थानीय श्रमिकों को सहकारिता के आधार पर न देने अथवा खानों का राष्ट्रीयकरण न करने संबंधी सरकार की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (फुलेरा):

श्री हनवन्तसिंह राणावत (बाली):

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़):

श्री गुरशरण छाबड़ा (सूरतगढ़):

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़):

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर):

85. राजस्थान में खनिज संपदाओं का पूरा सर्वेक्षण कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री किशनसिंह भाटी: (जैसलमेर)

86. जैसलमेर में पत्थर पीले संगमरमर हाबूर पत्थर एवं खड्डी (जिप्सम) का (मोहनगढ़ में) उत्खनन स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल श्रमिकों को प्लाट देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री खेंगारसिंह चौधरी (खारची):

87. पाली जिले का गांव अटपड़ा तहसील सोजत के लाइम स्टोन की लीज को आधे-आधे मील पर देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़)

88. उदयपुर जिले में खनिज सम्पदा के सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मालाराम (खेतड़ी):

89. खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री आलम अली खां (फतहपुर):

90. माइनर मिनरल रूल्स के अन्तर्गत दिये जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाया जावे इस बाबत चर्चा के लिये।

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर):

91. रायपुर तहसील के कानुजा ग्राम में भैरू का नाका पर कीमती पत्थर के उपयोग में लाने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये।

92. पाली जिले के सोजत अटपड़ा की लाइम स्टोन को श्रमिकों को छोटे छोटे टुकड़ों में लीज पर देने बाबत चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन):

(श्री निर्मल कुमार सकलेचा)

93. झालावाड़ जिले में खनिज के सम्बन्ध में एवं जिन मालिकों ने बड़े बड़े भू-खण्ड ले रखे हैं, उन्हें समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाडा) :

94. ग्राम पाल माख की खनिज सम्पदा का उत्खनन किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर) :

95. सवाई माधोपुर के करौली क्षेत्र में खनिज के मामलों में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये।

96. करौली क्षेत्र में विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक ही व्यक्ति को कई-कई खानें देने पर चर्चा के लिये।

97. करौली क्षेत्र में खनिज पदार्थों का सही उपयोग न होने पर चर्चा के लिये।

श्री उमराव सिंह गुजर (महुवा) :

98 हिण्डौन तथा करौली क्षेत्र में पत्थर की खानों में लीज नीति समाप्त की जाकर खान मजदूरों को प्लाट दिये जाने पर चर्चा के लिये।

मांग सं० 42 व 43 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : अब इन मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उन पर चर्चा होगी। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि आज की जो कार्य सूची है उसके अनुसार साढ़े चार बजे बुलेटिन लागू करके जो दूसरी डिमान्ड हैं उन पर वोट लिए जायेंगे। जो वक्ता महोदयों की सूची है वह काफी विस्तृत है, काफी लम्बी है इसलिए शायद सभी माननीय सदस्यों को अवसर न दे सकूं।

अब श्री गिरधारीलाल भार्गव बहुत संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

श्री बजरंगलाल।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बोल रहा हूं, साहब। आपने संक्षेप में बात कहने के लिए कहा उस पर मनन कर रहा था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले उद्योग के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार की उद्योग नीति क्या है, माननीय मन्त्रीजी उसको स्पष्ट करें। राजस्थान में कितने उद्योग इस वर्ष नए लगने वाले हैं, कितनों को केन्द्र से क्लियरेंस मिल गया है? पहले भी मैंने निवेदन किया था और आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों में उद्योग लगाने के बारे में हमारी जो प्रक्रिया है वह गांवों की ओर जाने की होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहली मुख्य बात यह है कि गांवों का सर्वे कराया जाय कि कौन कौन से पुराने उद्योग थे जिनका हनन हो चुका है, जो नष्ट हो गए हैं, उनको हम किस प्रकार से वापस पनपा सकते हैं। पुराने उद्योगों को सब प्रकार का सुविधा दी जानी चाहिए। जयपुर में आतिश मार्केट केवल इसीलिए रखा गया था कि जो कलाकारी के केन्द्र हैं वे आतिश में आ जायं। अब आतिश मार्केट बन चुका है, जनता मार्केट भी बन गया लेकिन वह चल नहीं रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि लघु उद्योगों के विकास के नाते इस अवसर पर विचार किया जावे। मूर्ति कला, चूड़ी का धन्धा, छपाई का धन्धा,

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

धातुओं का धन्धा, इस प्रकार के सभी धन्धों को मिला कर उस बाजार को डवलप किया जाय। सभी कलाकारों को एक ही बाजार में इकट्ठा कर इन कलाओं का विकास किया जाना बहुत जरूरी हैं।

इसके साथ ही यहां पर आर. एम. आई. डी. सी. के द्वारा नाहरगढ़ पर ले जाने के लिए रोप वे की स्कीम थी जिसकी कीमत 35 लाख रुपये आंकी गई थी: ऐसी ट्राली लगनी थी जो ऊपर ले जावे और नीचे लावे। इससे काफी आमदनी हो सकती है। अगर आर. एम. आई. डी. सी. 35 लाख का खर्चा नहीं कर सके तो प्राइवेट लोग इस योजना को करने को तत्पर हैं। रोप वे की जयपुर में एक अनोखी योजना होगी और नाहरगढ़ के किले पर कम पैसे से लोग ऊपर चढ़ जायेंगे। रोप वे लिफ्ट से जयपुर शहर के लोगों को लाभ मिलेगा और राजस्थान में जो माननीय विधायक हैं उनको भी एक बार ऊपर और नीचे जाने आने का, नीचे उतरने और ऊपर जाने का आनन्द मिलेगा। इसलिये यह योजना यहां पर जल्दी लागू की जानी चाहिये।

उद्योगपतियों को राजस्थान में वह सहूलियतें नहीं मिलती हैं जो अन्य प्रदेशों में व्यापारियों, उद्योगपतियों को मिलती हैं। इसलिए राजस्थान में भी उद्योग लगाने के लिए व्यापारियों और उद्योगपतियों को प्रलोभन मिलने चाहिए। जो हमारे पड़ौसी प्रान्त हैं उनमें इन लोगों को बिक्री कर की जो सहूलियतें हैं, वह सहूलियत यहां पर भी दी जानी चाहिए। वैसे हमको बिक्री कर को माफ करना चाहिए। परन्तु जब तक हम बिक्री कर माफ नहीं कर पाते हैं तब तक दिल्ली और गुजरात, जो हमारे पड़ौसी प्रान्त हैं, के आधार पर ही यहां पर सेल्स टैक्स हो। इस सम्बन्ध में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

उद्योग के लिए जो जमीन दी जाती है उसकी दर में काफी असमानता है। उद्योगों को जमीन सस्ती दर पर दी जानी चाहिए। कोई एक एकड़ जमीन चाहता है तो उसकी 40,000 रुपये की लागत होगी। मेरा निवेदन है कि उद्योग के लिए जमीन की दर सस्ती की जाए।

उद्योगों को पावर कनेक्शन देने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उनको पूरे वक्त पावर नहीं मिलती है और एक वक्त में जो कनेक्शन नहीं दिया जाता है। नियमों में यह है कि हर मशीन पर अलग अलग मोटर हो। दस मोटर हैं तो सौ हार्स पावर का कनेक्शन हो गया। दस रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से उस व्यापारी को एक हजार रुपये जमा कराने पड़ते हैं। यह मिनिमम चार्जेज व्यापारी कहां से देगा? इसका परिणाम यह है कि 50 हजार रुपये मिनिमम चार्जेज के नाम से व्यापारी में बकाया हो जाते हैं। इस कारण कई कारखाने बन्द हो गये हैं। पांच वर्ष का एग्रीमेंट होता है इस कारण कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर कारखाना लगाना चाहे तो वह तब तक कारखाना स्थापित नहीं कर सकता जब तक वह पिछला एरियर का चुकारा नहीं कर देता है। इस ओर भी राज्य सरकार और विभाग ध्यान दे।

पावर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी पावर क्रट चल रहा है। तीन

(गिरधारीलाल भार्गव)

से चालीस प्रतिशत पावर कट चल रहा है फिर ये मिनिमम चार्जेज किस बात के लिए जा रहे हैं? पूरी बिजली आप इन उद्योगों को नहीं दे पा रहे हैं तो फिर यह मिनिमम चार्जेज किस बात के हैं ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस को समाप्त करना चाहिये।

राजस्थान में जो उद्योग लगाते हैं उन को 23 पैसे यूनिट की दर से आप बिजली देते हैं और जो बड़े उद्योग हैं जैसे श्री राम केमिकल्स, खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट, इनको 3 पैसे यूनिट की दर से बिजली दी जाती है जब कि इनका माल राजस्थान को मिलता नहीं। जो राजस्थान की धरती पर उद्योग लगाना चाहते हैं, यहां पर माल सप्लाई करना चाहते है उनको इस प्रकार की छूट आप नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त आपने 25 पर्सेन्ट छूट की जो घोषणा कर रखी है, वह भी इन उद्योगपतियों को नहीं मिल पा रही है। पहले इनको सारी रकम जमा करानी पड़ती है उसके बाद यह 25 परसेन्ट छूट की रकम उनको वापस मिलती है।

सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत नोटिस उद्योगपतियों को मिलता है जब कि उद्योग विभाग से इनको जमीन लीज पर दी गई है। लेण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स इनसे वसूल किया जाता है, हाउस टैक्स इन से वसूल किया जाता है। इसके अतिरिक्त व्यापारी जो कच्चा माल लाते हैं, उस पर एक पर्सेंट टैक्स लिया जाता है और उससे जो माल बनाते हैं, उस पर भी टैक्स लिया जाता है। यह दोहरा टैक्स है। इसलिए इस टैक्स को आप हटायें।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, 28 इन्सपेक्टर के चक्कर व्यापारियों को लगाने पड़ते हैं। जनता पार्टी के राज्य में भी आज उद्योग 28 इन्सपेक्टरों के चक्कर में चल रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार पनपता है इसलिए कम से कम दो ही इन्सपेक्टर होने चाहिए। आज की लाइसेन्स पद्धति में जो 28 इन्सपेक्टर बैठे हैं, वह कम होने चाहिये। इस लाइसेन्स पद्धति को भी आप सरल कीजिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की थी कि राजस्थान लघु उद्योगों का माल राज्य सरकार खरीदेगी। दुःख की बात है कि राज्य सरकार की घोषणा के बावजूद भी इनका माल नहीं खरीदा जाता है।

राज्य सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट इन आदेशों को मानते नहीं हैं। दुःख की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने 500 आइटम स्माल स्केल के घोषित किए हैं जब कि राजस्थान सरकार ने 80 आइटम की घोषणा की है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार भी 500 आइटम की घोषणा करे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सेन्ट्रल स्टोर पर्चेज आर्गेनाइजेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, वह उद्योग विभाग के तहत होना चाहिए।

चीफ कन्ट्रोलर आफ एक्सपोर्ट राजस्थान में कार्यालय स्थापित करना चाहते हैं परन्तु राजस्थान सरकार उनको जमीन मुहैय्या नहीं कर रही है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डाइरेक्टर या चेयरमैन उनको बनाया जाय जो उद्योगों के बारे में जानने वाले व्यक्ति हों।

(गिरधारी लाल भार्गव)

राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन को सामान बाहर से तब खरीदना चाहिए जब कि उसको मालूम हो कि राजस्थान में यूनिट्स हैं, उनको कौन से सामान की आवश्यकता है।

जो राजस्थान फाइनेन्स कार्पोरेशन है, उससे भी कर्जा बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसकी रेट आफ इन्ट्रेस्ट कम होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जानी चाहिए।

बाइस गोदाम और इन्डस्ट्रियल एरिया में रोशनी का प्रबन्ध नहीं है। वहां पर चोरी होती हैं। जो असामाजिक तत्व हैं, वे वहां पर गुण्डागर्दी करते हैं।

विश्वकर्मा विश्व का सब से बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी इस प्रकार की अकर्मण्यता है। बाइस गोदाम की तरफ जाते हैं तो रेल्वे क्रासिंग आ जाता है। इससे आने जाने में काफी दिक्कत होती है। इसलिए इस रेल्वे क्रासिंग पर निश्चित रूप से आप पुल बनवाइये। आशा है, राजस्थान सरकार इसके लिए प्रयास करेगी।

राजस्थान में खनिज भण्डारों का उपयोग नहीं किया गया है। मेरी मांग है कि राजस्थान का सर्वे कराया जाना चाहिए और गांवों में खनिज आधारित उद्योग खोलने चाहिए। इससे लोग गांवों की ओर जायेंगे।

राजस्थान के राक फास्फेट के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। इससे 18-20 करोड़ की आमदनी हो सकती है। लाखों टन का इसका भण्डार पड़ा हुआ है। इसके बारे में पिछली सरकार ने भी घोषणा की थी परन्तु अभी तक इसके पर्सेन्टेज के बारे में कुछ नहीं हुआ। ब्राजिल, जर्मनी इसके नमूने भेजे गये। ब्राजिल का नमूना पड़ा हुआ है। आज भी राक फास्फेट बाहर से आता है। राजस्थान का राक फास्फेट है, वह सड़ रहा है, वह खानों में पड़ा हुआ है और वह बेकार जा रहा है। इसकी आमदनी से राजस्थान एक धनी देश हो सकता है।

मेरा आपसे इन दोनों मांगों के सम्बन्ध में यही निवेदन है। आशा है मन्त्री महोदय निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, आज कटौती प्रस्ताव पेश करने का अन्तिम दिन है। इस सम्बन्ध में मैं आपकी अनुमति से यह निवेदन करना चाहती हूं कि ज्योलोजिकल सर्वे के आधार पर कि राजस्थान में खनिज सम्पदा इतनी प्रचुर मात्रा में है कि उसका लेशमात्र भी उपयोग हो जाए तो राजस्थान एक धनी, समृद्ध प्रदेश बन सकता है। परन्तु खेद का विषय है कि जो हमारे यहां पर खनिज पदार्थ हैं, उनका उत्खनन पूरी तरह से नहीं किया गया है और इस कारण हमें शराब का व्यापार करना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि खनिज सम्पदा का उत्खनन किया जाए जिससे राजस्थान धनी, सम्पन्न प्रदेश हो, बार बार जो हम भारत सरकार से कर्जा मांगते हैं, उसकी जरूरत हमें नहीं पड़े, हमारे यहां जो बेरोजगारी का सवाल है वह हल हो और

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लोग जो शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं, वह शहरों की तरफ दौड़ रुक जाए। हमारे प्रदेश के कई समृद्ध व्यापारी, उद्योगपति बाहर जाकर कारखाने लगाते हैं, उनको भी बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी।

हमारे कई राजस्थानी अमीर कलकत्ता, बम्बई में जाकर कारखाना लगाते हैं। इसके पहले वे रंगून में जाकर कारखाना लगाते थे। यदि उन सब को यहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, एक ही स्थान पर सब सुविधाएं उपलब्ध हों, वन विन्डो सिस्टम हो, भूमि, बिजली, पानी. और साथ ही सामान खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध हो तो बाहर जाने का जो आकर्षण है, वह मिटेगा, ये लोग अपनी जन्मभूमि की ओर बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमारा व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। राजस्थान का सम्मान होगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि खनिज उद्योग पर आधारित उद्योगों को लगाया जाना चाहिए।

तेल शोधक कारखाना जो सवाई माधोपुर में लगाया जाने वाला था वह मथुरा में लगाया गया है।

मेरा निवेदन है कि खनिज पर आधारित उद्योग उन गांवों में लगाये जावें जहां पर वह उपलब्ध होते हैं। इसके लिए आप टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनायें। साथ ही जहां पर उद्योग हों वहां पर सड़कों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। इसके लिये 41.50 लाख रुपया जो रखा गया है वह बहुत कम है। यह एक ही कारखाने तक सड़क बनाने में खर्च हो सकता है। झामर कोटला एक जगह ही सड़क से पहुंच सकते हैं। अगर ज्यादा बरसात हो गई तो क्या होगा?

हमारे यहां विविध खनिजों के भण्डार हैं। उन पर आधारित उद्योगों का विकास किया जावे जिससे कि हम अपने प्रदेश को समृद्ध कर सकें। इसके लिए व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम बनाया जाये।

जो हमारे कुटीर उद्योग हैं, उनके लिए देश में ही नहीं विदेशों में भी बाजार ढूंढना पड़ेगा। हमारी कला की वस्तुएं विदेशों में बहुत ही प्रिय होती हैं। कुटीर उद्योगों के उपकरण खरीद कर हम मजदूरों को काम दिला सकेंगे। इसके लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए। कुटीर उद्योगों से हमें 200 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। मैं समझती हूं कि इससे बहुत लाभ मिलेगा। जो बार बार शराबबन्दी के लिए कहा जाता है इससे होने वाली हानि की पूर्ति के लिये हम खनिज उद्योगों को पनपायें तो, मन्त्री महोदय, मैं निश्चित रूप से कहती हूं कि जो अनैतिक व्यापार हो रहा है, वह समाप्त हो जाएगा।

मैं कहना चाहूंगी कि आज इण्डस्ट्रीज की क्या स्थिति है। विश्वकर्मा एरिया है वहां केवल 44 कारखाने काम कर रहे हैं जब कि 175 उद्योगों को चालू किया गया था और 490को भूमि आवंटित की गई थी। आज वहां पर मरघट जैसी शान्ति है। जो मजदूर बेकार हो गये हैं उन मजदूरों को इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत काम मिलना चाहिए। हमारा औद्योगिक उत्पादन गिरता जा रहा है, मैं निवेदन करूंगी कि वह उत्पादन बढ़ाया जावे। उदयपुर में इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कई केसेज पड़े हुए हैं उनको निपटाना चाहिए।

सीमेन्ट के लिए सर्वेक्षण होना चाहिए ताकि सीमेन्ट के कारखाने लगाये जायें।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सीमेन्ट के अभाव में हमारे कारखाने का काम और भवनों के निर्माण का काम रुका पड़ा है। इसलिये जरूरी है कि सीमेन्ट के कारखाने लगाये जायें।

उदयपुर आमेट में और मकराना में संगमरमर उपलब्ध है। उसका सर्वेक्षण कराया जाये। राजस्थान में पाये जाने वाले समस्त खनिज जिप्सम, सिलीका, शीशा, जस्ता, माइका, फ्लोराइट आदि जितने भी खनिज उपलब्ध हैं, उन उद्योगों को कायम किया जाये। उनको बाहर भी भेजा जाना चाहिए। खनिजों को अधिक से अधिक उत्खनन हो इसी भावना से ये काम किये जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे उदारतापूर्वक समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूं। मैं निवेदन करूंगी कि 32 योजनाएं दी गई हैं इनमें से 19 योजनाएं चालू की गई हैं। यह कम हैं। मैं समझती हूं कि खनिजों का अधिक से अधिक उत्खनन होगा तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में लघु उद्योग इकाई में कुल 24,451 इकाइयां पजीकृत हैं। 1960 से लेकर 1977 तक कुल 24,451 इकाइयां पंजीकृत हुई। यानी औसतन 1438 इकाइयां प्रति वर्ष पंजीकृत इन सात-आठ साल में हुई हैं। 1977-78 में 1541 इकाइयां पंजीकृत हुई हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूगा कि इन नई इकाइयों का रेश्यो इतना ही रहा है। जबकि जनसंख्या लगातार बढती जा रही है। 14-15 सौ लघु उद्योग प्रति वर्ष पंजीकृत किए जाते हैं, उनकी वृद्धि भी होनी चाहिए थी। जनसंख्या के हिसाब से व विकास की दृष्टि से वृद्धि नहीं हुई। लेकिन इसकी वजह यह भी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार की ओर से बिजली पानी की व्यवस्था होती है, जमीन की व्यवस्था होती है, वह अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है। जो उद्योग खोलने वाले हैं, वह उद्योग खोलने से वंचित रह जाते है। उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह उद्योग खोलने के लिए बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाते हैं किन्तु बाद में विभाग के कड़े प्रोसिजर्स की वजह से उद्योग नहीं खोल पाते हैं।

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय यह सदन में क्लासेज कैसे चल रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर देने की तैयारी कर रहे हैं।

श्री रामकरणसिंह : धन्यवाद।

श्री गुल मोहम्मद : इसी प्रकार से जो सिलाई, बुनाई, गलीचा, गोटा, आरी-तारी का उद्योग है, उसका प्रशिक्षण अधिक से अधिक लोगों को दिया जाये ताकि लोग अधिक से अधिक काम कर सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कच्चा मैटीरियल, रॉ मैटीरियल का कोटा फिक्स किया जाता है। ऐसे मैटीरियल को ऐसे लोग भी ले लेते हैं जो कि किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करते हैं। वह रॉ मैटीरियल को काला बाजार में बेच देते हैं। जिनके खिलाफ शिकायतें आती हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उनका कोटा तुरन्त बन्द करना चाहिए व ऐसे व्यक्तियों के लिए नियमों में दण्ड का प्रावधान भी रखा जाना चाहिये।

(श्री गुल मोहम्मद)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की लघु उद्योग की पुस्तिका मिली है। उसमें पेज नम्बर 20 पर लिखा है कि ऊनी मिलें फर्नीचर उत्पादन केन्द्र और मयूर बीड़ी से अभी तक निगम घाटे में चल रहा था परन्तु अब सरकार प्रयत्नों से जल्दी ही इसके लाभ में आने की सम्भावना बन गई है।" यानी अभी तक कोई सम्भावना नहीं है। इसका मेन कारण क्या है, उसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। यह जो लघु उद्योग निगम है, इसमें जब तक कोई बिज-नैस टाइप का व्यक्ति नहीं रखेंगे, तब तक यह सफल नहीं होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भले ही सरकार कुछ भी कर ले। जब तक व्यापारी वर्ग के लोगों को नहीं बैठायेंगे इन उद्योगों में तब तक यह मुनाफे में नहीं आ सकता है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय जल्दी से निरीक्षण करें और ऐसे व्यक्तियों को लें जो उद्योगों को मुनाफे में परिवर्तित कर देवें।

एक बात और कहूंगा, जयपुर में रत्न उद्योग चल रहा है। इसे कुटीर उद्योग में लिया जावे। 60-70 हजार आदमी इसमें काम कर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन चाहता हूं कि के रत्न उद्योग को कुटीर उद्योग में शामिल किया जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 64-65 के अन्दर रत्न उद्योग यहां कुटीर उद्योग में शामिल था। जयपुर के गरीब तबके के लोग हैं, उनका काम नगीने बनाना, रत्न बनाना और अपना गुजर-बसर करना है। यह ऐसा उद्योग है जो घर-घर में चलता है इसलिए इसको कुटीर उद्योग में लेकर फैसिलिटीज प्रदान की जायं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरी स्टेट्स गुजरात और तमिलनाडु में इसे टैक्स फ्री किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लास्ट पाइन्ट के ऊपर टैक्स रखा है जब कि राजस्थान में इस पर मल्टीप टैक्स है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में कोई रत्न चला जायगा तो वह भी टैक्स देगा और जितनी बार इस तरह से जायगा उतनी ही दफा टैक्स वसूल किया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय इससे इन्टरनेशनल मार्केट में इसका अधिक निर्यात नहीं हो पाता है। आप देखिये सन् 64 में इसका निर्यात 47 प्रतिशत था जो कि अब घट कर केवल 7 पर्सेंट रह गया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर गम्भीरता से सोचकर रत्न उद्योग को कुटीर उद्योग में शामिल करके गरीब जनता को राहत पहुंचायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इससे हमको विदेशी मुद्रा मिलती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस उद्योग के लिए ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दी जाय और इस पर टैक्स समाप्त किया जायं ताकि दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में हमारा माल भी बाहर जा सके और लोगों को रोजगार मिल सके। इसको टैक्स फ्री कर दिया जायगा तो एक लाख आदमियों को रोजगार मिलेगा।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज संसार की दौड़ में वही देश आगे बढ़ सकता है जो औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रगति करे।

(श्री गुल मोहम्मद)

इसके साथ ही मैं माइन्स के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर माइन्स का अतुल भण्डार है, इतना भण्डार है, इतनी क्वालिटीज हैं और यहां पर इतने खनिज निकलते हैं कि उनको निकाला जाय तो राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान इस मामले में दूसरे देशों से आगे पहुंच सकता है और बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। कुछ क्षेत्र माइन्स के ऐसे हैं जहां पर माइन्स के नीचे के लेवल पर पानी भरा हुआ है उसको निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस कारण सारा काम ठप्प हो रहा है। इससे प्रोडक्शन कम होता है और खर्च ज्यादा होता है। यह मिसाल है मकराना की। मैं वहां गया था। कई माइन्स का काम इसलिए बन्द पड़ा है, क्योंकि नीचे के लेवल पर पानी भर गया है वह नहीं निकाला गया है। पम्प सेट हमारे पास हैं लेकिन........

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

वे इतना पानी नहीं निकाल सकते। माइन्स वाले पम्प लगा नहीं सकते क्योंकि सारी लाइन की लाइन में पानी भरा हुआ है, एक ही माइन्स में नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माइन्स में से पानी निकालने की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह बहुत जरूरी है प्रोडक्शन के लिए।

जो खनन पट्टे दिये जाते हैं, उसके लिए कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन दे तो उसको जल्दी से जल्दी पट्टा दे दिया जाय क्योंकि इसमें जितनी डिले करेंगे उतना ही प्रोडक्शन कम होगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है, इस काम को जल्दी से जल्दी....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि राजस्थान में उद्योगों को विकसित किया जायगा। उसके साथ साथ हमारे मुख्य मन्त्री जी ने यह भी कहा था कि औद्योगीकरण के लिए जहां रेल्वे लाइन की जरूरत है वहां रेल्वे लाइन लाई जायगी। मैं बून्दी जिले की ओर आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा। बून्दी जिले में उमर, पगारा एवम् बसोली में मारबल का विशाल भण्डार है और पेंच की बावड़ी को पहले ही औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। वहां पर शीघ्र ही कार्यालय स्थापित किया जाय और सर्वे किया जाय तो वह राजस्थान का दूसरा मकराना हो सकता है।

इसी प्रकार से बून्दी और लाखेरी के मध्य एक पहाड़ी है उसमें सीमेंट का विशाल भण्डार है। 1968 में उसका सर्वे किया गया था परन्तु भूतपूर्व मन्त्री महोदय और बिड़लाजी, जिन्होंने सर्वे कराया था, की आपस में नहीं बन सकी और सर्वे रिपोर्ट खटाई में पड़ गई। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर विचार किया जाय तो वहां पर एक हजार टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन रोजाना हो सकता है। अगर वहां पर दुबारा सर्वे करा कर, कारखाना लगवाया जाय तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो सीमेंट की समस्या है वह दूर होगी।

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

इसी प्रकार से बून्दी में लाइम स्टोन का कारखाना खोला जाय। कोटा में जब मन्त्रिमण्डल की बैठक हुई तब मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि 1978 के अन्दर हर हालत में बून्दी में सीमेंट का कारखाना खोल दिया जायगा परन्तु मुझे अफसोस है, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

ठोकरदा से हिण्डौली तक लेटेराइट 40 प्रतिशत, एल्युमिनियम, लेग्रेट बोसाइट के बहुत बड़े भण्डार हैं, उनका सर्वे कराया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बून्दी के अन्दर विशाल खनिज भण्डार होते हुए भी वहां पर उद्योग नहीं है। अतः वहां पर उद्योगों को विकसित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से बून्दी जिले में गन्ना बहुत अधिक मात्रा में खड़ा हुआ है, अब फसल होने का समय आ चुका है। फैक्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, परन्तु राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है। बून्दी में गन्ना मिल और लगा दी जाय जिससे अगले साल में गन्ने की समस्या का समाधान हो सके। अतः मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बून्दी में एक फैक्ट्री खोली जाय।

इसी प्रकार से राज्य सरकार ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की घोषणा की है। प्लास्टिक की चूड़ियों पर से सैल्स टैक्स समाप्त किया जाना चाहिए।

अब मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से खनन पट्टों के नवीनीकरण के मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं। पुरानी अवधि की समाप्ति के छः माह बाद तक खनन पट्टों को नवीनीकरण मंजूर नहीं होने के बावजूद नियमों के विरुद्ध खनन कार्य जारी है। यह सब पूंजीपतियों के माध्यम से हो रहा है। अतः मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे कार्यों की सूची मंगाई जाय, ऐसे पूंजीपतियों की सूची मंगाई जाय। जिन पूंजीपतियों ने कानून के विरुद्ध काम किया है उनको हटाया जाकर उन खानों को जो ग्रेज्युएट्स, बी.ए, एम.ए जो विद्यार्थी बेरोजगार बैठे हैं, उनको दे दिया जाय।

इसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि बून्दी में 1350 खानें चल रही है। उन खानों में पूंजीपतियों की ठेकेदारी, मोनोपली चल रही है। इसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया था। ये पूंजीपति गरीब भीलों और गूजरों के नाम पर खानें लेकर उन्ही के नाम से चलाते हैं, सारा पैसा उसका लेते हैं। इसी प्रकार से बुधपुरा तालाब है उसमें पूंजीपतियों की खानें चल रही हैं। एक बार एक गरीब व्यक्ति ने एक प्लाट के लिए दरख्वास्त दी, दो वर्ष हो गये, उसके लिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन कर चुका हूं कि उसके खान दो जाय लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है।

इसी प्रकार से बून्दी और अन्य स्थानों पर डेडरेन्ट 1980 से बढ़कर 3980 रु. हो गया है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इससे गरीब व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है वे इतना रुपया देने में असमर्थ हैं।

इसी प्रकार से मन्त्री महोदय ने कहा था कि बून्दी में एक मण्डल कार्यालय खोल

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

दिया जायगा लेकिन अफसोस है कि घोषणा होने के बाद भी यह काम पूरा नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय ने जो वायदा किया है उसको पूरा किया जाय बूंदी और आस पास के गांवों के लोगों को खनन कार्य के लिए आवश्यकता होती है तो कोटा जाना पड़ता है और कोटा में सभी जगह पूंजीपतियों का आधिपत्य है। अतः मैं फिर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय अपना वायदा पूरा करें।

इसी प्रकार से लक्ष्मीपुरा रोड से डाबी सड़क बनाने का और इसी वर्ष कार्य शुरू करने का वायदा खनिज विभाग की ओर से किया गया था। उसे प्रारंभ किया जाय।

इसके अलावा हमारे भीलवाड़ा जिले में घोटाला है। जिस समय वहां के जिलाधीश श्री मीठा लाल मेहता थे, यह 6–7 वर्ष पुरानी बात है। उस समय शाहपुरा तहसील में सबेलिया ग्राम में खान मालिक नूरे खां बिना लाइसेंस के खान चला रहे थे। ईश्वरीय प्रकोप से वह खान धंस गई और 7 व्यक्ति मारे गए। उनको 8 दिन बाद निकाला गया था। पानी को निकालने के लिए इंजिन काम में लिया गया था। इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि जिसके पास लाइसेंस नहीं था; जिन्होंने लापरवाही की उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की? भूतपूर्व मंत्री राम प्रसाद लड्ढा का उसमें हाथ है, उसके साथ साथ बड़े अधिकारियों का भी उसमें हाथ है। व्यक्तियों की जानें गई किन्तु अब तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

मेरा पुनः निवेदन है कि बून्दी जिले को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए। केवल एक सीमेंट फैक्ट्री के कारण उसको पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, बाकी तो कोई विकास नहीं हुआ। मेरा यह भी निवेदन है कि सिमेंट कि कारखाना आवश्यक रूप से खोला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम प्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, देश का अधिकांश भाग खेती पर निर्भर है। खेती देश का मुख्य व्यवसाय है पर देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहां खेती का धंधा जुये का धंधा है। इस रिस्क भरे व्यवसाय पर देश के अधिकांश भाग को आश्रित कर देना भारी गलती होगी। अब तक काश्तकार भूखा, नंगा व पीड़ित इसलिए है कि उसके पास और कोई धंधा नहीं है। इसलिए खेती के साथ कुटीर उद्योग होने चाहिए। मैं अपने जिले की दो तीन बातें कह कर समाप्त करूंगा।

भीलवाड़ा जिले का माइका उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। इस उद्योग में 1960 में 8–10 हजार आदमी काम करते थे, लगभग 250 खानें थी, लगभग 8 हजार टन उत्पादन होता था और राजस्थान से बाहर जाता था। वह उद्योग आज मृत प्रायः है। पिछली सरकार की लापरवाही के कारण 1977 में केवल 8 खानें ही रह गई। उनमें केवल 500 आदमी ही काम पर लगे हुए हैं और केवल 600 टन माल ही राजस्थान से बाहर जाता है। 1972 में सरकार ने मिटको की स्थापना करके अभ्रक उद्योगपतियों एवं व्यापारियों पर अंकुश लगा दिया और निर्यात

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

पर नियंत्रण शुरू कर दिया । तत्कालीन सरकार की मिलीभगत के कारण आज भीलवाड़ा जिले का अभ्रक का उद्योग मृत सा हो गया है । भीलवाड़ा अभ्रक की नगरी कहलाता था किन्तु आज वहां का मजदूर, खनिज मालिक, छोटा माइन ओनर बेकार हो गया है । तत्कालीन सरकार ने अपनी नीति निर्धारित की थी उसको हटाकर मैं चाहूंगा कि जनता सरकार नई नीति तय करे । गत वर्ष भी मैंने खनिज उद्योग की मांग पर यह कटौती प्रस्ताव रखा था । हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने, उद्योग मंत्री ने घोषणा की थी कि हम कुछ व्यवस्था करेंगे । जिस ढंग की व्यवस्था हम चाहते हैं आज की स्थिति में उस स्थिति तक यह उद्योग नहीं पहुँचा है । मेरा निवेदन है जनता सरकार इस धंधे को, जो विदेशी मुद्रा का स्त्रोत है, महत्व देकर किसी प्रकार पुनः उसी रूप में पनपाये । इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं ?

पहला सुझाव तो यह है कि बड़े बड़े पूंजीपति व उद्योगपति इस उद्योग पर हावी हैं, उनका हावीपन हटाकर सही व्यवस्था की जाए तो कोई कारण नहीं कि छोटे व्यापारी को उसका लाभ नहीं मिले । दूसरी बात यह है कि मिटको साल में एक बार अभ्रक खरीदता है, सभी प्रकार का नहीं जिससे खनिज मालिक के पास इसका स्टाक पड़ा रह जाता है । मिटकों को सभी प्रकार का माल खरीदना चाहिए, कुछ किस्म का नहीं । तीसरी बात, चुकारा समय पर नहीं होकर तीन माह के बाद होता है । चुकारा समय पर होना चाहिए । पहले राजस्थान के दो प्रतिनिधि सलाहकार समितियों में होते थे, अब एक ही है । तो पहले जैसे दो थे, फिर दो प्रतिनिधि होने चाहिये ।

जर्मनी के सहयोग से जो कारखाना देश में लगने वाला है वह राजस्थान में ही लगे । मिटको द्वारा अभ्रक कटाई और चूरा बनाने वाली फैक्ट्री की, जैसी बिहार में है, राजस्थान में भी स्थापना की जानी चाहिए । मिटको द्वारा अभ्रक स्क्रेप्स व चूर्ण की खरीद की जानी चाहिए । जब यह होगा तब जाकर छोटे व्यापारियों का माल बिकेगा, जो लाखों रुपये का स्टाक पड़ा हुआ है वह भी बिक जाएगा । तो माइका उद्योग को फिर से पनपाने के लिए योजना बनाई जाए, हमारे यहां इसके कुशल कारीगर भी हैं ।

मांडल में खांडसारी की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं । उन पर सरकार का प्रतिबंध नहीं है। मनमाने ढंग से फैक्ट्री वाले गन्ना खरीदते हैं, इससे काश्तकारों का शोषण होता है ।

मेरा सुझाव है कि खांडसारी फैक्ट्री के हर वर्ष लाइसेंस देते वक्त निश्चित भाव पर गन्ना खरीदने की नीति तय की जाए । जनता सरकार काश्तकारों को बराबर समय पर पैसा दिलाए । जब खांडसारी का लाइसेंस दिया जाए उस समय निश्चित भाव पर गन्ना खरीदने के लिए उसको मजबूर किया जाए । गन्ने के भावों के लिए भीलवाड़ा जिले की पंचायत समिति मांडल के काश्तकारों की संघर्ष समिति व खांडसारी फैक्ट्रियों के मालिकों के बीच जिलाधीश भीलवाड़ा के सामने एक नीति तय हुई थी पर खांडसारी फैक्ट्रियों के मालिकों ने इस समझौते को नहीं माना है उल्टा गन्ने का भाव 10. रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 12. रु. प्रति क्विंटल देना छोड़ आज 7 से 8 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

खरीदा जा रहा है । इन पर सरकार का कोई दबाव नहीं । मैं चाहता हूं कि जो जिलाधीश भीलवाड़ा के सामने समझौता हुआ है उसके अनुसार किसानों को चुकारा हो । स्थाई निदान के लिए शुगर मिल की योजना बनाई जाकर मिल डाला जाए। आज भी गन्ने का उत्पादन 10,000 बीघा में हो रहा है, मैजा फीडर के पूर्ण होने केबाद 25,000 बीघा में हो जाएगा जो एक मिल के लिए पर्याप्त है, पहले भी योजना बनी थी पर किसी की बदमाशी के कारण वह धूमिल हो गई मेरा निवेदन है कि शुगर मिल की स्थापना हो ताकि आगे गन्ने का संकट न हो और काश्तकार को समय पर उसकी फसल का बराबर पैसा मिल सके ।

कोटड़ी से ट्रका सड़क बनाई जावे ताकि माइका क्षेत्र का विकास हो सके। आज की तारीख मे 10 माइन्स चल रही है, वे बरसात के मौसम में बंद हो जायेगी केवल 6.7 मील का टुकड़ा है उस पर डामर डाल कर पूरा करें ताकि वहां जो 500-600 आदमी काम कर रहे हैं वे बेरोजगार न हों। गत तीस वर्षों में यह माइका का विशेष क्षेत्र था, कभी से सड़कें बन जानी चाहिये थी । यह एक ऐसा उद्योग था जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 7-8 मील सड़क बनाने के लिये तीस साल तक कांग्रेस शासन ने कुछ नहीं किया जनता पार्टी उसको बनाये, यही बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, आज उद्योग और खनिज विभाग की मांग है। मैं माननीय उद्योग मन्त्री जी को सबसे पहले बधाई दूं कि उन्होंने मेरे जन्म स्थान जालोर में ऊन की 600 तकुवे की मिल लगाने की घोषणा की है राजस्थान लघु उद्योग निगम की ओर से जितना जल्दी उसका शुभारम्भ करें उतनी ही प्रसन्नता हमें होगी । इसके साथ ही साथ जो गलीचा उद्योग है उसमें सुधार और कारीगर काम करते हैं यह उद्योग केवल जयपुर में बताया है । राजस्थान के उस हिस्से में जालोर, सिरोही और पाली काम नहीं मिलने के कारण सुथार और कारीगर दैनिक मजदूरी के आधार पर गुजरात में जाते हैं और वहां धन्धा करते है। अगर वहां पर छोटे छोटे गलीचा के उद्योग खड़े किये जाएं तो जालोर में, सिरोही में और शिवगज में बहुत सारे कारीगरों को काम मिल सकता है और लघु उद्योग की समस्या है वह समस्याएं भी हल हो सकती हैं। इस लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम, जो कि अब तक घाटे का सौदा बना हुआ है, सारी व्यवस्था के ऊपर चिन्तन करेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई भी उद्योग जो कि घाटे में चलता है उसका घाटा समाप्त हो सकता है। मैं मानता हूं कि घाटे का उद्योग सम्पूर्ण देश पर बोझा होता है। तो इस नाते मेरा निवेदन है कि माननीय उद्योग मन्त्रीजी इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें।

इतना ही नहीं जो चांदी के गहने बनाने का काम है यह भी एक उद्योग है। बम्बई से करोड़ रुपयों का माल नेपाल के माध्यम से राजस्थान में आता हैं । उस पर जो सेल्स टेक्स है वह इतना अधिक हैं कि सारे के सारे टेक्स की चोरी होती है। मैं समझता

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

हूं कि बम्बई की तुलनामें, गुजरात की तुलना में उसी अनुपात में टेक्स अगर राजस्थान में लिया जाये तो चोरी नहीं होगी साथ ही जो आमदनी आज आंकड़ों में दिखाई जाती है वह आमदनी बढेगी। इतना ही नहीं सोने के जेवर बनाने वाले सुन्हार है को न इस काम से बेदखल किया गया था उनको लाखों रुपया बांटा गया है, उनको जमीन भी दी। जो उन का परम्परागत धन्धा था आज भी चोरी छिपे करते हैं। उनको चांदी के गहने के उद्योग से बल मिलेगा और उनको लाभ मिलेगा।

इतना ही नहीं उद्योग विभाग खनिज विभाग और रेवेन्यू विभाग कहीं मिल जाते है और कोआर्डिनेशन हो जाता है तो प्रसन्नता होती है लेकिन यह परेशानी लोगों को देते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। गाँवों में एक छोटा सा धन्धा ईंट बनाने का है जिसको हम अंग्रेजी में किल्लन कहते हैं। उस धन्धे में लगे लोगों को रेवेन्यू वाले लूटते हैं, खनिज वाले लूटते हैं और उद्योग वाले लूटते हैं। आज जालौर में ईंटों का भाव 100 रुपया एक हजार ईंटों का है। विभाग वाले 20 रुपया सौ रुपये में से रिश्वत का लेते हैं। यह पैसा सरकार के खजाने में नहीं आता। लेकिन जो लूटने का धन्धा करते हैं। उनकी जेब में जाता है। उसको कुछ भी कह दें that is a problem याने एक चीज बन चुकी है उसको लोग रिश्वत भी नहीं मानते हैं। मैं समझता हूं कि तीनों विभाग के मन्त्री महोदय बैठकर इसकी व्यवस्था करें तो लाखों रुपये की सरकार के खजाने में आमदनी होगी और उस विभाग में जो भ्रष्टाचार है वह समाप्त होगा। यही हाल बजरी का है, चूने का है, लोहे का है और जस्ते का है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले के बसन्तगढ़ में तांबा निकला और सरकारी रिपोर्ट कहती है कि वह तांबा खेतड़ी के तांबे से भी अच्छा है। खेतड़ी में हड़ताल चल रही है और झगड़े हो रहे हैं, वह उद्योग आज लाभ नहीं दे रहा हैं। जब खेतड़ी से अच्छी चीज सिरोही जिले के बसन्तगढ़ में है और कापर कार्पोरेशन, जिस का दफ्तर कलकत्ता में है, बसन्तगढ़ में कापर प्रोजेक्ट नहीं लगाये तो राजस्थान सरकार अपना कोई कार्पोरेशन बनाकर बसंतगढ़ में कापर माइनिंग की अपने आप व्यवस्था करें।

इतना ही नहीं आज सीमेंट उद्योग की बात है। सीमेन्ट उद्योग की बात में आज ब्यूरोक्रेसी घुसी हुई है। कभी कहा गया कि रेवेन्यू की सुविधा नहीं है, कभी कहेंगे रेलें नहीं हैं, कहीं कहेंगे फाइनेन्स नहीं है। उस इलाके में, उपाध्यक्ष महोदय कागज मिल के नाम से बोर्ड लगे और लाखों रुपया खा गये शेयर्स निकालकर तो। मेरा निवेदन है, मन्त्री महोदय दो साल में रेल्वे लाइन की व्यवस्था हो जायेगी तब तक फैक्ट्री का भवन खड़ा होगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके, सीमेंट उद्योग के लिए तुरन्त लाइसेन्स देकर आबू रोड़ और सिरोही के बीच में जिस कारखाने को लगाने की चर्चा चल रही है उसका तुरन्त शिलान्यास करायें। जो मृग मरीचिका बनी हुई है उस को जल्दी समाप्त करने का प्रयत्न करें।

लघु उद्योग के साथ साथ आज माइनिंग में भ्रष्टाचार है। माइनिंग की जो छोटी छोटी खानें हैं वह शिड्यूल्ड कास्ट्स के नाम

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

से अलाट होती हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स का नाम हो गया लेकिन खानों पर आप चले जायें तो उस नाम का व्यक्ति नहीं मिलेगा। आबू रोड़ में जाइये, आसपास जायेंगे तो मैं समझता हूं यह देखेंगे कि शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति के नाम अलाटमेंट है और ठेका कोई और ही करता है वह महीने में दो सौ रुपया या पांच सौ रुपया कमीशन का दे देते है उससे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है। खानों पर जिस व्यक्ति के नाम से अलाटमेंट है उस नाम का व्यक्ति मिलता नहीं है। हमने उनको राजी करने के लिए एक कोटा तय कर दिया। हम शिड्यूल्ड कास्ट्स के जिस व्यक्ति के नाम पर अलाट करते हैं वह व्यक्ति खान पर नहीं मिलता। इस प्रकार चोरी होती है। इसलिए माइनिंग में यह व्यवस्था की जाये कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं मिलता है तो दूसरा जो मिलता है उसको अलाटमेंट किया जाये या शिड्यूल्ड कास्ट के नाम पर जहां फर्जी अलाटमेंट किये हुए हैं उनकी जांच करके उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे चलाये जायें ताकि दूसरों के नाम पर जो हक उठाने की प्रवृत्ति आज माइनिंग में पनप रही है वह रोकी जा सके। उसकी जड़ सिरोही का माइनिंग आफिस है। तीनों जिलों के लोग वहां जाते हैं।

चूना निकलता है। वन विभाग वाले उस जमीन को फ्री नहीं करते। वह कहते हैं कि खान खोदेंगे तो वन नष्ट हो जायेंगे। यह गलत कल्पना है, यह गलत चिन्तन है। खान खोदने से वन नष्ट नहीं होते हैं। खान के लिए आप जो जमीन एक्वायर करके देंगे उतने ही टुकड़े में सौ पचास वृक्ष कटेंगे। तो वन विकास के नाम पर जो उद्योग पनपने वाले हैं उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाये तब जाकर यह उद्योग पनप सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे इलाके के लोगों ने भिवानी में, बंगलोर और सूरत में पावरलूम लगा रखे हैं। सुमेरपुर से जालोर तक और सिरोही से कलन्दरी तक एक एक गांव में 200 परिवार सूत के धन्धे को करने वाले हैं। वह लोग धागा कात कर कपड़ा अपने हाथों से बनाते हैं। उनके बारे में राज्य सरकार ने चिन्ता नहीं की और उद्योग विभाग के अधिकारियों ने कभी जाकर टैप नहीं किया। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब बंगलोर में घर घर में उद्योग पनप सकता है तो हमारे इलाके में भी पनप सकता है। यदि राज्य सरकार का प्रोत्साहन मिले तो मैं समझता हूं कि बेकारी दूर होगी और हमारे गांवों का विकास होगा। माननीय मन्त्री जी ने 600 पावरलूम वाली ऊन की फैक्ट्री दी है और माननीय कैलाश जी, जो कि खान मन्त्री हैं, अगर हमारे यहां कापर प्राजेक्ट बनाने में मदद कर दें तो हमारे इलाके का विकास हो जायेगा। यही कहना चाहता हूं।

श्री शिवचरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी समय मिलेगा बोलने को ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि क्रम के अनुसार $4\frac{1}{2}$ बजे मुखबन्द का प्रस्ताव प्रस्तावित है। उसके पहले दोनों मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। मुझे ध्यान है, बहुत से माननीय सदस्य नहीं बोल सकेंगे। मेरे

(श्री उपाध्यक्ष)

ख्याल से श्री अब्दुल अजीज अन्तिम वक्ता होंगे।

श्री अब्दुल अजीज।

श्री नूरा : पार्टीवाइज टाइम देते तो हमारा भी नम्बर आ जाता।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जितने माननीय सदस्य बोले हैं, करीब करीब सब जनता पार्टी के बोले हैं। हर पार्टी के एक एक सदस्य को ही टाइम दिया जाना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव देर से आया। इसलिये उसको कन्सीडर नहीं किया जा सकता।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग और खनिज पर सुझाव और चर्चा के लिए मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। चूंकि मैं मकराना जैसे इन्डस्ट्रियल इलाके से आया हूं इसलिए मैं आपका समय ज्यादा ले लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : समय की कमी है, आप संक्षेप में ही कह दें।

श्री अब्दुल अजीज : मुझे इस ओर आपका ध्यान आर्कषित करना है कि जब हम उद्योग और खनन से उत्पादन करते हैं तो वे लोग जो काम करते हैं खानों में और कारखानों में रात दिन मेहनत करते हैं उसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही हैं और जो लोग हाथों से बनी हुई चीजों को बेचते हैं उनको आप क्या रियायतें देते हैं उसकी ओर आपका ध्यान मुझे विशेष रूप से आकर्षित करना है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनता सरकार औद्योगिक नीति में जो आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है वह नीति आपकी कैसी है? क्या ऐसे मजदूरों के प्रति न्याय करेंगे, ऐसे कलाकारों के प्रति न्याय करेंगे जो रात दिन मेहनत करते हैं? उनको क्या आप सहूलियतें देंगे चाहे वे मूर्ति का काम करते हों, चाहे वे मस्जिद और मकबरों का काम करते हों, चाहे मूर्तिकार हों, चाहे वे सोने चांदी और लकड़ी का काम करने वाले दस्तकार हों? उन लोगों को उन लोगों के मुकाबले में क्या रियायतें देंगे जो बिचोलिए हैं और शो रूम लगा कर उन मजदूरों की दस्तकारी की चीजों को बेचते हैं, जो उनके द्वारा बनाई हुई वस्तुयें होती हैं उनको बेचते हैं। मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा, हमारे इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर सूर्यनारायणजी चौधरी, जो जनता पार्टी के मन्त्री हैं और सोशलिस्ट आइडियोलोजी रखते हैं, इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके बतायें। आप पुराने कार्यों में क्या तरक्की लाना चाहते हैं? जो हाथों से काम किया करते हैं दस्तकार उन को आप क्या सहूलियतें अता फर्माना चाहते हैं, मुहैया करना चाहते हैं? आप घोषणा करें तो यह मालूम होगा कि जनता सरकार ने अपनी नीति उन लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि कौन लोग पीछे रहते हैं और कौन मुनाफा ले लेते हैं। जो लोग खानों में काम करते हैं बाज वक्त उनके एक्सीडेन्ट हो जाते हैं। जिनको सलावट कहते हैं उनकी कोई कौम नहीं है उनमें मुस्लिम भी है, शिड्यूल्ड कास्ट्स भी हैं, जाट भी हैं, ब्राह्मण भी है। सब कौमें यह धन्धा करती हैं। जो काम

(श्री अब्दुल अजीज)

करते हैं उनको खान मिलती है। 2 अप्रैल की डेट अलाटमेंट के लिये आपने निर्धारित कर रखी है जोलोजिकल सर्वे के लिये। उसके बाद उन खानों का क्या होगा जो आज खेतों में है। 2 अप्रैल में चार दिन बाकी है। किसी काश्तकार के खेत में यदि कोई खान निकल आयी तो वह मुकदमे से उलझ जावेगा। उन क्लेम्स को आप किस प्रकार सेटल करेंगे? 2 अप्रैल बहुत नजदीक है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब तक आप उसको संतुष्ट न कर दें तब तक उसके खेत में किसी को काम करने देना बेइन्साफी होगी। इसलिये खनन मंत्री जी राष्ट्रीय नीति को साफ तौर पर बतायें। मेरा निवेदन है कि खनन पट्टे नहीं दें जब तक कि रेवेन्यू और लिटिगेशन के केसेज डिसाइड न हों। इसी सदन में मैंने धन्यवाद दिया है माननीय मंत्री श्री कैलाश मेघवाल को कि उन्होंने विभाग की समस्याओं को हाथ में लिया। खानों में जो पानी भर जाता है उस समस्या को भी उन्होंने हाथ में लिया। मैं पुनः उन्हें धन्यवाद देता हूं कि दो पम्प लगाये और 3 अभी बाकी है। उपाध्यक्ष महोदय, आर. डी. मेहता, जो सेक्रेटरी इण्डस्ट्रीज है, ने उदारता के साथ सुझाव दिया कि पम्प तो दे देंगे लेकिन डीजल जनता को देना होगा। जनता सरकार के साथ सहयोग करने के लिये तैयार है। जितना खर्चा ट्रान्सपोर्टेशन में नहीं हुआ उतना तो पैसा जनता ने दे दिया। अब जब सहयोग नहीं देते हैं तो उत्साह टूट जाता है। उनकी खदानों में पानी भरा हुआ हैं इसलिये उसको निकालने की दरख्वास्त करता हूं।

छोटी छोटी मारबल की चीजें है, चाहे कप प्लेट हो, ग्लासेज हो, शौक के लिये घरों में रखने की हस्तकला और दस्तकारी की चीजें हों। ऐसे दस्तकार है जो संगमरमर का काम करते है मकराना में उनको छोटी छोटी मशीने देकर उस धन्धे को अधिक पनपाया जाय तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो बिजनेस है उसको काफी बढ़ावा मिलेगा, आपकी चीजों को इज्जत मिलेगी और देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, घण्टी न बजायें तो अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव पहले भी दिया था कि यदि खानों में जो पानी भर जाता है और डीप में काफी पानी मिलता है उसको माइनर इरिगेशन के रूप में ले लिया जाय तो हमारी समस्या का समाधान ठीक ढंग से हो सकता है। खानों को यदि बन्द नहीं कर सकते तो हमें हमारी ऐसी नीति बनानी होगी जिससे उस पानी का उपयोग हो सके। ट्यूब वेल आप खोदते हैं उसी तरह खानों में जब नीचे से पानी आता है तो उसको ड्राइव करके सिचाई के काम में ले सकते हैं जिससे मारबल का काम भी नहीं रूके और सिचाई होती रहे। यह सुझाव सरकार को मानना चाहिए और इस पर अमल होना चाहिये।

माइन्स सेफ्टी एक्ट के अन्तर्गत सेन्ट्रल गवर्नमेंट का अजमेर में एक दफतर हैं। वह हम सब पर नाजायज दबाव डालता रहता हैं। उसका कोई काम नहीं है। लीज देते रहे है और कहता रहता है कि खानों का

(श्री अब्दुल अजीज)

यह कर दिया वह कर दिया, कोई न कोई चीज निकालता रहता है। नतीजा यह होता है कि लोग समझते तो होते नहीं और वे लोग उनसे सौ पांच सौ रुपये रिश्वत लेकर मामले को खतम कर देते हैं। इस तरह के कामों को रुकवाने में मदद करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

श्री अब्दुल अजीज : आखरी है।

एडवान्स सिक्योरिटी ली जा रही है उसके बारे में सरकार की ओर से कहा गया है कि यह विचाराधीन है। मैंने मंत्रीगण से निवेदन किया है कि पुराने कारखानेदारों से एडवान्स सिक्योरिटी लें।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। माननीय सदस्य, टाइम कम है।

(व्यवधान)

समय का बहुत अभाव है। माननीय मंत्री जी को आप उत्तर देने दीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक मिनट ही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम ही नहीं है। मूलचन्द जी सामरिया का नाम है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मन्त्री जी सरकार की तरफ से जवाब देंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप विराजिये। मैं किसी भी सदस्य के साथ पक्षपात नहीं करूंगा।

माननीय मन्त्री जी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को राजस्थान सरकार की जो उद्योग नीति है उसके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति के बारे में काफी विस्तार से एक ब्ल्यूप्रिंट तैयार किया है। जनता पार्टी सरकार की औद्योगिक नीति क्या होगी उस सम्बन्ध में करीब करीब अन्तिम रूप उस ब्ल्यूप्रिंट को दे दिया गया है। करीब करीब सभी सम्बन्धित विभागों को वह ब्ल्यू प्रिंट भेज भी दिया गया है। मैं समझता हूं कि उस पर सभी विभागों द्वारा अन्तिम रूप से विचार किया जा चुका है। जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में औद्योगीकरण किस प्रकार से हो इसके बारे में नीति को अन्तिम रूप दे दिया है। इसके साथ साथ मैं राजस्थान सरकार की तरफ से यह घोषणा करता हूं कि औद्योगिक नीति को अन्तिम रूप देने के पहले हम सदन के विपक्ष के सदस्यों से भी इस बारे में बातचीत करेंगे और अगर कोई भी सुझाव राजस्थान के औद्योगीकरण के बारे में देंगे तो उसको भी ध्यान में रख कर विचार किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से किन्हीं कारणों से पिछड़ा

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके, उपाध्यक्ष महोदय, कई ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, या अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से किस तरह से दूसरे प्रान्तों के बराबर लाया जाय इस बारे में प्रयास किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के प्रवासी उद्योगपति जो हैं आज तक चाहे वह किन्हीं कारणों से राजस्थान में उद्योग नहीं लगाते थे अब उन्हें राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। पहले चाहे कोई कारण रहे हों जिससे कि प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों ने यहां उद्योग नहीं लगाये थे लेकिन अब राजस्थान सरकार की कोशिश यह रहेगी कि राजस्थान के उन प्रवासी उद्योगपतियों को यहां पर उद्योग लगाने के लिए विवश किया जाय जिससे कि वह लोग यहां आकर राजस्थान के औद्योगीकरण में हाथ बंटा सकें। उन्हें इस काम के लिये राजी किया जायेगा। इन सभी बातों के लिये जनता पार्टी की सरकार विपक्ष में बैठने वाले सदस्यों से भी पूरी तरह बात करके राजस्थान की भावी औद्योगिक नीति के बारे मे तय करेगी। यह ब्ल्यू प्रिंट एक बिलकुल नॉन कन्ट्रोवर्सियल पॉलिसी स्टेटमेंट है जिस पर प्रतिपक्ष के सदस्यों से बातचीत करके, उसको अन्तिम रूप देकर इस सदन में भी रखा जायेगा। इसके लिये एक समिति प्रतिपक्ष के सदस्यों को सम्मिलित कर बना ली जायेगी और उनका सहयोग लिया जायगा। वह समिति उसको अन्तिम रूप अगले माह यानि अप्रेल के अन्त तक दे देगी और बाद में उसको क्रियान्वित किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, शायद हिंदुस्तान में राजस्थान स्टेट पहली है जहां जनता पार्टी की सरकार विपक्ष का सहयोग लेकर अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा करेगी। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस ब्ल्यू प्रिंट में जो नीति तय होगी उसका राजस्थान सरकार पालन करेगी। मैं समझता हूं कि इसमें आप सभी माननीय सदस्यों का भी हमें पूरा सहयोग मिलेगा और राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति में माननीय सदस्य हमारा मार्गदर्शन करेंगे। यह राजस्थान सरकार की तरफ से मैं घोषणा करता हूं कि ब्ल्यू प्रिन्ट में जो नीति फाइनल होगी उसकी अनुपालना राज्य सरकार करेगी।

श्री शिवचरणसिंह : आपको भी हमारा सहयोग पूरा मिलेगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यहां मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों ही इस बात के लिये कटिबद्ध हैं कि राजस्थान का विस्तृत औद्योगीकरण किया जाय। इस औद्योगिक नीति के सेलियन्ट फीचर्स यह हैं, इसमें कम पून्जी से ग्रामीण क्षेत्र में लेबर ओरियेन्टेड उद्योगों का विकास किया जायगा और उद्योगों का विकास ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका प्रोडक्शन किया जायगा। इसके साथ ही विकेन्द्रीकरण भी किया जायेगा। कम से कम पून्जी में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

कराया जायेगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रख कर राजस्थान सरकार ने ब्ल्यू प्रिन्ट में इनकोर्पोरेट किया है और इनमें जो भी दिक्कतें आ सकती थीं उनका भी हल निकालने की कोशिश की है। इसके लिये सम्बन्धित विभागों से बातचीत भी कर ली गयी है। इनका मैं थोड़ा सदन के सामने विवेचन करना चाहूंगा। सर्वप्रथम जो उद्योग के लिए जरूरत रहती है वह है जमीन की। अभी जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही थी तब मैंने निवेदन किया था कि आज तक जमीन के मामलों को लेकर कई बार उद्योग लगाने में जो दिक्कतें आती थीं वह अब नहीं आयेंगी। पहले जो विभिन्न विभागों में ताल मेल नहीं था उसके लिये अब बातचीत कर ली गई है। इसके लिये जो भी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी वह की जायेगी। उद्योग विभाग और राजस्व विभाग में बातचीत हो गयी है और तय हो गया है कि जमीन के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह भी तय कर लिया गया है कि अगर राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में या राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में कोई संशोधन करना होगा तो कर लिया जायेगा। पब जमीन की दिक्कत की वजह से कोई उद्योग लगाने में दिक्कत आये यह स्थिति नहीं आने दी जायेगी। इसमें जमीनों के कनवर्शन के लिये भी कोई दिक्कत नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज जो अनिवार्य होती है वह है बिजली। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब उद्योगों के लिये अगले साल से बिजली का संकट नहीं आयेगा। हमने इस बारे में भारत सरकार से बात कर ली है और मैं राजस्थान सरकार की तरफ से विश्वास दिलाना चाहूंगा माननीय सदस्यों को कि अब बिजली की औद्योगीकरण के विकास के लिये कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। भारत सरकार की भी यह नीति है, वह औद्योगीकरण का पूरी तरह से विकास करना चाहती है। उसमें बिजली की कमी नहीं आने दी जायेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बिजली उत्पादन में भी अगले वर्ष से स्थिति काफी सुधर जायेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले वर्ष से चाहे कृषि के लिये हो, चाहे उद्योगों के लिये, इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की बिजली की कमी नहीं आने दी जायेगी। बिजली के संबंध में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जो छोटे उद्योग लगाये जायेंगे उनसे बिजली विभाग जो मिनिमम चार्जेज लेता है वह मिनिमम चार्जेज एक साल तक नहीं लिये जायें, यह कन्सेशन उनको विशेष रूप से दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह बार-बार यहां पर मांग की जाती है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है इसलिये समूचे राजस्थान प्रान्त को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया जाना चाहिये। इसके लिये मैं राजस्थान सरकार की तरफ से घोषणा करता हूं कि एक लाख की आबादी तक के क्षेत्रों में, चाहे ग्रामीण एरिया हो, कस्बा हो, जो दस लाख तक के उद्योग हैं उनको राज्य सरकार अपनी तरफ से पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानेगा और जो सब्सिडी की सुविधा भारत सरकार पिछड़े क्षेत्र होने के लिये देती है उसी प्रकार की सब्सिडी राज्य सरकार

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

देगी। भारत सरकार पिछड़े क्षेत्र के लिये जो सब्सिडी देती है उसमें और इस सब्सिडी में सिर्फ यही फर्क होगा कि एक करोड़ तक के उद्योगों के लिये भारत सरकार 15 प्रतिशत सब्सिडी देती है और राजस्थान सरकार एक लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में जितने भी उद्योग ऐसे हैं जिनकी पूंजी की लागत दस लाख रुपये तक की है उनको अपनी तरफ से 15 प्रतिशत सब्सिडी देगी। यह मैं राजस्थान सरकार की तरफ से घोषणा करता हूं। थोड़ी सी 3-4 जगह राजस्थान में छूट जाती है जो एक लाख की आबादी के क्षेत्र की बात प्रभावित नहीं होती है, बाकी सारे राजस्थान में वित्त के मामले में कन्सेशन का धरातल एक सा स्थापित हो जाता है। इसके अलावा भी माननीय सदस्यों ने समिति के माध्यम से या अन्य प्रकार से अगर कोई भी ऐसा व्यवहारिक सुझाव इस सरकार के सामने रखा, जिसे कि राज्य सरकार मान सकती है और जिससे वित्तीय भार न पड़े, तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार का दिमाग इस मामले में खुला रहेगा और उन सुझावों का हम स्वागत करेंगे। यह मैंने आपके सामने वित्त का जो प्रश्न है उस बारे में निवेदन किया है।

जहां तक प्रशासनिक बाटलनेक्स का प्रश्न है, कई लोग इस संबंध में मुझ से मिले हैं और मैं खुद भी गया हूं और मुझे औद्योगीकरण के प्रश्न पर पुराना 4-5 साल का अनुभव भी है। मैं निश्चित रूप से यही निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उद्योग विभाग इस बात का प्रयास कर रहा है कि जनता के दिमाग और प्रशासनिक सेवाओं के दिमाग में इस बात को अच्छी तरह से डाल दिया जाये कि आज की वर्तमान प्रशासनिक सेवायें निश्चित रूप से जन कल्याण की दृष्टि से अपने आपको सिर्फ जनता का सेवक समझकर द्रुत गति से सारे प्रशासनिक मामलों को तय करेगी। मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कोई भी ऐसा प्रश्न लाया गया जिसमें प्रशासनिक सेवाओं ने जानबूझ कर देरी करने की चेष्टा की हो, उसको घुमाने की चेष्टा की हो तो निश्चित रूप से यह सरकार उसको बख्शने वाली नहीं है। यह सरकार जनता की सेवा करने के लिये है। जब भी उद्योग विभाग के पास जायेंगे, आर.एफ.सी; आर.एम.आई.डी.सी. जो निगम है उनके पास जायेंगे तो उनका कर्तव्य है कि वे आपको इस प्रकार का विश्वास दिलायें कि यह कार्य सरकार के हित में अधिक है कि जल्दी से जल्दी इण्डस्ट्री लगे, औद्योगीकरण हो और सारे मामले निपट जायें। प्रशासनिक ढिलाई किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मैं विनम्र निवेदन करूंगा इस संबंध में अगर कोई व्यावहारिक सुझाव हो और कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से परिवर्तन किया जायेगा। कोई इस प्रकार का मामला अगर सामने आया तो प्रशासन को सचेत करते रहेंगे।

एक माननीय सदस्य : सुझाव देने का मौका आज था।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : जो लोग जवाब लेना चाहते हैं उनके पास मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जो कट मोशन्स दिये हैं, उनका जवाब आना चाहिये।

श्री खेलसिंह राठौड़ : आप हमारे पास आये नहीं। आप काम कर दें, हम समझेंगे आपने मेहरबानी कर दी।

श्री नारायणसिंह (मालपुरा) : दो सौ हैं, किस किस के पास जायेंगे।

श्री शिवचरण सिंह : Big industries

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। इस मामले में कोई विवाद नहीं होना चाहिये। आज देश में जो वर्तमान स्थिति है उसमें आज पूंजी का अभाव है और इतना अनएम्प्लायमेंट है, दस करोड़ अनएम्प्लायड हैं इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि लघु उद्योगों के ऊपर, कुटीर उद्योगों के ऊपर जोर दिया जाये। बड़े उद्योग, हेवी इण्डस्ट्रीज वही आयें जो कि इन सारी केटेगरीज के अन्दर समन्वित न हो सकें। सीमेंट का उद्योग समझ लीजिये। खाद का कारखाना है या और हेवी कारखाने या उद्योग इस प्रकार के है जो सरकार के परव्यू के बाहर है, केन्द्रीय सरकार का मसला है.....

श्री शिवचरण सिंह: राजस्थान में वे सबसे कम हैं और प्रांतों के मुकाबले। आप की योग्यता का यही प्रतीक है आप केन्द्र से क्या ला सकते हैं ?

श्री टीकमचन्द कांत : आज तक सभी लोग अयोग्य साबित हो चुके है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : राज नारायण से ले आयेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : राज नारायण ने उद्धार कर दिया इस देश का।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको मेरे बारे में गलतफहमी है। वे मेरे नेता जरूर हैं मेरा स्वयं का अस्तित्व भी है।

एक माननीय सदस्य : आपके अस्तित्व को मानते हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। पिछले 30 वर्षों में कुल 69 औद्योगिक क्षेत्र कायम हुए है। हम एक वर्ष में 52 औद्योगिक क्षेत्र कायम करने जा रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में 69, एक वर्ष में 52।

श्रीमती सुमित्रासिंह : समझ में नहीं आया, हम समझ नहीं पाये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पिछले 30 वर्षों में जब से यह देश स्वतंत्र हुआ और आपका शासन चला तब से पिछले वर्ष तक 69, एक कम सत्तर औद्योगिक क्षेत्र लगे। हम एक वर्ष में 52 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं ....

एक माननीय सदस्य : किस प्रकार ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : 9 महीने में....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको 9 महीने की उपलब्धि भी बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर जारी रखिये।

श्री किशनसिंह भाटी : एक स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये। माननीय मन्त्री महोदय का उत्तर समाप्त होने दीजिये।

श्री नूरा : मैंने जो सुझाव दिया था ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इन 9 महीनों के अन्दर 10,300 स्पिन्डल्स राजस्थान में स्थापित किये जो राजस्थान में 30 वर्षों में स्थापित नहीं हुए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने कई दूसरे कारखाने लगाये हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपने इतना कुछ कर दिया कि कोई कर नहीं सकता, चाहे किसी क्षेत्र में किया हो। अब चूंकि समय कम है, दूसरे मन्त्रीजी बोलेंगे इसलिए मैं इतना ही निवेदन कर दूंगा कि आर. एम. आई. डी. सी. ने 20 मिनी सीमेंट कारखानों के लिए एप्लीकेशन्स दी हैं। पांच स्वीकार हो गई हैं व शेष प्रोसेस में हैं। जो रेल्वे से क्लियरेंस लेना था उसकी अन-आफिशियल तो जानकारी मिल गई है, आफिशियल रूप से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं यही निवेदन कर देना चाहता हूं। इसी तरीके से...

श्री शिवचरण सिंह : मिनी सीमेंट प्लांट का जो फेट मद्रास में हुआ...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको अगर आशंका हों तो आधे घन्टे की डिबेट के लिये प्रस्ताव रख दूं। आप अपनी तरफ से रख दें।

श्री शिवचरण सिंह : मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। वहां सीमेंट उद्योग फेल हुआ है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : तो इन सारे प्रश्नों के ऊपर जो आपको शंका है उसका समाधान हो जायेगा, किसी भी प्रकार से इसके सम्बन्ध में हम अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और न वह कर रहे हैं। भारत सरकार मिनी सीमेंट के प्लांट की दृष्टि से उसको देखेगी। जो नई टेक्नोलोजी डवलप की है उन सबको देखते हुए ही भारत सरकार के उद्योग मन्त्री जी का यह कथन है कि I will under write all the losses. तो इस सारी पृष्ठभूमि में यह बात कही गई है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह स्वागत योग्य है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप बिराजिये।

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़े हुए ग्रामों में उद्योग लगाने की जो क्रांतिकारी घोषणायें की हैं तो इसका लाभ क्या हमारे जैसलमेर जिले के गांवों को भी मिलेगा ? क्या आप 5 हजार की आबादी वाले गांव को ही मानेंगे या गांव को एक इकाई मानेंगे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यहां आबादी का सवाल नहीं है। आप लगाइये।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा कि 30 सालों में राजस्थान में इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स में रूरल एरिया, जिसके बारे में आप कहा करते हैं, भी शामिल है क्या ?

Page No. 125

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं नहीं समझा कि आपने क्या कहा ?

श्री मथुरादास माथुर : आपने 52 इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स बनाने की घोषणा की है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन 52 इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स में रूरल इण्डस्ट्री का गांवों में जो काम कराया जा रहा है वह भी शामिल है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह इण्डस्ट्रियल एस्टेट्स आर. एम. आई. डी. सी. के इण्डस्ट्रियल एरिया में हैं। 5 से ज्यादा इण्डस्ट्री जहां होंगी वहां पर यह होंगे।

माथुर साहब, आपकी सेवाओं का हम विशेष रूप से उपयोग करेंगे। वहां पर आप सारे सुझाव दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री महोदय कह चुके हैं। इससे अधिक जानकारी आपको चाहिये तो आपको दे देंगे।

माननीय मन्त्री महोदय, श्री कैलाश मेघवाल। बहुत कम समय है।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि समय कम है और इस कम समय में राज्य सरकार की किस तरह की नीति खनिज के बारे में है, किस तरह से राजस्थान के खनिजों का, किस तरह से धरती के नीचे जो सम्पदा है उस सम्पदा का विकास कर राजस्थान को किस तरह से आगे लाया जाय, इस बारे में सरकार की जो नीति है उसका पूर्ण रूप से निवेदन करने में मैं असमर्थ रहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद जितना समय गुजरा है, 8-9 महीने का समय गुजरा है यह समय बहुत कम है कि किसी भी विभाग का एक प्रकार पुनर्वीक्षण किया जाय। लेकिन जैसा कि पिछली बार खनिज विभाग की मांग पर बहस के समय निवेदन किया था, माननीय उपाध्यक्ष हम एक नये तरीके से सोच रहे हैं कि राजस्थान की खनिज सम्पदा का उपयोग राजस्थान के गरीब तबके के लिए, राजस्थान की अनुसूचित जाति के लिए, राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों के लिए हो, और इनको अधिक से अधिक खपा करके रोजगार का साधन दे सकें। इस दिशा की ओर जाने की हमने घोषणा की थी। मैं, माननीय उपाध्यक्ष, यह गर्वोक्ति नहीं करता हूं, लेकिन सदन के सूचनार्थ आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जैसी पिछली बार घोषणा की थी कि 10000 व्यक्तियों को खनिज के क्षेत्र में नया रोजगार देंगे इसके अनुसार जो खनिजों के लिये जो हमने पट्टे दिये हैं वह गरीब आदमी को दिये हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स को दिये हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दिये हैं जो खास तौर से अपने हाथों से काम करते हैं, इस तरह के आदमियों को प्राथमिकता के आधार पर हमने पट्टे दिये हैं। आज 10 हजार व्यक्ति नये रोजगार से लगे हुए हैं। यह मैं आपके द्वारा सदन को सूचना देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

आप इन्टरप्ट मत करिये।

माननीय उपाध्यक्ष, जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राजस्थान में नये सिरे से हमने सोचना प्रारम्भ किया है। राजस्थान के गरीब को विश्वास दिलाने के लिये, आज

(श्री कैलाश मेघवाल)

तक जिस गरीब के प्रति केवल नारा लगाया गया, आज तक जिस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति रेंगिंग के आधार पर घोषणा की गई.........

श्री मूलचन्द डागा : आपकी पार्टी के लोगों का ही विश्वास नहीं रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि 30 साल से केवल नारेबाजी करके आपने कोई विकास का कार्य नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं.........

श्री नरेन्द्रपालसिंह : पहले भी यही होता था और अब भी यही हो रहा है। माननीय मन्त्री महोदय को हट्टंडी के अन्दर जो नोट दिया गया था.........

श्री मूलचन्द डागा : क्या बात कही है ?

श्री कैलाश मेघवाल : उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि 30 साल में जो खनिजों के पट्टे दिये गये हैं वह उद्योगपतियों को दिये गये हैं। जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद आज तक सारे राजस्थान में 4432 पट्टे दिये गये हैं उनमें वीकर सैक्शन्स, शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति ज्यादा हैं, 4000 के करीब पट्टे उनको दिये हैं। यह आपकी जानकारी के लिए है। आज तक गरीब आदमी के लिए रोटी के साधन, जिस गरीब आदमी के लिए रोजगार के साधन पैदा नहीं किए गये, पूंजी पैदा करके गरीब को आगे नहीं बढ़ाया गया। आपने 30 साल में क्या किया है ? माननीय उपाध्यक्ष, जो स्थिति आपने पैदा की है उस तरह के हालात हम नहीं लाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्त्योदय योजना के आधार पर इस कार्यक्रम को हमने हाथ में लिया है। आज इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। राजस्थान की खनिज सम्पदा के ऊपर राजस्थान के गरीब का हमने अधिकार रखा है, और गरीब की खुशहाली के लिए उस सम्पदा को काम में लिया जायगा। इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष, आज तक आपने छोटे लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, केवल केन्द्र या जयपुर सचिवालय में बैठकर या महलों में बैठकर रिश्वत खाकर और अपने लोगों के साथ पक्षपात करके पट्टे दिए हैं...

श्री मूलचन्द डागा : These are all vague allegations. मंत्री महोदय, जो हमने मुद्दे उठाये हैं उनका उत्तर नहीं दे रहे हैं। यह वेग एलीगेशन्स हैं। आप गलत बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : यह आपका राजनैतिक भाषण हो रहा है या आप उत्तर दे रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष, मैं पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि कोई बात अखबार में छप जाती है जो घटी ही न हो या असत्य हो तो उसका

(श्री कैलाश मेघवाल)

बिना पता लगाये माननीय सदस्य एक हवा बनाने की कोशिश करते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जल्दी समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हमने नये ढंग से सरकार की ओर से स्टेप उठाये हैं उनसे आम जनता में भ्रष्टाचार की कमी हुई है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बीच बीच में बोल रहे हैं। यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है—

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मुखबन्द का समय हो चुका है। मैं उसका प्रयोग करता हूं। कोई भी चर्चा या प्रवचन बीच में किसी प्रकार का नहीं किया जायगा।

मांग संख्या 42 व 43 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं मुखबन्द का प्रयोग करता हूं कोई बीच में व्यवधान न डालें।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41—उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,67,02,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43—खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,66,39,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मुखबन्द

शेष अनुदान की मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1—संसद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 66,27,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3—सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,08,74,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5—प्रशासनिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,20,07,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष) :

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7-निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 49,74,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10-विधि सामान्य सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,03,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,77,86,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13-आबकारी के संबध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,18,53,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14-बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,51,86,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15-पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,99,71,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,01,35,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकृत की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18-जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 82,23,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19– लोक निर्माण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23, 71,65,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20– आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,02, 30,000रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22– क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,44,00,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 25– कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,37,58,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29–नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,64,59,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30– जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,71,87,000 रु तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31– पुनर्वास एवं सहायता के सम्बंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 32,75,000 रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,04,88,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 35–विविध सामुदायिक एवम् आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1, 15, 92, 000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40–राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3, 20, 36,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41–सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5, 82, 48,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44–लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2, 31, 24,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45–राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9, 23, 05,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47–पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 49, 44,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 48–विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 45,86,00, 000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5, 71, 53,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर: स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1978

अब माननीय वित्त मंत्री महोदय विनियोग विधेयक पुर: स्थापित करेंगे।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1978 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1978 को पुर: स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1978 पुर: स्थापित हुआ।

सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 4.40 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 30 मार्च, 1978 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट – 1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

विराटनगर रेन्ज में नाका बीलवाड़ी में अनियमिततायें

569. श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवा रामगढ़): क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विराटनगर रेन्ज में नाका बील-वाड़ी पर कौन नाकेदार काम कर रहा है ?

(2) यह नाकेदार इस रेन्ज में कितने साल से कार्य कर रहा है ?

(3) इस नाका बीलवाड़ी में, बीलवाड़ी क्लोजर जो बनाया गया था उस पर राज्य सरकार का कितना धन खर्च हुआ था ?

(4) यह क्लोजर किस उद्देश्य से बनाया गया था ?

(5) क्या इस क्लोजर में से पेड़ काटने को राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है ? यदि नहीं, तो उक्त नाकेदार ने हजारों क्विंटल लकड़ी किस तरह कटवाई है ?

(6) क्या राज्य सरकार इस घपले की जांच कर रही है ?

उत्तर

(1) विराट नगर रेंज में बीलवाड़ी नाका न होकर वन रक्षक चौकी है जिस पर श्री रामफूल वन रक्षक तैनात हैं।

(2) उक्त वन रक्षक 3 वर्ष से कार्य कर रहा है ।

(3) क्लोजर बीलवाड़ी के बनाने में राज्य सरकार का 12597 / रु. व्यय हुआ था ।

(4) यह क्लोजर परिभाषित वनों के पुनरोद्धार के उद्देश्य से बनाया गया था ।

(5) जी नहीं । उक्त नाकेदार द्वारा किसी प्रकार की लकड़ी कटवाई जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(6) सतर्कता (वन) विभाग इससे पूर्व के पद स्थापित नाकेदार के विरुद्ध जांच कर रहा है ।

घाटोल तहसील में आदिवासी काश्तकारों द्वारा जमीन पर कब्जा

570. श्री नाथूलाल (घाटोल): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि घाटोल तहसील में आदिवासी काश्तकारों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है ?

(2) क्या उक्त जमीन जंगलात के रिकार्ड में दर्ज है? क्या यह जमीन डिमार्केशन में रेवेन्यू में परिवर्तन कर उन काश्तकारों को आवंटन कर दी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(1) जी हां । घाटोल तहसील में आदिवासी काश्तकारों ने वन भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है ।

(2) जी हां । राज्य सरकार ने 1-1 71 के पूर्व के नाजायज कब्जो को स्थाई नियमन के आदेश प्रदान किये हैं जिसके अन्तर्गत जिलाधीश स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ।

शासन सचिवों की नियुक्ति-पदोन्नति के लिए उप समिति का गठन

571. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार की तरह शासन सचिवों की नियुक्ति पदोन्नति आदि के लिये कोई मन्त्रिमण्डलीय उप समिति बनाने की सोच रही है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) राजस्थान सचिवालय में शासन सचिवों, उप सचिवों आदि की नियुक्ति, पदोन्नति आदि के अधिकार किस व्यक्ति या अधिकारी में निहित हैं ? अगर एक से अधिक व्यक्तियों या अधिकारियों के पास यह अधिकार है तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 166 के अन्तर्गत बनाये गये कार्याविधि नियम (Rules of Business) में इस सम्बन्ध में पूर्ण व्यवस्था निर्धारित है।

(2) शासन सचिव, उप सचिव आदि की पदोन्नति और पदस्थापन के अधिकार राज्य सरकार में निहित है।

वनों के बढ़ते हुए ह्रास की रोकथाम

572. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वनों के बढ़ते हुए ह्रास को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि वन क्षेत्र ही कम नहीं हुआ वरन वन खण्डों में भी वन नष्ट हो गए हैं ?

(2) विभागीय प्रणाली के कराये गये कूपों में भी कर्मचारियों की मिली भगत से चराई होती है और कटे हुए कूप पनप नहीं पाते ? यदि हां, तो इसमें सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) (i) वनों के ह्रास को रोकने के लिए विभागीय कार्य योजना प्रारम्भ की गई है, ताकि ठेकेदारी प्रथा से वनों को क्षति से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त आदिवासियों एवम् कृषकों को दी जाने वाली रियायतों तथा चराई के नियमों को संशोधित करने के बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ii) खेती के विस्तार, नदी घाटी योजनाओं, विस्थापितों को बसाने, नगरीय फैलाव व औद्योगीकरण के कारण पिछले 9 वर्षों में लगभग 36138.2 हैक्टेयर वन क्षेत्र रिलीज किया जा चुका है। वनों में दी गई रियायतों सिरबोझा निकासी और अत्यधिक चराई के कारण वनों के पनत्व पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(2) यह सही है कि चराई का नये प्रजनन क्षेत्रों के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चराई निषेध क्षेत्र में अवैधानिक अथवा मिली भगत से चराई की शिकायत प्राप्त होने पर नियमान्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

मकराना अस्पताल में सर्जन की नियुक्ति

473. श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है भूतपूर्व गृह मंत्री के मकराना आगमन पर मकराना अस्पताल में सर्जन नियुक्त किये जाने के लिए अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो कब तक मकराना में सर्जन लगा दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि मकराना अस्पताल में मरीजों को दवायें उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो अब कब तक उपयुक्त व्यवस्था होगी ?

उत्तर

(1) इसकी जानकारी विभाग को नहीं है। मकराना चिकित्सालय में एक सी. ए. एस. का पद स्वीकृत है जो कार्यरत है।

(2) जी नहीं।

भगत की कोठी कच्ची बस्ती का नियमनीकरण

574. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भगत की कोठी कच्ची बस्ती के नियमनीकरण बाबत सहायक शासन सचिव द्वारा दिनांक 26–4–77 को 3/–रुपये प्रति वर्ग गज की दर से नियमन आदेश, सरकारी निर्णय अनुसार नगर विकास न्यास, जोधपुर को जारी किये गये ? अगर हां, तो क्या बस्ती का नियमन कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) अब इस बस्ती के बारे में राज्य सरकार तुरन्त नियमन के लिए क्या निर्देश देना चाहेगी ?

(3) बस्ती के निवासी 75×37½ वर्गफीट एवं 50×37½ के प्लाटों पर बसे हुए हैं ? बिजली आदि की भी व्यवस्था है ? ऐसी स्थिति में उन्हें उपरोक्त क्षेत्रफल के भू-खंड नियमन आदेश, नगर विकास न्यास, जोधपुर ने पालनार्थ विलम्ब क्यों किया जब कि फैसला राज्य मंत्रिमण्डल का है ?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु इस आदेश के पूर्व की बस्ती का नियमन कार्य दिनांक 4-9-76 तक पूर्व हो चुका था। 1956 में जिन व्यक्तियों को पट्टे नहीं दिए जा सके हैं, उन्हें प्राय: कब्जा अनुसार पूर्ण भूखंड का नियमन कर दिया गया था।

(2) सन् 1956 के उक्त कब्जों के पश्चात से 21 वर्ग गज, 1971 तक के कब्जों के नियमन की कार्यवाही राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(3) बस्ती के निवासी 75×37½ वर्ग फीट 50+37½ वर्ग फीट के प्लाटों पर बसे हुए नहीं हैं। बस्ती में कहीं कहीं पर बिजली की व्यवस्था है। राज्य मंत्रिमंडल का फैसला केवल 1956 के काबिज व्यक्तियों को पट्टे नहीं दिए जा सके थे उन्हीं के संबंध में था। 1971 तक अनधिकृत कब्जे वाले सभी परिवार से संबंधित नहीं था। इसलिए नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा ऐसे परिवारों को बड़ा भूखंड नियमन नहीं हो सका है।

सिटी बस के परमिट देने के आधार

575. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सिटी बस के नये परमिट किस आधार पर दिये जाते हैं ?

(2) राज्य के कौन-कौन से शहरों में सिटी बसें चलाने की इजाजत दी गई है ?

(3) इन शहरों का चयन फैसे-व किस के द्वारा किया गया है ?

(4) किन-किन शहरों में प्राइवेट व्यक्तियों को परमिट दिये गये हैं ?

(5) कहां-कहां और बसें बढ़ाने का राज्य सरकार सोच रही है ?

उत्तर

(1) राज्य के शहरों में सिटी बस के परमिट जनता की आवागमन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आर टी.ए. द्वारा स्टोप निर्धारित कर दिये जाते हैं।

(2) राज्य के निम्नलिखित शहरों में सीटी बसें चलाने के परमिट दिये गये हैं:-

1-जयपुर	6-चित्तौड़गढ़
2-सवाई माधोपुर	7-बीकानेर
3-अजमेर	8-हनुमानगढ़
4-उदयपुर	9-जोधपुर
5-भीलवाड़ा	10-कोटा

(3) शहरों का चयन जन आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखकर आर.टी.ए. द्वारा किया गया है।

(4) इन शहरों में शहरी बस सेवाओं के परमिट निम्न प्रकार दिये गये हैं:—

1-जयपुर	पथ परिवहन निगम (दो मार्गों पर निजी वाहन स्वामियों को)
2-कोटा	नगर परिषद्, कोटा
3-उदयपुर	नगर परिषद्, उदयपुर
4-अजमेर	निजी वाहन स्वामियों को
5-सवाई माधोपुर	,, ,,
6-भीलवाड़ा	,, ,,
7-चित्तौड़गढ़	,, ,,
8-बीकानेर	,, ,,
9-हनुमानगढ़	,, ,,
10-जोधपुर	,, ,,

(5) यदि इन शहरों में नगरीय सेवाओं में वृद्धि अथवा राज्य के अन्य शहरों में नागरिक सेवा प्रारम्भ करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये तो उन पर विचार कर उचित निर्णय लिया जा सकता है।

धोलपुर सब-डिविजन में बेरोजगारों की संख्या

576. श्री जगदीशसिंह (धोलपुर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धोलपुर सब-डिविजन में तारीख 31-1-78 तक कितने पढ़े लिखे व अनपढ़ बेरोजगार थे और 1-1-77 से 31-1-78 तक कितने आदमी पढ़े लिखे व अनपढ़ नौकरी पर रखे गये वे कहां के रहने वाले थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री जगदीश सिंह)

(2) धौलपुर क्षेत्र की बेरोजगारी को समाप्त करने की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या धौलपुर में बेरोजगारी खतम करने के लिए किसी फैक्ट्री की स्थापना करने की राज्य सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कौनसी व कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नियोजन कार्यालय, भरतपुर की जीवित पंजिका पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31-1-78 को धौलपुर सब डिविजन के 1973 पढ़े लिखे (मिडिल एवं इससे अधिक) एवं 712 अनपढ़ (मिडिल से कम) आशार्थी रोजगार प्राप्त करने हेतु पंजीकृत थे। दिनांक 1-1-77 से 31-1-78 की अवधि में कुल 53 पढ़े लिखे (मिडिल एवं इससे अधिक) एवं एक अनपढ़ (मिडिल से कम) को रोजगार दिलाया गया। वे समस्त धौलपुर उप खण्ड के निवासी थे। सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) धौलपुर क्षेत्र की बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु कोई पृथक योजना नहीं है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार स्वयं कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं करती है। फैक्ट्री स्थापित करने का कार्य निजी क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा तथा सार्वजनिक क्षेत्र में राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है।

'अ'

दिनांक 31-1-78 को धौलपुर सब डिविजन के पढ़े लिखे एवं अनपढ़ आशार्थी नियोजन कार्यालय, भरतपुर में पंजीकृत थे की सूची—

1. पढ़े लिखे आशार्थी, मिडिल पास एवं उससे ऊपर की योग्यता वाले	1973
2. अनपढ़ आशार्थी, मिडिल से कम योग्यता वाले	712
योग	2685

उपरोक्त समस्त आशार्थी धौलपुर सब डिविजन के रहने वाले थे।

'ब'

धौलपुर सब डिविजन के आशार्थियों को दिनांक 1-1-77 से 31-1-78 तक की अवधि में नौकरी पर रखे गये की सूची।

1. पढ़े-लिखे आशार्थी नौकरी पर रखे गये, मिडिल पास एवं उससे ऊपर योग्यता वाले	53
2. अनपढ़ आशार्थी नौकरी पर रखे गये, मिडिल से कम योग्यता वाले	1
योग	54

उपरोक्त समस्त आशार्थी धौलपुर सब डिविजन के रहने वाले थे।

ब्यावर की पेय जल की समस्या

577. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत 10 वर्षों से सभी मुख्य मंत्रियों व जन स्वास्थ्य मंत्रियों ने आश्वासन दिये थे कि ब्यावर की पेय जल समस्या का समाधान बहुत शीघ्र कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो अब कितने समय में ब्यावर को 20 गैलन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से गर्मियों में पानी मिलने लग जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि ब्यावर के लिए आसिन्द बांध से व निम्बाज, रायपुर नदी के एरिया से कुओं से पानी सप्लाई करने की व नसीराबाद से योजनायें बनी थीं ? अगर हां, तो प्रत्येक योजना की लागत क्या थी ? प्रति हजार लीटर पानी देने की दर प्रत्येक से क्या आ रही थी ?

(3) क्या यह सही है कि नसीराबाद से ब्यावर को पानी अगले 5 वर्षों में पूर्ण राशि उपलब्ध नहीं कराने के कारण नहीं मिल सकेगा ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार के विचाराधीन कोई और योजना है जिससे अगले दो वर्षों में ब्यावर की जल समस्या का समाधान हो सके ?

उत्तर

(1) वर्तमान में ब्यावर नगर की पेय जल व्यवस्था नगर परिषद के अधीन है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी करीब 15-16 गेलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल वितरण किया जा रहा है। अजमेर-ब्यावर-

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

किशनगढ़ योजना का प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है एवं सम्पूर्ण योजना क्रियान्वित होने पर ही 20 गेलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं। विधियत योजनायें नहीं बनाई गयी थीं।

(3) अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ जल योजना के तहत ब्यावर के लिये अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है एवं धन की उपलब्धि के अनुसार ही छठी पंचवर्षीय योजना काल में इसे पूरा किया जाने की सम्भावना है। इस योजना के तत्काल समाधान हेतु सेंदड़ा से ब्यावर को जल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है इससे ब्यावर को करीब 2 लाख गेलन जल उपलब्ध हो सकेगा।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्रवृति

578. श्री लालशंकर डेडोर: क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृति भारत सरकार व राज्य सरकार से बराबर नियमानुसार मिल रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने छात्र व छात्राएं राजस्थान सरकार द्वारा विदेशों में शिक्षा अध्ययन हेतु भेजे गये तथा उच्च श्रेणी में कितने व्यक्तियों को नौकरियां उपलब्ध कराई गई?

(3) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भील जाति के 80% व 90% लोग रहते हैं? यदि हां, तो भूतपूर्व राज्य सरकार व वर्तमान राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों में से कितनों को आर.ए.एस. व आई. ए. एस. व विदेशों में नौकरियों में नियुक्ति दी गई?

(4) अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए राज्य सरकार का कुल कितना बजट है? इसका सदुपयोग हुआ या नहीं?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उत्तर मैट्रिक छात्र|छात्राओं को भारत सरकार के नियमानुसार तथा पूर्व मैट्रिक छात्र|छात्राओं को राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्तियां बराबर दी जा रही हैं।

(2) विदेशों में उच्च अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्र| छात्राओं को केन्द्रिय सरकार द्वारा भेजा जाता है। कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के क्रमश: 22 व 13 व्यक्ति आर. ए. एस. के पदों पर तथा 6 व 7 व्यक्ति आई. ए. एस. के पदों पर नियुक्त हैं।

(3) जी नहीं। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में अनुसूचित जन जाति की जन संख्या इन जिलों की कुल जन संख्या का क्रमश: 63.64 प्रतिशत तथा 72.93 प्रतिशत है। कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार बांसवाड़ा जिले का अनुसूचित जन जाति का एक व्यक्ति आर. ए. एस. के पद पर नियुक्त है।

(समाजकल्याण मन्त्री)

(4) अनुसूचित जाति तथा जन जाति क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 1977-78 में राज्य सरकार का कुल 755.84 लाख रुपये का बजट प्रावधान है जिसमें से 155.28 लाख रुपये का प्रावधान समाज कल्याण विभाग के बजट में है तथा 600.56 लाख रुपये का प्रावधान जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग में है।

जालौर से बालोतरा 132 के. वी. लाइन का विस्तार

579. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालौर से बालोतरा 132 के.वी. लाइन के विस्तार का कार्य कब तक सम्पूर्ण कर दिया जायेगा ?

(2) बालोतरा से बाड़मेर 132 के.वी. लाइन के विस्तार के कार्यक्रम को राज्य सरकार एवं विद्युत बोर्ड कब हाथ में ले रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि बालोतरा से बाड़मेर 132 के. वी. लाइन के विस्तार के बिना बाड़मेर जिले के सबसे बड़े सब डिविजन, जिसमें 608 गांव हैं और 6 लाख की जन संख्या है, का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता ?

(4) क्या यह सही है कि सिणधरी एवं गुढ़ा क्षेत्र में जहां लूनी नदी बहती है और जहां सिंचाई के कुए हैं उन्हें विद्युत से सम्बन्धित नहीं किये जाने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती, ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं को जो नल कूपों से सम्बन्धित हैं सुचारु रूप से चलाया नहीं जा सकता और न तहसील एवं पंचायत समिति व मुख्यालयों और घनी आबादी के गांवों को विद्युत से जोड़ा जा सकता है ?

(5) क्या यह सही है कि विद्युत बोर्ड ने दिनांक 23-12-76 को जोधपुर में स्थानीय सलाहकार समिति की दूसरी बैठक में बालोतरा से बाड़मेर को 132 के. वी. लाइन से जोड़ने के लिए एग्री कर लिया है ?

उत्तर

(1) 132 के. वी. जालोर बालोतरा लाइन एवं 132 के. वी. बालोतरा उप चौकी का निर्माण माह अक्टूबर, 78 के अन्त तक होने की सम्भावना है।

(2) अभी बालोतरा से बाड़मेर 132 के. वी. लाइन योजना की स्वीकृति नहीं हुई है।

(3) विद्युतीकरण विकास में अवश्य सहायक होता है। विद्युतीकरण न होना औद्योगिक विकास न होने का एक कारण हो सकता है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं।

आपातकाल में ग्राम दिवराला (सीकर) के निवासी की गिरफ्तारी

580. श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इमर्जेन्सी के वक्त में सीकर जिला ग्राम दिवराला के

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

निवासी आदिवासी मीणा जाति के श्री गणपत पुत्र श्री भूराराम को पुलिस स्टेशन चौमूं में गिरफ्तार किया था और एक माह तक हवालात में बन्द रखने के पश्चात् माह अगस्त 1975 में उसकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने दोषी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि नवयुवक श्री गणपत की निर्दयतापूर्वक मारपीट कर हत्या कर दी गई ? वर्तमान सरकार के पास हत्या के प्रमाण मौजूद होने के पश्चात् भी अभियुक्तों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि अभियोग निराकरण द्वारा जांच करवाये जाने के पश्चात् चौमूं थाना के इन्चार्ज श्री महेन्द्र दीक्षित व सिपाही श्री हनुमानसिंह आदिवासी मीणा नवयुवक श्री गणपत की हत्या के दोषी पाये गए ? यदि हां, तो इन्हें बचाने में पुलिस के कौन कौन से उच्चाधिकारी लिप्त है ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर जिला के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने मुजरिमों को बचाने की कार्यवाही की और मृतक के परिवार के सदस्यों को संत्रस्त करने की कोशिश कर आतंक फैलाया ? यदि हां, तो राज्य सरकार आदिवासी मीणा नवयुवक के हत्यारों को कब तक गिरफ्तार करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। अतिरिक्त जिला दण्डनायक, जयपुर की जांच के अनुसार गणपत मीणा तारीख 14-7-75 से 7-8-75 तक थाना चौमूं में रहा। दिनांक 8-8-75 को उसकी मृत्यु हो गई। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चालू है।

(2) वर्तमान सरकार ने इस मामले की जांच अतिरिक्त जिला दण्डनायक, जयपुर द्वारा करवाई। उनके द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट की विधि विभाग द्वारा जांच करवा कर जिन जिन व्यक्तियों द्वारा आइमाफेसी अपराध किया जाना पाया जायेगा, के विरुद्ध मामला पुलिस में दर्ज कर तफतीश सी.आई.डी. के माध्यम से करवाई जायेगी।

(3) जन अभियोग निराकरण द्वारा कराई गई जांच में हत्या के अपराध में दोषी होने का कोई निर्णय नहीं था।

(4) राज्य सरकार के समक्ष ऐसे तथ्य नहीं आये हैं जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जयपुर द्वारा मुजरिमों को बचाने की कार्यवाही कर आतंक फैलाया हो।

पंचायत समिति, इटावा की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

681. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले की किन किन पंचायत समितियों में किन किन गांवों में बिजली कम पहुंची है तथा इटावा पंचायत समिति के कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) क्या यह सही है कि विद्युत मन्त्री के यहां से ग्रामीण विद्युतीकरण अधिशासी अभियन्ता, कोटा से पंचायत समिति, इटावा की ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु योजना मांगी गई थी ? यदि हां, तो इस योजना का क्या हुआ ?

(3) पंचायत समिति, इटावा के गांवों में विद्युतीकरण हेतु राज्य सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति-वार विद्युतीकृत ग्रामों की सूची 'अ' संलग्न है। पंचायत समिति, इटावा के 5 ग्रामों तथा एक कस्बे का विद्युतीकरण हो चुका है।

(2) जी हां। इस क्षेत्र के ग्रामों के सर्वे के आदेश दिये जा चुके हैं।

(3) सर्वे पूरा होने के पश्चात् ही योजना की साध्यता आंकी जा सकेगी तथा साध्य होने पर स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

सूची 'अ'

कोटा जिले के विद्युतिकृत गांवों की सूची

1 पंचायत समिति, अन्ता

1 मांगरोल
2 सीसवाली
3 पण्डालिया
4 उदपुरा
5 बोहोक
6 भाटवारा
7 मऊ
8 बामेरी कलां
9 अन्ता
10 राजागीर

2 पंचायत समिति छबड़ा

1 छबड़ा
2 दम्बेरा
3 नेपला
4 बराई
5 मिपानिवाला
6 खरखेड़ा
7 कल्लू खेड़ा
8 परोश्या
9 केडिया नोहर
10 भट्वाला गुन्धा
11 कुन्दी
12 मुण्डक्या
13 पटना
14 निपानी
15 गोबिन्दपुरा
16 हनवंत खेड़ा
17 चावल खेड़ी
18 अचोली
19 खाटोली
20 महेश पुरा
21 कड़िया वन

3 तहसील छीपा बड़ोद :--पंचायत समिति छीपा बडोद

1 छीपा बड़ोद
2 सारथल जागीर
3 पचेर
4 बामोरी घाटा
5 असबा खेड़ी
6 डरपुरिया

7 सींगोद
8 बालाम
9 रतनपुरा
10 अमरपुरा जागीर
11 दीगोद जागीर
12 देवरी जोढ़
13 हरनावाड़ा साहजी
14 गुल खेड़ी
15 कोल खेड़ी
16 परोलिया
17 नियारा

4 पंचायत समिति, शाहबाद

1 किशन गंज

5 पंचायत समिति, इटावा

1 इटावा
2 खुन्दरगढ़
3 मोहनपुरा
4 अन्दोरा-समेरपुर गंज मण्डी सहित
5 छत्तरपुरा
6 पीपलदा कला

6 पंचायत समिति, लाडपुरा

1 गोवरधन पुरा
2 कोटा
3 कैथून
4 कसार
5 मन्दाना
6 अर्जुन पुरा
7 गिरधर पुरा
8 रायपुर
9 धाकर खेड़ी
10 देवली मछियान
11 चन्दरासल
12 रसमाता
13 उम्मेद गंज
14 रसूलपुर
15 भीमपुरा
16 सोगरिया
17 रामपुरा
18 खेड़ा
19 मोतीपुरा
20 मवासा
21 मौजपुरा
22 कामपुरा
23 आलनिया
23 चंयनपुरा

7 बारां पंचायत समिति

1 बारां
2 काल मण्डिया
3 बामली
4 दुर्जन पुरा
5 खेरली भेदलिया
6 बोरदा
7 सभासपुर
8 मण्डोला
9 बमोलिया जागीर
10 मियादा
11 कोयला
12 चैनपुरा
13 अमापुरा
14 फतेहपुरा
15 बोदम
16 तिसाया
17 भाटसोई
18 मन्याना
19 मन्वानी
20 माल खेड़ी

21 मुन्दलक
22 लिसाडिया
23 पिपल्दा
24 इकलोरा
25 ममडोली
26 नलका
27 गोपालपुरा
28 बाराना
29 बैरी खेड़ा

8 पंचायत समिति, अटरू

1 खुन्दी
2 अटरू
3 खेडला गंज
4 कुजीर
4 अतोन
6 अन्ताना
7 मूण्डला
8 बामोरी
9 ददवाड़ा
10 खेड़ी महानिया
11 भैसरा
12 बानपुर
13 खारखारा
14 व्यास खेडी
15 चारन खेडी
16 पताना
17 मैथा
18 मुसनमाडा
19 कदाई
20 गोरधनपुरा
21 कंवरपुरा
22 अमरित खेडी
23 उदयपुरिया
24 मौसा गजरन
25 पाण्डु हेली
26 हनुमत खेड़ा
27 दिलोद हाथी
28 पडलिया
29 लीला हेडी
30 सोदल हेरी
31 बेराक्या
32 मिरमा चोह
33 अरदन्द
34 उगपुरा
35 बरोदी
36 कासमपुर
37 गण्डोलिया
38 आमली
39 बागुली
40 अरदन्दा
41 चरदना
42 छाजवा
43 निरमा तालाब
44 दूधि खेड़ा
45 तिगरी
46 माखरवाड़ा
47 नेनवाड़ा
48 कुन्दी
49 दिवाली
50 बारखेड़ी
51 मून्जला
52 हरनावाड़ा
53 पीपलोदा
54 मोतीपुरा
55 रेखालिया
56 गोन्दी
57 अचोरवा
58 कनजूना
59 कनवारिया
60 बादोरा

61 रघुनाथपुरा
62 कानोरया
63 सकतपुरा
64 जराता
65 मोठपुरा

9 पंचायत समिति, चेचट

1 चेचट
2 देवली
3 गुयन्दी
4 मोदक
5 फण्डा
6 बरोदिया
7 सोहन खेड़ा
8 असकली
9 मवासा
10 शहरवाड़ा
11 भेदान हेरी
12 भीमपुरा
13 गोयन्दा
14 हनवत खेड़ा
15 हेमक खेड़ी
16 खेरा बड़
17 कुदायला
18 कुमकोट
19 लखारिया
20 नयामन खेड़ी
21 रामगज मण्डी
22 रिछारिया
23 सूकेत
24 सलावद खुर्द
25 सातल खेड़ी
26 बन्दवा
27 झुमली
28 खेमच
29 धारनाबाद
30 बीर मण्डी
31 पीपा खेड़ी
32 रामपुरा
33 कुलटिया
34 दीनगरी
35 रीरया खेड़ी
36 नीमाना
37 गोरधनपुरा
38 नीमोदा
39 रीची
40 अलोद
41 जालिमपुरा खुर्द
42 देवली कलां
43 साम्द्र्यां खेड़ी
44 बेरदी
45 अरालाई
46 खेड़ा बूढ़ा
47 चन्दनपुरा
48 मोतीपुरा खुर्द
49 बूरीना
50 सलेरा खुर्द
51 हाथीया खेड़ी
52 मदनपुरा
53 सोहनपुरा
54 बनथा
55 मोहनपुरा
56 कोटड़ी
57 हथोना
58 बकसपुरा
59 गोटोली
60 राम्रोली
61 किशोरपुरा
62 भोपुरा
63 बिसयू खेडी

Page No. 145

64 सलेरा कला
65 घास्या
66 तोमोल्या
67 भोलू
68 भण्डली
69 मण्डला
70 दूध खेड़ी
71 खेरली
72 घईपुरा
73 पीपल्दा
74 हमीर
75 गणेशपुरा
76 राजू खेड़ा
77 भूदावास
78 इन्द्रपुरा
79 भूण्डला
80 कंवरपुरा
81 मशाला
82 उदपुरा
83 गाडिया
84 हुडलिया
85 कोला
86 सेनमल हेरी
87 अमृत खेड़ी
88 तेल्या खेड़ी
89 अमरपुरा
90 नलोदिया
91 चौंसला
92 कमलपुरा
93 काल्या कुई
94 अम्बरोलिया

10 पंचायत समिति, सांगोद :—

1 गगरोन
2 हिंगोनिया
3 पनेसरा
4 मन्देसरा
5 कोथला घाटी
6 नलसा जागीर
7 केनवास
8 अतवा
9 जगदीशपुरा
10 गुजरिया हेडी
11 माधोपुर
12 माण्डलिया हेडी
13 गिरधरपुरा
14 बन्डी हेडा
15 बोलत
16 मालिमपुरा
17 काकरिया
18 नीमखेड़ी
19 गुहजारा
20 पीसा हेड़ा जागीर
21 आमटी
22 खजूराना
23 खारीपुरा
24 भीखेड़ी
25 देविल
26 पालाहेड़ा
27 खाजूरी
28 राजपुरा
29 अलिया हेड़ी
30 खांद गांव
31 गारमोदी
32 उमरहेड़ी
33 कचोलिया
34 गरदाना
35 वालू हेड़ा
36 सांगोद
37 लक्ष्मीपुरा
38 कमोलर

39 बापावर खुर्द
40 नवापुरा
41 खेडिया
42 गेहून खेड़ी
43 खथूरी
44 बपावर कलां
45 मोई कलान
46 डूंगरपुर
47 दीगोद
48 भोला खेड़ी
49 तालछी
50 नाहूर्या
51 गहेन हेड़ा
52 हरिपुरा
53 लसाड़िया खुर्द
54 श्यामपुरा
55 दिल्लीपुरा
56 लसाड़िया कलां
57 उमेरदा
58 कोतरा
59 भूटानी
60 दोवरी
61 दोवरी खुर्द
62 खुविमा खुर्द
63 भूला खेड़ा
64 जोगरा
65 ढोलगी
66 छत्तरपुरा
67 खवानिया
68 हनुवंत खेड़ा
69 कोटड़ा
70 संखेड़ा
71 जीथानी
72 दोबरा
73 घीरहेड़ी
74 जलसी हेड़ा
75 विनोद खुर्द
76 माली हेड़ा
77 चनेवता
78 बारां
79 जोगरी
80 चारेल
81 बूयन हेड़ा
82 रेलावड़
83 देवरी कलां
84 खेरखना खेड़ी
85 अमरित कुवा
86 खजूरी
87 कंगानिया
88 कुदनपुरा
89 विनोद कलां
90 कुदेर
91 विजयपुरा
92 बयना खुर्द
93 वेरिना कलां
94 तककल्या
95 लालोरा
96 गुरांयदा
97 लिसाड़िया कलां
98 राजगढ़
99 अरसा
100 मण्डोता
101 अतरालिया
102 किशनपुरा
103 अछोती
104 रोहाना
105 किशनपुरा
106 मण्डप
107 सावन भादो
108 खेड़लीकुम्कोनिया

Page No. 147

109 कोरन
110 धोती
111 कुशलपुरा
112 बेजलिया
113 बन्दा
114 बन्दा
115 कुरद
116 भोज नगर
117 धूमरा
118 श्रमरित खेड़ी

11 पंचायत समिति, सुल्तानपुरा

1 बरोद
2 बम्बोरी
3 दावेर
4 सुल्तानपुरा
5 जालमपुरा
6 तोरम
7 सुल्तानपुरा
8 डूंगरजा
9 कंवरपुरा
10 दीगोद
11 उम्मेदपुरा
12 खेरली काल्या
13 हरिपुरा
14 फतेहपुरा
15 कचोलिया
16 परसध्या
17 मोरपा
18 उदपुरा
19 सतारा
20 महदी
21 डकल्दा
22 कल्याणपुरा
23 छीपरदा
24 चौमा मलियान
25 चौमा कोटा

राजस्थान में भिखारियों की संख्या

582. श्री मूलचन्द डागा (पाली):- क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में कुल कितने भिखारी हैं ? क्या कभी उनकी गणना की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व केबीनेट ने ऐसा निर्णय लिया है कि राजस्थान के कुछ शहरों में भिखारी प्रथा को शीघ्र बन्द कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो किन किन शहरों में ? श्रौर उन शहरों में कुल कितने भिखारी हैं ?

(3) इस निर्णय की अनुपालना किस रूप में की जायेगी और इस विषय में क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में भिखारियों की संख्या वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 47,290 है। जन गणना के अलावा अन्य प्रकार से गणना नहीं की गई है।

(2) जी हां। राजस्थान में भिक्षावृत्ति रोकने के संबंध में राज्य सरकार ने कानून बनाने का निर्णय ले लिया है। प्रारंभ में

(समाज कल्याण मन्त्री)

इसे जयपुर, अजमेर व उदयपुर शहरों में लागू किया जायगा। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार इन जिलों में भिखारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

नाम जिला	भिखारियों की संख्या
जयपुर	5240
उदयपुर	3093
अजमेर	2924

(3) इस निर्णय की अनुपालना कानून के द्वारा तथा जन सहयोग से की जायगी। राजस्थान भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, 1978 सदन में शीघ्र प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जयपुर में साइकल की चोरियां

583. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर के विभिन्न थानों में कब 2 कितनी 2 साइकिलें चोरी की पकड़ी हुई पड़ी हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त साइकिलें खुली हवा व धूप बरसात में पड़ी रहने के कारण खराब हो रही हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार उनकी उचित व्यवस्था के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त साईकिलों के मामलों को निपटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि कई साइकिलों के अच्छे 2 पार्टस् खोल लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले के पुलिस थानों में इस समय चोरी के विभिन्न मुकदमों में पकड़ी गई कुल 45 साइकिलें पड़ी हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

(2) अदालती मालखानों एवं पुलिस थानों में जगह की कमी है। इन साइकिलों को थानों में सुरक्षित स्थानों में रखने की योजना पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(3) चूंकि सभी साइकिलें मुकदमों से सम्बन्धित हैं अतः उनका निस्तारण सक्षम दण्डनायक द्वारा ही कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है। राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है।

(4) जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार जांच कराने का विचार करेगी।

तालिका बाबत जिला जयपुर के विभिन्न थानों के चोरी की साइकिलें कब कब व कितनी कितनी जब्त हुई पड़ी हैं।

क्र. सं.	नाम थाना	मुकद्मा नं.	धारा	तारीख मुकद्मा	तारीख जब्ती साईकिल	साइकिल का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	सदर	63	379 ता. हि.	3– 4–77	3– 4–77	एम्बेसेडर
2	शास्त्रीनगर	8	457, 380 ता. हि.	13– 1–78	13– 1–78	हीरो एच. ई. 62011
3	झोटवाड़ा	5	380 ता. हि.	21– 1–77	21– 1–78	एटलस 6018813
	झोटवाड़ा	112	397, 392, 342	30– 8–77	30– 8–77	एम्बेसेडर 34948
4	मोतीडूंगरी	126	379	6– 5–77	6– 5–77	आर. एम. आई. 40722
5	विधायक पुरी	153	379	13– 3–77	13– 3–77	हीरो एस. डब्लू. 21400
6	अशोकनगर	89	379	23– 3–75	20– 8–75	एटलस 6 एम. 624727
	अशोकनगर	432	379	23–11–77	23–11–77	एटलस 733894
7	बनीपार्क	75	379	17– 5–70	17– 5–70	3070 मेक मिटा हुआ
	बनीपार्क	308	379	12–10–77	12–10–77	हीरो ए. एच. 70830
8	रामगंज	335	458, 380	25–12–75	25–12–75	एटलस 5 एम. 266529
9	कोतवाली	489	379	8–12–61	31–12–61	एम 7237
	,,	587	379	30–11–72	30–11–72	आर. एम. आई. 004723
	,,	161	380	28– 3–73	28– 3–73	मेक मिटा हुआ 22408
	,,	404	379	9– 6–74	9– 6–74	एटलस ई. ए. 20780
	,,	404	379	9– 6–74	9– 6–74	एटलस 38098 टी.
	,,	727	380	22– 9–74	22– 9–74	आर. एम. आई. 28079 आर|3
,,	,,	,,	,,	,,	,,	हरक्यूलिस जे.पी. 9706
	,,	945	379	[illegible]–11–74	28–11–74	सैंत्री 504759
	,,	11	379	5– 1–75	5– 1–75	आर. एम. आई. 296254
	,,	416	379	27– 5–75	27– 5–75	अलका 42736

1	2	3	4	5	6	7
	कोतवाली	446	379	9- 6-75	9- 6-75	हिन्द एच एस बी 41533
	"	441	379	7- 6-75	23- 7-75	हरक्यूलिस एच सी/69 122235
	"	648	379	24- 8-75	24- 8-75	आर एम आई 65960/9
	"	435	379	20- 6-74	20- 6-74	आर एम आई 8385/11/0
	"	474	380	20- 6-75	8-10-75	हीरो एच जी 760/0
	"	509	379	12- 8-76	13- 8-76	मेक मिटा हुआ आर 62815
	"	355	379	16- 6-77	16- 6-77	एम्बेसेडर 447165
	"	449	379	16- 6-77	16- 7-77	एटलस 6एस 930670
	"	671	379	10-11-77	10-11-77	हिन्द एच एस 98570
	"	719	379	19-12-77	19-12-77	हीरो ई एच 15247
	"	175	379	13- 3-78	13- 3-78	हीरो 841132
	" "	"	"	"	"	हिन्द वाई 23202
10	माणकचौक	106	379	7- 3-75	27-10-75	फिलिप्स 36737
	"	274	379	15- 9-76	19- 9-76	एटलस 6 एम 009453
	"	125	379	7- 3-78	7- 3-78	मेक मिटा हुआ एसक्यूआर37363
11	सांगानेर	168	457,380	10- 8-75	11- 8-75	हरक्यूलिस एचसी/58 108136
	"	50	"	27- 2-76	30- 5-76	मेक मिटा हुआ 875485
	"	52	"	"	17-12-76	हिन्द 803:7
12	चाकसू	142	411	8-10-77	8-10-77	हिन्द ए 211413
						एटलस 7 एम/61 5980
						एटलस जे एम 695891
						हिन्द एम्बेसेडर 226647
						हिन्द एम्बेसेडर एम ओ/19749
						एवन 700047

नोटः—उपरोक्त थानों के अलावा जिला जयपुर से अन्य बाकी के थानों पर उक्त सम्बन्ध कोई साइकिल जब्त शुदा नहीं पड़ी है।

वर्क चार्ज स्टाफ के कर्मचारी

584. श्री एच. एल. शर्मा (बेंगु) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्कचार्ज स्टाफ के कर्मचारियों को अपनी सर्विस पूरी करने पर रिटायरमेंट के समय कोई किसी भी प्रकार का सर्विस बेनीफिट नहीं मिलता है? अगर हां, तो ऐसा किन किन कारणों से हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वर्क चार्ज स्टाफ का ही कर्मचारी सर्विस काल के मध्य में स्वयं रिट्रन्चमेंट लेता है अथवा विभाग द्वारा रिट्रेन्च कर दिया जाता है तो उसे सर्विस बेनीफिट्स मिलते हैं ?

(3) क्या सम्पूर्ण समय तक राज्य सरकार की सेवा करने पर किसी भी प्रकार का बेनीफिट नहीं दिया जाना तथा बीच में ही सर्विस छोड़ने पर अथवा निकाले जाने पर सर्विस बेनीफिट दिया जाना उचित है? यदि हां, तो क्यों ? अगर यह उचित नहीं है तो राज्य सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) परमानेन्ट व सेमी-परमानेन्ट वर्क-चार्ज कर्मचारियों के रिटायरमेंट के समय contributory provident fund का लाभ मिलता है जो सर्विस बेनीफिट्स की तारीफ में आता है।

(2) सेवाकाल के मध्य में स्वयं के त्याग पत्र देने पर कोई सर्विस बेनीफिट नहीं मिलता। केवल स्वयं द्वारा contribute की गई राशि मय ब्याज के मिलती है। विभाग द्वारा रिट्रेन्चमेंट करने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत रिट्रेन्चमेंट कम्पनसेशन दिया जाता है जो कन्ट्रीब्यूटरी प्रोवीडेन्ट फण्ड (contributory provident fund) के अलावा होता है।

(3) यह कथन कि सम्पूर्ण समय तक राज्य सरकार की सेवा करने पर किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता, सही नहीं है।

राजस्थान रेड क्रास सोसायटी

585. श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान रेड क्रोस सोसायटी एक पूर्णरूप से स्वतन्त्र संस्था है ?

(2) यदि नहीं, तो राजस्थान रेड क्रास सोसायटी पर राज्य सरकार का नियन्त्रण किस रूप में बना हुआ है ।

(3) क्या यह सही है कि 1952 में राजस्थान रेड क्रास सोसायटी की स्थापना के समय एक संविधान अपनाया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि सोसायटी के विधान को प्रकाशित नहीं करवाया गया और उसे गुप्त रखा गया ?

(5) क्या 1952 के मूल विधान व वर्तमान विधान में कोई संशोधन किया गया ? यदि हां, तो संशोधन किस प्रक्रिया के तहत किया गया ?

(6) क्या सोसायटी की स्थापना के समय से लेकर अब तक इसके वार्षिक लेखों-जोखों की जांच या अंकेक्षण किया गया ?

Page No. 152

(श्री गुल मोहम्मद)

(7) यदि हां, तो श्री रतन नारायण कौल के सचिव पद पर स्थापना की तिथि से अब तक के जांच प्रतिवेदन (ग्राडिट रिपोर्ट), अंकेक्षण आपत्तियां (ग्राडिट ग्राब्जेक्शन्स) व इनके स्पष्टीकरण की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान रेड क्रास सोसायटी केन्द्रीय अधिनियम "इण्डियन रेडक्रास एक्ट 1920" के अधीन गठित इण्डियन रेडक्रास सोसायटी की राजस्थान प्रदेश शाखा के रूप में एक पूर्ण रूप से स्वायत्त संस्था है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) राजस्थान रेड क्रास सोसायटी से प्राप्त सूचना के ग्राधार पर यह कहना संभव नहीं है कि राजस्थान रेडक्रास सोसायटी की स्थापना के समय एक संविधान अपनाया गया था।

(4) सोसायटी के विधान की पुरानी व नई प्रतियां उपलब्ध हैं। किन्तु न तो प्रतियों से व, न रेकार्ड से यह जानकारी मिलती है कि उन्हें कब प्रकाशित किया गया।

(5) राजस्थान रेडक्रास के विधान की जो पुरानी प्रति उपलब्ध है जिसको अपनाये जाने के वर्ष एवं ग्राधार के बारे में जानकारी नहीं है; उसमें कई कतिपय संशोधन किये गये हैं। संशोधित नियम की प्रति उपलब्ध है।

(6) सोसायटी के कार्यालय में वर्तमान में वर्ष 1954 से 1974 के लेखों जोखों की जांच चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट द्वारा की गई हैं।

(7) श्री रतन नारायण कौल के सचिव पद पर स्थापना की तिथि से अब तक वर्ष 1974 की ग्राडिट रिपोर्ट ही उपलब्ध है जिसमें उठायी गई ग्रापत्तियों के बारे में उन्होंने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। ग्राडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

INDIAN RED CROSS SOCIETY, RAJ. STATE BRANCH, JAIPUR.

Balance Sheet as on 31st December, 1974.

LIABILITIES			ASSETS		
SURPLUS ACCOUNT Balance as per last balance sheet.	386027.17		**FIXED ASSETS** As per Schedule 'B' Annexed		258403.45
Less :— Income as per Income & Expenditure account.	34268.09	351759.08	*Investments :* 3% conversion loan	7600.00	
			Fixed Deposit with Banks.	318500.00	326100.00
DEPRECIATION RESERVE: As per last balance sheet	29705.79		*P. F. Investment.—* S.B. A/cs SBBJ, Johari Bazar	23116.20	
Add :— Reserve created during the year	28069.06	57775.03	Loan to Contributors to P. F.	46758.23	
RESERVE FUND : General Reserve as per last year	3000.00		P.F. Recurring A/cs	1835.00	
			Non-Contributory S.B. A/c	73.27	71782.70
Resereve for ECG & three Wheeler Scooter as per last balance sheet.	10000.00	13000.00	*Security Deposit Investment :* S.B. A/c, SBBJ, Johri Bazar, Jpr.		1849.85

1			2		
RELIEF GRANT FUND As per last Balance Sheet		3376.59	***Current Assets*** ***Loans & Advances*** As per Annx. 'C'		18149.85
PROVIDENT FUND		72597.43	***Sundry Debtors :***		34986.86
Nursing School ***F.P. Centres :—*** Unspent balance grant from D. & H. S., New Delhi		279779.70	***Advance Recoverable in cash or in kind for value to be received :—*** Loan & Adv. to staff	19233.67	
Security Deposit		2712.92	Advances to Nursing School	577So.16	
Out standing & Contingencies Payable : (As per Annx. 'A')		147603.85	other Adu : Adv. to Depttl. Stores	24037.44 24719.00	125720.27
Other Liabilities :— St. John Ambulance Association A/c	6866.10		***Cash & Bank Balances :*** Cash in hand	6362.26	
Bank of Baroda– (Credit Balance in S B. A/c as per book)	2653.35	9519.45	Cash with Bank as per Books Post Office	91832.38 2936.38	101131.02
	Total	9,38,124.05			9,38.124.05

INDIAN RED CROSS SOCIETY, RAJ. STATE BRANCH, JAIPUR.

Income and Expenditure Account For the Year Ending on 31-12-74.

EXPENDITURE			INCOME		
To			By		
Establishment			***Subscription & Red Cross***		
Salary & Honorarium	42978.89		***Flag Sale :***		
T.A. & D.A.	6648.25		Flag Sale	63776.62	
P.F. Contribution	1921.00		FRC Misc.	33102.53	
Uniforms	257.40	51805.54	Annual Associated fees	14683.37	
Relief Activities			JRC Subscription.	632.20	112194 72
Auxilary Nursing Training	31945.20		***Grant-in-Aid From Hqrs.***		9664.00
Deficit in Medical Reliefs			***30% Share from St. John***		
Service Charges & Grants	8927.12		***A.A. towards Joint estab-***		
Misc. Reliefs	16924.07	57796.39	***lishment***		20651.00
Depreciations		28069.06	***Interest***		20625.00
F.R.C. Exp. & Flags Purchases		44797.72	***Aid from Distt Branches***		30.00
Special Grant to Distt.			***Donation***		2038.14

Page No. 156

1			2	
Branches		6000.00	***Literature & materials***	232.00
J.R.C. Expenditure		210.00	***Special Relief Grant***	5958.38
Maintenance of Vehicles.		6134.58	***Misc. Income :***	17556.68
Other Expenses			Difference in Trial	
Publicity	8711.84		Balance	0.21
Telephone Exp.	7874.50		Deficit (Transferred to	
Electric & Water charges	1965,17		Balance Sheet)	34268.09
Insurance Premium	1635.00			
Contingency, Printing &				
Stationery	7608.92			
Misc. Repairs	359.70	28155.13		
	Total Rs.	2,23,218.63	Rs.	2,23,218.63

Subject to our report of even date

For B. M. DASOT & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
Sd/-
(B.M. Dasot)

Jaipur,
Dated 10.5-77

INDIAN RED CROSS SOCIETY, RAJ. STATE BRANCH,

JAIPUR

Annexure 'A' forming part and parcle of the Balance sheet

As on 31st December 1974

Outstanding & contingencies payable:

Contribution to Headquarters IRCS, NEW DELHI		8,769.10
Contribution to Distt. Branches		218 54
Suspense Account		2,257.84
Income-Tax Deduction at source		458.50
J. R. C. Camp		3,250.07
Additional D. A.		644.00
Donations for Installations of water Pumps (As per last year)		1,500.00
Sundry Creditors		2,815.80
Sundry Deposits		1,27,690.00
Total	Rs.	1,47,603.85

Signed seal of
B.M. Dasot & Co.
Chartered Accountants

Annexure 'C' Forming part & parcel of the Balance sheet as on 31st Dec. 74

Current assets & advances:

Badges	904.44
Flags	5,883.35
First aid Boxes, Stretchers & Literature	10,643.06
Regional P. F. Commissioner	719.00
Total:	18,149 85

Signed seal of
B. M. Dasot & Co.
Chartered Accountants.

INDIAN RED CROSS SOCIETY, RAJ. STATE BRANCH JAIPUR

Schedule (B) of Fixed Assets—Annexed to Forming Part of the Balance Sheet on 31-12-1974

Particulars	Written down value as on 31-12-73 before pvdg. Depreciation for 1973.	Addition during the year.	Total	DEPRECIATION WRITTEN OFF			Written down value as on 31st Dec. 1974
				For 1973	For 1974	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8
Land	6000.00	—	6000.00	—	—	—	6000.00
Building							
Sanitary fitting	65351.55	—	65351.55	1633.55	1593.00	3226.55	62125.00
Furniture & fitting	21044.60	—	21309.60	1578.60	1479.79	3058.35	18251.25
Typewriter	1871.00	—	1871.00	281.00	238 50	519.50	1351.50
Station wagon	275.00	—	275.00	55.00	44.00	99.00	176 00
Jeep	4976.00	—	4976 00	995.00	796.00	1791.00	3185.00
Ambassador Car	10588.00	—	10588.00	2118.00	1694.00	3812 00	6776.00
Cinema Projector	87.00	—	87.00	13.00	11.10	24.10	62.90
Duplicating Machine	11.00	—	11,00	2.00	2.00	4.00	7.00
Water Pump Motor	167.00	192.94	359.44	25.00	50.17	75.17	284.27
Radio	204.00	430.00	634.00	31.00	90.45	121.45	512 55
Refrigerator	1927.00	—	1927.00	289·00	245.55	534.55	1392.45
Camp equipment.	72.00	—	72.00	11.00	9.15	20.15	51.85
Electric Transformer	627.00	495.55	1112.55	94.00	153.78	247.78	874.77

1	2	3	4	5	6	7	8
Franking machine	472.00	—	472.00	71.00	60.15	131.15	340.85
Weighing machine	84.00	—	84.00	13.00	10.65	23.65	60.35
Air Cooler	218.00	—	218.00	33.00	27.75	60.75	157.25
Winter room set	947.00	—	947.00	142.00	120.75	262,75	684.25
Tape Recorder	2195.99	—	2195.99	328.99	280.00	608,99	587,00
Films	171.00	—	171.00	34.00	27.40	61.40	109.60
Emergency Lighting Unit	134.00	—	134.00	20.00	17.00	37.00	97.00
Electric Fans	3548.15	—	3548.15	355.15	319 30	677.45	2073.70
Gestetner Dupl.	730.00	—	730.00	110.00	93.00	203 00	527.08
Lab. Equp.	4244.00	5894.00	10138.00	637.00	1425.00	2062.00	8076.00
Water Cooler	1860.00 (+)	526.50 (-)	5894.00	1040.88	79.00	1119.80	447.50
			1567.38				
Locks	272 00	—	272.00	41.00	34.65	75.65	196.35
Sweing Machine.	179.00	—	179.00	27.00	22.80	49.80	129.20
Jeep Ambulance	30000.00	—	30000.00	6000.00	4800.00	10800.00	19200.00
X-Ray Machine	43185.00	—	43185.00	8637.00	6909.00	15546.60	27638.40
E.C.G. Machine	13628.00	—	13628.00	2726.00	2180.40	4906.40	8721.60
Refrigerator	13282.50	—	13282.50	1922.60	1693.00	3615.50	9597.00
Electric fitting	920.30	955.19	1875.49	92.30	178.32	270.62	1604.87
Auto Riksha	—	9318.30	9318.30	—	1863.66	1863.66	745.60
Booth	—	4400.00	4400-00	—	440.00	440.00	3960.00
Total	236206.97	28090.48	258403.45	29705.97	28069.06	5777.03	200628.42
		(—) 5894.00					

AUDITORS' REPORT

We have audited the annexed Balance Sheet as on 31 December, 1974 and the Income and expenditure Account for the year ending on that date of the Indian Red Cross Society, Rajasthan State Branch, Jaipur, from the books of accounts and other necessary informations given to us and we report that subject to our audit notes annexd to this report they are in agreement with the books of accounts produced before us for examination.

For B. M. DASOT & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS.

Seal Sd/

12 th May, 1977. (B.M. DASOT)

Audited Notes Annexed and forming part of our audit report of the even date of the Indian Red Cross Society Rajasthan State Branch, Jaipur, for the year ending on 31st Dec." 74.

BALANCE SHEET

1. *Fixed assets & Depreciation Reserve:*

(a) Fixed Assets register was not made avilable to us, and in the absence of that we could not verify the fixed assets of the society. In case the society is not maintaining it, the maintenance of the same should be started so that proper check may be kept on the fixed assets of the society.

(b) The value of the fixed assets shown in the balance sheet represents the written down value of the fixed assets as per books as on 31 st December, 1972 plus the additions made during the year 1973 and 1974 at cost. Depreciation written off during the year 1973 and 1974 has not been deducted from the value of the fixed assets as the same has been shown depreciation reserve in the liabilities side of the Balance Sheet.

2. *Investments:*

3% Conversion loan certificates and fixed Deposit receipts for the amount deposited with the bank in Fixed Deposits Account were not made avilable for our verification and the same has been shown as per balance standing in the books of accounts.

3. *Advances:*

(a) Balances standing in the accounts of staff members and various persons are not confirmed by them. Advance ledger should be kept up to date so that proper check on the advance and recovery may be kept.

(b) Rs. 24, 719/— has been shown as advance to the departmental store the statement of affairs of the departmental store was not made available to us.

(c) Advances made for expenditures should be adjusted and in case expenditures are not incurred the amount should be deposited immediately.

4. ***Bank Balances:***

(a) Bank Balances have been shown as per books of accounts of the society and they are subject to reconciliation.

(b) Reconciliation of Bank Accounts with verious banks has not be done regularly, and immediate reconciliation of accounts is required, in the absence of regular bank reconciliation it is quite possible that payments made by the society may remain unaccounted in its book and double payments may be made. In our opinion balance should be reconciled at laest fortnightly.

5. ***Cash in hand:***

Cash in hand as on 31 st December, 1974 was not physically ac counted by us and same has been taken as per accounts.

6. ***Income and expenditure Accounts:***

(a) Deficit in medical reliefs service charges and grants Rs. 8,927 12, includes Rs. 5, 133. 24 being total net debit balance of verious clinics, by the writing off the debit balance of verious clinics in the income and expenditure account of the society the capital expenditure debited to their accounts or capital receipts credited to their accounts have been also written off and, therefore, it could not give the correct picture of the deficit or surplus in the various clinics. Income and Expenditure of various clinics should be prepared and only deficit or surplus should be written off in the income and expenditure account of the society and capital expenditures or receipts should be incorporated in the Balance Sheet.

(b) Separate accounts are maintained for the various clinics and accounting year of the clinics ends on 31 st March every year, where as the accounts of the society are closed on 31 st December every year, On account of two different accounting years correct deficit or surplus of the clinics could not be ascertained for the calender year and income and expenditure account of the society could not give the correct picture of the deficit or Surplus of the society for the year, in our opinion same accounting year should be followed.

General:

1. Minute book of the executive committee and the copy of standing orders if any could not be made available to us and, therefore, we could not report on their requirements.

2. Amount of contribution if any payable to the Head-quarters Indian Red Cross Society, New Delhi for the year 1974 has not been debited in the income and expenditure account.

3. Value of aid received in kind has not been incorporated in the accounts and utilisation of the same has not been audited by us.

4. Audit report for the year 1973 was not made available to us.

FOR B. M. DASOT &CO.,
CHARTERED ACCOUNTANTS.

Seal Sd/—

12 th May, 1977 (B. M. DASOT)

ST. JOHN AMBULANCE ASSOCIATION, RAJ, STATE CENTRE, JAIPUR

Receipt & Payment Accounts for the year ending

31. 12: 1973

RECEIPTS			PAYMENTS		
Opening balance			Payments to		
as on 1. 1. 73			*Doctors:—*		
S. B. of B. & J.	25,000.00		Local	1,298.25	
(SMS) Br.			External	4,418.70	5716.95
(fixed Deposit)			*Etablishment*		
			charges:—		
Cash with State			30% Share		
Bank of India			Contributed		
(Current A/c)	1,637.70		to I. R.C. S.		20173.29
			for Jonit		
Cash in hand	971.51	27609.21	office Establishment.		
			Other payments		
First Aid Trg.			Cost of		
Fees:—			Certificates	4,607.55	
1. Local	10,319.00		Miscellaneous	368.65	
2. External	20,817.30	31636.20	F. A. Books	974.75	
			Litt & Materials	2.20	

1			2		
Other Receipts:			Audit Fees	150.00	
Contingencies	5,142.60		Salary	2,514.00	8617.15
Donation	989.85		Indian Red		
Medallion	18.15		Cross Soc.		9042.05
Medical Exam. Fee	4,065.00		***Clossing Balanees:***		
Trg. & Equip. &			EDR with SBBJ		
Forms fee	5,748.90	15964.50	(SMS)	25,000.00	
Building Fund	1,335.00	1335.00	Current A/c		
Adv. A/c Shri			S. B. India	6,461.79	
R. P. Sharma	74.75	74.75	Post office		
			Pay order)	370.30	
			Cash in hand	1,238.23	33070.32
	Total	76,61.976			76,619.76

Sd/
(R.N. Kaul)
Secretary,
St. John Ambulance Assn.
Rajasthan State Br.

Jaipur:
Dated July 1, 1974

CHARTERED ACCOUNTANT
M/S B. D. GAGIEYA & Co
JAIPUR.

राजस्थान में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

586. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर)। क्या श्रम एवं रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों ने रोजगार दिलाओ दफ्तर में अपने नाम दर्ज करा रखे हैं ? नगर अनुसार सूची मय योग्यता के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के समस्त बेरोजगार व्यक्तियों के द्वारा इन दफ्तरों में नाम दर्ज नहीं कराये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इनकी गणना कराये जाने का अभियान चलाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या राज्य सरकार केन्द्र और अन्य श्रोतों से बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये धनराशि की व्यवस्था करके इस समस्या का समाधान कर रही है और क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य के नियोजन कार्यालयों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31-12-77 को 2,83,630 आशार्थी रोजगार प्राप्त करने हेतु नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत थे। जिलानुसार सूची मय योग्यता के सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) जी हां। इनकी गणना करने का अभी तक कोई विचार नहीं है।

(3) राज्य सरकार इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है।

क्रम संख्या	नियोजन कार्यालय का नाम	मैट्रिक	हायर सेकेण्डरी	स्नातक	अधि स्नातक	मैट्रिक से कम	अशिक्षित
1.	अजमेर	2,766	4,342	2,568	—	9,182	18,868
2.	अलवर	4,062	4,629	2,035	—	5,560	16,286
3.	बांसवाड़ा	782	692	235	—	2,292	4,001
4.	बाड़मेर	539	560	133	—	1,799	3,031
5.	भरतपुर	3,620	2,019	1,802	—	7,175	14,616
6.	भीलवाड़ा	1,120	1,557	657	—	4,597	7,931
7.	बीकानेर	1,834	2,490	1,611	—	5,344	11,279
8.	बून्दी	574	714	276	—	1,423	2,987
9.	चित्तौड़गढ़	871	1,055	490	—	2,723	5,139
10.	चूरू	1,159	1,151	541	—	2,311	5,162
11.	डूंगरपुर	527	710	347	—	2,680	4,264
12,	जयपुर	12,952	5,056	7,010	—	15,784	40,802
13.	जैसलमेर	195	158	67	—	1,490	1,910
14.	जालौर	361	353	125	—	1,409	2,248
15.	झालावाड़	596	929	280	—	1,871	3,676
16.	झुन्झुनू	3,578	2,275	1,199	—	8,681	15,733
17.	जोधपुर	2,683	3,168	1,669	—	9,462	16,982
18.	कोटा	2,181	2,994	1,687	—	13,488	20,350
19.	नागौर	882	1,494	693	—	2,122	6,191
20.	पाली	1,022	1,162	588	—	4,748	7,520
21.	सवाई-माधोपुर	1,025	2,564	672	—	3,897	8,158
22.	सीकर	1,690	1,868	830	—	2,695	7,083
23.	सिरोही	549	588	148	—	1,523	2,808
24.	श्रीगंगानगर	2,528	2,950	1,865	—	4,696	11,139
25.	टोंक	991	1,133	346	—	2,643	5,114
26.	उदयपुर	3,424	1,906	1,417	—	24,655	31,402
27.	पी. एण्ड ई. यूनिट	—	—	4,075	5,440	—	9,515
28.	स्पे. एम्प. पी. एच. पी.	105	95	50	—	185	435
	योग :-	52,614	47,712	33,417	5,440	1,44,447	2,83,630

बाण गंगा नदी पर पुल का निर्माण

587. श्री गंगा सहाय (वडूमर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि ग्राम पथेना (जिला भरतपुर) के पास बाण गंगा नदी के कारण खेड़ली मण्डी का रास्ता वर्षा काल में बिलकुल बन्द हो जाता है जिसके कारण मण्डी का व्यापार ही ठप्प नहीं होता बल्कि नागरिकों को भी आने जाने में भारी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस पुल को बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कितने समय में इस पर पुल बन जावेगा ?

उत्तर

पथेना खेरली सड़क वर्षा काल में बाण गंगा नदी में पानी आने से बन्द हो जाती है। नदवई खेरली सड़क से खेरली का आवागमन होता है तथा खेरली रेल्वे स्टेशन है जो जयपुर से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित पुल की लागत करीब एक करोड़ रुपया है और इस समय धनराशि के अभाव को देखते हुये प्लान में प्रस्तावित नहीं है।

अनु. जाति, अनु. जन-जाति, विमुक्त एवं घुमक्कड़ जाति के छात्रों को विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां

588. श्री कुन्जीलाल (बामनवास)–

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति विमुक्त जाति व घुमक्कड़ जाति के छात्रों को विदेशों में उच्च अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां दे रही है ? यदि हां, तो अब तक कितने छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत कितनी कितनी छात्रवृत्तियां दी गई ? कृपया छात्रों के पते सहित नामों का ब्यौरा व दी गई राशि तथा किस उद्देश्य के लिए दी गई सहित पूर्ण विवरण की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त छात्रवृत्ति के चयन का क्या मापदण्ड है ?

(3) अगले वर्ष इस योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान रखा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्पसंख्यकों को भाषाई शिक्षा

590. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में जिलेवार अल्पसंख्यकों की आबादी कितनी प्रतिशत है ?

(2) जिलेवार अल्पसंख्यकों की भाषाई शिक्षा की क्या व्यवस्था है ?

(3) जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा व बीकानेर शहर में कुल आबादी प्रति शहर की कितनी प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी है और उसकी भाषाई शिक्षा का क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। शिक्षा की व्यवस्था की सूचना प्रश्न संख्या 2 के अनुसार ही है।

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य में जिलेवार अल्पसंख्यकों की प्रतिशत भाषाबी की सूची

क्र०सं०	जिला	प्रतिशत
1	गंगानगर	23.12
2	बीकानेर	14.90
3	चूरू	11.90
4	झुंझुनू	7.62
5	अलवर	11.71
6	भरतपुर	10.24
7	सवाई माधोपुर	7.50
8	जयपुर	8.55
9	सीकर	9 90
10	अजमेर	12.29
11	टोंक	11.19
12	जैसलमेर	25.08
13	जोधपुर	11 91
14	नागौर	11.53
15	पाली	9.48
16	बाड़मेर	15.22
17	जालौर	8.47
18	सिरोही	7.34
19	भीलबाड़ा	6.94
20	उदयपुर	7.59
21	चित्तौड़	7.28
22	डूंगरपुर	4.60
23	बांसवाड़ा	5.09
24	बूंदी	7.49
25	कोटा	10.27
26	झालावाड़	7 71
	राजस्थान	10.37

जिलेवार अल्पसंख्यकों को भाषायी शिक्षा की व्यवस्था

राजस्थान में उर्दू, सिन्धी, पंजाबी एवं गुजराती प्रमुख अल्पसंख्यक भाषाएं हैं। भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त शैक्षणिक सुरक्षणों के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में जहां 10 छात्र या सम्पूर्ण विद्यालय में 40 छात्र अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी मांग के अनुसार नियमानुसार अध्ययन की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अगर किसी एक कक्षा में 10 छात्र अपनी मातृभाषा को तृतीय भाषा के रूप में लेने की मांग करते हैं तो नियमानुसार वांछित विषय तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाने की भी व्यवस्था की जाती है।

माध्यमिक स्तर पर भाषायी अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना सिद्धांततः स्वीकार कर रखा है। इसके लिए किसी एक कक्षा में 15 छात्र या विद्यालय की अन्तिम चार कक्षाओं में 60 छात्र होने आवश्यक है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अगर दस छात्र उक्त भाषाओं में से तृतीय भाषा के रूप में अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में लेना चाहें तो, अध्ययन की व्यवस्था की जाती है।

Page No. 168

राज्य के निम्नलिखित जिलों में उक्त अल्पसंख्यक भाषाओं के माध्यम से/विषय के रूप में अध्ययन की व्यवस्था है:—

क्रमांक	नाम जिला	भाषायी अल्पसंख्यक की भाषाएं जो पढ़ायी जाती है ।
1	जयपुर	उर्दू सिन्धी, पंजाबी व गुजराती
2	अजमेर	उर्दू, सिन्धी, पंजाबी व गुजराती
3	जोधपुर	उर्दू और सिन्धी
4	उदयपुर	उर्दू सिन्धी पंजाबी व गुजराती
5	कोटा	उर्दू सिन्धी और गुजराती
6	बीकानेर	उर्दू, सिन्धी और पंजाबी
7	झुंझुनू	उर्दू
8	भरतपुर	उर्दू
9	श्री गंगानगर	पंजाबी
10	चुरु	उर्दू
11	टोंक	उर्दू और सिन्धी
12	नागौर	उर्दू
13	भीलवाड़ा	उर्दू और सिन्धी
14	सीकर	उर्दू
15	सवाई माधोपुर	उर्दू
16	पाली	सिन्धी और गुजराती
17	अलवर	पंजाबी और उर्दू
18	चित्तौड़गढ़	उर्दू
19	झालावाड़	सिन्धी और गुजराती
20	सिरोही	गुजराती
21	बांसवाड़ा	उर्दू
22	बूंदी	उर्दू और सिन्धी
23	बाड़मेर	मांग नहीं होने के कारण अध्ययन व्यवस्था नहीं
24	जैसलमेर	मांग नहीं होने के कारण अध्ययन व्यवस्था नहीं
25	जालोर	उर्दू
26	डूंगरपुर	उर्दू

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार

जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा व बीकानेर शहरों की कुल आबादी प्रति शहर की प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी की सूची ।

क्र०सं०	कस्बों के नाम	प्रतिशत
1	जयपुर	24.44
2	बीकानेर	22.78
3	जोधपुर	24.08
4	कोटा	21.93
5	अजमेर	12.75
6	उदयपुर	29.15

उदयपुर संभाग में वर्ष 1977-78 में सिंचाई विभाग की लेप्स राशि

श्री गुलाबचन्द कटारियां (उदयपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर संभाग में वर्ष 1977–78 में सिंचाई विभाग में करीब 50 लाख रुपये लेप्स हुए ? यदि हां तो, क्यों हुए और कौन अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं ? उन पर क्या एक्शन लिया गया है ?

(2) उपरोक्त उदयपुर संभाग में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत यह अमाउन्ट सरेन्डर हुआ ? क्या यह सही है कि उपरोक्त योजनाओं के लिए 2 एक्स. ई. एन. की आवश्यकता होते हुए भी राज्य सरकार ने एक ही एक्स. ई. एन. से कार्य करवाया है ?

उत्तर

(1) जी हां। रुपये 128.11 लाख के कुल आवंटन में से रुपये 11.53 लाख सरेन्डर किया गया। सरेन्डर परिस्थिति वश हुआ व इसके लिए कोई अधिकारी विशेष उत्तरदायी नहीं है।

(2) जिन योजनाओं पर प्रावधान का सरेन्डर किया गया उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। यह सही है कि उदयपुर खण्ड की योजनाओं हेतु दो अधिशाषी अभियंताओं की आवश्यकता थी। प्रशासनिक कारणों से दूसरे अधिशाषी अभियन्ता का पदस्थापन समय पर सम्भव नहीं हो सका।

—: सूची :—

क्रम सं. 1	पद 2	कार्य का नाम 3	समर्पित राशि 4
1.	533 लघु सिंचाई कार्य	1. बगीचा योजना	7.50 लाख
		2. भाट योजना	0.50 लाख
		3. मदार का नाका	0.57 लाख
		कुल योग:—	8.57 लाख
2.	533 केपिटल आउट ले	उदयपुर नगर बाढ़ सुरक्षा कार्य (गुमानियो वाला)	2.96 लाख
		कुल योग:—	11.53 लाख

हरिजन परिवारों के कच्चे मकानों को पक्का बनाने हेतु आर्थिक अनुदान

592. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नगरपालिका पिड़ावा द्वारा 18 हरिजन परिवारों के कच्चे मकानों को पक्का बनाने हेतु आर्थिक अनुदान मांगा गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या जिला झालावाड़ में हरिजनों के उत्थान हेतु कोई विकास योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो विवरण देने का कष्ट करें।

(3) क्या समाज कल्याण विभाग का छात्रावास तहसील पिड़ावा में खोलने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है?

उत्तर

(1) जी हां। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पिड़ावा से इसी वर्ष अक्टूबर 1977 में 18 हरिजन परिवारों के लिए गृह निर्माण हेतु अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, लेकिन वर्ष 1974-75 से हरिजनों के लिए गृह निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने की योजना बन्द हो जाने के कारण प्रस्ताव वापस लौटाते हुए "दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी" जयपुर से गृह निर्माण हेतु मिलने वाले ऋण की जानकारी दी गई।

(2) जिला झालावाड़ के हरिजनों के उत्थान हेतु वर्तमान योजनाओं के अलावा अन्य कोई नई विकास योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं।

किशनगढ़ में पेयजल की समस्या

593. श्री करतारसिंह (किशनगढ़):- क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के किशनगढ़ नगर मे पिछले कई वर्षों से पेयजल की भयंकर समस्या रही है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के समक्ष अजमेर, ब्यावर एवं किशनगढ़ आदि नगरों की पेय जल समस्या के निराकरण हेतु राजमहल योजना विचाराधीन है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त योजना (राजमहल योजना) के क्रियान्वयन में कई वर्ष लगना संभव है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार किशनगढ़ नगर की भयंकर पेयजल समस्या का ध्यान रखते हुए एवं इसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मानते हुए इस नगर हेतु (जब तक राजमहल योजना कार्यान्वित न हो) कोई अन्य योजना (आल्टरनेटिव स्कीम) बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन सी योजना है तथा कब तक क्रियान्वित होगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजमहल योजना को स्वीकृत नहीं किया गया है। अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ के लिए एक बृहत योजना 11.05 करोड़ रु. की लागत की तैयार की गई थी। जिसका एक भाग 8.73 करोड़ रु. का वर्ष 1975-76 में स्वीकृत किया जा चुका है। इस योजना का कार्य प्रगति पर है।

(3) उपरोक्त स्वीकृत योजना को क्रियान्वित होने में समय लगना वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। किशनगढ़ में जल व्यवस्था सुचारु रूप से करने के लिए वर्तमान में स्थानीय कुओं पर पंप सेट लगाकर एवं गुडालाव तालाब से अतिरिक्त पानी लेने की व्यवस्था की गई है जिससे कस्बों को 3.5 लाख गैलन जल उपलब्ध होता रहेगा। किशनगढ़ के आसपास अन्य स्रोतों के लिए भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। अगर ये स्रोत उपयुक्त पाये गये तो धन की उपलब्धि के अनुसार अग्रिम कार्यवाही संभव होगी।

द्वितीय वेतन शृंखला के अध्यापकों की सीधी भर्ती

594. श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि द्वितीय वेतन शृंखला में सीधी भर्ती के अन्तर्गत लिये जाने वाले सहायक अध्यापक (अंग्रेजी) की विभाग द्वारा शैक्षणिक योग्यता बी. ए. (अंग्रेजी साहित्य) निर्धारित की हुई है ? यदि हां, तो फिर व्यावसायिक योग्यता क्या है ?

(2) उक्त पद के लिये जब अंग्रेजी के प्रशिक्षित (बी.एड. में अंग्रेजी अध्यापन विषय सहित) आशार्थी उपलब्ध हैं तो साधारण बी. एड. की अपेक्षा इन्हें प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती ?

उत्तर

(1) जी हां। व्यावसायिक योग्यता बी. एड. होना आवश्यक है।

(2) सीधी भर्ती के लिये उन्हीं अभ्यार्थियों की नियुक्ति की जाती है जो स्नातक (अंग्रेजी साहित्य सहित) बी. एड. हैं।

पाली में जनता पार्टी द्वारा आयोजित आम सभा में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

595. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 31 जनवरी, 1978 को पाली में जनता पार्टी द्वारा आयोजित आम सभा में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा ? यदि हां, तो लाठी चार्ज किन परिस्थितियों में क्यों करना पड़ा और उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

(2) लाठी चार्ज के फलस्वरूप कितने व्यक्तियों को चोटें पहुंची ?

(3) राज्य सरकार द्वारा क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता।

परिशिष्ट 2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 374 की सूची)

क्रम संख्या	नाम अधिकारी	अनुमानित कार्यवाही प्रारम्भ करने की तिथि	वर्तमान स्थिति	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री पी. एल. सुखवाल आई. ए. एस	16-8-67	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।	
2	,, राजेन्द्र जैन, आई. ए. एस.	24-3-75	,, ,, ,,	
3	,, आर. सी. माथुर, आई. ए. एस. (सेवानिवृत)	26-6-76	दोषी अधिकारी का लिखित स्थगन राज्य सरकार के विचाराधीन है।	
4	,, जी. एन. सांखला, आर. ए. एस.	31-10-63	मामले का रेकार्ड अपराधिक मामले में न्यायालय में होने के कारण विभागीय जांच स्थगित है।	
5	,, बी. एस. श्रीमाली, आर. ए. एस.	10-1-64	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।	
6	,, माशकरण अग्रवाल, आर. ए. एस.	12-12-66	मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग की राय राज्य सरकार के विचाराधीन है।	
7	,, एस. एम. खंडेलवाल आर. ए. एस.	22-11-65	दोषी अधिकारी का लिखित स्थगन विचाराधीन है।	

8	श्री राजकुमार शर्मा, आर. ए. एस.	10-5-67	मामले नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
9	,, जमनालाल लड्ढा, आर. ए. एस. (सेवा निवृत्त)	25-9-68	मामला दिनांक 19-1-78 को निर्णित हो चुका है जिनमें दोषी अधिकारी को पेन्शन का एक चौथाई भाग पांच साल तक रोकने का दण्ड दिया गया है।
10	,, आशकरण अग्रवाल, आर.ए.एस.	12-12-66	राज्य सरकार के अन्तरिम निर्णय पर जन सेवा आयोग की राय प्राप्त हो गयी है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।
11	,, एस. एम. यादव, आर. ए. एस.	16-3-67	आयुक्त, विभागीय जांच की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।
12	,, रामेश्वर दयाल भार्गव, आर.ए.एस.	11-9-69	,, ,, ,,
13	,, पी. आर. एस. मैनन, आर.ए.एस.	11-8-70	मामला नियमित जांच हेतु अतिरिक्त आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
14	,, आर. एल. ढाबी, आर. ए. एस.	18-3-71	,, ,, ,,
15	,, रोशनलाल, आर. ए. एस.	11-9-70	,, ,, ,,
16	,, एस. एन. व्यास, आर. ए. एस.	27-12-73	मामला दिनांक 10-8-77 को निर्णित हो चुका है जिसमें दोषी अधिकारी को तीन वेतन वृद्धियां सन्चयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया गया है।
17	,, रूपराम व्यास, आर. ए. एस.	4-12-70	राज्य सरकार के अन्तरिम निर्णय पर जन सेवा आयोग की राय मांगी गई है। जो अभी अपेक्षित है।
18	,, पी. एल. महगामी, आर. ए. एस. व अन्य	18-1-71	मामला नियमित जांच हेतु अतिरिक्त आयुक्त विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। जो जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
19 ,,	ओ. के. शर्मा, आर. ए. एस.	12-4-71	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।	दिनांक 6-7-67 को निलम्बित किया गया।
20 ,,	सुखवीरसिंह गहलोत, आर.ए.एस.	19-7-75	मामले में दिनांक 22-2-78 को निर्णय लेकर श्री गहलोत को पदावनत का दण्ड दिया गया है।	
21 ,,	रामकुमारसिंह, आर. ए. एस.	19-7-75	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाधान है। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।	
22 ,,	ए. जे. जयसिंघानी, आर. ए. एस. (सेवा निवृत)	30-12-71	राज्य सरकार के अन्तरिम निर्णय पर जन सेवा आयोग की राय मांगी गयी है। जो अपेक्षित है।	
23 ,,	महावीर जैन, आर. ए. एस.	26-5-72	मामले में दिनांक 9-3-78 को अन्तिम निर्णय लिया जाकर दोषी अधिकारी को परिनिन्दा का दंड दिया गया हैं।	
24 ,,	श्रीनारायण माथुर, आर. ए. एस.	5-1-72	मामले में जांच अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।	
25 ,,	ए. जे. जय सिंघानी, आर.ए.एस. (सेवानिवृत)	19-1-72	राज्य सरकार के अन्तिरिम निर्णय पर जन सेवा आयोग की राय मांगी गयी है। जो अपेक्षित हैं।	
26 ,,	मोतीलाल भारद्वाज, आर.ए.एस.	2-3-63	मामला नियमित जांच हेतु अतिरिक्त जिलाधीश, धौलपुर के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।	आर. ए. एस. में पदोन्नति के कारण मामला राज्य सरकार को प्राप्त हुआ।

27	श्री फूल चन्द महलावत, आर.ए.एस	25- 4-73	मामला नियमित जांच हेतु अतिरिक्त आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है । जांच रिपोर्ट की प्रतिक्षा है ।	
28	,, एस. के. दत्त शर्मा, आर. ए. एस	29- 4-72	राज्य सरकार के अन्तरिम निर्णय पर जन सेवा आयोग को राय मांगी गयी है । जो अपेक्षित है ।	दिनांक 3-2-68 को निलंबित किया गया ।
29	,, रमेश चन्द शर्मा, व अन्य आर. ए. एस. (सेवा निवृत)	2 - 8-71	,, ,, ,, ,,	
30	,, टोडरमल जैन, आर० ए० एस०	13- 8-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है ।	
31	,, सुमन सिंह, आर. ए. एस.	14- 10-74	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है ।	
32	,, काशीराम गोयल, आर. ए. एस.	9 - 8-72	मामले में दिनांक 9-3-78 को अंतिम निर्णय लिया जाकर समाप्त कर दिया गया है ।	
33	,, जोरावर सिंह सान्हूं, आर.ए.एस.	,,	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त विभागीय जांच के पास विचाराधीन है । जांच रिपोर्ट की प्रतिक्षा है ।	
34	,, आर०एन० सक्सेना, आर.ए.एस.	,,	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है ।	
35	,, ओंकार प्रसाद, आर. ए. एस.	18- 8-72	,, ,, ,, ,,	
36	,, लाल सिंह, आर. ए. एस.	24- 6-70	मामला नियमित जांच हेतु अतिरिक्त जिलाधीश उदयपुर के पास विचाराधीन है जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है	आर. ए. एस. में पदोन्नति के कारण मामला राज्य सरकार को प्राप्त हुआ
37	,, जमना लाल लड्डा, आर.ए.एस. (सेवानिवृत)	24- 10-72	मामला नियमित जांच हेतु अतिरिक्त आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है । जांच रिपोर्ट की प्रतिक्षा है ।	
38	,, भवानी शंकर, आर. ए. एस.	19- 5-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है ।	
39	,, रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी, आर. ए. एस. व अन्य	5 - 2-76	आयुक्त, विभागीय जांच से प्राप्त जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है ।	

1	2	3	4	5
40	श्री ताराचन्द गुप्ता, आर. ए. एस.	24-8-73	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है ।	
41	,, कान सिंह आर. ए एस. व अन्य	27-3-74	आयुक्त, विभागीय जांच से प्राप्त जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है ।	
42	,, लक्ष्मीचन्द व दीन दयाल आर.ए.एस.	26-3-73	दोषी अधिकारीयों के लिखित कथन अपेक्षित हैं ।	
43	श्री ए. के. गुप्ता, आर. ए एस व अन्य	28-5-75	आयुक्त, विभागीय जांच से प्राप्त जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है ।	
44	,, एम. एम. सिंघवी, डी. पी. माथुर, आर. ए. एस. व अन्य	22-1-76	दोषी अधिकारी के लिखित कथन अपेक्षित हैं ।	
45	,, अजीत सिंह, आर. .ए. एस	13-6-74	मामले में दिनांक 18-1-78 को अन्तिम निर्णय लिया जाकर मामला समाप्त कर दिया गया है ।	
46	,, जोरावर मल पाटनी, आर.ए.एस	30-4-73	मामले में दिनांक 3-4-78 को अन्तिम निर्णय लिया जाकर मामला समाप्त कर दिया गया है ।	
47	,, गुमान सिंह, आर. ए. एस	11-5-73	मामले में दिनांक 21-11-77 को अन्तिम निर्णय लिया जाकर मामला समाप्त कर दिया गया है ।	
48	,, ओंकारप्रसाद शर्मा, आर.ए.एस	23-5-73	मामला नियमित जांच हेतु अतिरिक्त आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है । जांच रिपोर्ट की प्रतिक्षा है ।	
49	,, नाथाराम शर्मा, आर. ए. एस	23-6-73	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है ।	

50 श्री हरनारायण सिंह राजपुरोहित, आर. ए. एस (सेवानिवृत्त)	11– 6–73	मामले में दिनांक 29–12–77 को अन्तिम निर्णय लिया जाकर दोषी अधिकारी की पेन्शन का 10 वां हिस्सा एक वर्ष के लिए रोका है ।	
51 ,, विजेन्द्र पाल सिंह, आर. ए. एस	20– 12–73	अतिरिक्त आयुक्त, विभागीय जांच से प्राप्त जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है ।	
52 ,, आर. सी. मिश्रा, आर. ए. एस	21– 1–74	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है । रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।	
53 ,, हरनारायण शर्मा आर. ए. एस	15– 3–74	,, ,, ,, ,,	
54 ,, ओंकार प्रसाद शर्मा आर. ए. एस	11– 9–75	,, ,, ,, ,,	
55 ,, एम. एस. त्रिवेदी आर. ए. एस.	6– 3–74	,, ,, ,, ,,	
56 ,, एम. सी. जैन, आर. ए. एस.	21– 1–74	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है ।	
57 ,, जगदीश चन्द्र अग्रवाल आर ए.एस	21– 1–74	,, ,, ,, ,,	
58 ,, गंगा सहाय अग्रवाल, आर.ए.एस	7– 12–71	मामला नियमित जांच हेतु जिलाधीश भरतपुर के पास विचाराधीन है । जांच रिपोर्ट की प्रतिक्षा है	आर. ए. एस. में पदोन्नति के कारण मामला राज्य सरकार को प्राप्त हुआ
59 ,, मालीराम मालव, आर.ए.एस. व अन्य	5– 3–74	राज्य सरकार के अन्तरिम निर्णय पर जन सेवा आयोग की राय मांगी गयी जो अपेक्षित है ।	
60 ,, गंगा सहाय अग्रवाल, आर.ए.एस	8– 2–72	मामला नियमित जांच हेतु अतिरिक्त आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।	आर. ए. एस. में पदोन्नति के कारण मामला राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ।

1	2	3	4	5
61	श्री शिवगोपाल कमठान, आर.ए.एस. (से.नि.)	20-11-74	मामला नियमित जांच हेतु अतिरिक्त आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है रिपोर्ट अपेक्षित है।	
62	,, देवकीनन्दन शांडिल्य, आर.ए.एस.	17-11-69	मामला नियमित जांच हेतु उप जिलाधीश, अजमेर के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।	आर.ए.एस में पदोन्नति के कारण मामला राज्य सरकार को प्राप्त हुआ।
63	,, भंवरलाल श्रीमाली, आर.ए.एस. (सेवा निवृत)	30- 5-74	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।	
64	,, काशीराम गोयल व आर. ए. एस. शाबीद आर.ए.एस	30- 5-74	दोषी अधिकारी श्री गोयल का लिखित कथन अपेक्षित है।	
65	,, सुरेन्द्रसिंह, आर.ए.एस. व अन्य	7- 1-75	मामला नियमित जांच हेतु अतिरिक्त आयुक्त जांच के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।	
66	,, के. एम. सहाय, राधेकान्त शर्मा, आर.ए.एस. व अन्य	27- 6-74	दोषी अधिकारियों के लिखित कथन विचाराधीन है।	
67	,, जी पी. माथुर, आर.ए.एस.	13- 8-74	मामले में दिनांक 8-3-78 को अन्तिम निर्णय लिया जाकर श्री माथुर को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी गई है।	

68	श्री शिवगोपाल कमठान, आर.ए.एस.	28- 9-74	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।
69	,, शिवगोपाल कमठान, आर.ए.एस. व अन्य (सेवा निवृत)	27-12-74	,, ,, ,,
70	,, आबिदअली, आर.ए.एस. व अन्य	28-10-74	,, ,, ,,
71	,, शिवगोपाल कमठान, आर. ए. एस. (से.नि.)	28-10-74	,, ,, ,,
72	,, देवकीनन्दन शांडिल्य, आर. ए. एस.	7-10-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
73	,, बी. एस. देवड़ा, आर. ए. एस. (सेवा निवृत) व अन्य	14- 3-75	दोषी अधिकारियों के लिखित कथन विचाराधीन है।
74	,, देवकी नन्दन शांडिल्य, आर. ए. एस	26-11-74	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।
75	,, रमेशचन्द्र शर्मा, आर. ए. एस. सेवा निवृत व एस. एम. खण्डेलवाल, आर. ए. एस.	21-12-74	मामले में दिनांक 9-3-78 को निर्णय लिया जा चुका है जिसमें श्री शर्मा के विरुद्ध मामला समाप्त किया गया है व श्री खण्डेलवाल को भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी गई है।
76	,, वासुदेव चोपड़ा, आर. ए. एस.	16-12-74	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।
77	,, मनराज उज्जवल, आर. ए. एस. (से. निवृत) व अन्य	14- 3-75	,, ,, ,,

1	2	3	4	5
78 श्री	गंगासहाय अग्रवाल आर. ए. एस.	13– 3–75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
79 ,,	डी. डी. शर्मा, आर. ए. एस.	5– 2–75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।	
80 ,,	गंगासहाय अग्रवाल, आर. ए. एस.	15– 2–75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित।	
81 ,,	एम. बी गुप्ता, आर. ए. एस.	3–12–75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है।	
82 ,,	ए. सी. तलवार, आर. ए. एस.	2– 4–75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
83 ,,	दुलीचन्द जैन, आर. ए. एस. (सेवानिवृत्त)	8– 4–75	मामले में दिनांक 22-10-70 को अन्तिम निर्णय लिया जाकर समाप्त कर दिया गया है।	
84 ,,	नरेन्द्र मल मेहता, आर. ए. एस. (से. नि.) व अन्य	19– 4–75	मामले में दोषी अधिकारियों के लिखित कथन अपेक्षित हैं।	
85 ,,	एस. डी. दधीच, आर. ए. एस.	15– 5–75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है।	
86 ,,	आई. सी. सहल, आर. ए. एस.	2–10–75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है।	
87 ,,	शिवगोपाल कमठान, आर. ए. एस. (से. नि.)	11– 6–75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
88 ,,	एस. एन. व्यास आर. ए. एस.	13– 6–75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
89 ,,	आई. सी. सहल आर. ए. एस.	15– 4–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
90 ,,	राजेन्द्र नाथ सचेना आर. ए. एस.	4– 7–75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
91 ,,	के. के. जम्मन, आर. ए. एस.	14–11–75	दिनांक 13–2–78 को मामले में अन्तिम निर्णय लिया जाकर दोषी अधिकारी की एक वेतन वृद्धि विचाराधीन है।	

92 श्री आर. ओ. डी. भारद्वाज आर.ए.एस	1-10-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है ।	
93 ,, सुखवीर सिंह गहलोत, आर.ए.एस	2- 1-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है ।	
94 ,, गंगासहाय अग्रवाल, आर. ए. एस.	2- 1-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है ।	
95 श्री बी. पी. माथुर, आर. ए. एस.	23- 3-76	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त विभागीय जांच के पास विचाराधीन है । रिपोर्ट अपेक्षित है ।	दिनांक 28-8-75 को निलम्बित किया गया ।
96 ,, ओंकारप्रसाद शर्मा आर.ए.एस.	17- 9-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है ।	
97 ,, कृष्णमोहन माथुर आर.ए.एस.	9- 8-75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है ।	
98 ,, पुरुषोत्तम लाल, आर.ए.एस.	3- 9-75	मामले में दिनांक 21-11-77 को अन्तिम निर्णय लिया जाकर दोषी अधिकारी को दो वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकी।	
99 ,, गंगासहाय अग्रवाल, आर.ए.एस.	29- 1-76	राज्य सरकार के अन्तरिम निर्णय पर लोक सेवा आयोग की राय मांगी गई है । 3 को अपेक्षित है ।	
100 ,, सुरेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.	3- 1-75	मामला दिनांक 26-10-77 को निर्णित हो चुका है, जिसमें दोषी अधिकारी की एक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से रोकी गई है ।	
101 ,, मायाराम शर्मा, आर.ए.एस.	26-12-75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है ।	
102 ,, गंगासहाय अग्रवाल, आर.ए.एस.	15-10-75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है ।	
103 ,, सुन्दरलाल शारदा, आर.ए.एस.	1-10-75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है ।	
104 ,, वी.आर.एस. मैनन, आर.ए.एस.	1-10-75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है ।	
105 ,, सुमेरसिंह चौधरी, आर.ए.एस.	15-10-75	,, ,, ,,	

1	2	3	4	5
106	श्री एम.पी. बिस्सा, आर.ए.एस.	14– 7–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है।	
107	,, देवकीनन्दन शांडिल्य आर.ए.एस.	26–12–75	,, ,, ,,	
108	,, एस.डी. दाधीच, ,, बिरधीचन्द आर.ए.एस.	26– 3–76	,, ,, ,,	
109	,, बी.डी. मारकन, आर.ए.एस.	17– 2–76	,, ,, ,,	
110	,, ए. निन्दरू आर.ए.एस.	24–11–75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
111	,, सुखबीरसिंह गहलोत आर.ए.एस.	3– 1–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है।	
112	,, कृष्णमोहन माथुर, आर.ए.एस.	27–12–75	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
113	श्री एम.के. सुराणा, आर.ए.एस.	2–1–76	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।	
114	,, जी.एस. महाजन, आर.ए.एस.	8–4–76	मामले में दिनांक 2–7–77 को निर्णय लिया जाकर मामले को समाप्त कर दिया गया है।	
115	,, आनन्द सिंह, आर.ए.एस.	2–1–76	मामले में आयुक्त विभागीय जांच से प्राप्त जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।	
116	,, के.के. मैनन, आर.ए.एस.	3–1–76	मामले में दिनांक 1–11–77 को निर्णय लेकर दोषी अधिकारी को एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गयी है।	
117	,, आर.डी. भार्गव, आर.ए.एस.	12–1–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है।	
118	,, जलालुद्दीन खां, आर.ए.एस.	25–2–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	

119	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.	4-3-76	मामले में दिनांक 14-11-77 को अन्तिम निर्णय लिया जाकर दोषी अधिकारी को परिनिन्दा का दण्ड दिया गया है।
120	,, आबिद अली आर.ए.एस.	22-1-76	मामले में दिनांक 24-9-77 को अन्तिम निर्णय लिया जाकर दोषी अधिकारी की दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गयी हैं।
121	,, गुरुचरणसिंह सिंधु, आर.ए.एस.	25-2-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
122	,, एच.डी. भार्गव, आर.ए.एस.	2-3-76	,, ,, ,,
123	,, एस.एन. व्यास, आर.ए.एस.	4-3-76	मामला नियमित जांच हेतु अतिरिक्त आयुक्त विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।
124	,, जी.एच. नरवानी, आर.ए.एस.	31-3-76	मामले में अन्तिम निर्णय लिया जाकर दिनांक 6-9-77 को समाप्त कर दिया गया है।
125	,, वाई.सी. सहल, आर.ए.एस.	30-3-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
126	,, रमेशचन्द्र शर्मा, आर.ए.एस.(से.नि.)	13-4-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है।
127	,, बी.एल. पाण्डे, आर.ए.एस.	15-4-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
128	,, सुखवीर सिंह गहलोत, आर.ए.एस.	1-5-76	मामले में अन्तिम निर्णय लिया जाकर दोषी अधिकारी को दिनांक 13-2-78 को परिनिन्दा का दण्ड दिया गया।
129	,, शिवचरण अग्रवाल, आर.ए.एस.	27-5-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
130	,, सुखवीरसिंह गहलोत, आर.ए.एस.	3-2-77	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त विभागीय जांच को दिया गया है। जिनकी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
131	,, नाहरसिंह आर.ए.एस.(से.नि.) व अन्य	23-7-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है।
132	,, रमेशचन्द्र शर्मा आर.ए.एस. (से.नि.)	13-3-76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5
133	श्री रमेशचन्द्र शर्मा आर.ए.एस. (सेनि.)	20–8–76	मामला नियमित जांच हेतु अतिरिक्त आयुक्त विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।	
134	,, डी. डी. शर्मा, आर.ए.एस.	6–9–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
135	,, कुरडाराम मीणा, आर.ए.एस.	1–10–76	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।	
136	,, एल.एन. शर्मा, आर.ए.एस.	10– 8–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
137	,, घनश्यामसिंह, आर.ए.एस.	25– 8–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
138	,, रमेशचन्द्र शर्मा, आर.ए.एस. (सेवा निवृत)	24– 8–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है।	
139	,, दुलीचन्द जैन, आर.ए.एस. (सेवा निवृत)	1–10–76	मामले में अन्तिम निर्णय लेकर दिनांक 19–10–77 को समाप्त कर दिया है।	
140	,, सुन्दरलाल शारदा, आर.ए.एस.	31– 8–76	मामले में अन्तिम निर्णय लेकर दिनांक 1–12–77 को समाप्त कर दिया है।	
141	,, धर्मपाल सूद, आर.ए.एस.	21– 9–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
142	,, जगन्नाथ शर्मा, आर.ए.एस.	31– 8–76	मामला नियमित जांच करने हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।	
143	,, सुरेन्द्रसिंह वर्मा, आर.ए.एस.	1–10–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
144	,, वी.पी. भार्गव, आर.ए.एस.	21– 1–77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
145	,, डी डी. शर्मा, आर.ए.एस. व अन्य	8–10–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
146	,, दीपसिंह, आर.ए.एस. व अन्य	28– 3–77	मामला नियमित जांच करने हेतु अतिरिक्त आयुक्त विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।	

147	श्री मोतीलाल भारद्वाज	12–11–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है।
148	,, हुकमदास गर्ग, आर.ए.एस.	1–12–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
149	,, मोहनसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस	1–12–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
150	,, आर.पी. जोशी, आर.ए.एस.	17–12–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
151	,, कुलदीप शर्मा, आर.ए.एस.	21– 1–77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
152	,, मंगासहाय अग्रवाल, आर.ए.एस.	21–12–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
153	,, शिवलहरी शर्मा, आर. ए. एस. (सेवानिवृत्त)	7– 1–76	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
154	,, आर.पी. जोशी, आर.ए.एस	26– 2–77	,, ,,
155	,, आर. पी. जोशी, आर.ए.एस.	26– 2–77	,, ,,
156	,, कानसिंह रावल, आर.ए.एस. व अन्य	28– 3–77	,, ,,
157	,, रतनलाल बैरवा, आर.ए.एस.	26– 3–77	,, ,,
158	,, जी.पी. माथुर, आर.ए.एस.	28– 3–77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
159	,, भंवरलाल घीमाली, आर.ए.एस. (सेवा निवृत्त)	28– 3–77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
160	,, जे.एन. भटनागर, आर.ए.एस. व ए.सी. तलवार, आर.ए.एस.	1– 4–77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
161	,, गुलाब चन्द जिंदल, आर.ए.एस.	29– 4–77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है।
162	,, रतनलाल बैरवा, आर.ए.एस.	16– 6–77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।
163	,, सुरेन्द्रसिंह वर्मा आर.ए.एस.	6– 6–77	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है। रिपोर्ट अपेक्षित है।
164	,, उदयलाल बामाई, आर.ए.एस.	15– 6–77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।

सूची 'ब'

दिनांक 22-6-77 के बाद प्रारम्भ की
विभागीय जांच की सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी	अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की तिथि	वर्तमान स्थिति	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री बी. वी. परमार, आर. ए. एस.	26–12–77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	
2	,, डालूराम मीना, आर.ए.एस. व भंवानी शंकर, आर.ए.एस.	4– 2–78	,, ,, ,,	
3	,, एस.डी. दाधीच, आर ए.एस.	7–12–77	,, ,, ,,	
4	,, दिग्विजयसिंह, आर.ए.एस.	12– 9–77	,, ,, ,,	
5	,, एम. के. सिकन्दर, आर.ए.एस.	29– 9–77	,, ,, ,,	
6	,, भंवरलाल श्रीमाली, आर.ए.एस. (सेवा निवृत्त)	27– 6–77	,, ,, ,,	
7	,, भीमसिंह, आर.ए.एस.	24– 9–77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है।	
8	,, महावीर जैन, आर.ए.एस.	16–11–77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है।	दिनांक 19-8-77 को निलम्बित किया गया।
9	,, आर.पी. निठूर, आर.ए.एस.	23– 8–77	,, ,, ,,	
10	,, सोहनलाल सांखला, आर.ए.एस.	23– 8–77	,, ,, ,,	

1	2	3	4	5
11	श्री आनन्दकुमार हेमकार, आर.ए.एस.	27-10-77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन विचाराधीन है ।	
12	,, गेंदालाल शर्मा, आर.ए.एस.	18-10-77	मामला राज्य सरकार के निर्णयाधीन है ।	
13	,, बी. परमार, आर.ए.एस.	23-11-77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है ।	
14	,, गोरधनलाल तिवाड़ी, आर.ए.एस.	26-11-77	मामला नियमित जांच हेतु आयुक्त, विभागीय जांच के पास विचाराधीन है । रिपोर्ट अपेक्षित है ।	
15	,, खैरातीराम, आर.ए.एस.	3-12-77	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है ।	
16	,, धर्मपाल सूद, आर.ए.एस.	23-12-77	,, ,, ,,	
17	,, कानसिंह रावत, आर.ए.एस.	29-12-77	,, ,, ,,	
18	,, ए.एल. रिवानी, आर.ए.एस.		,, ,, ,,	
	एम.एस. यादव बी. के.के. शर्मा, आर.ए.एस.	15- 3-78	,, ,, ,,	
19	,, सन्तुलाल शर्मा. आर.ए.एस.	31- 1-78	दोषी अधिकारी का कथन विचाराधीन है ।	
20	,, हुकमपाल गर्ग, आर.ए.एस.	8- 2-78	दोषी अधिकारी का लिखित कथन अपेक्षित है ।	
21	,, अजीतसिंह, आर ए.एस.	15- 2-78	,, ,, ,,	
22	,, ए.के. लोढा, आर.ए.एस.	27- 3-76	,, ,, ,,	

Page No. 188

परिशिष्ट—3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 381 की सूची)

सूची 'म'

कनिष्ठ अभियन्ता व अधिदर्शकों की
सूची जिन्हें वेतन वृद्धि दी जा चुकी है।

1. श्री देवेन्द्र मलहोत्रा, कनिष्ठ अभियन्ता
2. ,, कमलचन्द जैन, कनिष्ठ अभियन्ता
3. ,, वीरेन्द्रकुमार गुप्ता, अधिदर्शक
4. ,, टी.एस. राठौड़, अधिदर्शक
5. ,, टीकमचन्द जैन, कनिष्ठ अभियन्ता
6. ,, अनुपम सक्सैना, कनिष्ठ अभियन्ता
7. ,, चन्दी प्रसाद बियानी, कनिष्ठ अभियन्ता
8. ,, शरद महता, कनिष्ठ अभियन्ता
9. ,, केदार नाथ गर्ग, कनिष्ठ अभियन्ता
10. ,, शत्रुघन शेखावत, कनिष्ठ अभियन्ता
11. पारसमल दुकलिया, अधिदर्शक
12. पी. पी. रामलखानी

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 388 की सूची)

क्र. सं.	सड़क कार्य का पूर्ण विवरण	कार्य स्थान	अनुमानित राशि	कार्य आदेश संख्या	दिनांक	कार्य प्रारम्भ तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रथम बी. ब. बी. रोड सरदारपुरा गोल बिल्डिंग चौराहा से सड़क कार्य।	गोलबिल्डिंग के पास	13,311–00 रु.	एफ. 38 (2) 573	13–4–77	18–4–77
2.	नागौरी गेट के अन्दर कलाल कोलोनी में सड़क कार्य।	कलाल कोलोनी नागौरी गेट	54,216–75 रु.	एफ. 38 (2) 80	21–4–77	1–6–77
3.	इन्द्रा कालोनी में सड़क पर डामर कार्य (स्तंभ)।	इन्द्रा कोलोनी	30,759–75 रु.	एफ. (3) 89	23–4–77	22–4–77
4.	बग्गी खाना सांसी बस्ती सड़क पर डामर कार्य (स्तंभ)।	बग्गीखाना रातानाडा	23,501–10 रु.	एफ. (7) 161	11–5–77	11–6–77
5.	बी. रोड सरदारपुरा की लिंकरोड़ का विकास।	सरदारपुरा	10,663–47 रु.	एफ. (18) 454	5–5–77	5–5–77
6.	पोलो प्रथम में सड़क पर डामर का कार्य।	पोलो प्रथम पावटा	18,289–51 रु.	एफ. 38(17) 201	26–5–77	26–5–77
7.	जयनारायण व्यास मार्ग पर डामर कार्य (योजना)।	शास्त्री नगर	41,572–10 रु.	एफ. 38 (8) 144	6–5–77	10–5–77

1	2	2		4		5
8.	कलाल कोलोनी में सड़क निर्माण कार्य।	कलाल कोलोनी नागौरी गेट	40,609-98 रु.	एफ. 38 (15) 1951	26-5-77	1-6-77
9.	कमला नेहरू नगर विस्तार योजना एवं बी. क्षेत्र सड़क निर्माण (योजना)।	कमला नेहरू नगर योजना	96,663-96 रु.	एफ. 38 (19) 366	20-6-77	25-6-77
10.	घंटाघर ओवरब्रिज रोड जवाहर खाना से गिरदीकोट मिट्टी व सीवर लाइन (योजना)।	घंटाघर सड़क	29,888-90 रु.	एफ. 38 (12) 447	29-6-77	30-6-77
11.	घंटाघर ओवरब्रिज रोड कुम्हारों की ढाल से जवाहर खाना (योजना)।	घंटाघर सड़क	29,451-90 रु.	एफ. 38 (14) 450	29-6-77	30-6-77
12.	घंटाघर ओवरब्रिज रोड पश्चिम भाग से मिट्टी हटाना व रोक कटिंग सोजती गेट से कुम्हारों की ढाल (योजना)।	घंटाघर सड़क	65,984-15 रु.	एफ. 38 (16) 478	2-7-77	1-7-77
13.	भदवासिया रोडवेज वर्कशाप के सामने सड़क व नाली कार्य।	भदवासिया रोडवेज वर्कशाप	61,595-54 रु.	एफ. 38 (21) 862	25-7-77	25-7-77
14.	घंटाघर ओवरब्रिज रोड पश्चिम भाग 20 गली में सड़क का कार्य (योजना)।	घंटाघर रोड	27,231-50 रु.	एफ. 38 (13) 578	29-7-77	3-8-77

1	2	3		3		5
15.	घण्टाघर ओवरब्रिज मिट्टी हटाने का सड़क का कार्य सिनेमा लाइट (योजना) ।	घंटाघर रोड	45,292–00 रु.	एफ. 38 (15) 582	29–7–77	7–8–77
16.	नवल हरिजन वस्ती में सड़क पर डामर कार्य (स्लम) ।	नवल बस्ती	13,078-91 रु.	एफ. 38 (22) 930	2–8–77	11–8–77
17.	बख्तावरमलजी का बाग, सड़क पर डामर ।	बख्तावरमलजी का बाग	56,47–10 रु.	एफ. 38 (24) 938	2–8–77	11–8–77
18	कागा क्षेत्र कच्ची बस्ती (भील) सड़क निर्माण ।	कागा भील बस्ती	30,793–00 रु.	एफ. 38 (30) 945	5–8–77	15–8–77
19.	दयानन्द मार्ग से बाल निकेतन तक सड़क विस्तार एवं डामर का कार्य ।	रातानाडा क्षेत्र	19,457–86 रु.	एफ. 38 (37) 643	10–8–77	10–8–77
20.	नई भील बस्ती चांदपोल पर चामों की सड़क (स्तंभ) ।	चांदपोल नई भील बस्ती	10,969-25 रु.	एफ. 38 (32) 1023	11–8–77	16–8–77
21.	विस्सा मार्ग शास्त्री नगर सड़क पर डामर कार्य (योजना) ।	शास्त्री नगर	61,070–25 रु. (सीमित खर्च 40,000	एफ. 38 (89) 1061	18–8–77	22–8–77
22.	शिपहाउस खानिया एरिया कच्ची बस्ती सड़क निर्माण (स्लम) ।	शिपहाउस एरिया	56,097-00 रु.	एफ. 38 (33) 1110	23–8–77	26–9–77
23.	भीका प्याऊ भील बस्ती में सड़क व नाली कार्य (स्तंभ) ।	भीखा प्याऊ	28,293-12 रु.	एफ. 38 (50) 1120	30–9–77	7–10–77

1	2	3	4		5	
24.	बगतसागर में सड़क पर डामर का कार्य (योजना)।	बगतसागर	50,000-00 रु.	एफ. 38 (47) 899	6-10-77	11-10-77
25.	बलदेवनगर सेक्शन 2 विस्तार में सड़क निर्माण (योजना)।	बलदेवनगर	14,424-55 रु.	एफ. 38 (45)	18-11-77	21-11-77
26.	रातानाड़ा सी. रोड़, चौड़े किये गये मार्ग पर डामर कार्य।	रातानाड़ा सी. रोड़	31,969-05 रु.	एफ. 38 (44) 1176	16-12-77	21-12-77
27.	दयानंद मार्ग बाल निकेतन चौराहा सड़क चौड़ा करना एवं डामर का कार्य।	रातानाड़ा	22,056-08 रु.	एफ. 38 (54) 7	2-1-78	8-1-79
28.	इन्द्रा कोलोनी विस्तार में सड़क निर्माण कार्य (स्तंभ)।	इन्द्रा कोलोनी	75,050-69 रु.	एफ. 38 (27) 346	15-2-78	17-2-78
29.	रिषूजी कालोनी में डामर व कर्बस्टोन (स्तंभ)।	रिषूजी कोलोनी	53,877-60 रु.	एफ. 38 (26) 430	22-2-78	1-3-78
30.	पारसमल कांकरिया सब डिवीजन में सड़क निर्माण (विकास राशि जमा)।	चौपासनी रोड़	69,442-80 रु.	एफ. 38 (89) 486	1-3-78	

Page No. 193

परिशिष्ठ–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 397 की सूची)

राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार नियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक रापनि|संस्था|स (33) स्थायीकरण|75|308 दिनांक 5-12-75

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 24(2)(क) के अधीन गठित प्रतिच्छादित समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) के विभाग में कार्यरत परिवार कल्याण कार्यकर्त्ताओं|प.नि. क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं, जिनमें से कुछ कर्मचारी परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों|विकास खण्ड स्तर शिक्षा प्रसारकों के पदों के विरुद्ध कार्यरत हैं तथा अभिशेष कर्मचारी जो परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायकों के पद के विरुद्ध कार्यरत है का प्रतिच्छादन (स्क्रीन) किया तथा निम्नांकित को परिवार नियोजन कल्याण कार्यकर्त्ता/परिवार नियोजन क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता के पद के लिए उपयुक्त पाया एवं निम्न प्रकार उनकी वरिष्ठता निर्धारित करते हुए उपलब्ध परिवार नियोजन कल्याण कार्यकर्त्ता|प.नि. क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता के 105 स्थाई पदों के विरुद्ध क्रमांक 1 लागत 105 (क्रमांक 2, 5, 7, 19, 25, 26, 39, 51, 74, 77, 121, 195 तथा 203 को छोड़कर) को उपरोक्त वर्णित नियमों के नियम 29 (क) के अनुसरण में एतद् द्वारा स्थायी किया जाता है।

क्रमांक 1	कर्मचारी का नाम 2	क्रमांक 1	कर्मचारी का नाम 2
1	श्री तेजभान शर्मा	16	श्री अब्दुल गफुर
2	,, अलीबक्स (सेवा निवृत्त)	17	,, विशम्भर दयाल वर्मा
3	,, बी के. खेर	18	,, रामदयाल शर्मा
4	,, पूरणलाल अग्रवाल	19	,, गोवर्धन लाल शर्मा (सेवा निवृत्त)
5	,, राजनारायण पाठक (सेवा निवृत्त)	20	,, विशम्भर दयाल वशिष्ठ
6	,, आरीफ आलम	21	,, राजेन्द्र स्वरूप सक्सेना
7	,, रामनुज पाण्डे (सेवा निवृत्त)	22	,, जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र ,, रुड़मल
8	,, बद्रीलाल शर्मा		
9	,, गुमानसिंह	23	,, मोहनलाल शर्मा पुत्र ,, गुलाबचन्द
10	,, बन्सीलाल		
11	,, जोधराज सालवी	24	,, द्वारकाप्रसाद कौशल
12	,, रामचन्द्र शर्मा	25	,, मामनसिंह (सेवा निवृत्त)
13	,, प्रभु नारायण	26	,, रामभजनसिंह (सेवा निवृत्त)
14	,, आनन्द प्रकाश आर्य	27	,, रामप्रकाश श्रीवास्तव
15	,, अमरनाथ शर्मा	28	,, गुलाम मोहम्मद

1	2
29	श्री गणेश नारायण
30	,, के. मोहम्मद
31	,, बालचन्द
32	,, महेशसिंह यादव
33	,, हीरासिंह
34	,, हरीकिशन भट्ट
35	,, महावीर प्रसाद तालेकर
36	,, जलालुद्दीन
37	,, के नरसिया
38	,, भगवती प्रसाद गेरोला
39	,, आनाराम (सेवा निवृत्त)
40	,, दिलीप कुमार मुकर्जी
41	,, दिलपीसिंह कंवर
42	,, धनकाराम
43	,, तुलसीराम पुत्र श्री घासीराम
44	,, तुलसीरामसिंह पुत्र श्री रामदयालसिंह
45	,, बी. डी. सिंह
46	,, के. एन. गुप्ता
47	,, अर्जुनसिंह
48	,, राम खेलावन
49	,, कालिका राम
50	,, सत्य प्रकाश थापलियाल
51	,, रघुनाथलाल सेनी (स्थाई) विभागीय जांच के कारण विचाराधीन
52	,, रामचन्द्र शर्मा
53	,, बन्शीधर पारीक
54	,, गिरधारी सिंह
55	,, सत्यनारायण पारीक
56	,, बद्रीप्रसाद शर्मा
57	,, मोहनलाल टोडवाल
58	,, तुलसीराम
59	,, सैयद अमान अली
60	श्री अमरचन्द जैन
61	श्री अम्बादत्त जोशी
62	,, रामकिशनशर्मा
63	,, हनुमान प्रसाद
64	,, बुद्धि प्रकाश कछावा
65	,, गंगा प्रसाद गुप्ता
66	,, माधोलाल शर्मा
67	,, गोरीशंकर पळसानिया
68	,, लक्ष्मणदास
69	,, रामगोपाल शर्मा
70	,, जगदीश प्रसाद शर्मा
71	,, ओमप्रकाश हरित
72	,, शिवलाल शर्मा
73	,, उम्मेद सिंह
74	,, बदन सिंह (सेवा निवृत्त)
75	,, लक्ष्मी चन्द सिंघवली
76	,, मोहम्मद इसाक
77	,, भैरू लाल राव (सेवा निवृत्त)
78	,, मन्ना लाल
79	,, कृष्ण चन्द तिवारी
80	,, किशन सिंह चौहान
81	,, मंजूरअली
82	,, घनश्याम चतुर्वेदी
83	,, मनोहर लाल सैनी
84	,, शिवदत्त शर्मा
85	,, मातादीन यादव
86	,, सरदार सिंह
87	,, रामेश्वर दयाल
88	,, गुलाम हुसेन
89	,, सुल्तान सिंह
90	,, बसन्ती लाल
91	,, बनवारी लाल यादव
92	,, जगमाल सिंह
93	,, दिनकर पांडे
94	,, बसीर मोहम्मद शेख

1	2
95	श्री रघुवीर सिंह
96	,, रंजीत सिंह
97	,, शिवरतन चंडोक
98	,, सूरज नारायण माथुर
99	,, चिमन लाल
100	,, कल्याण चन्द जोशी
101	,, श्याम लाल शर्मा
102	,, भंवर सिंह
103	,, रावत सिंह
104	,, रघुवीर सिंह शेखावत
105	,, नारायण लाल वर्मा
106	,, भागाराम
107	,, सज्जनसिंह
108	,, फूलसिंह जाटव
109	,, हनुमान प्रसाद पुत्र श्री नारायण प्रसाद
110	,, राधेश्याम सोनी
111	,, बुद्धिचन्द सोनी
112	,, मदनलाल सोनी
113	,, पदमसिंह बरोदिया
114	,, गोपीचन्द सोनी
115	,, सोहनलाल सोनी
116	,, मालचन्द सोनी
117	,, अब्दुल अजीज
118	,, बन्सीलाल पारीक
119	,, यादव राम
120	,, कुन्जबिहारी माथुर (स्थाईकरण विभागीय जांच के कारण विचाराधीन है)
121	,, भगवत स्वरूप
122	,, राधेश्याम शर्मा
123	,, अमरसिंह चौहान
124	,, महावीर प्रसाद
125	,, जयराम

1	2
126	श्री रूप नारायण चौहान
127	,, झूमर मल
128	,, हरीसिंह राठोड
129	,, पूरणचन्द चतुर्वेदी
130	,, नन्द लाल
131	,, केसर राम
132	,, हरि राम
133	,, राधेश्याम स्वामी
134	,, हरदयाल सिंह
135	,, समुन्दर सिंह
136	,, तेज सिंह
137	,, सुरेन्द्र सिंह
138	,, नाथूराम चौहान
139	,, जगत सिंह
140	,, सतीश कुमार
141	, सिच्चानन्द यादव
142	,, भैरूंसिंह नल्का
143	,, लालसिंह पुत्र श्री शम्भूसिंह
144	,, बूदी चन्द
145	,, राजेन्द्र कुमार सिसोदिया
146	,, शंकर लाल
147	,, हनुमान सिंह
148	,, नरेन्द्रकुमार भगत
149	,, किशन गोपाल गंगावत
150	,, दौलतराम चौधरी
151	,, रामगोपाल शर्मा
152	,, गोविंदसिंह राजोरिया
153	,, भीखा लाल
154	,, सुरजराम विश्नोई
155	,, ईश्वरराम चौधरी
156	,, अल्ला महर
157	, राजेन्द्र सिंह
158	,, भंवरसिंह चौहान
159	,, देवूराम पुत्र श्री हरिभगवान

1	2
160	श्री चन्दगीराम
161	,, मंगलाराम
162	,, सतीश्वरप्रसाद शर्मा
163	,, शैलेन्द्रकुमार पारीक
164	,, रामदीन करण्पा
165	,, प्रभुदयाल पारीक
166	,, जोहरीलाल सोनी
167	,, मोइउद्दीन उस्मानी
168	,, तोताराम
169	,, श्रवण कुमार
170	,, हरि सिंह
171	,, चिमन सिंह
172	,, लल्लूराम बिश्नोई
173	,, गोपाल सिंह
174	,, अबराम अहमद
175	,, लक्ष्मी नारायण
176	,, सेवाराम
177	,, विरदीचन्द शर्मा
178	,, भेजपाल सिंह
179	,, शैतान सिंह
180	,, दामोदर प्रसाद
181	,, रामेश्वरलाल वर्मा
182	,, घनश्याम पाण्डे
183	,, हजारी राम
184	,, शिव सिंह
185	,, भैरूंलाल सेन
186	,, कृपाराम सेनी
187	,, सरनाम सिंह
188	,, भंवरलाल साटी
189	,, बदरीनारायण पारीक
190	,, रमेशचन्द्र शर्मा
191	,, देवी लाल
192	,, बाल मुकुन्द
193	,, गिरधारीलाल माथुर
194	श्री ओमप्रकाश शर्मा (स्थाईकरण विभागीय जांच के कारण विचाराधीन है)
195	,, द्वारका सिंह
196	,, बाबूलाल वर्मा
197	,, नारायणलाल शर्मा
198	,, बाबूलाल निमेश
199	,, चन्दाराम
200	,, फूलचन्द जाटव
201	,, राम भरोसे
202	,, जगदीशप्रसाद बलाई (स्थाईकरण विभागीय जांच के कारण विचाराधीन है)
203	,, पूरनमल जाट
204	,, रामनाथ मीणा
205	,, भैरूलाल नारनोलिया
206	,, देवाराम मीणा
207	,, प्रेमबाबू शर्मा
208	,, भवानी सिंह
209	,, गिरीराज प्रसाद
210	,, मोहम्मद तोफिक
211	,, परमोली राम
212	,, रामपाल नाटानी

एसडी/–

अतिरिक्त निदेशक (परि. लि.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर

चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, एवं परिवार नियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक रा. प. नि. / संस्था | स (33) / 75 स्थायी | 309 दिनांक 5-12-1975

आ दे श

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवाएं नियम 1965 के नियम 24 (2) (एक) के अधीन गठित प्रतिच्छादित समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) के समक्ष विभाग में कार्यरत परिवार कल्याण कार्यकर्ताओं (पुरुष) | परिवार नियोजन क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (पुरुष) के सेवा विवरणों के साथ निम्नलिखित परिवार नियोजन कल्याण कार्यकर्ताओं (महिलाएं) जो कि वर्तमान में प्रस्तविका (ए. एन. एम.) के पदों के विरुद्ध कार्यरत हैं के विवरण प्रस्तुत किये किन्तु समिति ने इनको प्रतिच्छादन (स्क्रीन) नहीं किया क्योंकि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजन व कल्याण कार्यकर्ता (महिलाएं) के पद सृजित नहो हैं । चूंकि ये ए. एम. एम. प्रशिक्षित नहीं हैं इसलिए इनका प्रतिच्छादन (स्क्रीन) प्रसाविका (ए. एन. एम.) के पद पर भी किया जाना सम्भव नहीं है । विभाग के पास इन्हें अधिशेष घोषित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं । अत: इन्हें दिनांक 15-12-75 से अधिशेष घोषित कर आदेश दिया जाता है कि ये अपनी उपस्थिति की सूचना सदस्य सचिव, समायोजित समिति एवं उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग) विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत करें ।

क्रमांक	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन का स्थान
1	2	3
1	श्रीमती चन्द्रकला देवी	न. प. नि. कल्याण केन्द्र, राजगढ़ (अलवर)
2	,, आइशा बेगम	मा. प. नि. केन्द्र कापरेन (बुन्दी)
3	,, जय देवी	मुख्य चि. अधिकारी, धोलपुर के अन्तर्गत
4	,, इन्द्रा कुमारी	न प. नि. केन्द्र भूपालपुरा (उदयपुर)
5	,, शान्ती देवी आर्य	जिला चूरू
6	,, सुशीला देवी सक्सेना	जिला जयपुर ।
7	,, लक्ष्मी देवी	जिला झुन्झुनू
8	,, हीरामणी	,, टोंक
9	,, शारदा रानी	,, सीकर
10	,, मिथलेश शर्मा	,, जयपुर
11	,, सुभद्रा कुमारी तलवार	,, जयपुर
12	,, ज्ञानी देवी	,, भरतपुर
13	,, कमला देवी शर्मा	,, जयपुर

1	2	3
14	श्रीमती तारावती त्यागी	जिला जयपुर
15	,, शान्ता देवी	,, जयपुर
16	,, सरस्वती देवी	,, भरतपुर
17	,, मिश्री देवी	,, अलवर
18	,, रुकमणी देवी	,, बीकानेर
19	,, प्रेम कुमारी	,, जयपुर
20	,, बरखा बी लाल	,, अजमेर
21	,, विद्यावती शर्मा	,, चुरू
22	,, चन्द्रावती शर्मा	,, अलवर
23	,, ज्ञानवती देवी	,, भीलवाड़ा
24	,, कासी देवी	,, चुरू
25	,, ईश्वरी देवी शर्मा	,, सवाई माधोपुर
26	,, शकुन्तला देवी	,, अजमेर
27	,, सुधीर कुम्हारी सोलंकी	,, जयपुर
28	,, सुरेन्द्र रानी विज	,, जयपुर
29	,, भंवरी देवी	,, जयपुर
30	,, भगवती देवी	,, जयपुर
31	,, शारदा देवी दाधीच	,, नागौर
32	,, विमला देवी पारीक	,, जयपुर
33	,, सन्तारा देवी शर्मा	,, अजमेर
34	,, सूरज देवी	,, जयपुर
35	,, किरन देवी पारीक	,, सवाई माधोपुर
36	,, मनफूल देवी	,, भीलवाड़ा
37	,, सरस्वती देवी	,, अजमेर
38	,, विमला देवी शर्मा	,, भरतपुर
39	,, सूरज देवी शर्मा	,, पाली
40	,, जरीना डिनियल	,, अजमेर
41	,, शान्ती देवी चौहान	,, जयपुर

एस. डी.
अतिरिक्त निदेशक (प. क.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 398 का आदेश)

Government of Rajasthan
(Medical & Public Health Department Gr. III)

ORDER

No. F. 2(117) MPH/67

Dated Jaipur, the 13th Nov. 1967

On the recommendations of the Committee, constituted under Rule 24 of the Rajasthan Ayurvedic Subordinate Servtce Rules, 1966, the following persons, who have continuously held post of A Grade Vaidyas, Lecturers, Assistant Physician specialist, in an adhoc/officiating/temporary basis for a period not less than six months on 1st January, 1966 are hereby confirmed under provison (3) to rule 6 of the said rules: –

ASSISTANT PHYSICIAN SPECIALIST

Shri Mohan Lal Golecha

VAIDYAS GRADE I

Shri Santosh Lal Vyas
,, Narbada Shankar Sharma
,, Prathvi Raj Gautam
,, Saradri Lal
,, Damodar Lal Trivedi
,, Hari Narain Sharma
,, Chhittar Lal Tripathi
,, Padmanabh Shastri
,, Bhanu Dutt Sharma
,, Kanumat Prashad Nandwana
,, Madan Gopal Sharma
,, G. K. Bhatt

LECTURERS

Shri Basanti Lal Sharma
,, Devi Dutt Vyas
,, Madan Gopal Gaur
,, Vachaspati Sharma
,, Badarinarain
,, Rang Nath Sharma
,, Harivallabh Shastri
,, Rama Kant Sharma
,, Ramcharan Joshi
,, Balmukand Sharma

The seniority of the above persons shall be determined later on.

By Order,
Sd/-
(J. S. MEHTA)
Secretary to Government

Vaidya and Hakim in Grade 'B' Senior.

1. Shri Gopal
2. ,, Lila Dhar Sharma Pathak
3. ,, Syed Husain Hashmi
4. ,, Ram Pratap Joshi
5. ,, Sukh Lal
6. ,, Ram Dhan Sharma
7. ,, Bhagavati Datt
8. ,, Navnit Lal Viyas
9. ,, Pratap Lal
10. ,, Shoan Lal Sharma
11. ,, Pragya Verdhan Mishra
12. ,, Babu Lal
13. ,, Nand Kishor Joshi
14. ,, Vidya Dhar Pacholi
15. ,, Mohan Lal Golecha
16. ,, Lal Chand
17. ,, Harnath Mishra
18. ,, Shah Dev Prashad

Page No. 200

19. Shri Madan Lal
20. ,, Ram Pratap Harit
21. ,, Ishwar Datt Sanadhiya
22. ,, Damodar Lal Pradhan
23. ,, Bhagi Rath Sharma
24. ,, Bhairav Lal
25. ,, Jagan Nath Viyas
26. ,, Santosh Lal Viyas
27. ,, Narbada Shankar Sharama
28. ,, Labh Shankar Joshi
29. ,, Ram Ratan Tripathi
30. ,, Pancha Nand Sharma
31. ,, Ganesh Narain Sharma
32. ,, Mohamad Ahamad Hakim
33. ,, Madan Mohan Sharma
34. ,, Krishan Dash Swami
35. ,, Surya Kant Sharma
36. ,, Habibur Rahaman Hakim
37. ,, Champa Lal Rajora
38. ,, Hanumat Prashad Mishra
39. ,, Ahemad Mazrul Haq Hakim
40. ,, Jagan Nath Sharma
41. ,, Bhav Dutt Sharma
42. ,, Badri Prashad
43. ,, Buddhi Prakash
44. ,, Sita Ram Sharma S/o Sh. Ram Kumar
45. ,, Shiv Dutt Shastry
46. ,, Bashanti Lal Sharma
47. ,, Gulab Chand Sharma
48. ,, Devi Dutt Viyas
49. ,, Rameshwar Sharma
50. ,, Sita Ram Sharma S/o Nanag Ram Sharma
51. ,, Chhagan Lal Sharma
52. ,, Girja Shankar Sharma
53. ,, Shri Narain Sharma
54. ,, Damodar Sharma
55. Shri Raman Dash Gupta
56. ,, Nand Kishor Lata
57. ,, Devaki Nandan Kaushik
58. ,, Sukh devo Prashad
59. ,, Puroshottam Dutt Panchouli
60. ,, Sohan Lal Lata
61. ,, Chhaju Ram
62. ,, Hari Prashad Shrama
63. ,, Krishna Nand Mehta
64. ,, Mohan Lal Dadhich
65. ,, Ram Devo Sharma
66. ,, Vaid Prakash
67. ,, Nand Vallabh Pandeya
68. ,, Badri Prashad
69. ,, Kailash Chandra Sharma
70. ,, Bhola Ram Sharma
71. ,, Bhiaron Singh Arya
72. ,, Gopal Sharma
73. ,, Girdhar Lal Bhatt
74. ,, Bhanwar Lal Sharma
75. ,, Devi Datt
76. ,, Rameshwar Sharma
77. ,, Ram Shwaroop Sharma
78. ,, Dawarka Prasad Sharma
79. ,, Jugal Kishor Sharma
80. ,, Duni Chand Sharma
81. ,, Bhangwan Shahay Sharm
82. ,, Ghanshyam Sharma Trivedi
83. ,, Vasu Devo
84. ,, Shambhu Dutt Sharma
85. ,, Jagan Nath Verma
86. ,, Govind Shahai Sharama
87. ,, Devaki Nand Panth
88. ,, Badri Narain Sharma
89. ,, Ram Sahai Sharma
90. ,, Ram Kumar Sharma
91. ,, Madan Singh

Page No. 201

92. Shri Prathvi Raj Gauttam
93. ,, Radhey Shyam Chandaramani
94 ,, Madan Gopal Gour
95. ,, Tikeshwar Dwevedi
96. ,, Sardari Lal
97 ,, Sita Ram Sharma
98. ,, Nathti Lal Sharma
99. ,, Gopal Prashad Mishra
100. ,, Indu Shekhar Bhatta
101. ,, Prem Chand Sharma
102. ,, Ram Batan Verma
103 ,, Ram Swaroop Atre
104. ,, Hari Shanker Sharma
105. ,, Ram Narain Dwevedi
106. ,, Rava Shanker Prohit
107. ,, Shiv dutt Sharma
108. ,, Taj Shanker Upadhiyay
109. ,, Ratan lal Choubisa
110. ,, Bholesher
111. ,, Bhanu Dutt Sharma
112. Shri Chandra Shanker Bhatt
113. ,, Ganesh Lal
114. ,, Damodar Trivedi
115. ,, Shiv Dutt Viyas
116. ,, Bhagwati Prasad
117. ,, Natwar Lal Shukla
118. ,, Shyam Sundar Viyas
119. ,, Shyam Sundar Tripathi
120. ,, MithaLal Mahatma.
121. ,, Dattatriya Bharadwaj
122. ,, Hazari Lal
123. ,, Pritam Lal
124. ,, Ram Narain Doliya
125. ,, Vachaspati Sharma
126. ,, Durga Prasad
127. ,, Banwari Lal Shastri
128. ,, Mani Ram Sharma. Pareekh.
129. ,, Hari Prasad Pandya.
130. ,, G. K. Bhatt.